Fifth Series, Vol. XXVI, No. 36, Wednesday, April 18, 1973/Chaitra 20, 1895 (Saka)

लोक सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

LOK SABHA DEBATES

[सातवां सत्र
Seventh Session]

[खंड 26 में अंक 31 से 40 तक है
Vol. XXVI contains Nos. 31 to 40]

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

PRICE : TWO RUPEES

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

PARLIAMENT LIBRARY
No. 72 (23)
Date 1.12.73

विषय-सूची CONTENTS

अंक 40, बुधवार 18 अप्रैल, 1973/28 चैत्र, 1895 (शक)

Wednesday, April 18, 1973/Chaitra 28, 1895 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
प्रश्नों के लिखित उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या S.Q. No.		
761 कामनवैल्थ टेलीकम्युनीकेशन आर्गेनाइज़ेशन के साथ प्रस्तावित वित्तीय समझौता	Proposed Financial Agreement with Commonwealth Telecommunication Organisation	1
763 नकद आय तथा रहन-सहन के स्तर के बीच बढ़ता अंतर	Widening Gap between Money incomes and Standard of Living .	2
764 पुलिस को आवासीय सुविधा उपलब्ध करने के लिए संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता	Assistance to Union Territories for Police Housing	5
765 हरियाणा के लिय पांचवीं पंचवर्षीय योजना का परिव्यय	Fifth Plan outlay for Haryana .	6
766 मैसूर में लघु उद्योगों का बन्द होना	Closure of small scale Industries Mysore	7
769 आदिवासियों तथा हरिजनों के लिए आरक्षण	Reservations for Adivasis and Harijans	10
770 राजस्थान परमाणु बिजलीघर के दूसरे एकक के लिये उपकरणों की सप्लाई के लिए फर्मों को दिये गए आर्डर	Orders placed with the Firms for supply of Components for Second Unit of Rajasthan Atomic Station .	12
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWER TO QUESTIONS	
762 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा संसद् भवन पर प्रदर्शन	Demonstration by C.P.I. at Parliament House	14
767 वार्षिक लाइसेंस देने की योजना	Annual Licensing Plan . . .	14
768 दिल्ली के टेलीविज़न केन्द्र में काम कर रहे फिल्म और टेलीविज़न इन्स्टीट्यूट पूना से डिप्लोमा प्राप्त कलाकारों को उच्च प्रशिक्षण के लिए विदेशों में प्रतिनियुक्ति पर भेजना	Deputation of Artistes working in T.V. Centre Delhi and holding Diplomas from Film and T.V. Institute, Poona to Foreign Countries for Advanced Training	15
771 बम्बई शहर तथा इसके उपनगरीय क्षेत्रों में वायु दूषण	Pollution hazards in the city of Bombay and its Suburbs	15

ता० प्र० संख्या S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
772	दिल्ली और गान्धीनगर (गुजरात) के बीच डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की प्रणाली	Direct Dialling System between Delhi and Gandhinagar (Gujarat) . .	16
773	एक नया झारखण्ड राज्य बनाने के लिये ज्ञापन	Memorandum for creation of a New State of Jharkhand . . .	16
774	संघ राज्य क्षेत्र दादरा, नागर हवेली के अराजपत्रित कर्मचारियों के वेतनमान	Pay Scales of N.G.Os. of Union Territory of Dadra and Nagar Haveli .	17
775	पुलिस प्रशिक्षण विषयक समिति की सिफारिशें	Recommendations of the Committee on Police Training	17
776	स्थानीय रिपोर्टरों और उप-सम्पादकों को दिल्ली में सरकारी आवास का आवंटन	Allotment of Government Accommodation to Local Reporters and Sub-Editors in Delhi	18
777	वर्ष 1973-74 में केरल में शिक्षित नौजवानों के लिय रोज़गार	Employment for Educated in Kerala in 1973-74	19
778	दिल्ली प्रशासन में सूचना और प्रचार निदेशक की नियुक्ति	Appointment of a Director of Information and Publicity in Delhi Administration	19
779	तमिलनाडु में टायरों के निर्माण के लिये संयुक्त क्षेत्र में कम्पनी की स्थापना	Joint Sector Company in Tamil Nadu for Manufacturing Tyres . . .	19
780	औद्योगिक विकास की गति तेज़ करने के लिये औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या में वृद्धि	Increase in the number of Industrial Licences to Accelerate Industrial Growth	20
अता० प्र० संख्या U.S. Q. No.			
7336	सीनियर एनेलिस्ट के श्रेणी एक के पदों पर नियुक्त किये गए श्रेणी दो जूनियर सी० एस० एस० के अनुभाग अधिकारी	Class II Junior C.S.S. Section Officers Appointed to Class I Posts of Senior Analysts	21
7337	नेपा मिल में कर्मचारी	Employees in Nepa Mills	21
7338	चौथी योजना के वित्त पोषण के लिए राज्यों द्वारा जुटाए गए संसाधन	Resources mobilised by States to Finance Fourth Plan . . .	21
7339	मध्य प्रदेश में गैर-कारीगर लोगों को रोज़गार देने की योजना	Scheme for Providing Employment to unskilled People in Madhya Pradesh	22
7340	प्रतिबंधित क्षेत्र में जातियों तथा जनजातियों को मान्यता देने के बारे में लोकर समिति की सिफारिशें	Lokur Committee recommendations regarding recognition of Castes and Tribes in restricted area . .	22

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
7341	दिल्ली प्रशासन में अनुसूचित जातियों के लिये पदों का आरक्षण	Reservation of Posts for Scheduled Castes in Delhi Administration .	22
7342	राजस्थान में झालावाड़ के सूखाग्रस्त ज़िले के लिए केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to drought affected District of Jhalawar in Rajasthan .	23
7343	श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क कालोनी, नई दिल्ली में चोरी की घटनाओं में वृद्धि	Increase in Theft cases in S. P. Mukherjee Park Colony, New Delhi	23
7344	मदन पार्क, दिल्ली में सार्वजनिक टेली-फोन	P.C.O. in Madan Park, Delhi .	24
7345	भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड चार में सीधी भर्ती से रखे गए कर्मचारियों का वेतन निश्चित करने के लिये नियमों में ढील	Relaxation of Rules for Pay fixation of Direct recruits in Grade IV of the Indian Statistical Service . . .	24
7346	भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड चार में काम करने वाले तदर्थ पदोन्नति प्राप्त कर्मचारी	Ad hoc Promotees working in Grade IV of the Indian Statistical Service .	25
7347	मध्य प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों का विकास	Development of Backward Areas of M.P.	25
7349	गोबिन्दगढ़ के विश्व प्रसिद्ध सफेद बाघों पर डाक टिकट जारी करना	Stamp on World Famous White Tiger of Govindgarh	26
7350	स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा प्रधान मंत्री को दिया गया ज्ञापन	Memorandum submitted to Prime Minister by Freedom Fighters .	26
7351	राष्ट्रीय फिल्म नीति	National Policy on Films . .	26
7352	सलेक्शन ग्रेडों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण	Reservations for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in selection Grades	27
7353	रविवार और दूसरे शनिवार को ड्यूटी पर लगाए गए सरकारी कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति छुट्टी देना	Compensatory leave given to Government Employees put on Duty on Sundays and Second Saturdays .	27
7354	दिल्ली पुलिस में पदोन्नतियां	Promotions in Delhi Police .	28
7355	राजधानी में देखे गए स्वतंत्र काश्मीर की मांग करने वाले हस्तलिखित इश्तिहार	Hand-written posters demanding Independent Kashmir seen in Capital .	28
7356	ज्वार भाटे से बिजली पैदा करना	Tidal Power Generation	28
7357	राजधानी में ट्रकों के टायरों की बिक्री	Sale of Truck tyres in Capital	29

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGE
7358 तकनीकी साइड में पदों के लिए प्रतियोगिताओं में विभागीय निम्न श्रेणी क्लर्कों और उच्च श्रेणी क्लर्कों को आयु और शैक्षिक योग्यता में रियायत देना	Relaxation in Age or Educational Qualifications for Departmental L.D.Cs. and U.D.Cs. for competing for Posts on Technical side . .	29
7359 आदिवासी अनुसंधान संस्थानों के कार्यों की जांच के लिये अध्ययन दल का गठन	Constitution of a Study Team to Examine the Functioning of the Tribal Research Institutes. . .	29
7360 सिग्रेट उद्योग में विदेशी तथा भारतीय पूंजी निवश	Foreign and Indian Investment in Cigarette Industry . . .	30
7361 पिछड़े जिलों में उद्योगों की स्थापना करने हेतु उपक्रमियों द्वारा एजेंसी के पास जाना	Agency to be approached by entrepreneurs for setting up Industries in Backward Districts . . .	31
7362 देश में क्राकरी का निर्माण करने वाले एकक	Crockery Manufacturing Units in the Country . . .	31
7363 पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के पिछड़े क्षेत्रों में डाकघर	Post Offices in the Backward Areas of Punjab, Himachal Pradesh and Rajasthan	32
7364 आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में मुल्की की परिभाषा	Definition of Mulki in Telengana Area of Andhra Pradesh .	32
7365 अस्पृश्यता निवारण (अपराध) अधिनियम के अधीन दिल्ली में विचाराधीन मामले	Cases pending in Delhi under Prevention of untouchability (Offences) Act.	33
7366 केन्द्रीय (फालतू कर्मचारी) सैल द्वारा परमाणु ऊर्जा विभाग को नामनिर्दिष्ट फालतू उच्च श्रेणी क्लर्क	Surplus U.D.Cs. Nominated by the Central (Surplus Staff) Cell to the Department of Atomic Energy .	33
7367 केन्द्रीय फालतू कर्मचारी सैल को केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों द्वारा सूचित निम्न श्रेणी क्लर्कों के रिक्त स्थान	Vacancies of L.D.Cs. Reported by Central Government Offices to the Central Surplus Staff Cell . .	33
7368 मध्य प्रदेश में भूमिगत पाकिस्तानी राष्ट्रिकों की संख्या	Number of Pakistani Nationals gone Underground in M.P. State . .	34
7369 छिपे नागाओं द्वारा आत्मसमर्पण	Surrender of Underground Nagas .	34
7370 वर्ष 1972-73 में केरल में दिये गए टेलीफोन कनेक्शन	Telephone Connections given in Kerala during 1972-73	34
7371 शाहदरा में हुए दंगों के कारणों की जांच करने के लिए नियुक्त आयोग का प्रतिवेदन	Report of the Commission appointed to Investigate into the causes of Shadra Disturbances . . .	34

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
7372	पश्चिम बंगाल में टसर सिल्क का उत्पादन	Production of Silk (Tasar) in West Bengal	35
7373	पश्चिम बंगाल के वीरभूम ज़िले में स्थित शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ाया जाना	Conversion of Branch Post Offices Birbhum District West Bengal .	35
7374	पश्चिम बंगाल से पांचवीं योजना में इसके भाग के बारे में सलाह	Consultations with West Bengal on its Share in the Fifth Plan . . .	36
7375	मंदिरों से चुराई गई मूर्तियां	Idols stolen from Temples	37
7376	मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त के नई दिल्ली कार्यालय में फालतू घोषित उच्च श्रेणी लिपिकों का केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली को नामनिर्देशित	Nomination of U.D.Cs. declared surplus in Chief Settlement Commissioner's Office, New Delhi to Central Translation Bureau, New Delhi .	37
7377	1971-72 में अत्यावश्यक वस्तुओं की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में कमी	Fall Registered in the Per Capita availability of Essential Commodities in 1971-72	38
7378	ग्रामीण बेरोज़गारी सर्वेक्षण	Survey of Rural Unemployment	39
7379	आकाशवाणी के कर्मचारियों के संबंधियों को नैमित्तिक आर्टिस्टों के रूप में लगाना	A.I.R. Employees relations as casual Artistes	40
7380	दिल्ली पुलिस के एक डी० एस० पी० और ए० एस० आई० के विरुद्ध आरोप	Charges against a D.S.P. and A.S.I. of Delhi Police	40
7381	दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों को चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति	Reimbursement of Medical Charges to Delhi Administration Employees .	40
7382	इंजेक्शन की शीशियों की कमी	Dearth of Injection Ampoules	41
7383	राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के प्रबंध निदेशक को शक्तियों का प्रत्यायोजन	Delegation of Powers to the Managing Director of National Industrial Development Corporation . .	41
7384	न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने संबंधी निर्णय की कार्यान्विति	Implementation of the Decision regarding Separation of Judiciary from Executive	41
7385	टेलीविज़न केन्द्रों के लिये प्रोडक्शन सहायकों का चयन	Selection of Production Assistant for T.V. Centres	42
7386	दिल्ली में प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय की स्थापना।	Setting up of Natural History Museum in Delhi	43

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
7387	टेलीविज़न केन्द्र और फिल्म डिवीज़न दोनों में कैमरामैनों के कर्त्तव्य और ज़िम्मेदारियां	Duties and Responsibilities of Cameramen both in T.V. and Films Division	43
7388	राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के सचिव द्वारा एक मकान बनाना	Building of a House by Secretary of N.I.D.C.	45
7389	भारत में सोवियत संघ की सहायता से चल रही परियोजनाओं के कार्यकरण की रूसी शिष्टमंडल के नेता द्वारा आलोचना	Criticism by the Leader of the Russian Delegation of the Functioning of Soviet Aided Projects in India .	45
7390	गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिये पदों का आरक्षण	Reservation of Jobs for S.C. and S.T. in Ptivate Sector Undertakings . .	46
7391	बिहार राज्य के लिये सीमेंट का कोटा	Cement Quota for Bihar State .	46
7392	राजस्थान में संकटग्रस्त कपड़ा मिलें	Sick Textile Mills in Rajasthan .	46
7393	पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिये मध्य प्रदेश को सहायता	Assistance to Madhya Pradesh for upliftment of Backward Classes .	48
7394	दिल्ली में बिक्री कर का अपवचन	Evasion of Sales Tax in Delhi .	48
7395	कालगेट-पालमोलिव इंडिया लिमिटेड का कार्यकरण	Working of Colgate-Palmolive India Ltd.	49
7396	शैक्षणिक एवं धर्मार्थ संस्थाओं को विदेशों से आर्थिक सहायता	Financial Assistance to Educational and Charitable Institutions by Foreign Countries	49
7397	बम्बई में विदेशी मुद्रा घोटाले का पता लगाना	Unearthing of Foreign Exchange Racket in Bombay	50
7398	बिहार में संथाल परगना और छोटा नागपुर के विकास कार्यों संबंधी योजनाएं	Schemes for Development of Santhal Pargana and Chhotanagpur in Bihar	50
7399	प्रधान मंत्री द्वारा किये गए दौरों पर व्यय	Expenditure on tours performed by Prime Minister	50
7400	50 पैसे प्रति दिन की आय वाले व्यक्तियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना	Raising of standard of living of persons having 50 paise daily income . .	51
7401	बिजली पैदा करने वाले उपकरणों के बारे में ब्रिटेन से सहायता	Assistance for power generating equipment from Britain	52

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
7402	अत्यावश्यक वस्तुओं में लाभ की प्रवृत्ति को रोकने के लिये भारत रक्षा नियमों को लागू करने के बारे में तमिलनाडु सरकार का निर्णय	Decision of Tamil Nadu Government to invoke Defence of India Rules to curb profiteering in essential commodities	52
7403	दुग्ध चूर्ण का उत्पादन करने वाले उद्योग	Industries producing Milk Powder .	52
7404	उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में अखबारी कागज़ उद्योग के लिये युकेलिप्टस बन	Eucalyptus forest for Newsprint Industry in Tarai area of U.P. . .	53
7405	दुग्ध चूर्ण का उत्पादन	Production of Milk Powder . .	54
7406	बिहार के आदिवासी क्षेत्रों में छात्रों के छात्रावासों के लिये स्वीकृत की गई धनराशि	Amount sanctioned for Hostels for students belonging to the Adivasi areas of Bihar	54
7407	रेलवे इंजन की गति और शक्ति को नियमित करने के लिये इलेक्ट्रानिक प्रणाली का प्रयोग	Trial of electronic system for controlling locomotive speed and power . .	54
7408	नमक का मूल्य	Price of Salt	55
7409	पश्चिम बंगाल में नमक का मूल्य	Price of Salt in West Bengal	55
7411	गोआ में विदेशी राष्ट्रिकों के पास जाली पारपत्र पकड़े जाना	Fake Passports found with Foreign National in Goa	56
7412	भारत के जनजाति क्षेत्रों में बेरोज़गारी की समस्या	Problem of unemployment in Tribal Regions of India	56
7413	रोज़गार की व्यवस्था करने के लिये राज्यों द्वारा राशि का नियतन	Allocation made by States for providing Employment	57
7414	खायम गांव (मणिपुर राज्य) के निकट मिला दुर्घटनाग्रस्त विमान	Wrecked Plane found near Khaim Village (State of Manipur)	57
7415	काकोरी काण्ड के स्वतन्त्रता सेनानियों को परिवार पेंशन देना	Payment of Family Pension to Freedom Fighters of Kakori Case .	57
7416	राम प्रसाद बिस्मिल की बहन श्रीमती शान्ति देवी को पेंशन देना	Grant of Pension to Shrimati Shanti Devi, sister of Ram Prasad Bismil	58
7417	दिल्ली नागरिक पूर्ति विभाग द्वारा सीमेंट के परमिटों का देना	Issue of Cement Permits by Delhi Civil Supplies Department . .	58
7418	जनजाति विकास खंडों के लिये उड़ीसा द्वारा योजना पेश करना	Scheme submitted by Orissa for Tribal Development Blocks	58

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
7419	बेरोजगार हरिजनों को किराया खरीद आधार पर आटो-रिक्शा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव	Proposal for providing Auto-Rickshaw to Unemployed Harijans on Hire-Purchase basis	59
7420	हरिजनों द्वारा बौद्ध धर्म और अन्य धर्मों को अपनाना	Embracing of Buddhism and other Religions by Harijans . . .	60
7421	देहरादून जिले के जौनसार-बावर क्षेत्र में "माट" की प्रथा का प्रचलित होना	Practice of "Maat' Vouge in Jaunsar Bawar Area of Dehradun District .	61
7422	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों में साक्षरता की प्रतिशतता	Percentage of Literacy among Scheduled Castes and Scheduled Tribes	61
7423	परमाणु ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाने के लिये नई योजनाओं का परित्याग करना	Proposal to Abandon New Schemes for Increasing Generation of Nuclear Power	62
7424	साहूकारी पर रोक लगाने के लिये कानून	Legislation to curb Money Lending .	63
7425	नमक निर्माताओं द्वारा उपकर की अदायगी	Payment of Cess by Salt Manufacturers	63
7426	नमक उपकर बोर्ड की स्थापना	Setting up of Salt Cess Board .	63
7427	गुजरात में नमक उद्योग के विकास का प्रस्ताव	Proposal to Develop Salt Industry in Gujarat	64
7428	रजिस्टर्ड पत्रों, डाक वस्तुओं तथा बीमाकृत पत्रों के आदान-प्रदान पर भारत-बंगला देश के बीच समझौता	Indo-Bangladesh Agreement for Exchange of Registered letters, Postal Articles and Insured Letters . .	64
7429	वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी विकास के लिये एक राष्ट्रीय सूचना पद्धति केन्द्र की स्थापना	Setting up of a Centre for National Information on Scientific and Technological Development . .	64
7430	औद्योगिक उत्पादन प्रवृत्ति का पुनर्विलोकन	Review of the Industrial Production Trends	65
7431	केन्द्रीय मंत्रियों के टेलीफोनों पर व्यय	Expenditure on Telephones used by Union Ministers	65
7432	पिछड़े जिलों में उद्योग स्थापित करना	Setting up of Industries in Backward Districts	65
7433	भारतीय तथा विदेशी सैक्स फिल्मों के सैंसर किये गए भागों की बम्बई अपराध जगत में बढ़ रही मांग	Alleged Flourishing Market in Bombay underworld of Censored Portions of Indian and Foreign Sex Films .	67
7434	भ्रष्टाचार के आरोपों के बारे में तमिलनाडु के मुख्य मंत्री की टिप्पणी	Comments of Tamilnadu Chief Minister on Charges of Corruption . .	67

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ
7435	आकाशवाणी के टेलीविजन केन्द्र के स्टाफ आर्टिस्टों, कैमरामैनों, सम्पादकों आदि का उच्च प्रशिक्षण के लिये प्रतिनियुक्ति पर विदेश न भेजा जाना	Deputation of Staff Artistes, Cameramen Editors etc. of T.V. Centre of A.I.R. not sent to foreign Countries for Advanced Training . . .	67
7436	परमाणु बिजलीघरों में काम कर रहे कर्मचारियों की रेडियोधर्मी प्रभाव से सुरक्षा	Safety of Workers working in Atomic Power Station from Radiologica Exposure	68
7437	अवशिष्ट रेडियो सक्रिय पदार्थों का निपटान	Disposal of Radio-active wastes . .	68
7438	योजना में सम्मिलित परियोजना की क्रियान्विति सुनिश्चित करने हेतु राज्यों में मानीटरिंग यूनिटों की स्थापना के लिये मार्गदर्शी सिद्धांत	Guidelines for Setting up Monitoring Units in States to Ensure Implementation of Plan Project . . .	68
7439	विद्युत के रूप में सूर्य ऊर्जा का प्रयोग	Use of Solar Energy as power .	69
7440	दिल्ली-अहमदाबाद-गांधीनगर लाइन पर डायल घुमा कर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था	Direct dialing facility on Delhi-Ahmedabad-Gandhinagar Line . .	70
7441	भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिये राज्यों में सतर्कता आयोग की स्थापना	Vigilance Commissions set up in States to Check Corruption . . .	70
7443	मैसर्स आर्थर बटलर कम्पनी, मुजफ्फरपुर के विरुद्ध जांच	Enquiry against M/s. Arthur Butler Co., Muzaffarpur	70
7444	पेंशन दिये जाने के खिलाफ शिकायत	Complaint against the Grant of Pension	70
7445	पटना रेलवे डाक सेवा के सेक्शन पी-4 के विभाजन के विरुद्ध पटना स्थित रेलवे डाक सेवा के कर्मचारियों द्वारा विरोध	Patna R.M.S. Employees' Protest against Bifurcation of P-4 section of Patna R.M.S.	71
7446	द्वितीय भू-उपग्रह केन्द्र	Second Earth Satellite Station .	71
7447	हिन्दी में सारा कार्य करने वाले सरकारी कर्मचारियों को प्रोत्साहन	Incentives to Government Servants who do their entire work in Hindi .	71
7448	भारत में विदेशी धर्मप्रचारक संस्थाओं की गतिविधियां	Activities of Foreign Missionary Institutions in India	72
7449	राज्यों के बीच विभिन्न सीमा विवादों को हल करने के लिये व्यवस्था	Machinery for Solving various boundary disputes between States . . .	72
7450	उद्योगों में विदेशी तकनीशियनों को नियुक्त करने पर रोक लगाया जाना	Restriction on Employment of Foreign Technicians in Industries . . .	72

अता० प्र० संख्या U, S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
7451	महाराष्ट्र में सरकारी क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना	Setting up of Industries in Public Sector in Maharashtra	73
7452	दिल्ली प्रशासन में अधिकारियों के तबादले	Transfers of Officials in Delhi Administration	74
7453	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम को ऋण और अग्रिम राशि	Loans and Advances to National Small Industries Corporation . . .	74
7454	उपग्रह शिक्षणात्मक टेलीविज़न के बारे में संयुक्त राज्य अमेरिका के 'नेशनल एयरोनाटिक्स एण्ड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन' के साथ संयुक्त परीक्षण	Joint experiment with NASA of USA on Satellite Instructional Television	75
7455	महाराष्ट्र के भण्डारा ज़िले को पिछड़े ज़िलों की सूची में शामिल किया जाना	Inclusion of Bhandara District of Maharashtra in the list of Backward Districts	75
7456	चलचित्र परिषद् और राष्ट्रीय चलचित्र निगम की स्थापना	Setting up of a Film Council and National Film Corporation . .	76
7457	आंध्र प्रदेश के अराजपत्रित कर्मचारियों के नेताओं के साथ गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री की बातचीत	Talks of Minister of State in the Ministry with Leaders of Non-Gazetted Employees of Andhra Pradesh .	76
7458	पांचवीं योजना के दौरान क्षेत्रीय असंतुलनों को समाप्त करने हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग	Use of Science and Technology for removal of Regional Imbalance during Fifth Plan	76
7459	मिज़ोराम में मिज़ो विद्रोहियों की गतिविधियां	Activities of Mizo Hostiles . .	77
7460	जेलों में राजनीतिक दलों के कार्यकर्त्ताओं के साथ राजनीतिक कैदियों जैसा व्यवहार	Treatment of Workers of Political Parties as Political Prisoners in Jails	77
7461	आंध्र समस्या का हल	Solution of Andhra Problem . .	77
7462	स्वाधीनता के रजत ज़यन्ती समारोह के दौरान स्मारक स्तम्भों का निर्माण किया जाना	Commemorative Pillars during Anniversary Celebrations of Independence	78
7463	पाली शहर (राजस्थान) में डाक-तार कर्मचारियों को मकान किराया भत्ते की अदायगी	Payment of House Rent Allowance to P&T Employees in Pali City (Rajasthan)	78
7464	भारत-रूस संयुक्त आयोग की अगली बैठक	Next meeting of Indo-Soviet Joint Commission	78

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
7465	संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली असिस्टेंट ग्रेड की परीक्षा में बैठने के अवसरों की संख्या में वृद्धि	Increase in the number of chances for Assistants' Grade Examination of U.P.S.C.	79
7466	योजना आयोग का पुनर्गठन	Reorganisation of Planning Commission	79
7467	उत्तर बंगाल के कागज़ और लुगदी परियोजना	Paper and Pulp Project in North Bengal	79
7468	पिछड़ा क्षेत्र विकास प्राधिकरण	Backward Region Development Authority	80
7469	सार्वजनिक समारोहों में मंत्रियों द्वारा थैलियां स्वीकार किया जाना	Acceptance of Purses by Ministers at Public Functions . . .	80
7470	राजस्थान के जोधपुर डिवीज़न में अपर्याप्त संचार व्यवस्था	Inadequate Communication System in Jodhpur Division of Rajasthan .	80
7471	जोधपुर में उद्योगों की स्थापना	Setting up of Industries in Jodhpur .	81
7472	पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिये एकाधिकार गृहों पर से प्रतिबन्ध हटाना	Removal of Restraint on Monopoly Houses for Establishing Industries in Backward Areas . . .	81
7473	लघु उद्योग सेवा संस्थान के विस्तार केन्द्र का दर्जा बढ़ाया जाना	Raising Status of Extension Centre of SISI	82
7474	इण्डियन रेअर अर्थस चवारा के मिनरल्स सैंड सेपेरेशन प्लांट की स्थापित क्षमता	Installed capacity of Minerals Sand Separation Plant of Indian Rare Earths, Chavara . . .	82
7475	वाणिज्यिक और युववाणी सेवाओं सहित आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र द्वारा काम पर लगाए गए व्यक्ति	Number of persons employed by Delhi Station including Commercial and Yuva Vani Services . .	83
7476	आकाशवाणी और टेलीविज़न के लिये नैमित्तिक कलाकारों को बुक करने के लिये अपनाई गई कसौटी	Criteria for Booking Casual Artists for AIR and TV	84
7477	युववाणी कार्यक्रम के लिये बुक किये गए कलाकारों की संख्या	Number of Artists booked for Yuva Vani Programmes	84
7478	कोरी फिल्मों पर शुल्क लगाए जाने के कारण 100 फिल्मों के निर्माण का स्थगित होना	Production of 100 films Suspended due to Impost of Raw Films . .	85
7479	कोटा परमाणु बिजली घर के दूसरे यूनिट को चालू करना	Putting into operation of the 2nd Unit of Kota Atomic Power Station .	85
7480	दिल्ली के एक पुलिस अधीक्षक द्वारा दिये गए पुरस्कार	Rewards made by a Superintendent of Police, Delhi	85

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
7481	आकाशवाणी के इंजीनियरों की एक अलग इंजीनियरिंग यूनिट की मांग	A.I.R. Engineers' Demands for a Separate Engineering Unit . . .	86
7482	विविध भारती द्वारा सिने गायकों को रायल्टी का भुगतान	Payment of Royalty by Vividh Bharti to Play back Singers of Films . .	86
7483	टेलीफोन अधिकारियों और व्यापारियों के बीच कथित सांठ-गांठ	Alleged Collusion between Telephone Officers and Businessmen . .	86
7484	बिहार में कागज़ कारखाना	Paper Mill in Bihar . .	86
7485	राज्यों में आदिवासियों का उत्थान	Upliftment of Adivasis in States .	87
7486	जेलों में नज़रबन्द व्यक्तियों के लिये राज्य सरकारों द्वारा आहार, अनुग्रहीत परिवार भत्ता के बारे में बनाए गए विनियम	Regulations made by State Government relating to Diet, ex-Gratia Family Allowance of Detenus in Jails .	87
7487	कोका कोला निर्यात निगम को लाइसेंस दिया जाना	Issue of Licence to Coco-Cola Export Corporation	87
7488	भारत में कार्यरत विदेशी न्यूज़ एजेंसियां	Foreign News Agencies Operating in India	88
7489	सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूट, रुड़की (उत्तर प्रदेश) द्वारा किये गए अनुसंधान	Researches conducted in the Central Building Research Institute, Roorkee (U.P.)	89
7490	टेलीविज़न केन्द्र के स्टाफ आर्टिस्टों द्वारा प्रदर्शन	Demonstration by T.V. Centre Staff Artists	90
7491	औद्योगिक संपादाओं की स्थापना करने हेतु विदेशों के साथ समझौता	Agreement with other Countries for setting up Industrial Estates . .	90
7492	संदिग्ध नक्सलवादियों के साथ मानवीय व्यवहार करने के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री द्वारा मुख्य मंत्रियों को लिखे गए पत्र पर राज्यों द्वारा कार्यवाही	Action taken by States on Letter Written by Prime Minister to Chief Ministers of States about Humane Treatment of suspected Naxalites . .	91
7493	कलकत्ता स्थित भारतीय सांख्यिकीय संस्थान का पुनर्गठन करने हेतु वहां के वैज्ञानिक कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किये गए प्रस्ताव	Proposals submitted by Scientific Workers of Indian Statistical Institute, Calcutta for Reorganisation of the Institute	92
7494	स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन का भुगतान	Payment of Pensions to Freedom Fighters	92

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
7495	महाराष्ट्र में सांगली और मीरज टेलीफोन एक्सचेंजों की अपर्याप्त क्षमता	Inadequate Capacity of Sangli and Miraj Telephone Exchanges in Maharashtra	92
7496	मैसूर राज्य के लिये वर्ष 1973-74 के लिये योजना परिव्यय	Plan Outlay for Mysore State for 1973-74	93
7497	केरल में आदिवासी विकास खण्ड	Tribal Development Blocks in Kerala	93
7498	देश में डाक तथा तार कार्यालयों की राज्यवार स्थापना	State-wise Location of P & T offices in the Country	93
7499	केरल के क्विलीन ज़िले में सिंचाई परियोजना	Irrigation Project in Quilon District of Kerala	95
7500	पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने हेतु दिये गए प्रोत्साहनों का दुरुपयोग	Misuse of Incentives for setting up of Industries in Backward Areas . .	95
7501	विदेशी जानकारी की निर्भरता को कम करने के लिये देश में उद्योगों के अनुसंधान और विकास में प्रगति लाने सम्बन्धी योजना	Plan to Boost Indigenous Research and Development in Industries to Reduce Development on Imported Know-How	96
7502	कोटा में चलती-फिरती डाक सेवा आरम्भ करना	Introduction of Mobile Postal Service in Kota	96
7503	उत्तर प्रदेश पर्वतीय विकास निगम के कार्यों की जांच	Inquiry into the affairs of U.P. Hill Development Corporation . . .	97
7504	द्वितीय प्रेस आयोग की स्थापना	Setting up of Second Press Commission	
7505	टेलीविज़न कार्यक्रम रिले करने हेतु उपग्रह केन्द्र	Satellite Stations to Relay T.V. Programmes	97
7506	गुजरात में आदिम जाति खण्डों का विकास	Development of Tribal Blocks in Gujarat	97
7507	कनफेडेरेशन आफ सेंट्रल गवर्नमेंट आफीसर्ज़ एसोसियेशन द्वारा वेतन आयोग की रिपोर्ट की ठीक ढंग से जांच करने के बारे में प्रधान मंत्री से किया गया अनुरोध	Request by Confederation of Central Government Officers/Association to the Prime Minister for Fair scrutiny of Pay Commission Report .	98
7508	केरल में सीमेंट की कमी	Shortage of Cement in Kerala . .	98
7509	राज्यों में शिक्षित व्यक्तियों को रोज़गार	Employment for Educated Persons in States	99
7510	योजना आयोग के अनुभवण तथा सूचना विभाग द्वारा चौथी योजना की परियोजनाओं का मूल्यांकन	Review of the Fourth Plan Projects by the Monitoring and Information Division of Planning Commission	100

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
7511	चटगांव हिल्स के सीमावर्ती गांवों में पाकिस्तानी सिपाहियों तथा मिज़ो विद्रोहियों का सक्रिय होना	Pakistani Soldiers and Mizo Insurgents Operating in Villages bordering Chittagong hills Tracts . . .	100
7512	मध्य प्रदेश में टेलेक्स सेवाएं	Telex Services in Madhya Pradesh	
7513	काश्मीरी गेट, दिल्ली में महिलाओं को परेशान किया जाना	Harassment of Ladies in Kashmere Gate, Delhi	101
7514	राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के निदेशक तथा मुख्य परामर्शदाता के विदेशों के दौरे	Foreign Tours of Chief Consultant and Managing Director of N.I.D.C.	101
7515	आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखना अधिनियम, के अन्तर्गत नज़रबन्द व्यक्ति	Detenus Under Maintenance of Internal Security Act	101
7516	आसाम का भाषाई विवाद	Assam Language Issue . . .	102
7517	शादियों पर की जाने वाली फिजूलखर्ची	Extravagance in Spending on Marriages	102
7518	'स्काईलेब पिक्चरों' की जांच के लिये प्रयोगशाला	Laboratory to scan skylab pictures	103
7519	पंजाब टेलीफोन डायरेक्टरी का अनुवाद	Translation of Punjab Telephone Directory	103
7520	राष्ट्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी समिति द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ वर्गों की रिपोर्ट	Reports of Expert Groups appointed by the National Committee on Science and Technology	103
7521	पंजाब टेलीफोन डायरेक्टरी में हिन्दी अनुवाद की गलतियां	Mistakes in Hindi Translation of Punjab Telephone Directory . .	104
7522	तारापुर परमाणु बिजलीघर के बारे में इन्टरनेशनल जनरल इलैक्ट्रिक कम्पनी को दिया गया 'परफारमेंस बोनस'	Performance Bonus paid to the International General Electric Company in respect of Tarapur Atomic Power Station	104
7523	सेवा की अच्छी शर्तों के लिये आकाशवाणी के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आकाशवाणी के महानिदेशक के समक्ष प्रदर्शन	Demonstration by Senior A.I.R. Officials before D.G., A.I.R. for better service conditions	105
7524	भद्रक टेलीफोन केन्द्र का अपना स्थायी भवन न होना	Bhadrak Telephone Exchange without permanent accommodation of its own	105
7525	आई० ए० एस० आदि परीक्षाओं में बैठने के लिय तीन अवसर	Three chances for appearing in I.A.S. etc. Examination	105
7526	2,000, 5,000 और 10,000 से कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में वर्ष 1970, 1971 और 1972 के दौरान खोले गए डाकघर	Post Offices opened during 1970, 1971, and 1972 in areas with population less than 2,000, 5,000 and 10,000 .	106

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
7527	चौथी पंचवर्षीय योजना तक डाक तथा तार विभाग में 82,000 व्यक्तियों को रोज़गार	Employment of 82,000 persons in P & T Department by Fourth Five Year Plan	106
7528	औसत क्षेत्र के लिये पब्लिक काल आफिस कम्बाइण्ड आफिस और सब पोस्ट-आफिस	Average Area served by Public Call Offices, combined offices and S.O.	107
7529	देश में आदिवासी विकास खण्ड	Tribal Development Blocks in the Country	108
7530	जयपुर में लघु उद्योग एकक	Small Scale Units in Jaipur . .	108
7531	राजस्थान के लघु उद्योग एककों के लिये विदेशी मुद्रा का नियतन	Foreign Exchange Allocation for Small Scale Units in Rajasthan . .	108
7532	आज़ाद हिन्द फौज के शहीदों का अन्तिम संस्कार	Burials of I.N.A Martyrs . . .	109
7533	पश्चिम बंगाल के औद्योगिक कारखानों में बेकार पड़ी क्षमता का उपयोग	Utilisation of Idle Capacity in Industrial concerns in West Bengal . .	109
7534	पश्चिम बंगाल में वस्तुओं के उत्पादन के लिये पश्चिम बंगाल से बाहर लाइसेंस दिया जाना	Issue of Licences outside West Bengal for Goods Manufactured in West Bengal	110
7535	राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय स्तर पर आर्थिक प्रगति	Economic Growth at National and Regional Level	110
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	111
	सूत के समुचित वितरण में सरकार की असफलता	Failure of Government in proper distribution of yarn . . .	111
	राज्य सरकार के कर्मचारियों की शिकायतों के बारे में	Re. Grievances of State Government Employees	117
	सभा पटल पर रखे गए पत्र	Papers Laid on the Table . .	118
	सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति—31वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया	Committee on Public Undertakings—Thirty-first Report—**Presented.** .	119
	उत्तराखंड को राज-सहायता के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 223 के 7 मार्च 1973 को दिय गए उत्तर में शुद्धि	Correction of Answer to S.Q.No.223 dated 7th March, 1973 re. Subsidy to Uttarakhand	120
	सदस्य की गिरफ्तारी	Arrest of Member . . .	120
	(श्री भरत सिंह चौहान)	(Shri Bharat Singh Chowhan) .	120

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
सदस्यों की दोष-सिद्धि	Conviction of Members . . .	120
(एक) श्री नरेन्द्र सिंह	(i) Shri Narendra Singh. . .	120
(दो) श्री फूल चन्द वर्मा	(ii) Shri Phool Chand Verma . .	143
7 मार्च, 1973 को तारांकित प्रश्न संख्या 234 के मंत्री द्वारा दिये गए उत्तर में कथित गलती के बारे में सदस्य द्वारा वक्तव्य	Statement by Member Re. Alleged Inaccuracy in Minister's Reply to S.Q. No. 234 dated 7th March, 1973. .	121
नियम 377 के अन्तर्गत मामले	Matters under Rule 377 . . .	124
(एक) श्री नागभूषण पटनायक का स्वास्थ्य	(i) Health of Shri Nagabhushan Patnaik	124
(दो) मजगांव डाक्स लिमिटेड के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	(ii) Strike by Employees of Mazagaon Docks Ltd. . . .	124
(तीन) आन्ध्र प्रदेश के दक्षिणी जिलों को बिजली, डीज़ल और मिट्टी के तेल की सप्लाई में कमी	(iii) Fall in supply of electricity, diesel and kerosene to southern districts of Andhra Pradesh . . .	125
अनुदानों की मांगें, 1973-74	Demands for Grants, 1973-74	125
कृषि मंत्रालय	Ministry of Agriculture . . .	125
श्री ए० के० एम० इसहाक	Shri A.K.M. Ishaque . . .	125
श्री बी० एस० मूर्ति	Shri B.S. Murthy	126
श्री बीरेन्द्र सिंह राव	Shri Birender Singh Rao . .	127
श्री के० प्रधानी	Shri K. Pradhani	128
श्री छोटे लाल	Shri Chhotey Lal	128
श्री एम० एम० जोज़फ	Shri M. M. Joseph	129
श्री धर्मराव अफज़लपुरकर	Shri Dharamrao Afzalpurkar . .	130
श्री अनादि चरण दास	Shri Anadi Charan Das . .	130
श्री रामूभाई पटेल	Shri Ramubhai Patel . . .	131
श्री सतपाल कपूर	Shri Sat Pal Kapur . . .	131
श्री एम० सत्यनारायण राव	Shri M. Satyanarayana Rao .	132
श्री रामचन्द्र विकल	Shri Ram Chandra Vikal .	132
श्री दलीप सिंह	Shri Dalip Singh . . .	133
श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे	Shri Annasaheb P. Shinde .	133
श्री कृष्ण राव पटेल	Shri Krishnarao Patil . .	136
श्री रामकंवर	Shri Ramkanwar . . .	137
श्री के० रामकृष्ण रेड्डी	Shri K. Ramakrishna Reddy .	137
श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान	Shri Md. Jamilurrahman .	138
श्री बनमाली पटनायक	Shri Banamali Patnaik . .	139
श्री दशरथ देव	Shri Dasaratha Deb . .	139
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा	Shri Sukhdeo Prasad Verma .	140
श्री अप्पाला नायडू	Shri Appala Naidu . . .	140

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
श्री चन्द्रिका प्रसाद	Shri Chandrika Prasad . .	141
श्री हरी सिंह	Shri Hari Singh . . .	141
श्री गंगा चरण दीक्षित	Shri G. C. Dikshit	141
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri . . .	142
श्री परिपूर्णानन्द पैन्युली	Shri Paripoornanand Painuli .	142
श्री भागीरथ भंवर	Shri Bhagirath Bhanwar . .	142
आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour Discussion . . .	143
कलकत्ता के टेलीफोनों का ठीक से काम न करना	Improper Functioning of Calcutta Telephones	143
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	143
श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा	Shri H. N. Bahuguna . .	143

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 18 अप्रैल, 1973/28 चैत्र, 1895 (शक)

Wednesday, April 18, 1973/Chaitra 28, 1895 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. Speaker in the Chair

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

कामनवैल्थ टेलीकम्युनिकेशन आर्गेनाइजेशन के साथ प्रस्तावित वित्तीय समझौता

*761. **श्री एम० एस० संजीवी राव :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कामनवैल्थ टेलीकम्यूनीकेशन आर्गेनाइजेशन के साथ वित्तीय समझौता करने का कोई विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना देने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी हां । भारत सरकार ने हस्ताक्षरी राष्ट्रमंडल सरकारों के बीच मौजूदा करार के स्थान पर एक नये राष्ट्रमण्डल दूरसंचार संगठन वित्तीय करार पर हस्ताक्षर करनें का निश्चय किया है।

(ख) राष्ट्रमण्डल दूरसंचार सुविधाओं के प्रयोग के लिए साझेदारों के बीच वित्तीय निपटारे के सिद्धांत को छोड़कर नया करार मूलतः मौजूदा करार जैसा ही है । मौजूदा करार में प्रत्येक सांझेदार को उसके द्वारा अर्जित राजस्व के अनुपात में कुल सांझेदारी व्यय को वहन करने की व्यवस्था है, जबकि नये करार में प्रत्येक साझेदार को उसके द्वारा निपटाये जाने वाले परियात की कुल मात्रा के आधार पर लागत वहन करने की व्यवस्था है ।

श्री एम० एस० संजीवी राव : मैं जानना चाहता हूं कि भारत ने राष्ट्रमंडल दूरसंचार संघ के साथ आर्थिक दायित्व के संबंध क्यों बना रखे हैं और इससे हमें क्या लाभ होगा और होने वाले लाभ क्या इस दायित्व के अनुकुल होंगे ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : इस प्रबन्ध से लागत को बांटने का सब से सीधा तरीका अपनाया जाता है और देनदारी का 'यातायात' के परिमाण के अनुसार भुगतान करना होता है न कि राजस्व के अनुसार । इससे विद्यमान प्रबन्ध के अनुसार अन्य हिस्सेदारों पर कोई प्रभाव डाले बिना वे अपने अपने देशों में दूर-संचार सेवाओं के लिए वसूली दरों में फेरबदल कर सकते हैं। वित्तीय देनदारियों के रूप में किए गए अध्ययन से पता चला है कि नए प्रबन्धों से भारत को 9000 पौंड वार्षिक का लाभ होगा।

श्री एम० एस० संजीवी राव : राष्ट्रमंडल के अन्य किन देशों ने इसमें अंशदान किया है ?

श्री **जगन्नाथ पहाड़िया :** भारत समेत 23 देशों ने। आस्ट्रेलिया. कनाडा, सीलोन .....

अध्यक्ष महोदय : आप इसे सभा पटल पर रख दें।

श्री **एम० एस० संजीवी राव :** क्या पाकिस्तान भी इन में हैं ?

श्री **जगन्नाथ पहाड़िया :** पाकिस्तान अब राष्ट्रमंडल का सदस्य नहीं है ।

नकद आय तथा रहन-सहन के स्तर के बीच बढ़ता अंतर

*763. **श्री एच० एन० मुकर्जी :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नकद आय तथा रहन-सहन के स्तर के बीच गत दस वर्षों में अन्तर बढ़ता गया है, और यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ख) क्या नकद आय तथा रहन सहन के स्तर के बीच इस बढ़ते हुए अन्तर का सरकार ने कोई वास्तविक अनुमान लगाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क), (ख) तथा (ग) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

विवरण

नीचे वर्तमान मूल्यों तथा स्थिर मूल्यों के आधार पर प्रति व्यक्ति आय के सापेक्षिक परिवर्तन पिछले 10 वर्षों के संबंध में दर्शाये गए हैं। मुख्य रूप से यही परिवर्तन नकद आय तथा रहन-सहन के स्तर के बीच औसत अन्तर प्रकट करते हैं। 1971-72 के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

प्रति व्यक्ति आय (रुपये)

	वर्तमान मूल्यों के आधार पर	1960-61 के मूल्यों के आधार पर
1960-61	306.1	306.1
1961-62	316.0	309.5
1962-63	327.2	308.5
1963-64	367.2	318.3
1964-65	422.8	335.3
1965-66	425.0	309.8
1966-67	482.7	308.4
1967-68	561.9	329.9
1968-69	548.8	324.6
1969-70	597.4	341.0
1970-71	633.1	348.9

स्रोत : आर्थिक समीक्षा, 1972-73

दोनों के बीच अन्तर पर वास्तविक प्रति व्यक्ति आय तथा मूल्य स्तर में हुए परिवर्तनों का प्रभाव पड़ा है। समग्र रूप में मूल्यों में तीव्र गति से वृद्धि होने से अन्तर में भी वृद्धि हुई है। अन्तर विशेषतया उन वर्षों में बढ़े हैं जब वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में कम वृद्धि हुई है अथवा मूल्यों में अधिक गति से वृद्धि हुई है। मूल्यों में वृद्धि अधिकांशत: खराब कृषि वर्षों के बाद के वर्षों में हुई है।

श्री एच० एन० मुकर्जी : मुझे विवरण पढ़ कर आश्चर्य हुआ है क्योंकि उसमें 1960-61 को आधार मान कर वर्त्तमान मूल्यों के संदर्भ में प्रति व्यक्ति आय का अन्तर ही दिखाया गया है। मेरा विचार था कि शायद इस असंतुलन के लिए अन्य कारणों का भी कुछ पता चलेगा। वर्तमान और स्थायी मूल्यों में आय के इतने अधिक अन्तर को देखते हुए और जो मूल्यों में हो रही निरन्तर वृद्धि के कारण बढ़ता ही जा रहा है, क्या योजना आयोग वर्तमान स्थिति में अपने को असहाय समझता है कि कम आय से कम बचत और कम उत्पादिता होती है जिससे पुन: आय कम हो जाती है ? यदि हां, तो उसने यदि कोई समाधान निकाला है तो वह क्या है ?

योजना मंत्री (श्री डी० पी० धर) : इस समस्या के कुछ पहलू निःसंदेह विस्तारपूर्वक नहीं बताए गए क्योंकि इसमें केवल आंकड़े ही दिए गए हैं परन्तु मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि योजना आयोग इस संबंध में पूरी तरह जागरुक है और हमने पांचवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र में इसका विस्तार से उल्लेख किया है और उसमें उसके हल भी सुझाए गए हैं।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या योजना आयोग ने तुरन्त लागू करने के लिए कोई अन्तरिम योजना बनाई है ताकि काले बाजार और बम्बई जैसे नगरों में चल रहे भवन-निर्माण कार्यों पर काबू पाया जा सके जिससे कि इस गंभीर समस्या को हल किया जाए क्योंकि 1960-61 के मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय में जो तब 348.9 रुपये थी, 1970-71 में उपरोक्त कारणों से 633 रुपये हो गई है। क्या योजना आयोग ने इस ओर ध्यान दिया है और तुरन्त किए जाने वाले किन्हीं उपायों की सिफारिश की है ?

श्री डी० पी० धर : योजना आयोग में जो मुख्य कदम सुझाये गए थे वे हैं: पहला, खपत की आम चीज़ों के उत्पादन में काफी वृद्धि, दूसरा, आवश्यक वस्तुओं की गरीबों को उचित स्थिर मूल्यों पर उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकारी तौर पर वसूली तथा वितरण व्यवस्था करना और तीसरा, प्राथमिक शिक्षा, चिकित्सा, पोषण, भूमिहीनों के लिए आवास, गांवों में सड़कें तथा बिजली पहुंचाने की न्यूनतम आवश्यकता पूर्त्ति का राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार करना आदि।

श्री हरि किशोर सिंह : क्या सरकार ने यह जानने के लिए कोई अध्ययन किया है कि गत दस वर्षों में आय में प्रादेशिक विषमता कितनी बढ़ी है जिससे पिछड़े क्षेत्रों में लोगों के जीवन स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यदि हां, तो स्थिति सुधारने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

श्री डी० पी० धर : यह सच है कि जहां विकास के लाभ नहीं पहुंच पाये हैं वहां लोगों की आय कम रही है। अत: पांचवीं योजना में योजना आयोग का ज़ोर पिछड़े वर्गों एवं क्षेत्रों में आय-वृद्धि करने पर होगा।

श्री एस० वी० गिरि : क्या देश में श्रमिकों की आय में बढ़ता अन्तर इसलिए है कि काले धन की समानांतर अर्थ व्यवस्था चल रही है या गलत आयोजन है जिसमें उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रही है या इन कालाबाज़ार करने वालों का उक्त व्यवस्था से अनुचित लाभ उठाना है ?

श्री डी० पी० धर : लोगों की आय में वृद्धि या कमी का मूल आधार कृषि क्षेत्र का उत्पादन है। यदि कृषि उत्पादन में किसी कारण कमी आ जाए तो उसका कई गुना बड़ा प्रभाव अन्य क्षेत्रों में मूल्यों पर पड़ता है। यह भी ठीक है कि मुद्रा स्फीति का भी मूल्यों पर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हमारा

पूरा प्रयास उत्पादन विशेषकर कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए होगा। हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि हम ऐसी वित्तीय नीतियां अपनायेंगे जिससे कि मुद्रास्फीति का दबाव कम से कम पड़े ।

श्री एस० बी० गिरि : मैंने यह भी पूछा था कि क्या काले धन का भी इस पर प्रभाव पड़ता है?

श्री डी० पी० धर : निःसंदेह काला धन भी अपनी काली भूमिका निभाता है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : विश्व के विकासशील देशों में भारत की 348 . 9 रुपये की प्रति व्यक्ति आय की क्या स्थिति है ?

श्री डी० पी० धर: क्षमा कीजिएगा, मैं तुलनात्मक आंकड़े न दे सकूंगा क्योंकि उनकी संख्या बहुत अधिक है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उस सूची में हमारा स्थान काफी नीचे है।

श्री डी० पी० धर : जी नहीं । ऐसा नहीं है ।

Shri Shankar Dayal Singh : Nearly half the country's population lives below poverty lives and in some States the percentage is even sixty. I, therefore want to know the average per capita income of Indians and the monthly increase necessary due to rise in prices.

श्री मोहन धारिया : विवरण में औसत प्रति व्यक्ति आय बताई गई है, और मंत्री महोदय बता ही चुके हैं कि हम मूल्य वृद्धि की चुनौती का सामना करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जिसके कारण आय पर प्रभाव पड़ता है ।

Shri Shankar Dayal Sharma : What about the effect of rising prices on his income ?

श्री मोहन धारिया : विशेषज्ञों द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार 1970-71 के मूल्य स्तर पर 40 रुपये की मासिक आय से न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है ।

श्री कृष्ण चन्द्र हल्दर : क्या आय और मूल्य वृद्धि में बढ़ती विषमता का अर्थ योजनाओं की विफलता नहीं है ?

श्री डी० पी० धर : मैं सदस्य महोदय के इस मत से सहमत नहीं हूं।

श्री जी० विश्वनाथन : मैं जानना चाहता हूं कि क्या शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा और अधिक आय-वर्ग की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में तथा निचली स्तर पर निश्चित आय-वर्ग की आय में बहुत कम वृद्धि हुई है ? इस अन्तर को कम करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री मोहन धारिया : अध्ययन से पता लगा है कि शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों में निर्धन वर्ग. अधिक पीड़ित है।

अध्यक्ष महोदय : सदस्यगण एक ही प्रकार के प्रश्न को बार-बार दोहरा रहे हैं और मंत्रीगण भी वैसा ही उत्तर दे रहे हैं। अतः मैं अगला प्रश्न पूछने के लिए कहने जा रहा हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : घाटे की अर्थव्यवस्था मुद्रा-स्फीति को बढ़ाने का मुख्य कारण है और पहली योजना में 333 करोड़ से बढ़कर यह अब 1500 करोड़ रुपये की हो गई है । हमें बताया गया है कि पांचवीं योजना के अन्त में यह शून्य हो जाएगी । मैं जानना चाहता हूं कि यह बात किस आधार पर कही गई है और इसके लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं।

श्री डी० पी० धर : हमने दृष्टिकोण पत्र में यह नहीं कहा है कि यह शून्य हो जाएगी। हम ने उसमें कहा है कि विदेशी सहायता शून्य हो जायेगी और घाटे की अर्थव्यवस्था को न्यूनतम रखने का प्रयास किया जाएगा । जैसा कि सभा को विदित है हम विभिन्न आर्थिक उपाय इस समय कर ही रहे हैं।

Assistance to Union Territories for Police Housing

†764. **Shri Mahadeepak Singh Shakya :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the policy of Government of India regarding the assistance for providing housing facilities to the police personnel has not been uniform in the case of all the Union Territories; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin) : (a) & (b) The housing facilities to the police personnel are provided by the Union Territories in accordance with their requirements as well as the availability of funds. It has not been possible so far to provide uniform housing facilities to the police personnels of all Union Territories.

Shri Mahadeepak Singh Shakya : Sir, the hon. Minister has stated that if all depends on funds availability. I want to know the assistance provided to each Union Territory in 1972-73 and which of these remained deprived of it and why ?

श्री एफ० एच० मोहसिन : गोआ, दमन और दीव में 5.8 प्रतिशत पुलिस कर्मचारियों को क्वार्टर मिले हुए हैं। यह प्रतिशतता पांडीचेरी में 27.5, मिजोरम में 6.7 लक्षद्वीप, मिनीकाय और अमीनदीवी में 100, अंडमान और निकोबार में 54.7, चंडीगढ़ में 6.5, दादरा और नगर हवेली में 74, दिल्ली में 53.8 और अरुणाचल प्रदेश में 100 है। प्रयास तो किये जाते हैं परन्तु यह धन की उपलब्धि पर निर्भर करता है।

Shri Mahadeepak Singh Shakya : Is he aware of the fact that such quarters have mostly been provided to Class I and Class II Officers only whereas the real foundations of Socialism are Class III and IV employees. I want to know whether there any scheme to give priority to such employees in the matter of allotting accommodation and if so when it is likely to be implemented ?

The Minister of Home Affairs (Shri Uma Shankar Dikshit) : We had undertaken a Crash programme for States which we wanted to extend to Union Territories. It was undertaken in Delhi and after completing two phases, the third is in progress. In Chandigarh, they are facing much difficulty on this account. We have received a Scheme for Chandigarh Administration which is being considered sympathetically. In States, some provision is made in their Budget.

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या खोसला आयोग की सिफारिशों को जिनमें पुलिस कर्मचारियों को मकान देने की सिफारिश भी शामिल थी, सरकार ने मान लिया है। यदि नहीं, तो किन सिफारिशों को माना नहीं गया है और इसके क्या कारण हैं।

श्री उमाशंकर दीक्षित : यह प्रश्न पुलिस कर्मचारियों के आवास के बारे में है। अन्य सरकारी कर्मचारियों की भांति यहां भी प्रतिशतता भिन्न-भिन्न है। पुलिस के संबंध में इसे बढ़ाने के लिए विशेष ध्यान रखा जाता है। यह ठीक है कि कुल मिलाकर बहुत कम लोगों को क्वार्टर मिले हुए हैं।

Shri Hukam Chand Kachwai : It has been stated that crash programme is proposed to be extended to Union Territories and that hardly 20-25 percent policemen have got quarters. I understand that they do not get full reimbursement for higher rents paid by those who have not been allotted quarters. So, whether arrangement would be made to provide maximum housing facilities to policemen and to reimburse full rents paid by them ?

†Main Question and Answer to English.

Shri Uma Shankar Dikshit : These arrangements are to be made by States. It is their subject and responsibility. We can only provide suggestions or advice but the matter has to be decided by them.

Shri Hukam Chand Kachwai : Whether more rent would be reimbursed in Union Territories ?

Shri Uma Shankar Dikshit : We want to do so. We have already given an assurance regarding Chandigarh and we are going to consider it in the very near future.

हरियाणा के लिये पांचवीं पंचवर्षीय योजना का परिव्यय

*765. **श्री बीरेन्द्र सिंह राव :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा को पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि में कृषि उत्पादन, सिंचाई विकास, विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि, 6 से 11 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा, गांवों में पेय जल की व्यवस्था तथा ग्रामीण तथा शहरी बेरोजगारी की समस्याओं को हल करने संबंधी विभिन्न योजनाओं के लिए कितनी धनराशि आवंटित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) राज्य की योजना के लिए कुल कितने परिव्यय का नियतन करने की संभावना है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) हरियाणा की पांचवीं पंचवर्षीय योजना अभी राज्य सरकार द्वारा तैयार की जा रही है ।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : मैं जानना चाहता हूं कि विभिन्न राज्यों की योजनागत धन के आवंटन के लिए क्या कसौटी अपनाई जाएगी और क्या पिछड़े क्षेत्रों के लिए परियोजनाओं को प्राथमिकता मिलेगी ? यदि हां, तो हरियाणा में नेहरू नहर योजना के बारे में सरकार क्या करने जा रही है जिसे योजना आयोग को काफी समय पूर्व भेजा गया था ?

श्री मोहन धारिया : हम राष्ट्रीय विकास परिषद् के निर्णय की कसौटी पर अमल करते हैं। पांचवीं योजना के लिए भी इस परिषद् की बैठक होगी और निर्णय लिए जायेंगे । पिछड़े क्षेत्रों में उनके विकास के लिए जो भी व्यवहार्य योजनायें होंगी उन्हें प्राथमिकता अवश्य दी जाएगी। नेहरू नहर योजना के संबंध में जैसा कि मंत्री महोदय पहले ही बता चुके हैं, ऐसी योजनायें, जो शीघ्र पूरी हो जाएं, और थोड़े समय में ही कार्य आरंभ कर दें, प्राथमिकता प्राप्त करती है ।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : क्या माननीय मंत्री बताएंगे कि गांवों में पेय जल की व्यवस्था कब तक कर दी जाएगी और क्या इसके लिए, कोई तिथि निर्धारित की गई है और क्या उन्हें पता है कि हरियाणा के महेन्द्रगढ़ जिले के 90 प्रतिशत गावों में पेयजल उपलब्ध नहीं है और हमारी सेना में इसी जिले से सबसे अधिक व्यक्ति आते हैं और उन्होंने सबसे अधिक वीरता पदक भी प्राप्त किए हैं, यदि हां, तो ऐसे क्षेत्रों के लिए क्या कोई विशेष व्यवस्था की जाएगी ?

श्री मोहन धारिया : सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि पांचवीं योजना में इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है और 3300 करोड़ रुपये इन न्यूनतम आवश्यकता वाले कार्यक्रमों के लिए रख गए ह । इसी योजना में महेन्द्रगढ़ जैसे क्षेत्रों का भी ध्यान रखा जाएगा।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या मंत्री महोदय को पता है कि पर्याप्त बिजली के बिना कोई राज्य प्रगति नहीं कर सकता, यदि हां, तो क्या उन्हें यह भी ज्ञात है कि हरियाणा के बिजली कर्मचारियों की हड़ताल जारी है और मुख्य मंत्री उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं ? क्या उन्होंने केन्द्र से इसे निपटाने

का अनुरोध किया है ? क्या यह मामला सिंचाई और विद्युत मंत्री तथा अन्य मंत्रियों को सौंपा गया है और क्या उन्होंने हस्तक्षेप किया है ताकि हड़ताल समाप्त करके हरियाणा को बिजली की सप्लाई बहाल की जा सके ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न मूल प्रश्न से कैसे संबंधित है ?

श्री एस० एम० बनर्जी : मूल प्रश्न कृषि उत्पादन, सिंचाई के विकास और बिजली की उत्पादन क्षमता के संबंध में है । विद्युत उत्पादन इस हड़ताल से प्रभावित हुआ है और 52 संसद्-सदस्यों ने केन्द्र से अपील की है ।

योजना मंत्री (श्री डी० पी० धर) : मेरा निवेदन है कि यह प्रश्न सीधे मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है अतः मैं इसका उत्तर नहीं दे सकूंगा ।

Shri Panna Lal Barupal : Even after 25 years' Independence, Rajasthan remains without potable water. I want to know what is being done in this regard ?

Mr. Speaker : The main question relates to Haryana.

श्री मोहन धारिया : जहां तक पेय जल की सुविधा का संबंध है हम राजस्थान का भी ख्याल रखेंगे ।

श्री माधुर्य हालदार : पश्चिम बंगाल का सुन्दरवन क्षेत्र भी बहुत पिछड़ा हुआ है और कई योजनायें काफी समय से अनुमोदन की प्रतीक्षा में हैं, क्या इन्हें कम से कम पांचवीं योजना में शामिल किया जाएगा ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न हरियाणा संबंधी नहीं हैं । अगला प्रश्न ।

मैसूर में लघु उद्योगों का बंद होना

*766. **श्री डी० बी० चन्द्रगोड़ा :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य में छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए कच्चे माल की भारी कमी है ;

(ख) क्या राज्य में इस कमी के कारण कुछ लघु उद्योग बंद हो गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो राज्य में कच्चे माल की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख) मैसूर राज्य सहित देश में कच्चे माल की आम कमी है। मैसूर राज्य ने अभी बताया है कि कच्चे माल की कमी के कारण वास्तव में कोई एकक बन्द नहीं है ।

(ग) मैसूर में लघु एककों के लिए आयातित कच्चे माल की आपूर्ति सुधरी है जो निम्न प्रकार है :

	आयात लाइसेंस का मूल्य (रु० लाखों में)
1969-70	268
1970-71	389
1971-72	602

ई० सी० ग्रेड तथा वाणिज्यिक ग्रेड अल्युमिनियम और जिंक जैसे स्वदेशी दुर्लभ कच्चे माल का आवंटन नीचे दिया गया है।

	मी० टन	
	1971-72	1972–73
इस्पात	3646	7196
ई०सी० ग्रेड अल्युमिनियम . . .	567	1022
वाणिज्यिक ग्रेड अल्युमिनियम	258	262
जिंक	13.5	36.30

उपलब्धता के अनुसार लघु उद्योगों को कच्चे माल का आवन्टन बढ़ाने की लगातार कोशिश की जा रही है ।

श्री डी० बी० चन्द्रगौडा : योजना के गत दो दशकों में उल्लेखनीय कार्य के बावजूद, विशेषकर लघु उद्योगों को कच्चे माल की सप्लाई संतोषजनक नहीं रही है । लघु उद्योगों को अब भी कच्चा माल काले बाज़ार में खरीदना पड़ता है जहां मूल्य नियंत्रित मूल्यों से दुगने हैं । अतः मैं जानना चाहता हूं कि लघु उद्योगों को मोटे कच्चे माल की सप्लाई के लिए सरकार क्या ठोस कदम उठा रही है और दूसरे क्या की गई पूर्त्ति मैसूर राज्य की मांग के अनुरूप है, यद्यपि ये आंकड़े काफी उत्साहवर्धक है ?

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : यह ठीक है कि सामान्य रूप में कच्चे माल की कमी है और लघु उद्योगों को इसकी पूर्ति करने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए हैं और दुर्लभ कच्चे माल के आयात पर प्रतिबन्ध विशेष रूप से ढीले कर दिए गए हैं इससे स्थिति में अवश्य सुधार होगा।

श्री डी० बी० चन्द्रगौडा : मैसूर में विद्युत चालित करघों पर सूत की कमी से बहुत प्रभाव पड़ा है । मैं जानना चाहता हूं कि इसकी सप्लाई के लिए सरकार क्या प्रबन्ध करेगी क्योंकि इसके अभाव में गडाग और धारवाड़ तथा बीजापुर जिलों में बहुत कठिनाई हो रही है ?

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : यह प्रश्न औद्योगिक विकास मंत्रालय से संबंधित नहीं है अपितु वाणिज्य मंत्रालय से संबंधित है ।

श्री देवेन्द्र नाथ महाता : क्या कलकत्ता में गंधक के तेज़ाब की कमी के कारण अधिकांश कारखानों पर प्रभाव पड़ रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : मूल प्रश्न मैसूर के बारे में है ।

श्री के० लकप्पा : जहां तक मैसूर राज्य का सम्बन्ध है, मेरे मित्र ने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। इस प्रश्न में दो मामले हैं जिनका इस मंत्रालय द्वारा हल किया जाना है। लघु उद्योगों के लिये कच्चे माल की कमी दो कारणों से उत्पन्न हुई है। मैसूर राज्य को आवंटित किया गया कच्चा माल राज्य द्वारा की गई मांग के अनुरूप नहीं है। दूसरे, जाली पंजीयन लघु उद्योगों को मंत्रालय द्वारा पहले आवंटित किया गया स्टेनलैस स्टील जैसा कच्चा माल इन जाली लघु उद्योगों ने हाल ही में बम्बई में चोर बाज़ार में बहुत शानदार तरीके से बेचा है और बहुत कम मुनाफा कमाया है। जाली पंजीकरण के तरीके से वास्तविक लघु उद्योग एककों को कच्चे माल की कमी होती है। यह मेरे अपने ही संसदीय चुनाव क्षेत्र में हुआ है। राज्य द्वारा आवश्यक कच्चे माल की कमी को दूर करने के लिये तथा उन लोगों के विरुद्ध जिन्होंने बम्बई में स्टेनलैस इस्पात चोर बाज़ारी में बेचा है, क्या विशिष्ट कार्यवाही की गई है ?

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : हालांकि यह प्रश्न बहुत ही सामान्य है (**अन्तर्बाधाएं**) फिर भी सभा पटल पर रखे गए विवरण से पता लगता है कि 1971-72 में मैसूर को 3646 मीटरिक टन का आवंटन हुआ था जबकि 1972-73 में बढ़ कर 7196 मीटरिक टन हो गया था। गत वर्ष की तुलना में यह सुधार है। यदि कच्चे माल की चोर बाज़ार में बिक्री के बारे में विशिष्ट सूचना दी गई, तो सरकार इस दूसरे पहलू से भी निपट लेगी।

श्री के० लकप्पा : मैंने विशिष्ट सूचना दी है।

श्री मनोरजन हाजरा : क्या मंत्री महोदय को पता है कि कुछ औद्योगिक एककों को यह आश्वासन मिलने पर कि उन्हें कच्चा माल सप्लाई किया जाएगा, वे पश्चिम बंगाल से मैसूर चले गए किन्तु उनकी आशाएं पूरी नहीं हुईं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न को सुसंगत नहीं मानता।

श्री जगन्नाथ राव : क्या प्राक्कलन समिति ने लघु उद्योगों की क्षेत्रवार और उद्योगवार एक वस्तु-सूची तैयार किये जाने की सिफारिश की है जिससे तकनीकी विकास के महानिदेशक लघु उद्योग की आवश्यकताओं का अनमान लगा सकें ? क्या इस सम्बन्ध में कुछ कदम उठाए गए हैं ?

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : लघु उद्योग बोर्ड ने अपनी 30वीं बैठक में सिफारिश की कि लघु उद्योग एककों की गणना की जाए और इस सम्बन्ध में प्रारम्भिक कार्य पहले से ही किया जा रहा है। हमें आशा है कि लघु उद्योगों की गणना के पश्चात् हम इन उद्योगों के लिये अपेक्षित कच्चे माल की मात्री का निर्धारण कर सकेंगे।

श्री के० चिक्कलिंगैया : क्या यह सच नहीं है कि मैसूर राज्य में नेशनल पेपर मिल्स बन्द होने वाली है ?

अध्यक्ष महोदय : आप एक विशिष्ट प्रकार का प्रश्न कर रहे हैं जबकि यहां एक सामान्य प्रकार के प्रश्न पर चर्चा हो रही है।

श्री के० चिक्कलिंगैया : मैं प्रश्न पूछ रहा हूं कि क्या कच्चे माल की कमी के कारण केन्द्रीय सरकार कच्चे माल को लुगदी में परिवर्तित करने हेतु एक मशीन के लिये उसे आवश्यक धन नहीं दे रही है ?

अध्यक्ष महोदय : आप फिर कागज़ की लुगदी के बारे में विशिष्ट प्रश्न कर रहे हैं। यहां एक सामान्य प्रकार का प्रश्न है। इसका किसी विशेष कारखाने से कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि आप कोई विशिष्ट प्रश्न करना चाहते हैं तो इसके लिये आपको अलग से नोटिस देना होगा।

श्री के० चिक्कलिंगैया : मैं एक विशिष्ट प्रश्न पूछ रहा हूं। क्या यह सच नहीं है कि कच्चे माल की कमी के कारण मैसूर में नेशनल पेपर मिल बन्द होने जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने मेरे अनुरोध का पालन किया है ?

श्री के० चिक्कलिंगैया : वहां कच्चा माल उपलब्ध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही कह चुका हूं कि यदि आप किसी विशेष उपक्रम या कारखाने के सम्बन्ध में प्रश्न करना चाहते हैं तो आप अलग से नोटिस दें। यहां अब एक सामान्य प्रकार का प्रश्न है। यह मैसूर राज्य से आपको यह अधिकार तो नहीं है कि आप प्रत्येक कारखाने के बारे में कहें। कृपया आप बैठ जाइये।

Reservations for adivasis and Harijans

*769. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether orders have been issued for making reservation for promotion in the various Departments in order to give due representation to Adivasis and Harijans in administrative services in accordance with the recommendations of Yardi Committee;

(b) if so, the Department-wise number of Adivasi and Harijan employees who have been given promotions in Central Government offices in Delhi in accordance with the said recommendations; and

(c) whether States have also been asked by Central Government to implement the said recommendations ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House. [Placed in Library. Please see No. L.T. 4823/73]

Shri Dhan Shah Pradhan : Sir, even after such a long period of independence atrocities are being committed on Harijans and Adivasis. Many irregularities are committed in the cases of promotion of Harijans and Adivasi government employees. I want to know whether it is a fact that caste Hindus give bribe at the time of promotion and supersede Harijans and Adivasis ? May I know how many Harijans and Adivasi Government employees were promoted during 1971-72.

Shri Ram Niwas Mirdha : The hon'ble Member had asked this question in the light of the recommendation of Yardi Committee that scheduled Caste and Scheduled Tribe employees should be given concession in the matter of promotion as well. I have given detailed information in the statement placed on the Table in reply to the main question. I have stated about the number of seats which should be reserved in the cases of promotion and orders issued from time to time in this regard and I have placed copies of those orders on the Table. A special order was issued in 1968 under which reservations have been made in the vacancies to be filled by recruitment. After that an order was issued in 1972, under which more concession were allowed.

The Government have been receiving reports in this regard. Some institutions do write about the violation of orders. Whenever we have enquired, we have been informed that instructions issued by the government are generally complied with any complaint received in this regard is looked into by the committee of this House. The Committee sends the reports to us and the same is examined.

The hon' ble Minister has asked the number of persons promoted. I have stated that the figures are being collected by us. We shall place them on the Table as soon as they are ready.

Shri Dhan Shah Pradhan : Whether government is prepared to agree to my suggestion that so long reserved vacancies of Harijans and Adivasis are not filled, only Harijans and Adivasi candidates should be appointed and general recruitment should be stopped for that period ?

Shri Ram Niwas Mirdha : When a vacancy is reserved and no candidate is available, in that case the period used to be extended by two years and now the same is extended by three years. It is definite policy of the government that whenever a seat is to be dereserved, we should do it after due deliberations. Technical or specialist jobs are different but their number is very small which might have been dereserved. Every effort is made to see that concessions which are due under reservations, are available.

श्री पी० वेंकटासुब्बया : भाग (ख) के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया है कि जानकारी एकत्र की जाएगी और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी। मंत्री महोदय किसी विशिष्ट जानकारी के बिना, कैसे कह सकते हैं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की पदोन्नतियों के सम्बन्ध में उनकी मर्जी के अनुसार कोई निदेश क्रियान्वित किया गया है या नहीं ? फिर उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे उनको दिये गए अनुदेशों का पालन करें। क्या उनको पता है कि बहुत से मामलों में उच्च अधिकारी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को पदोन्नत करने से इस आधार पर इन्कार कर देते हैं कि कोई उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है ? ऐसे कई मामले सरकार को बताए गए थे। क्या सरकार का विचार एक विशेष तंत्र स्थापित करने का है जो सरकार के निर्देशों की क्रियान्विति के सम्बन्ध में बाद की कार्यवाही करे ?

श्री राम निवास मिर्धा : भाग (ख) में लिखा है :—

"यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार के दिल्ली स्थित कार्यालयों में विभागवार कितने कितने आदिवासियों और हरिजनों को उक्त सिफारिशों के अनुसार प्रमोशन दिया गया है"

इतनी लम्बी चौड़ी जानकारी को एकत्र करने में कुछ समय लग जाना स्वाभाविक है। हमें दिल्ली के प्रत्येक विभाग से जानकारी एकत्र करनी है। इसीलिये मैंने कहा है कि जानकारी एकत्र की जा रही है। फिर उन्होंने पूछा है कि हम कैसे कह सकते हैं कि अनुदेशों का पालन किया जा रहा है ? उसका उत्तर मैंने पहले दे दिया है कि हमने प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार किया है और देखा है कि लगभग सभी मामलों में अनुदेशों का पालन किया जा रहा है। हमने व्यक्तिगत मामलों पर विचार किया है और फिर भी यदि किसी मामले की जानकारी हमें दी जाती है तो हम उस पर विचार करेंगे। जहां तक राज्य सरकारों का सम्बन्ध है, हम उनके बारे में सीधे रूप से कुछ नहीं कह सकते, परन्तु हम जो अनुदेश समय समय पर जारी करते हैं, हम उन्हें राज्य सरकारों को भी भेजते हैं और उसके बाद भी हम उनसे पूछताछ करते रहते हैं। हमने उनसे एक 'माडल पोस्टर' बनाने को कहा है। मैंने स्वयं मुख्य मंत्रियों को लिखा है और जब वे दिल्ली में थे तो प्रधान मंत्री ने भी उनसे कहा था। हम उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि वे कम से कम आरक्षण सम्बन्धी अनुदेशों का पालन करते रहें जिनका सीधे भर्ती और पदोन्नति के सम्बन्ध में अपने कर्मचारियों के लिये केन्द्रीय सरकार भी पालन करती है।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : विशेष तंत्र स्थापित करने के बारे में क्या स्थिति है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : जब कुछ समय पूर्व मुख्य मंत्रियों के साथ मेरी बातचीत हुई थी, तो मैंने सुझाव दिया था कि वे प्रत्येक राज्य में एक छोटा सा सैल बना कर इस मामले के साथ स्वयं निपटें। मुझे आशा है कि उन्होंने ऐसा किया है।

श्री के० एस० चावड़ा : क्या प्रश्न के भाग (ख) के सम्बन्ध में मंत्री महोदय को पता है कि केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक विभाग को अनुसूचित जातियों और अनसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित कोटे को भरने के बारे में त्रिमासिक अथवा अर्ध-वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने होते हैं ? यदि हां, तो उन दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है जिन्होंने समय पर जानकारी नहीं भेजी है?

श्री राम निवास मिर्धा : त्रिमासिक प्रतिवेदन मांगने का तरीका उपरोक्त आदेशों की क्रियान्विति सुनिश्चित करने के लिये है। हमने नवीनतम जानकारी मांगी है। हमें त्रिमासिक प्रतिवेदन मिले हैं परन्तु

उनसे यह नहीं पता चलता कि क्या आदेशों का उल्लघंन किया गया है। उनसे व्यक्तियों की नियुक्ति आदि सम्बन्धी आंकड़ों का पता चलता है।

श्री के० एस० चावड़ा : क्या उन्होंने दोषी कर्मचारियों की जिम्मेदारी निश्चित की है और उन्हें दण्ड दिया है ? गृह मंत्रालय में एक नियम है कि प्रत्येक विभाग त्रिमासिक अथवा अर्ध-वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है।

श्री राम निवास मिर्धा : जैसा कि मैंने बताया है प्रतिवेदन नियमित रूप से प्राप्त होते हैं। यदि वे न पहुंचें, तो हम विभिन्न विभागों से प्राप्त कर लेते हैं।

श्री राम सहाय पांडे : हमारी सरकार हरिजनों और आदिवासियों के हितों की रक्षा करने के लिये वचनबद्ध है। मैं इस सम्बन्ध में मध्य प्रदेश राज्य का हवाला देना चाहता हूं, जिसमें एक तिहाई आदिवासी रहते हैं। मैं प्रधान मत्री की इस बात से प्रसन्न हूं कि केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को हरिजन आदिवासियों के हितों की रक्षा करने के लिये सैल बनाने का परामर्श दिया है। क्या यह सैल हरिजनों और आदिवासियों को अधिक रोज़गार दिलवाने और उनको विशेष रूप से तरजीह दिलवाने के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करेगा ?

श्री राम निवास मिर्धा : प्रधान मंत्री ने यह कहा था कि प्रत्येक राज्य में मुख्य मंत्री को अपने सचिवालय में एक सैल स्थापित करना चाहिये जो इस बात का ध्यान रखे कि राज्य सरकारों द्वारा जारी किये गए विभिन्न आदेश क्रियान्वित किये जाएं। हमें आशा है कि ऐसा किया जा रहा है।

Shri Hukam Chand Kachwai : May I know the number of states in which action has been taken on the suggestion given by the Prime Minister ? I would also like to know the extent to which the recommendations of the Committee of the House have been implemented ? Whether it is a fact that the letter issued in 1970 is not being adhered to in various offices of the central Government, Railway. L.I.C. and banks ? I would also like to know whether any action has been taken or is proposed to be taken against the defaulting States and if so, the nature thereof ?

Shri Ram Niwas Mirdha : It is not a fact that the report of the committee of the House or any other point brought forth by them is not considered. We always look into the matter about which the Committee informs us that protection has not been given or promotion has not been made. We always try to see that orders issued by us are complied with.

Shri Hukam Chand Kachwai : I wanted to know whether separate cells have been set up by the State Governments ?

Shri Ram Niwas Mirdha : The Prime Minister had not suggested to set up any particular department. She had discussed this matter with the Chief Ministers she told them that special attention should be paid to the common problems of Harijans, Adivasis and minorities and the orders regarding filling up reserved vacancies must be adhered to. While discussing various issues with the Chief Minister, she made a mention about the development of Tribal cooperatives and various matters relating to minorities and backward classes.

राजस्थान परमाणु बिजलीघर के दूसरे एकक के लिये उपकरणों की सप्लाई के लिये फर्मों को दिये गए आर्डर

*770. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान परमाणु बिजलीघर के दूसरे एकक के लिये कैलेड्रिया और डैम्प टैंक सप्लाई करने के लिये किस फर्म को आर्डर दिया गया है;

(ख) इन उपकरणों की सप्लाई पहले किस तारीख तक की जानी निश्चित थी; और

(ग) इन उपकरणों की सप्लाई में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) राजस्थान परमाणु विद्युत् परियोजना के दूसरे यूनिट के लिये कैलेंड्रिया तथा डम्प टैंक बनाने के आर्डर क्रमशः मैसर्स लार्सन एण्ड ट्यूबरो लिमिटेड तथा मैसर्स वालचंदनगर इडस्ट्रीज़ को दे दिये गए हैं।

(ख) इन आदेशों के अनुसार, कैलेंड्रिया के 31-7-1971 तक तथा डम्प टैंक के 1-1-1971 तक प्राप्त हो जाने का कार्यक्रम था।

(ग) देश में पहली बार बनाए जा रहे इन संघटकों की प्राप्ति में देरी होने का मुख्य कारण यह था कि उनके उत्पादन के विभिन्न चरणों के लिये बड़े पैमाने पर विकास कार्य करना आवश्यक है तथा उसमें निर्माण सम्बन्धी अप्रत्याशित समस्याएं सामने आ जाती हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या गैर-सरकारी फर्म को आर्डर देने से पूर्व सरकारी उपक्रमों से इन संघटकों को बनाने की सम्भावना का पता लगाया गया था विशेषकर भारी इंजीनियरी निगम, रांची से जिनको भारी यांत्रिक और ढांचे सम्बन्धी उपकरण बनाने सम्बन्धी विशिष्ट जानकारी है, भारत हैवी प्लेट एण्ड वैसल लिमिटेड, विशाखापत्तनम से जिनको मल्टि-लेयर हाई प्रैशर वैसल बनाने के बारे में विशिष्ट जानकारी है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री राम निवास मिर्धा : टेंडरों की कुछ सीमित रूप से पूछताछ के बाद मैसर्स लारसन एण्ड ट्यूबरो लिमिटेड को यह आर्डर दिया गया था। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि किन फर्मों ने टेंडर नोटिस का उत्तर दिया था। यह कार्यवाही टेंडर मंगवाने के बाद की गई थी जिसका कुछ फर्मों ने उत्तर भेजा था।

बात यह है कि इस प्रकार का पेचीदा काम पहली बार भारत में करने का प्रयत्न किया जा रहा है। सरकार की यह नीति है कि यथा सम्भव परमाणु संयंत्रों के पेचीदा इंजीनियरी ढांचे तथा केलेंड्रिया जैसे अन्य संघटक भी देश में ही बनाए जाने चाहियें और अब उनका आयात नहीं किया जाना चाहिये। सब प्रकार से परामर्श करने के बाद यह आर्डर दिया गया था।

उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि यह काम ही ऐसा है, इंजीनियरी सम्बन्धी प्रयास का यह बुनियादी काम है। विलम्ब अवश्य हुआ है। हम निर्माताओं के साथ निरन्तर सम्पर्क रखे हुए हैं। कभी-कभी माल की सप्लाई में भी समय लग जाता है। इस काम के लिये विशेष प्रकार के धातुओं की आवश्यकता है। विलम्ब का यही कारण है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैंने पूछा था कि क्या आर्डर देने से पूर्व सरकारी उपक्रमों से पूछताछ की गई थी ?

श्री राम निवास मिर्धा : जैसा कि मैंने बताया है सीमित रूप में टेंडर मंगवाए गए थे। मुझे यह नहीं पता कि किन सरकारी या गैर-सरकारी फर्मों ने टेंडर भेजे थे। परन्तु निर्माताओं के साथ सब प्रकार का परामर्श करने के बाद ही यह आर्डर दिया गया था।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : क्या संघटकों की सप्लाई के बारे में संविदा में दंड सम्बन्धी कोई खण्ड नहीं था ?

श्री राम निवास मिर्धा : दंड सम्बन्धी खण्ड तो नहीं है, परन्तु इस प्रकार की कुछ व्यवस्था है कि इस विलम्ब के परिणामस्वरूप जहां सरकार को कोई कठिनाई या हानि होगी, तो इसके बारे में उनके साथ बातचीत की जाएगी। कोई दंड सम्बन्धी खण्ड नहीं है परन्तु कुछ व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत इस प्रकार के विलम्ब का उल्लेख किया जाएगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTENANSWERS TO QUESTIONS

Demonstration by C.P.I. at Parliament House

*762. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri R.V. Bade :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether C.P.I. had organised a rally at Parliament House on the 27th March, 1973; and

(b) if so, their main demands ?

The Minister of Home Affairs (Shri Uma Shankar Dikshit) : (a) Government are aware of the rally held at the Boat Club lawn on 27th March, 1973.

(b) The petition containing the demands presented to the House on 27th March, 1973, has already been circulated to the Hon'ble Member under the direction of the Committee on Petitions.

वार्षिक लाइसेंस देने की योजना

*767 **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :**
श्री बक्शी नायक :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या उनके मंत्रालय ने लाइसेंस देने की वर्तमान उदार नीति के स्थान पर वार्षिक लाइसेंस देने की योजना बनाने का निर्णय किया है, जिसके द्वारा इस विषय में चयनात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो यह ऐसी प्रथम योजना कब तक लागू की जाएगी; और

(ग) प्रस्तावित योजना की मुख्य बातें क्या हैं और इससे औद्योगिक उत्पादन में कहां तक सहायता मिलेगी ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) अर्थ व्यवस्था में कमियों को दूर करने तथा पांचवीं योजना में विभिन्न औद्योगिक उत्पादों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सुव्यवस्थित क्षमता उत्पन्न करने हेतु प्रत्येक उद्योग से संबंधित आवश्यक जानकारी उपलब्ध होना पूर्वापेक्षित है जिससे आवेदकों को मदद मिलेगी तथा सरकार को निर्णय लेने में सुविधा होगी। विनियोजन के अवसरों, जिनमें लाभपूर्ण आकार सरकार का दृष्टिकोण, उपयुक्त प्रौद्योगिकी, विपणन, अधिमानित स्थापना स्थल, आदि सम्मिलित हैं, के विषय में जानकारी के संकलन तथा उससे अवगत कराने से विशेष रूप से नए तथा मध्यम श्रेणी के उद्यमियों को उन क्षेत्रों के बारे में जानने में सहायता मिलेगी जिनमें विनियोजन के अवसर विद्यमान हैं तथा उन्हें यथार्थवादी और सार्थक योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी जो सरकार को मान्य होगी।

इसके अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये औद्योगिक लाइसेंसों के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांतों का प्रतिवर्ष प्रकाशन करने का विचार है। इस प्रकार के प्रथम मार्गदर्शी सिद्धांतों का 1973-74 में यथाशीघ्र प्रकाशन करने का प्रस्ताव है।

दिल्ली के टेलीवीजन केन्द्र में काम कर रहे फिल्म और टेलीविज़न इन्स्टीट्यूट, पूना से डिप्लोमा प्राप्त कलाकारों को उच्च प्रशिक्षण के लिये विदेशों में प्रतिनियुक्ति पर भेजना

*768. **श्री लालजी भाई :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीविज़न सेन्टर, नई दिल्ली में काम कर रहे फिल्म और टेलीविज़न इन्स्टीट्यूट, पूना से डिप्लोमा प्राप्त किसी भी व्यक्ति को अभी तक उच्च प्रशिक्षण के लिये विदेश नहीं भेजा गया है;

(ख) यदि हां, तो उनमें से कुछ व्यक्तियों को कुछ विदेशी छात्रवृत्तियों पर उच्च प्रशिक्षण के लिये विदेश भेजने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) वर्ष 1972 के अन्त तक कितने प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव, निर्माता, इंजीनियर और अन्य वर्गों के कर्मचारियों को विदेशों में प्रशिक्षण दिया गया ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) तथा (ख) विदेशों में टेलीविज़न प्रशिक्षण के लिये आकाशवाणी के कर्मचारियों का चयन संगठन की आवश्यकताओं एवं इस बात पर निर्भर करता है कि प्रस्तावित प्रशिक्षण किस प्रकार का है। भारतीय फिल्म तथा टेलीविज़न संस्थान, पूना से डिप्लोमा प्राप्त व्यक्तियों को भी विदेशों में प्रतिनियुक्ति पर भेजने के बारे में विचार किया जाता है, परन्तु वे मुख्य रूप से ऐसी श्रेणियों में हैं जिनके लिये कुछेक ही प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। तथापि, हाल ही में, फिल्म तथा टेलीविज़न संस्थान के एक डिप्लोमाधारी को पश्चिम जर्मनी में वहां के टेलीविज़न केन्द्र देखने तथा उपकरणों की जानकारी प्राप्त करने के लिये दौरे एवं प्रशिक्षण पर भेजा गया था।

(ग) 1972 के अन्त तक विदेशों में विभिन्न श्रेणियों के 92 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

बम्बई शहर तथा इसके उपनगरीय क्षेत्रों में वायु दूषण

*771. **श्री शंकरराव सावंत :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक तेल परिशोधन कारखाने, एक इस्पात कारखाने तथा एक उर्वरक कारखाने से किस सीमा तक वायु दूषण होता है;

(ख) इस वायु दूषण को कम करने के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या बम्बई तथा इसके उपनगरीय क्षेत्रों में वायु दूषण चरम सीमा तक पहुंच गया है; और

(घ) बम्बई में वायु दूषण कम करने के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) तेल परिशोधन कारखाने, इस्पात तथा उर्वरक संयंत्रों से एक निश्चित सीमा के बाहर कुछ पदार्थों के विसर्जन होने

के फलस्वरूप उत्पन्न प्रदूषण के खतरे, प्रतिकूल स्वरूप परिणाम तथा सम्पोत्त क्षति से लेकर मानव, जीव और वनस्पति स्वास्थ्य पर वायु, जल और भूमि प्रदूषण द्वारा घटित क्षतिकर परिणामों तक हो सकते हैं।

(ख) प्रदूषण खतरों को कम करने के लिये प्रदूषण नियंत्रण प्रौद्योगिकी के अपनाने के साथ ही प्रशासकीय और वैज्ञानिक कदम भी लिये जा रहे हैं।

(ग) जी नहीं। परन्तु वायु और मौसम की प्रतिकूल स्थिति में कुछ स्थानों में अल्पकाल के लिये वायु प्रदूषण एक विशेष स्तर तक पहुंच जाता है।

(घ) बम्बई में इस सम्बन्ध में कई कदम उठाए गए हैं, यथा, जल प्रदूषण से संरक्षण के लिये अधिनियम बनाना तथा इसके उपबन्धों के कार्यान्वयन के लिये उपयुक्त व्यवस्था करना, वायु प्रदूषण के लिये सतर्कता समिति की स्थापना करना, नागपुर स्थित केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान द्वारा बृहत् बम्बई के वायु प्रदूषण की समस्याओं के अध्ययन का नियोजन करना एवं पर्यावरणीय समस्याओं तथा इस सम्बन्ध में अन्य स्थानीय विधियों के आधीन कार्यवाही करने के लिये राज्य सरकार के अन्तर्गत एक विशेष विभाग की स्थापना करना।

दिल्ली और गान्धीनगर (गुजरात) के बीच डायल घुमा कर सीधे टेलीफोन करने की प्रणाली

*772 **श्री बेकारिया :**

श्री अरविंद एम० पटेल :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली और गांधीनगर (गुजरात) के बीच डायल घुमा कर सीधे टेलीफोन करने की प्रणाली कब तक चालू हो जाएगी ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : गांधीनगर और दिल्ली के बीच सीधे डायल करने की प्रणाली चालू करने के लिये इन दोनों स्थानों के बीच एक बहुत बड़ी संख्या में सर्किटो की व्यवस्था करनी पड़ेगी। मौजूदा को एक्सियल केबुल अत्यधिक संकुलित हैं। अतः इस मार्ग पर अतिरिक्त सर्किटों की व्यवस्था तभी की जा सकेगी जब दिल्ली-बम्बई माइक्रोवेव मार्ग चालू हो जाएगा। आशा है कि यह मार्ग लगभग वर्ष 1976-77 में चालू हो जाएगा। तत्पश्चात् दिल्ली और गांधीनगर के बीच उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग प्रणाली चालू करना संभव होगा।

एक नया झारखण्ड राज्य बनाने के लिये ज्ञापन

*773 **श्री के लकप्पा :**

श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल आदि के 15 ज़िलों को मिलाकर एक नया झारखंड राज्य बनाने के लिये 13 मार्च, 1973 को प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन की मुख्य बातें क्या हैं और उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) और (ख) : झारखण्ड दल की ओर से 12 मार्च, 1973 को प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन दिया गया था। ज्ञापन में बिहार के पलामू, हज़ारीबाग, रांची,

धनबाद, सिंगभूम तथा संथाल परगना ज़िलों, उड़ीसा के सुन्दरगढ़, क्योंनझर, मयूरभंज तथा सबलपुर ज़िलों, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया, मिदनापुर तथा बनकुरा ज़िलों और मध्य प्रदेश के रायगढ़ तथा सरगुजा ज़िलों को मिला कर एक नया झारखण्ड राज्य बनाने की मांग की है। यह मांग मुख्य रूप से इस भावना पर आधारित है कि यदि इन क्षेत्रों का एक अलग राज्य बनाया जाए तो उनके विकास पर अधिक ध्यान दिया जाएगा और उनका पिछड़ापन समाप्त हो जाएगा। सरकार का सदैव यह दृष्टिकोण रहा है कि आर्थिक विकास में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना अनिवार्य रूप से एक ऐसा विषय है जो राज्य सरकार द्वारा योजना तंत्र के माध्यम से निपटाया जाना चाहिये और पिछड़े क्षेत्रों को मिला कर अलग राज्य बनाना इस समस्या का हल नहीं है, अतः सरकार ऐसी मांगों के हित में नहीं है।

संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नागर हवेली के अराजपत्रित कर्मचारियों के वेतनमान

*774. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नागर हवेली के अराजपत्रित कर्मचारियों के वेतनमानों का पुनरीक्षण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) और (ख) संघ शासित क्षेत्र दादरा व नागर हवेली में अराजपत्रित कर्मचारियों के वेतनमान संबंधी सिफारिशें तृतीय वेतन आयोग की रिपोर्ट में सम्मिलित की गई हैं जिसको 2 अप्रैल, 1973 को सदन में रखा गया था। सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

पुलिस प्रशिक्षण विषयक समिति की सिफारिशें

*775. **श्री जगन्नाथ मिश्र :**
श्री वर्के जार्ज :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस प्रशिक्षण विषयक समिति ने देश में पुलिस सेवाओं की निम्न बुद्धि-लब्धि (आई० क्यू०) पर टिप्पणी की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका कोई कारण बताया गया है; और

(ग) समिति के प्रतिवेदन की सिफारिशों की मुख्य बातें क्या हैं और उन्हें कब तक कार्यान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

गृह मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

समिति द्वारा की गई सिफारिशों का सम्बन्ध निम्नलिखित मुख्य विषयों से है :—

(1) पुलिस बल की सभी श्रेणियों की भर्ती के लिये उम्मीदवारों की योग्यता तथा पद्धति।

(2) सभी श्रेणियों के पुलिस कर्मचारियों के मूल तथा पुनश्चर्या प्रशिक्षण के सम्बन्ध में विस्तृत सिफारिशें। पुनः संरचना पाठ्यक्रम में सामाजिक तत्व, पुलिस की आवश्यकताओं के अनुरूप अपनाया गया व्यवहारिक तथा प्रबन्ध विज्ञान सम्मिलित है। सुझाए गए पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में पदोन्नति तथा विशेषज्ञ पाठ्यक्रम सम्मिलित है।

(3) देश की बदलती हुई सामाजिक आर्थिक स्थिति में उनकी भूमिका के सम्बन्ध में वर्तमान कर्मचारियों के व्यवहारिक पुनः अभिमुख निर्धारण के लिये सिफारिशें।

(4) यह सुझाव दिया गया है कि केन्द्र तथा राज्यों में पुलिस प्रशिक्षण से सम्बन्धित सभी विषयों के लिये योजना, विकास तथा समन्वय करने वाली एक एजेन्सी होनी चाहिये।

(5) पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में वास्तविक सुविधाएं तथा अपेक्षित प्रशिक्षक कर्मचारी और पुलिस प्रशिक्षण के लिये अपेक्षित शिक्षण की सामग्री तथा पद्धति के सम्बन्ध में विस्तृत सिफारिशें।

(6) प्रशिक्षण को छोड़कर पुलिस पद्धति के सभी पहलुओं की ओर आगे जांच करने का सुझाव दिया गया है। संगठनात्मक संरचना, विभिन्न श्रेणियों की शक्तियां तथा कर्त्तव्य, सेवा की शर्तें और कानून तथा पद्धतियां जैसे क्षेत्र जिनका पुलिस की कारगरता तथा कार्यकुशलता से संबंध है, सम्मिलित होगा।

(7) पुलिस तथा जनता के बीच संबंध सुधारने के लिये अनेक सुझाव दिये गए हैं।

समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन से संबंधित कार्य प्राथमिकता के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। पुलिस, राज्य का विषय होने के कारण समिति की सिफारिशों की एक बड़ी संख्या राज्यों से संबंधित है। समिति की रिपोर्ट की प्रतियां राज्यों को दी गई हैं और सिफारिशों के आशय की जांच करने तथा भारत सरकार को शीघ्र अपने विचार भेजने के लिये उनसे अनुरोध किया गया है। राज्यों के मुख्य मंत्रियों/गृह मंत्रियों तथा अन्य संबंधित अधिकारियों के सम्मेलन में सिफारिशों पर विचार करने के लिये प्रस्ताव है ताकि समिति की सिफारिशें जो पुलिस अधिकारियों के व्यवहार में पुनः अभिमुख निर्धारण करने की दृष्टि से अधिक महत्व की हैं, को स्वीकार करने तथा कार्यान्वयन करने के लिये समान मार्ग अपनाया जा सकें।

स्थानीय रिपोर्टरों और उप-सम्पादकों को दिल्ली में सरकारी आवास का आवंटन

*776. **श्री एस० ए० मुरुगन्तम** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रेस रिपोर्टर संघ ने बताया है कि जहां उच्च वेतन प्राप्त पत्रकारों को नाम-मात्र किराये पर सरकारी आवास अलाट किये जाते हैं, वहां कम वेतन पाने वाले स्थानीय रिपोर्टरों और उप-सम्पादकों को इस सुविधा से वंचित रखा जाता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या स्थानीय रिपोर्टरों और उप-सम्पादकों को भी सरकार मकान अलाट करेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) तथा (ख) दिल्ली प्रेस रिपोर्टर संघ से ऐसा कोई अभ्यावेदन नहीं मिला है। तथापि, अत्यधिक कमी के कारण सरकारी आवास के प्रेस पूल के लिये और अधिक मकानों को उपलब्ध करना फिलहाल सम्भव नहीं है।

Employment for educated in Kerala in 1973-74

*777. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether Government of Kerala have formulated a Rs. 15 crores scheme to provide employment to 25 thousand educated young persons of the State during the year 1973-74, if so, the special features thereof;

(b) whether the State Government have asked for any kind of assistance from the Central Government for the implementation of the said scheme; and

(c) if so, the amount of assistance demanded and the reaction of the Central Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) to (c) The Government of Kerala had formulated employment schemes involving an outlay of Rs. 20.5 crores with employment potential of about 55,000 educated persons. These schemes comprise areas such as self-employment, training programmes, wage/salaried jobs in industries, cooperation, education and social services. The State Government had requested 100 per cent Central assistance for the implementation of this programme.

Preliminary discussions were held by the Central Government with the State Government. Various schemes involving lesser investment but providing more job opportunities were discussed and the State Government have been advised to revise their schemes in the light of the discussions. A final decision on the amount of Central assistance will be taken after considering the revised proposal from the State Government.

दिल्ली प्रशासन में सूचना और प्रचार निदेशक की नियुक्ति

*778. **श्री राज राज सिंह देव :**

श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन में सूचना और प्रचार निदेशक को संघ लोक सेवा आयोग की स्वीकृति के बिना ही नियुक्त कर दिया गया है;

(ख) क्या इस बारे में सरकार का ध्यान 15 मार्च, 1973 के 'इण्डियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आइ० के० गुजराल) : (ख) जी, हां।

(क) तथा (ग) श्री वी० के० त्यागी को, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश होने तक, तदर्थ आधार पर, 14 मार्च, 1973 को सूचना और प्रचार निदेशक नियुक्त किया गया था। आयोग ने इस पद पर उनकी नियुक्ति को 16 मार्च, 1973 को सिफारिश की।

तमिलनाडु में टायरों के निर्माण के लिये संयुक्त क्षेत्र में कम्पनी की स्थापना

*779. **श्री पी० गंगादेव :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु की संयुक्त क्षेत्र की एक कम्पनी तथा संयुक्त राज्य अमरीका की एक विख्यात फर्म के बीच मोटरगाड़ी, ट्रकों और स्कूटरों के टायर बनाने के लिये किसी करार पर हस्ताक्षर हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो करार की मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री सी० सुब्रह्मण्यम : (क) जी हां।

(ख) तमिलनाडु सरकार की एक संयुक्त उद्यम क्षेत्र की कम्पनी मैसर्स तमिलनाडु रबड़ लिमिटेड, मद्रास को 4 लाख टायर और ट्यूब (और उससे बढ़ कर अधिकतम 25 प्रतिशत तक) बनाने के लिये एक विख्यात अमरीकी फर्म के साथ तकनीकी सहयोग करने की अनुमति दी गई है। यह नया एकक निम्नलिखित शर्तों पर (पिछड़े क्षेत्र) रामनाथपुरम् जिले में स्थापित किया जाएगा।

(क) मोटर गाड़ियों के टायरों और ट्यूबों पर पहले 3 लाख की बिक्री (कराधीन) पर (2 प्रतिशत) की रायल्टी।

(ख) मोटर गाड़ियों के टायरों और ट्यूबों पर शेष 2 लाख की बिक्री (रकाधीन) पर 1 प्रतिशत की रायल्टी।

(ग) निर्यात बिक्री पर कराधीन 4 प्रतिशत रायल्टी। यह रायल्टी कुल उत्पादन के 10 प्रतिशत के अनिवार्य निर्यात के ऊपर ही देय होगी।

(घ) मोटर गाड़ियों के टायर और ट्यूब बनाने हेतु आकार और उत्पाद मिश्र की सुविधाओं के लिये प्रारम्भिक डिसक्लोजर फीस के लिये एकमुश्त 2 लाख अमरीकी डालर और इंजीनियरिंग तथा डाक्यूमेंटेशन के लिये आगे 2.5 लाख अमरीकी डालर का भुगतान करना।

(ङ) यदि संयंत्र और मशीनों के आयात के लिये सहयोग की मदद ली जाती है तो संयंत्र और मशीन के आयातित मूल्य के जहाज पर्यंत निःशुल्क पर 3 प्रतिशत अधिप्राप्ति शुल्क।

2. उपर्युक्त शर्तों पर मैसर्स तमिलनाडु रबड़ लि० ने अब अमरीकी फर्म के साथ एक करार कर लिया है और करार की प्रतियां सरकार के अनुमोदन हेतु भेज दी गई हैं।

औद्योगिक विकास की गति तेज करने के लिए औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या म वृद्धि

*780. **श्री राम प्रकाश :**
श्री मोहम्मद शरीफ :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक प्रत्यय तथा पूंजी निवेश निगम के चेयरमैन ने औद्योगिक विकास की वर्तमान धीमी गति का कारण लाइसेंस देने में विलम्ब बताया है और यह सुझाव दिया है कि वार्षिक जारी किये जाने वाले लाइसेंसों की वर्तमान संख्या को बढ़ा कर 2000 कर दिया जाए; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) औद्योगिक ऋण और निवेश निगम के अध्यक्ष ने कहा बताया गया है कि उद्योगों में आवश्यक निवेश के ऊंचे लक्ष्य की प्राप्ति की दृष्टि से और योजना में औद्योगिक उत्पादन की दर में वृद्धि करने के लिये वार्षिक 2000/2500 तक अधिक औद्योगिक लाइसेंस जारी करने पड़ेंगे।

(ख) द्रुत औद्योगिक विकास अनेक बातों पर निर्भर है जिनमें क्षमता का होना एक महत्वपूर्ण बात है। समय पर और द्रुत गति से पर्याप्त क्षमता का सृजन करने में न केवल पर्याप्त संख्या में लाइसेंस ही देने पड़ेंगे वरन् समय पर और शीघ्रता से कार्यान्वयन भी करना पड़ेगा। सरकार विशद् रूप से औद्योगिक वृद्धि के सम्बन्ध में नीतियों और प्रक्रियाओं की संवीक्षा करती रही है। औद्योगिक विकास मंत्रालय की 1972-73 की रिपोर्ट में इसका ब्यौरा दिया गया है।

सीनियर एनेलिस्ट के श्रेणी एक के पदों पर नियुक्त किये गए श्रेणी दो जूनियर सी० एस० एस० के अनुभाग अधिकारी

7336. **श्री झारखण्डे राय** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत चार कलैन्डर वर्षों में श्रेणी दो जूनियर सी० एस० एस० के कई अनुभाग अधिकारियों को श्रेणी एक के सीनियर एनेलिस्ट के पदों पर 6 महीने की अवधि से अधिक समय तक संघ लोक सेवा आयोग को उनके नाम भेजे बिना नियुक्त किया गया जिससे संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियमों का उल्लंघन होता है;

(ख) यदि हां, तो उन मंत्रालयों के नाम क्या हैं जिनमें ऐसी अनियमित नियुक्तियां की गईं तथा पहली जनवरी, 1968 के बाद ऐसी कितनी अनियमित नियुक्तियां की गई; और

(ग) क्या कार्मिक विभाग ने सम्बद्ध मंत्रालयों को यह सलाह दी थी कि ऐसी नियुक्तियां अनियमित हैं तथा इसके बाद उन्हें बन्द कर दिया जाए तथा नियमित किया जाए ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

Employees in Nepa Mills

7337. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) the total number of employees working in the office of the Nepa Mills in Madhya Pradesh; and

(b) the number of employees, who are getting a monthly salary of more than Rs. 500 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) 343.

(b) 65.

चौथी योजना के वित्त-पोषण के लिये राज्यों द्वारा जुटाए गए संसाधन

7338. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना के वित्त पोषण में सहायता के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के बारे में किन राज्यों ने केन्द्रीय सरकार को सूचित किया है; और

(ख) इस बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए सहयोग की रूप रेखा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) सभी राज्यों ने अपनी चौथी पंचवर्षीय योजनाओं के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाए हैं। किन्तु प्रत्येक राज्य के प्रयासों में अन्तर है।

(ख) समय-समय पर राज्य सरकारों को ऐसे उपाय सुझाए गए हैं जिनको अपनाने से अतिरिक्त संसाधनों में वृद्धि की जा सकती है। इसके अलावा ऐसे राज्यों सहित जिनके-गैर-योजना खाते में अपरिहार्य अन्तर है, सभी राज्यों को यह अनुमति दे दी गई है कि वे अतिरिक्त संसाधन जुटाने से होने वाली पूरी की पूरी आमदनी को अपने योजना परिव्यय के लिए वित्तीय व्यवस्था करने के वास्ते उपयोग में ला सकते हैं।

Scheme for providing employment to unskilled people in Madhya Pradesh

7339. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether Government of Madhya Pradesh have formulated a special scheme for providing employment to the unskilled persons and if so, the total amount required therefor; and

(b) whether Central Government have agreed to provide some financial assistance to the State for implementing the said scheme ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) and (b) Planning Commission has not received any specific proposals from the Government of Madhya Pradesh for providing employment opportunities exclusively for unskilled persons. However, under the Special Employment Programme formulated by the State Government in 1972-73 for which Central assistance amounting to Rs. 204 lakhs was extended to the State Government, various programmes meant both for skilled as well as unskilled categories of persons in rural and urban areas of the State were taken up. These schemes are proposed to be continued in 1973-74 and the Government of India have agreed to provide financial assistance of the same order as in 1972-73.

In addition, the Government of Madhya Pradesh had been allocated a sum of Rs. 525 lakhs for the Crash Scheme of Rural Employment in 1972-73. This amount has enabled the State to provide 8.6 million man-days of employment to unskilled persons from April to December, 1972. The same order of assistance is expected to be provided under this programme to the State Government in 1973-74.

Lokur Committee recommendations regarding recognition of castes and tribes in restricted area

7340. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) Whether the Lokur Committee appointed by the Government of India on 1st June, 1965 has recommended that area restriction for granting recognition to any caste, tribe within the jurisdiction of a State should be removed;

(b) whether it has also recommended not to put area restriction in regard to the proposed castes and tribes in the revised list contained in their report; and

(c) if so, the reaction of the Central Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin) : (a) and (b) The Lokur Committee has recommended the removal of 'area restrictions' except in the following cases.

(i) Where there are two socially distinct communities bearing the same name but only one of them has been found to be eligible for scheduling.

(ii) Where members of an ethnological group residing in certain areas satisfy the criteria for scheduling while members of the same group residing in other areas are not eligible.

(c) The entire question of revising the lists of Scheduled Castes and Scheduled Tribes is under consideration.

दिल्ली प्रशासन में अनुसूचित जातियों के लिये पदों का आरक्षण

7341. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन में 15 प्रतिशत पदों के सांविधिक आरक्षण की अपेक्षा केवल 10.8 प्रतिशत पदों पर ही अनुसूचित जातियों के व्यक्ति रखे गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्यों ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन में 30 सितम्बर, 1972 तक श्रेणी I, II, III, तथा IV पदों में कार्य कर रहे अनुसूचित जाति के कर्मचारियों का प्रतिशत 11.5 होता है। अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत आरक्षण एक वर्ष में होने वाली रिक्तयों के लिए है न कि दिल्ली प्रशासन के सम्पूर्ण पदों के लिए। 1972 के दौरान 30 सितम्बर, 1972 तक भरे गये पदों में अनुसूचित जातियों से संबंधित व्यक्तियों का प्रतिशत 19.43 था।

सम्पूर्ण प्रतिशत में कमी के निम्नलिखित कारण हैं :--

(i) अनुसूचित जाति के कुछ उपयुक्त उम्मीदवारों की श्रेणी iii के पदों में नियुक्ति के लिए बुलाया गया परन्तु वे पदों पर कार्य करने के लिए नहीं आए।

(ii) श्रेणी I के अनेक पद भारतीय प्रशासन सेवा भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा तथा केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के पद हैं और श्रेणी II के अनेक पदों का दिल्ली और अन्दमान व निकोबार द्वीप समूह सिविल तथा पुलिस सेवा संवर्ग बनाया गया है। इन पदों के लिए अलग-अलग संवर्ग में आरक्षण की व्यवस्था है इसलिए दिल्ली प्रशासन की अनुसूचित जातियों की वर्तमान संख्या अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में सही स्थिति नहीं बताती है।

(iii) इस अन्तर का एक कारण यह है कि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण मार्च, 1970 में 12½ प्रतिशत से बढ़ा कर 15 प्रतिशत किया गया था और आरक्षण एक वर्ष में होने वाली रिक्तियों के लिए है न कि पदों की सम्पूर्ण संख्या के लिए।

राजस्थान में झालावाड़ के सूखाग्रस्त जिले के लिये केन्द्रीय सहायता

7342. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में झालावाड़ (राजस्थान) के सूखाग्रस्त और आर्थिक रूप से पिछड़े जिले को वित्तीय सहायता दी है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए कितनी सहायता दी गई है ; और

(ग) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना में भी इस जिले को वित्तीय सहायता दी जाएगी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) चौथी योजना के दौरान केन्द्रीय सहायता राज्य के लिए समग्र रूप से एक मुश्त अनुदान तथा एक-मुश्त ऋण के रूप में आवंटित की जाती है तथा दी जाती है यह क्षेत्रीय या जिले के आधार पर नहीं दी जाती हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पांचवीं योजना अभी तैयार की जा रही है।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क कालोनी, नई दिल्ली में चोरी की घटनाओं में वृद्धि

7343. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में मुखर्जी पार्क कालोनी, नई दिल्ली में चोरी की घटनाओं में वृद्धि हुई है और क्या इस कालोनी के निवासियों में ऐसी घटनाओं के कारण भय व्याप्त है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन महीनों में महीनेवार, चोरी की कितनी घटानाएं हुई हैं और निकट भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की कई है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) एस० पी० मुखर्जी पार्क कालोनी, नई दिल्ली में गत तीन महीनों में (जनवरी से मार्च 1973 तक) चोरी का कोई मामला सूचित नहीं किया गया। इस क्षेत्र से इस अवधि के दौरान चोरी का एक मामला सूचित किया गया था जिसकी जांच-पड़ताल की जा रही है।

मदन पार्क, दिल्ली में सार्वजनिक टेलीफोन

7344. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-35 में मदन पार्क, छुन्नामल पार्क, मनोहर पार्क और जयदेव पार्क में कोई सार्वजनिक टेलीफोन नहीं है।

(ख) क्या सार्वजनिक टेलीफोन न होने से लगभग 10,000 लोगों को असुविधा हो रही है?

(ग) क्या उक्त कालोनियों में सार्वजनिक टेलीफोन लगाने का कोई प्रस्ताव है? और

(घ) यदि हां, तो यह टेलीफोन वहां कब तक लगा दिया जायेगा?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा): (क) अभी हाल ही में बनी चार नई कालोनियों मदन पार्क, छुन्नामल पार्क, मनोहर पार्क, और जयदेव पार्क में इस समय पी०सी०ओ० की कोई व्यवस्था नहीं है तथापि इन बस्तियों से करीब $\frac{1}{2}$ किलोमीटर की दूरी पर दो पी०सी०ओ० काम कर रहे हैं जिनके नम्बर 563485 और 563465 हैं।

(ख) और (ग) जनरल मैनेजर टेलीफोन, नई दिल्ली इस समय 50 से भी अधिक ऐसे प्रस्तावों की जांच कर रहे हैं।

(घ) इस इलाके में एक्सचेंज नं० 56 से टेलीफोन कनेक्शन दिये जाते हैं। इस एक्सचेंज में फिलहाल कोई अतिरिक्त पी०सी०ओ० देने की क्षमता नहीं है। तथापि जब इस एक्सचेंज की क्षमता बढ़ जाएगी और जमींदोज केबुल पेयर खाली हो जायेंगे तो पी०सी०ओ० खोलने का औचित्य सिद्ध होने पर इस इलाके में पी०सी०ओ० की व्यवस्था कर दी जाएगी।

भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड चार में सीधी भर्ती से रखे गए कर्मचारियों का वेतन निश्चित करने के लिये नियमों में ढील

7345. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1968 और 1969 में भारतीय सांख्यिकी सेवा के ग्रेड चार में सीधी भर्ती से रखे गये कर्मचारियों का वेतन निश्चित करने हेतु नियमों में ढील दी थी;

(ख) क्या उक्त सेवा के ग्रेड चार में चुने जाने से पूर्व केन्द्रीय सरकार की सेवा कर रहे व्यक्तियों के मामलों पर भी विचार किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार नियमों में दी गई ढील से कितने व्यक्तियों को लाभ हुआ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) वर्ष 1967 तथा 1969 में ली गई भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड चार में भर्ती के लिए सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के आधार पर नियुक्त किए गए भारतीय आर्थिक सेवा तथा भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड चार में सीधी भर्ती से रखे गए व्यक्तियों के सम्बन्ध में वेतन निश्चित करने

के सामान्य नियमों में उस सीमा तक ढील दी गई थी कि उन अधिकारियों के मामले में जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन स्थायी नियुक्तियों पर कार्य कर रहे हैं, उनके स्थानापन्न वेतन को संरक्षित रखा जाए ।

(ख) जी हां, श्रीमान ।

(ग) वर्ष 1967 तथा 1969 में ली गई परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड चार में नियुक्त किए गए किसी अधिकारी की, भाग (क) में उल्लिखित नियमों में दी गई ढील के अन्तर्गत, स्थानापन्न वेतन के संरक्षण के लिए पात्रता नहीं थी ।

भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड चार में काम करने वाले तदर्थ पदोन्नति प्राप्त कर्मचारी

7346. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड चार में काम करने वाले तदर्थ पदोन्नति-प्राप्त कर्मचारियों की कार्यालय-वार/विभाग-वार/मंत्रालय-वार कुल संख्या कितनी-कितनी है ;

(ख) ऐसे तदर्थ पदोन्नति-प्राप्त कर्मचारियों की संख्या क्या है जिनकी सेवा-अवधि 31 दिसम्बर, 1973 के बाद तक नहीं बढ़ाई गई है और ऐसे कर्मचारी कितने हैं जिनकी नियुक्ति अनिश्चित अवधि के लिए की गई है ;

(ग) उपरोक्त सभी कर्मचारियों के लिए समान प्रक्रिया न अपनाए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या उक्त ग्रेड में वेतन-वृद्धि के प्रयोजनार्थ तदर्थ पदोन्नति-प्राप्त कर्मचारियों को उनकी सेवा का लाभ नहीं दिया जा रहा है और यदि हां, तो क्यों और इन मामलों में सुधार करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) संघलोक सेवा आयोग के अनुमोदन से भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड चार के पदों में तदर्थ आधार पर काम करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या 116 है । विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों में कार्य कर रहे ऐसे अधिकारियों की संख्या संलग्न विवरण में दी जाती है । [ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल०टी० 4824/73]

(ख) तथा (ग) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित 116 अधिकारियों में से भारतीय सांख्यिकीय सेवा के संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा किसी भी अधिकारी की सेवा-अवधि को 30 जून, 1973 के बाद नहीं बढ़ाया गया है । ऐसे अधिकारियों, जिनकी नियुक्ति अनिश्चित अवधि के लिए की गई है, की संख्या और उपरोक्त सभी अधिकारियों के लिए समान प्रक्रिया न अपनाए जाने के कारणों के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है और इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा ।

(घ) उक्त ग्रेड के वेतनमान में वेतन-वृद्धि के प्रयोजनार्थ तदर्थ पदोन्नति प्राप्त-कर्मचारियों को उनकी सेवा का लाभ दिया जा रहा है ।

Development of Backward areas of M. P.

7347. **Shri G.C. Dixit** : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether the Central Government have been pressed to bring about radical changes in the policy reagarding speeding up the pace of industrialisation in backward areas like Madhya Pradesh; and

(b) whether Government have made any changes in their policy in this regard and, if so, the outlines thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Ziaur Rahman Ansari) : (a) and (b) Balanced regional development has been an important policy objective since the beginning of the Planning era and has been finding an increasingly important place in the plan formulations. During the period of the Fourth Plan special measures such as (i) Concessional Finance Schemes, (ii) 10% Outright grant or subsidy scheme, and (iii) Transport Subsidy Scheme were introduced to attract enterpreneurs to the selected backward districts/areas of the country including Madhya Pradesh.

Organisational and other changes necessary for the speedy development of industries in the selected backward areas are under consideration.

गोविन्दगढ़ के विश्व प्रसिद्ध सफेद बाघों पर डाक-टिकट जारी करना

7349. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गोविन्दगढ़ के विश्व प्रसिद्ध सफेद बाघों पर डाक-टिकट जारी करने का है, और

(ख) यदि हां, तो इस डाक-टिकट को कब जारी किया जाएगा ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) यह प्रस्ताव फिलटली सलाहकार समिति की चयन उप-समिति के सामने विचारार्थ पेश किया जाएगा।

स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा प्रधान मंत्री को दिया गया ज्ञापन

7350. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री के मैसूर के दौरे के समय स्वतंत्रता सेनानियों ने उन्हें एक ज्ञापन दिया था जिसमें केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा उन्हें सहायता देने में विलम्ब होने की शिकायत की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) पेंशन स्वीकृत करने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों के आवेदन पत्रों को शीघ्र निपटाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। 31 मार्च, 1973 तक प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की 15 अगस्त 1973 तक जांच करने और पात्र पाये गये अधिक से अधिक मामलों में पेंशन स्वीकृत करने का प्रस्ताव है। राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से भी शीघ्रातिशीघ्र अपनी रिपोर्ट भेजने तथा शीघ्र निपटाने के लिए सत्यापित मामलों की सूची भेजने का अनुरोध किया गया है।

राष्ट्रीय फिल्म नीति

7351. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फिल्म के परस्पर सम्बन्धित क्षेत्रों के विकास को देखते हुए क्या सरकार ने फिल्मों के सम्बन्ध में कोई 'राष्ट्रीय नीति' बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्म वीर सिंह): (क) तथा (ख) सरकार का समूचे फिल्म उद्योग के समन्वित विकास के लिए फिल्म परिषद् तथा सार्वजनिक क्षेत्र में एक बहुमुखी राष्ट्रीय फिल्म निगम के माध्यम से अनेक कदम उठाने का प्रस्ताव है।

Reservations for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Selection Grades

7352. **Shri Chhatrapati Ambesh** : Will the **Prime Minister** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3959 on 21st March, 1973 regarding selection grade for Scheduled Castes and Scheduled Tribes on the basis of separate seniority and state :

(a) whether Government have issued separate orders from time to time in regard to direct recruitment, confirmation, promotion and *ad-hoc* appointments;

(b) whether some departments /Ministries/ Delhi Administration etc. have requested in writing for obtaining the advice of the Government for giving/denying reservation in Selection Grade; and

(c) whether many Members of Lok Sabha have also requested in their letters to the Minister of State in the Department of Personnel that orders may be issued for reservation in Selection Grade and if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of state in the Ministry of Home Affairs and in the Department of personnel : (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) Yes, Sir.

(b) & (c) References have been received from the Ministry of Home Affairs and Ministry of Education and Social Welfare regarding application of the orders of reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes to promotion to the Selection Grades of certain Services. Three Members of Parliament have also addressed letters regarding reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for promotion to the Selection Grade of Teachers under the Delhi Administration. These cases are under examination in consultation with the Ministries concerned.

रविवार और दूसरे शनिवार को ड्यूटी पर लगाए गए सरकारी कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति छुट्टी देना

7353. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रविवार और दूसरे शनिवार को ड्यूटी पर लगाये गये सरकारी कर्मचारियों को इस के बदले में प्रतिपूर्ति छुट्टी दी जाती है ;

(ख) क्या कुछ मंत्रालयों/विभागों में इन दिनों काम करने वाले स्टाफ को पैसा दिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार सभी विभागों/मंत्रालयों में समान प्रक्रिया अपना कर इस विषमता को दूर करेगी और यदि नहीं, तो क्यों ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) से (ग) विद्यमान आदेशों के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि सरकारी कर्मचारियों और समान वर्गों के कर्मचारियों को, जिनकी रविवार और दूसरे शनिवार को पूरे निर्धारित कार्य-समय के लिए काम करने की अपेक्षा होती है, ऐसे कार्य के ऐवज में प्रतिपूर्ति छुट्टी दी जा सकती है। कुछ आपवादिक परिस्थितियों में जहां ऐसी प्रतिपूर्ति छुट्टी दिया जाना संभव नहीं है और उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र दिया जाता है तो वहां उन दिनों में किए गए काम के लिए समयोपरि भत्ते के रूप में नकद पैसा दिया जा सकता है। चूंकि कुछ मामलों में कार्य की अनिवार्यता के कारण प्रशासनिक दृष्टि से प्रतिपूर्ति छुट्टी दिया जाना व्यावहारिक नहीं होगा, इसलिए इन दिनों में किए जाने वाले काम के लिए

इस संबंध में समान प्रक्रिया अपनाना और प्रतिपूर्ति के लिए समयोपरि भत्ते के रूप में नकद पैसा देने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया जाना संभव नहीं होगा ।

Promotions in Delhi Police

7354. **Shri M.S. Purty :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether there are some such employees in Delhi Police as were recruited 20 years ago but are still working as Constabls; and

(b) if so, the number of such employees and the reasons for not giving them further promotion ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin) : (a) Yes, Sir.

(b) There are 1968 such constables who have not been promoted to the next higher grades of Selection Grade and Head Constable, since they could not qualify in the departmental test/selection in accordance with the provisions of the Punjab Police Rules/Standing Order.

Hand-Written Posters demanding Independent Kashmir seen in Capital

7355. **Shri M.S. Purty :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the news-item appearing in 'Pradeep' dated the 21st January, 1973 to the effect that hand-written posters demanding independent Kashmir were seen in the capital two days before the withdrawal of ban imposed on Kashmir Plebiscite Front; and

(b) if so, whether Government have made any effort to find out cluse in this regard ?

The Minister of Home Affairs (Shri Uma Shankar Dikshit) : (a) and (b) Government have seen this news-item. However, Jammu and Kashmir Government have intimated that no such posters were noticed in Srinagar.

ज्वार भाटे से बिजली पैदा करना

7356. श्री डी० वी० चन्द्र गौडा : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी समिति ने ज्वार भाटा सम्बन्धी आंकड़ों की जांच की है और देश का एक ऐसा नक्शा तैयार किया है जिसमें ज्वार भाटा से बिजली पैदा करने वाले संभावित क्षेत्रों को दिखाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ।

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी सुब्रह्मण्यम) : (क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति ने देश में ज्वार भाटे से विद्युत् उत्पन्न करने सम्बन्धी सामर्थ्य के मूल्यांकन के हेतु एक विशेषज्ञ दल की स्थापना की है। देश का एक ऐसा मानचित्र तैयार किया गया है जिसमें उन स्थलों को दर्शाया गया है जहां कि ज्वार भाटा का क्षेत्र ज्वार भाट के विद्युत् उत्पादन के लिए उपयुक्त है ।

(ख) यह विशेषज्ञ दल अभी विचार-विमर्श कर रहा है तथा अभी तक उन स्थलों का चयन नहीं कर पाया है जहां अनुसंधान और विकास कार्यक्रम को प्रारंभ किया जा सके ।

राजधानी में ट्रकों के टायरों की बिक्री

7357. श्री **बरक जार्ज** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने मार्च 1973 में राजधानी में मोटरों और ट्रकों के टायरों की बिक्री पर कोई प्रतिबंध लगाये थे; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) : जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

तकनीकी साइड में पदों के लिए प्रतियोगिताओं म विभागीय निम्न श्रेणी क्लर्कों और उच्च श्रेणी क्लर्कों को आयु और शैक्षिक योग्यता में रियायत देना।

7358. **श्री एम० एस० शिवस्वामी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या विभागीय उच्च श्रेणी क्लर्कों/निम्न श्रेणी क्लर्कों को तकनीकी साइड में उन पदों के लिए प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आयु अथवा शैक्षिक योग्यता के मामले में रियायत दी जाती है, जिनके कर्तव्यों को वे अपने-अपने मंत्रालयों में संतोषजनक ढंग से निभा सकते हों ;

(ख) यदि हां, तो रियायतों का सारांश क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्रीराम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) इस सम्बन्ध में कोई भी सामान्य आदेश नहीं है कि तकनीकी साइड के पदों में भर्ती के लिए विभागीय उच्च श्रेणी क्लर्कों, निम्न श्रेणी क्लर्कों को निर्धारित आयु अथवा शैक्षिक योग्यताओं के मामले में रियायत दी जायें। तकनीकी साइड के पदों पर अथवा उससे सम्बन्धित अन्य कोई भी पद, उन पदों के लिए भर्ती नियमों के उपबन्धों के अनुसार भरे जाने अपेक्षित हैं। यदि किसी तकनीकी पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में उस पद के कार्यों को दक्षतापूर्वक निभाने के लिए कतिपय शैक्षिक योग्यताओं का होना अनिवार्य समझा जाए और इस निमित्त सम्बद्ध भर्ती नियमों में वे योग्यताएं विधिवत निर्धारित की गई हैं तो निर्धारित योग्यताओं में रियायत देते हुए किसी विभागीय निम्न श्रेणी क्लर्क/उच्च श्रेणी क्लर्क की नियुक्ति करने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि इस बात पर विचार करते हुए कि वे व्यक्ति जो निर्धारित योग्यताएं नहीं रखते हैं, उस पद के कार्यों को संतोषप्रद ढंग से नहीं निभा सकेंगे। यदि विभागीय निम्न श्रेणी क्लर्क/उच्च श्रेणी क्लर्क जो तकनीकी पदों के लिए निर्धारित योग्यताएं रखते हों ऐसे मामले में जब तक विभागीय कर्मचारियों के बारे में भर्ती नियमों में रियायत देने के लिए विशेषरूप से स्वयं ही व्यवस्था नहीं कर दी जाती तब तक उन्हें भर्ती नियमों में निर्धारित आयु सीमा में कोई भी रियायत देना स्वीकार्य न होगा ।

आदिवासी अनुसंधान संस्थानों के कार्यों की जांच के लिये अध्ययन दल का गठन

7359. **श्री एस० एम० सिद्दया** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना के लिए पिछड़ वर्गों के कल्याण सम्बन्धी एक पैनल ने यह सिफारिश की थी कि आदिवासी अनुसंधान संस्थानों के कृत्यों तथा उनके वास्तविक कार्यकरण की जांच करने और आदिम जातियों के अतिरिक्त पिछड़े वर्गों की समस्याओं को इन संस्थानों के क्षेत्राधिकार में लाने की व्यवहार्यता की खोज करने और क्षेत्रीय संस्थानों के क्रियाकलापों में समन्वय स्थापित करने और कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए एक केन्द्रीय अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने की आवश्यकता की जांच करने के लिए एक अध्ययन दल का गठन किया जाये :

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन सी मुख्य सिफारिशें की गई हैं ; और उन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा अभी तक केन्द्रीय अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना न करने के क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी हां।

(ख) जनजाति अनुसंधान संस्थानों से सम्बन्धित अध्ययन दल की मुख्य सिफारिशें संलग्न हैं। [ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल०टी० 4825/73] अध्ययन दल की सिफारिश पर गृह मंत्रालय ने एक केन्द्रीय अनुसंधान सलाहकार परिषद का गठन किया है। अध्ययन दल की सिफारिशें भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद, शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय सामुदायिक विकास संस्थान, जनजाति अनुसंधान संस्थानों तथा जनजाति अनुसंधान संस्थान वाले सभी राज्यों में प्रचालित की गई हैं।

(ग) केन्द्रीय अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान गठित करने के प्रश्न पर अध्ययन दल ने सावधानी पूर्वक विचार किया। इस प्रकार के संस्थान द्वारा किए जाने वाले कार्यों की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए अध्ययन दल ने महसूस किया कि ये कार्य उतनी ही कुशलतापूर्वक केन्द्र में समाज कल्याण विभाग (अब गृह मंत्रालय) में जनजाति अनुसंधान संस्थानों से सम्बन्धित केन्द्रीय अनुसंधान सलाहकार परिषद कर सकती है। भारत सरकार ने यह सिफारिश मान ली और अपने दिनांक 28 नवम्बर 1972 के संकल्प संख्या 12/5/72-आर०यू० द्वारा जनजाति अनुसंधानों से सम्बन्धित एक केन्द्रीय अनुसंधान सलाहकार परिषद् का गठन किया ।

सिगरेट उद्योग में विदेशी तथा भारतीय पूंजी निवेश

7360. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री सिगरेट, उद्योग में विदेशी तथा भारतीय पूंजी-निवेश के बारे में 21 मार्च, 1973 के तारांकित प्रश्न संख्या 411 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सिगरेट उद्योग में इक्विटी पूंजी के रूप में कम्पनी-वार विदेशी और भारतीय पूंजी निवेश का ब्योरा क्या है; और

(ख) प्रत्येक विदेशी तथा भारतीय कम्पनी की निश्चित आस्तियों (फिक्सड एसेट्स) क पूंजीगत मूल्य का ब्योरा क्या है।

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख)

विदेशी और भारतीय कंपनियों की इक्विटी पूंजी तथा अचल आस्तियों के संबंध में ब्योरा निम्न प्रकार है :--

क्रमांक	फर्म का नाम	इक्विटी पूंजी		शुद्ध अचल आस्तियां
		विदेशी	भारतीय	
		(रुपये लाखों में)		(रुपये लाखों में)
1.	मै० इण्डियन टोबाको कं० (पहले इम्पीरियल टोबाको कं०), कलकत्ता . .	1417.45	477.58	764.38
2.	मै० वजीर सुल्तान टोबाको कं० लि०, हैदराबाद	135.91	64.09	206.47
3.	मै० गोडफ्रे फिलिप्स (इण्डिया) लि०, बंबई	55.62	4.38	110.51
4.	मै० नेशनल टोबाको कं०, बंबई .	9.16	70.81	79.91
5.	मै० डी० मैक्रोपोलो एण्ड कं०, बंबई	5.80	10.90	11.18
6.	मै० गोल्डन टोबाको कं०, बंबई .	—	180.00	199.54
7.	*मै० मास्टर्स टोबाको (इण्डिया), बंबई	—	12.51	3.37
8.	मै० क्राउन टोबाको कं०, बंबई .	—	7.00	उपलब्ध नहीं
9.	मै० हैदराबाद दक्खन सिगरेट फैक्टरी, हैदराबाद	एकायत्त कंपनी है तथा शेयर जारी नहीं किए गए हैं।		
10.	मै० इन्टरनेशनल टोबाको कं०, गाजियाबाद	—	19.99	29.32
11.	मै० यूनिवर्सल टोबाको कं०, हैदराबाद .	—	15.00	6.50

अचल आस्तियों में गुडबिल शामिल नहीं है।

*मास्टर टोबाको कं० (इण्डिया) गमुदिया फेक्टरीज लि०, बंबई का ही एक एकक है। अचल आस्तियां केवल इसी एकक की हैं।

एन०ए०--उपलब्ध नहीं।

पिछड़े जिलों में उद्योगों की स्थापना करने हेतु उपक्रमियों द्वारा एजेंसी के पास जाना

7361. **श्री भागीरथ भंवर** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछड़े जिलों में उद्योगों की स्थापना हेतु उपक्रमियों को आरम्भ में किस एजेंसी के पास जाना चाहिए?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : चुने हुए पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने हेतु उद्यमियों को शुरू में सम्बन्धित राज्य और संघ क्षेत्र के जिला उद्योग अधिकारी अथवा उद्योग निदेशक के प्रतिनिधि के पास जाना पड़ता है।

देश में क्राकरी का निर्माण करने वाले एकक

7362. **श्री भागीरथ भंवर** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में क्राकरी का निर्माण करने वाले कितने एकक हैं ;

(ख) कारीगरी उद्योग को उचित और बेहतर संगठन सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) मिट्टी के बर्तनों के निर्माताओं को सुधारी हुई किस्मों तथा बेहतर डिज़ाइनों के लिए क्या विशेष सुविधायें देने का प्रस्ताव है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) तकनीकी विकास के महानिदेशालय की सूची में 16 और लघु उद्योग क्षेत्र में लगभग 125 कारीगरी बनाने वाले एकक हैं।

(ख) और (ग) गुणवत्ता और बेहतर डिज़ाइन के लिए विदेशी सहयोग और देश में न बनने वाले उपकरणों के लिए आयात करने की अनुमति भी दी जाती है।

लघु उद्योग क्षेत्र के एककों के लिए कार्यरत औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने, सामान्य सुविधा केन्द्र कर्मचारियों के प्रशिक्षण तथा प्रक्रिया उत्पादन/गुणवत्ता संबंधी जांच प्रयोगशालाएं बनाने के लिए विचार किया जा रहा है ।

पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के पिछड़े क्षेत्रों में डाकघर

7363. **श्री पन्नालाल बारूपाल** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के पिछड़े क्षेत्रों में कितने डाकघर खोले जाएंगे, और

(ख) क्या नंगल बांध के नए बड़े बस-अड्डे पर वहां की जनता की आवश्यकता पूर्ति के लिए नया डाकघर खोला जाएगा ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) :

(क) पंजाब में--कोई नहीं
हिमाचल प्रदेश में--30
राजस्थान में--10 ।

डाक सुविधाओं का विस्तार करने के उद्देश्य से पंजाब राज्य में किसी भी इलाके को "बहुत पिछड़ा" इलाका घोषित नहीं किया गया है।

(ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

आन्ध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में मुल्की की परिभाषा

7364. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 8 मार्च, 1973 के नई दिल्ली से प्रकाशित होने वाले नेशनल हैराल्ड में 'हूं आर मुल्कीज इन तेलंगाना रीजन' 'इन द स्टेट आफ आन्ध्र प्रदेश' (आन्ध्र प्रदेश राज्य के तेलंगाना क्षेत्र में मुल्की कौन है) शीर्षक के अन्तर्गत छपे सम्पादकीय लेख पर ध्यान दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तेलंगाना क्षेत्र में मुल्की की परिभाषा के बारे में आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अबुल रेड्डी के हाल के निर्णय पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) सरकार ने सम्पादकीय लेख को देखा है।

(ख) निर्णय की पेचीदा बातों का अध्ययन किया जा रहा है ।

अस्पृश्यता निवारण (अपराध) अधिनियम के अधीन दिल्ली में विचाराधीन मामले

7365. **श्री ए० एस० कस्तूर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों से अस्पृश्यता निवारण (अपराध) अधिनियम के अधीन कितने मामले दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में विचाराधीन हैं ;

(ख) ये मामले कब-कब दायर किए गए थे और ट्रायल न्यायालय द्वारा इन पर कब-कब अपना निर्णय दिया गया ; और

(ग) कितने मामलों में अभियुक्तों को दण्ड दिया गया ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) :(क) से (ग) वर्तमान में न्यायालयों में विचारण के लिए 3 मामले विचाराधीन हैं। गत 3 वर्षों में अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 के अधीन मामलों के निपटान के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय (फालतू कर्मचारी) सैल द्वारा परमाणु ऊर्जा विभाग को नामनिर्दिष्ट फालतू उच्च श्रेणी क्लर्क

7366. **श्री आर० बी० बड़े** : क्या **प्रधान मंत्री** केन्द्रीय फालतू कर्मचारी सैल में फालतू कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति के लिए अपनाई जा रही प्रक्रिया के बारे में 30 अगस्त, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4159 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रथम अक्तूबर, 1971 को क्षेत्रीय बन्दोबस्त आयुक्त, बम्बई के कार्यालय में फालतू घोषित कर दिए जाने पर कुछ उच्च श्रेणी क्लर्कों को केन्द्रीय (फालतू कर्मचारी) सैल द्वारा निर्धारित सरकारी प्रक्रिया के अनुसार परमाणु ऊर्जा विभाग बम्बई में नामनिर्दिष्ट कर दिया गया था ;

(ख) क्या ये आदेश बाद में सैल प्राधिकारियों द्वारा बदल दिए गए थे और उक्त कर्मचारियों को आयकर आयुक्त, बम्बई के कार्यालयों में पुनः नामनिर्दिष्ट कर दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो क्या ये पुनर्नामनिर्देशन निर्धारित प्रक्रिया के विरुद्ध हैं ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमन्।

(ख) उपरोक्त भाग (क) में निर्दिष्ट किसी भी उच्च श्रेणी क्लर्क को आयकर आयुक्त, बम्बई के कार्यालय में पुनः नामनिर्दिष्ट नहीं किया गया था ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय फालतू कर्मचारी सैल को केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों द्वारा सूचित निम्न श्रेणी क्लर्कों के रिक्त स्थान

7367. **श्री आर० वी० बड़े** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1970 से 30 सितम्बर, 1970 (तारीखवार) तक कौन-कौन से केन्द्रीय सरकारी कार्यालय/विभाग ने निम्न श्रेणी क्लर्कों के कितने कितने रिक्त पदों की सूचना केन्द्रीय फालतू कर्मचारी सैल को दी ;

(ख) प्रत्येक कार्यालय विभाग ने उक्त श्रेणी के रिक्त पदों (आरक्षित तथा अरक्षित) की सूचना उक्त अवधि में किस-किस तारीख को भेजी; और

(ग) किन-किन कार्यालयों को इस आशय के अनापत्ति 'प्रमाण-पत्र' दिए गए कि केन्द्रीय मूल में 1 अप्रैल, 1970 से 30 सितम्बर, 1970 तक कोई भी फालतू निम्न श्रेणी क्लर्क नामनिर्देशन के लिए उपलब्ध नहीं था ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

Number of Pakistani Nationals gone underground in M.P. State

7368. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Pakistani nationals traced out in Madhya Pradesh on 31st March, 1972 out of 164 underground Pakistani nationals and the number of those out of them, who have been deported; and

(b) the number of the underground nationals district-wise ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Surrender of Underground Nagas

7369. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of underground Nagas arrested in various parts of the country during the last five months and the number of Nagas who surrendered voluntarily during the said period ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) According to information furnished by the Governments of Nagaland and Manipur, 479 Naga rebels were arrested and 791 Naga rebels have surrendered voluntarily between 1st November, 1972 and 31st March, 1973.

वर्ष 1972-73 में केरल में दिये गए टेलीफोन कनेक्शन

7370. **श्री वयालार रवि** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 में केरल में कितने टेलीफोन कनेक्शन दिये गए और कितने आवेदन अभी बकाया हैं; और

(ख) इस सर्कल में पर्याप्त टलीफोन एक्सचेंज उपकरण और अन्य आवश्यक सामान जुटाने में कितनी प्रगति हुई है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) वर्ष 1972-73 में दिए गए टेलीफोन कनेक्शनों की कुल संख्या 6,387 है।

अनिर्णीत अर्जियों की संख्या 11,358 है।]]

(ख) वर्ष 1972-73 के दौरान केरल सर्किल में विभिन्न एक्सचेंज प्रणालियों की क्षमता में कुल 7400 लाइनें और जोड़ी गई थीं।

अन्य अपेक्षित जरूरी साज-सामान भी यथासंभव सर्किल को अलाट किया जा रहा है।

शाहदरा में हुए दंगों के कारणों की जांच करने के लिये नियुक्त आयोग का प्रतिवेदन

7371. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शाहदरा में हुए दंगों के कारणों की जांच करने के लिए नियुक्त आयोग ने इस बीच अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमान। आयोग से अप्रैल, 1973 के अन्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आशा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पश्चिम बंगाल में टसर सिल्क का उत्पादन

7372. **श्री गदाधर साहा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद और बीरभूम में टसर सिल्क उद्योग के सुधार और विकास के लिए अब तक क्या किया गया है ;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को सिल्क उद्योग का समुचित अध्ययन और विकास करने तथा उपादान की उचित पैदावार के लिए एक योजना बनाने की सलाह दी गई है और यदि हां, तो अब तक इस उद्योग ने कितनी प्रगति की है; और

(ग) किन-किन योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय सहायता मांगी गई है अथवा मांगी जा रही है और दी जा रही है तथा कितनी धन राशि दी गयी है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) मुर्शिदाबाद ज़िले में टसर रेशम का उत्पादन नहीं होता है। बीरभूम जिले में टसर में सुधार करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। रोगमुक्त टसर के बीजों का एक भंडार गृह और उन्नत मशीनों पर टसर की कताई हेतु प्रशिक्षण देने के लिए एक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की गई है।

(ख) और (ग) पश्चिम बंगाल राज्य में टसर उद्योग के विकास की एक योजना है। इस योजना का उद्देश्य टसर रेशम के कीड़े पालने के सुधरे तरीकों का प्रदर्शन करना तथा कीड़े पालने वालों को रोगमुक्त टसर के अण्डे वितरित करना है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में इस पर 1.57 लाख रुपए खर्च हुए थे। वर्ष 1973-74 के दौरान इस वर्ष की 'योजना' के अंतर्गत हुए आवंटन में से राज्य सरकार द्वारा 50,000 रु० की व्यवस्था की जायगी ।

पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ाया जाना

7373. **श्री गदाधर साहा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित कितने शाखा डाकघरों तथा उप-डाकघरों को प्रधान डाकघरों में बदला जा रहा है, उनका दर्जा बढ़ाया जा रहा है तथा दर्जा बढ़ाये जाने के लिए क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं ;

(ख) एन० आर० मनी डिपोजिट योजना के अन्तर्गत (शाखा) डाकघर खोलने के लिए क्या कसौटी बनाई गई है ; और

(ग) वर्तमान डाकघरों के अन्तर्गत क्षेत्र की डाक सम्बन्धी आय निर्धारित करके नये डाकखाने खोलने के प्रस्तावों की विभागीय जांच के दौरान क्या मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुसरण किया जाएगा ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) ऐसे डाकघरों की संख्या जिनका वर्ष 1973-74 के दौरान दर्जा बढ़ाकर उन्हें उप डाकघर बनाने का प्रस्ताव है--

ऐसे उप डाकघरों की संख्या जिनका वर्ष 1973-74 के दौरान दर्जा बढ़ा कर उन्हें मुख्य डाक घर बनाने का प्रस्ताव है—कोई नहीं।

डाकघरों का दर्जा बढ़ाने के लिए निर्धारित शर्तें :--

शाखा डाकघर का दर्जा बढ़ाकर उसे विभागेतर उप डाकघर बनाने में	दर्जा बढ़ाये जाने के बाद उस डाकघर में काम का भार रोजाना तीन घण्टे से कम नहीं होना चाहिए और प्रस्तावित डाकघर को वित्तीय दृष्टि से आत्म निर्भर होना चाहिए।
शाखा डाकघर/विभागेतर उप-डाकघर का दर्जा बढ़ाकर उसे विभागीय उप डाकघर बनाने में।	दर्जा बढ़ाये जाने के बाद उस डाकघर में काम का भार रोजाना 5 घंटे से कम नहीं होना चाहिए और दर्जा बढ़ाने में सालाना घाटा देहाती क्षेत्रों में 1000 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 500 रुपये से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
उप डाकघर का दर्जा बढ़ा कर उसे मुख्य डाकघर बनाने में।	किसी उप डाकघर का दर्जा उसी हालात में बढ़ाया जाता है जब कि ऐसा करने से उसके मुख्य डाकघर को राहत मिले और डाक-व्यवस्थाओं तथा डाकघरों की वित्तीय हालत में सुधार हो। किसी मुख्य डाकघर को दो भागों में तभी विभाजित किया जाता है जब उसके लेखा क्षेत्र में आने वाले डाकघरों की संख्या 60 से ज्यादा हो जाय। पिछड़े जिलों के मामले में इस मानदंड में ढील बरती जा सकती है।

(ख) चंदे के तौर पर वसूली के आधार पर शाखा डाक-घर खोलने के लिए जो कसौटी है उसका उल्लेख अनुबन्ध 'क' में किया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 4828/73]

(ग) प्रस्तावित और मूल डाकघरों की आमदनी डाक-तार विभाग द्वारा निर्धारित एक फार्मूले के आधार पर निकाली जाती है। इस फार्मूले का उल्लेख अनुबन्ध 'ख' में किया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 4826/73]

पश्चिम बंगाल से पांचवीं योजना में इसके भाग के बारे में सलाह

7374. **श्री गदाधर साहा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से पांचवीं योजना पर व्यय में उसके भाग के बारे में विचार-विमर्श किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस राज्य के लिए कुल कितना परिव्यय होगा; और

(ग) पश्चिम बंगाल को क्या योजनाएं बनाने की सलाह दी गई है तथा इस पर कब तक अंतिम निर्णय किया जायगा ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) पश्चिमी बंगाल सरकार ने अभी अपनी पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को अंतिम रूप देना है।

(ग) योजना आयोग ने राज्यों को सामान्य निर्देशन जारी किए हैं जिसका उद्देश्य 'पांचवीं योजना के प्रति दृष्टिकोण' में निरूपित राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के बारे में उनको सलाह देना तथा चौथी योजना में प्राप्त अनुभव, जनता की अकांक्षाओं, रोजगार को बढ़ाने तथा सबसे अधिक गरीब वर्गों और पिछड़े क्षेत्रों की दशाओं को सुधारने की आवश्यकता के आधार पर एक समाकालित नीति तैयार करना है।

मंदिरों से चुराई गई मूर्तियां

7375. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर तथा दक्षिण के उन मंदिरों के नाम क्या हैं जहां से मूर्तियां चोरी हुई हैं और उनमें से गत वर्ष कितनी मूर्तियां बरामद कर ली गई हैं और कितनी मूर्तियों का पता नहीं लगा है ?

(ख) कितने व्यक्ति बन्दी बनाये गये ;

(ग) क्या इस कार्य में विदेशियों का भी कुछ हाथ रहा है ; और

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) केन्द्रिय जांच ब्यौरो के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1972 में उत्तर और दक्षिण भारत दोनों से मूर्तियों की चोरीयों के 299 मामले सूचित किये गये थे। अलग-अलग मन्दिरों के नामों के बारे में जहां से ये मूर्तियां चुराई गई थी, फिलहाल कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। बरामद की गई मूर्तियों की संख्या समेत चुराई गई मूर्तियों की कुल संख्या का विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 4827/73]

(ख) उपलब्ध सूचना से ऐसा मालूम पड़ता है कि वर्ष 1972 के दौरान चुराई गई मूर्तियों समेत सांस्कृतिक सम्पत्ति की चोरियों के विभिन्न मामलों में 188 व्यक्ति अंतर्गस्त थे। मूर्ति चोरी के लिए की गई गिरफ्तारियों की ठीक संख्या उपलब्ध नहीं है।

(ग) जी नहीं, श्रीमन्।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त के नई दिल्ली कार्यालय में फालतू घोषित उच्च श्रेणी लिपिकों का केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो नई दिल्ली को नामनिर्देशित

7376. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री आर० बी० बड़े :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 अप्रैल, 1971 को मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त के कार्यालय, पुनर्वास विभाग, नई दिल्ली में फालतू घोषित किए गए उच्च श्रेणी लिपिकों का केन्द्रीय हिन्दी अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली को नामनिर्देशन के आदेश सम्बन्धित फाइल में दे दिए गए थे ;

(ख) क्या ये आदेश बाद में बदल दिए गए और कार्मिक विभाग के पत्र (आदेश) संख्या 4/11/73-सी एस III के अनुसार उपरोक्त लिपिक मई, 1971 में आयकर आयुक्त, दिल्ली के कार्यालय को पुनः नामनिर्दिष्ट किए गए; और

(ग) यदि हां, तो उसी कार्यालय में 31 मई, 1972 से फालतू घोषित उच्च श्रेणी लिपिकों को परिवर्तन की अनुमति नहीं दी गई ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमन्।

(ख) तथा (ग) 1 अप्रल, 1971 को मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त, पुनर्वास विभाग, नई दिल्ली के कार्यालय से फालतू घोषित किए गए उच्च श्रेणी लिपिकों को नव-गठित केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो के कार्यालय में उनके द्वारा सूचित रिक्तियों में उच्च श्रेणी लिपिकों के पदों पर खपाए जाने के लिए नामनिर्दिष्ट किया गया था। बाद में यह बता चला कि उक्त ब्यूरो में सम्पूर्ण कार्य हिन्दी में ही करना आवश्यक था तथा क्योंकि इन फालतू उच्च श्रेणी लिपिकों के पास हिन्दी का अपेक्षित ज्ञान नहीं था, अतः ब्यूरो ने अपने अधीन सेवा के लिए उन्हें उपयुक्त नहीं समझा। अतः उन्हें आयकर आयुक्त दिल्ली के कार्यालय में उस समय सूचित की गई उपलब्ध उच्च श्रेणी लिपिक की सामान्य अनारक्षित रिक्तियों के लिए पुनः नामनिर्दिष्ट किया गया। 31-5-1972 को अपराह्न मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त, पुनर्वास विभाग, नई दिल्ली के कार्यालय से फालतू घोषित किए गए उच्च श्रेणी लिपिकों के सम्बन्ध में स्थिति भिन्न थी। यह सभी फालतू उच्च श्रेणी लिपिक सामान्य अनारक्षित वर्ग से सम्बन्धित थे जबकि उस समय आयकर आयुक्त, दिल्ली के कार्यालय में सूचित की गई उपलब्ध रिक्तियां सभी अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए आरक्षित थीं। इन सामान्य अनारक्षित वर्ग के उच्च श्रेणी लिपिकों को अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए आरक्षित उच्च श्रेणी लिपिक के ग्रेड वाली रिक्तियों में खपाया जाना संभव नहीं था। अतः उन्हे उस समय दिल्ली में अन्य कार्यालयों में सूचित की गई उच्च श्रेणी लिपिक के ग्रेड में उपलब्ध अनारक्षित रिक्तियों के लिए नामनिर्दिष्ट किया गया जहां पर उन्हें अन्ततः खपा लिया गया ।

1971-72 में अत्यावश्यक वस्तुओं की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में कमी

7377. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1971-72 में, उससे पिछले वर्ष की तुलना में अन्न, दालें, चने, खाद्य तेलों, चीनी और सूती कपड़े जैसी आम प्रयोग की आवश्यक वस्तुओं की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो 1971-72 में इन वस्तुओं की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में कितनी कमी आई है; और

(ग) कमी आने के क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) आम प्रयोग की अत्यावश्यक वस्तुओं की प्रति व्यक्ति उपलब्धता के तुलनात्मक आंकड़े आर्थिक सर्वेक्षण 1972-73 में दिये गए हैं। तथापि इन्हें संलग्न अनुबन्ध 1 में दे दिया गया है।

इस अनुबन्ध से यह देखा जा सकता है कि अन्न तथा वनस्पति की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कुछ अधिक रही है जब कि दाल, चने, चीनी तथा सूती कपड़े के संबंध में यह कुछ कम हुई है तथा मानव निर्मित वस्त्र के संबंध में यह वैसी ही बनी रही है। तथापि खाद्य तेलों में आई कमी महत्व का विषय है।

(ग) आर्थिक सर्वेक्षण 1972-73 में इस कमी के कारणों पर विचार किया गया है।

विवरण अनुबन्ध—1

ग्राम प्रयोग की आवश्यक वस्तुओं की प्रतिव्यक्ति उपलब्धता

मद	वर्ष में शुद्ध प्रतिव्यक्ति उपलब्धता		वर्ष 1971 के मुकाबले वर्ष 1972 में शुद्ध प्रतिव्यक्ति उपलब्धता में बढ़ोतरी (+) कमी (—) की प्रतिशतता
	1971	1972	
1	2	3	4
अन्न (किलोग्राम)	152.5*	153.1*	+0.4
चना (किलोग्राम)	7.4	7.1	—4.1
दालें (किलोग्राम)	18.7*	17.2	—8.0
चीनी (किलोग्राम)	7.3	6.7	—8.1
खाद्य तेल (किलोग्राम)	3.3†	2.74†	—18.2
वनस्पति (किलोग्राम)	1.0†	1.1†	+10.0
सूती कपड़ा (मीटरों में)	15.2	14.1	—7.2
मानव निर्मित वस्त्र (मीटर)	1.9	1.9	—

*नवीनतम आंकड़े/अन्य आंकड़े आर्थिक सर्वेक्षण 1972-73 के अनुसार।

†वित्तीय वर्ष के आंकड़े।

ग्रामीण बेरोज़गारी सर्वेक्षण

7378. श्री इन्द्रजीत गुप्त :

श्री एम० कतामुतु :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात का कोई अनुमान लगाया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कितने लोग बेरोज़गार और अल्प बेरोज़गार प्राप्त हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) देश भर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार, बेरोज़गारी और अल्प रोजगार संबंधी आंकड़ों का संग्रह करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा अक्तूबर, 1972 से एक प्रतिदर्श सर्वेक्षण किया जा रहा है। उक्त सर्वेक्षण का क्षेत्रीय संकार्य संभवतः सितम्बर, 1973 तक पूरा हो जाएगा, जिसके बाद आंकड़ों के विश्लेषण का कार्य हाथ में लिया जाएगा।

आकाशवाणी के कर्मचारियों के सम्बन्धियों को नैमित्तिक आर्टिस्टों के रूप में लगाना

7379. **श्री धन शाह प्रधान** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में गत एक वर्ष में आकाशवाणी और टेलीविज़न केन्द्र के विभिन्न कार्यालयों में कितने नैमित्तिक आर्टिस्टों को 14 दिन से अधिक के लिये नियुक्त किया गया; और

(ख) इनमें से कितने आर्टिस्ट आकाशवाणी कर्मचारियों एवं स्टाफ आर्टिस्टों के सम्बन्धी हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्म वीर सिंह): (क) 40

(ख) 5

दिल्ली पुलिस के एक डी० एस० पी० और एक ए० एस० आई० के विरुद्ध आरोप

7380. **मौलाना इसहाक सम्भली** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह मंत्रालय एवं केन्द्रीय जांच ब्यूरो को एक डी० एस० पी० तथा एक ए० एस० आई० के विरुद्ध उनके द्वारा सरकारी भूमि पर मकान बनाने के बारे में कोई याचिका प्राप्त हुई है;

(ख) क्या दिल्ली नगर निगम आयुक्त ने भी दिल्ली के डी० एस० पी० और ए० एस० आई० की उक्त कार्यवाहियों के संबंध में आलोचनात्मक टिप्पणियां की हैं;

(ग) क्या इस विषय में कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमन् ।

(ख) और (ग) जी हां, श्रीमन् ।

(घ) जांच से ए० एस० आई० और डी० एस० पी० द्वारा कुछ अनधिकृत निर्माणों का पता चला है । अनधिकृत निर्माण का एक भाग दिल्ली नगर निगम द्वारा गिरा दिया गया है, शेष अनधिकृत निर्माण को गिराने की कार्यवाही न्यायालय के आदेश के अनुसार रोक दी गई है और मामला सुपुर्द कर दिया गया है । ए० एस० आई० नौकरी से रिटायर हो गया है ।

दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों को चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति

7381. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन में कितने कर्मचारियों ने वर्ष 1970-71 और वर्ष 1971-72 के दौरान चार हज़ार रुपये से अधिक धनराशि की चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में मांग की है;

(ख) क्या सरकार क्षतिपूर्ति की इतनी बड़ी राशि को उचित समझती है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) दिल्ली प्रशासन के किसी भी कर्मचारी ने 1970-71 और 1971-72 के वर्षों के दौरान 4,000 रुपये से अधिक चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में मांग नहीं की है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

इंजैक्शन की शीशियों की कमी

7382. **श्री पी० गंगादेव :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इंजक्शन की शीशियों की कमी पेश आ रही है;

(ख) क्या औषध निर्माण एककों को इन दिनों कांच की शीशियां प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है; और

(ग) गैस आक्सीजन की कमी को दूर करने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) औषधि निर्माण उद्योग की इंजैक्शन की शीशियों की आवश्यकता पूरी करने में अनुभव की जा रही कठिनाइयों के बारे में सरकार को जानकारी नहीं है।

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में अपेक्षित आक्सीजन गैस की प्रतिवर्ष 180 मि० क्यू० मीटर अस्थायी लक्ष्य के मुकाबले में, लाइसेंसीकृत क्षमता 82.8 मि० क्यू० मीटर प्रतिवर्ष है और अधिष्ठापित क्षमता 75.1 मि० क्यू० मीटर प्रतिवर्ष है। विभिन्न उद्यमियों को आशयपत्र और पंजीकरण प्रमाणपत्र देकर 68.7 मि० क्यू० मीटर प्रतिवर्ष आक्सीजन गैस की अतिरिक्त क्षमता के लिये भी स्वीकृति दी जा चुकी है। 221.00 मि० क्यू० मी० प्रतिवर्ष आक्सीजन गैस की कुल क्षमता के आवेदन पत्रों पर विचार किया जा रहा है।

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के प्रबन्ध निदेशक की शक्तियों का प्रत्यायोजन

7383. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या विधि विभाग में कम्पनी कार्य विभाग के इस विचार की पुष्टि कर दी है कि राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के निदेशक बोर्ड द्वारा प्रबन्ध नियंत्रक को किया गया शक्तियों का प्रत्यायोजन कानूनी नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रबन्ध निदेशक द्वारा गलत प्रत्यायोजित शक्तियों के अन्तर्गत किये गए निर्णयों को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि० के निदेशक बोर्ड ने अपने संकल्प दिनांक 28 अक्तूबर, 1968 के द्वारा प्रबन्ध निदेशक को कुछ शक्तियां प्रत्यायोजित की हैं। समवाय कार्य विभाग और विधि मंत्रालय द्वारा शक्तियों के प्रत्यायोजन के बारे में एक तकनीकी कमी बताई गई है। यद्यपि रा० औ० वि० नि० लि० के संस्था नियमों में उल्लिखित लगभग सभी शक्तियां निदेशक बोर्ड में निहित हैं, परन्तु प्रबन्ध निदेशक को शक्तियों का प्रत्यायोजन करने के बारे में निदेशक बोर्ड के लिये कोई विशेष प्रबन्ध व्यवस्था नहीं है। तदनुसार, निगम को सूचित कर दिया गया है कि प्रबन्ध निदेशक को इन शक्तियों का प्रयोग नहीं करना चाहिये।

न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने सम्बन्धी निर्णय की क्रियान्विति

7384. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों ने न्यायपालिका को कायपालिका से अलग करने सम्बन्धी सरकार के निर्णय को क्रियान्वित कर दिया है;

(ख) यदि नहीं, तो किन किन राज्यों ने इसे अभी तक क्रियान्वित नहीं किया है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) अभी नहीं, श्रीमन्। गुजरात, हरियाणा, जम्मू और काश्मीर (पुंछ और राजौरी ज़िलों के अलावा) महाराष्ट्र, मैसूर, पंजाब, केरल, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल (24-परगना ज़िले के अलावा), उड़ीसा, तमिलनाडु, बिहार, राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अधिकांश क्षेत्र तथा असम, हिमाचल प्रदेश और मणिपुर के कुछ क्षेत्रों में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया गया है। नागालैण्ड, त्रिपुरा और मेघालय में अभी तक अलग नहीं किया गया है।

(ग) 'न्याय प्रशासन' राज्य का विषय है। कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने के लिये कार्यवाही करना प्राथमिक रूप से राज्य सरकार की ज़िम्मेदारी है किन्तु एक विधेयक, जो नई दण्ड प्रक्रिया संहिता बनाने के लिये संसद् में पेश किया गया था और जिसमें अन्य बातों के साथ साथ, सारे देश में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने की व्यवस्था है, राज्य सभा द्वारा पारित किया जा चुका है। लोक सभा में इस पर अभी विचार होना है।

टेलीविज़न केन्द्रों के लिये प्रोडक्शन सहायकों का चयन

7385. **श्री धन शाह प्रधान**: क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीविज़न केन्द्रों के लिये गत वर्ष जून-जुलाई में प्रोडक्शन सहायकों के पदों के लिये चयन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो क्या चुने गए अभ्यार्थियों में से एक का सम्बन्ध चयन समिति के अध्यक्ष से था; और

(ग) चुने गए अभ्यार्थियों में से कितने व्यक्ति आकाशवाणी टलीविज़न केन्द्र तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अन्य कार्यालयों में कार्य कर रहे कर्मचारियों के निकट सम्बन्धी हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष के परिवार का सदस्य या उनका रक्त सम्बन्धी नहीं था।

(ग) 34 व्यक्तियों के स्वीकृत पैनल में से 9 आकाशवाणी तथा दिल्ली टेलीविज़न केन्द्र के कर्मचारियों के सम्बन्धी थे। हमारे पास एसा कोई रेकार्ड नहीं है कि इनमें से कोई सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अन्य कार्यालयों के किसी कर्मचारी का सम्बन्धी है या नहीं, क्योंकि उम्मीदवारों से यह सूचना नहीं मांगी जाती है।

यह सुनिश्चित करने के लिये कि चयन निष्पक्ष रूप से तथा योग्यता के आधार पर हो, चयन की प्रक्रिया सख्त कर दी गई है। इस सम्बन्ध में जारी अनुदेशों की एक प्रति संलग्न है। (अन्य उपाय भी किये जा रहे हैं) उपर्युक्त चयन इन अनदेशों के जारी होने से पूर्व किया गया था।

विवरण

आकाशवाणी महानिदेशालय के महानिदेशक द्वारा आकाशवाणी के सभी कार्यालयों/केन्द्रों के प्रमुखों को ज्ञापन संख्या 6/12/72-स्टाफ-8, तारीख 24-11-72 के द्वारा जारी अनुदेशों की प्रति।

विषय : स्टाफ आर्टिस्ट तथा टलीविज़न कांट्रैक्ट स्टाफ की भर्ती।

———

यह निर्णय किया गया है कि भविष्य में जब भी स्टाफ आर्टिस्ट टेलीविज़न कांट्रैक्ट स्टाफ पदों के लिये भर्ती के बारे में विज्ञापन दिये जाएं, विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्ति के लिये आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अपने आवेदन पत्रों में टेलीविज़न केन्द्रों समेत आकाशवाणी में पहले से ही कार्य कर रहे अपने रिश्तेदारों के नामों तथा पदनामों का उल्लेख भी करना होगा। भविष्य के विज्ञापनों में और निर्धारित आवेदन पत्रों, जहां भी ऐसे फार्म निर्धारित हैं, में इस आशय का एक उपबन्ध जोड़ दिया जाए।

2. यह भी निर्णय किया गया है कि उक्त सूचना निश्चित रूप में इन्टरव्यू तथा या परीक्षा के समय बाहर के परीक्षक समेत चयन समिति के सम्मुख दी जानी चाहिये।

3. इस पत्र की प्रति की पावती दी जाए।

दिल्ली में प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय की स्थापना

7386. **श्री विभूति मिश्र** : क्या औद्योगिक विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली में प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय स्थापित करने पर विचार कर रही है; और

(ख) इस संग्रहालय से क्या लाभ होंगे ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी हां।

(ख) राजधानी में प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि छात्र और सर्वसाधारण दोनों को राष्ट्र के अर्थ और समाज कल्याण के विकास में प्राकृतिक इतिहास विज्ञान के कार्य से अवगत कराया जाए तथा उन्हें इस सम्बन्ध में जानकारी प्रदान की जाए। इसमें पर्यावरण और पारिस्थितिकी के प्रदूषण तथा दुरुपयोग से परिरक्षण करने एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर महत्व दिया जाएगा। यह संग्रहालय सामान्य व्यक्ति और शोध-छात्र, दोनों के लिये ज्ञान उपलब्धि का संस्थान होगा इसमें किसी आय की सम्भावना नहीं है।

टेलीविज़न केन्द्र और फिल्म डिवीज़न दोनों में कैमरामैनों के कर्त्तव्य और ज़िम्मेदारियां

7387. **श्री लालजी भाई** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** टेलीविज़न केन्द्र और फिल्म डिवीज़न में समाचार कैमरामैनों आदि के वेतनमान के बारे में 24 मई, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7249 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि टेलीविज़न केन्द्र और फिल्म डिवीज़न में कैमरामनों के वास्तविक कर्त्तव्य और ज़िम्मेदारियां क्या हैं जिसके आधार पर इस मंत्रालय के दो विभागों में कैमरा-मैनों के वेतनमान निर्धारित किये जाते हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : एक विवरण संलग्न है जिसमें टेलीविज़न केन्द्रों तथा फिल्म प्रभाग के कैमरामैनों के कर्त्तव्य तथा उत्तरदायित्व दिये हुए हैं।

टेलीविज़न केन्द्रों में कैमरामैनों के कर्त्तव्य तथा उत्तरदायित्व

(1) कैमरामैन ग्रेड-1 (सिने) .	सिने कैमरामैन ग्रेड-2 के कार्य का समायोजन करना, आवश्यक कवरेज करना तथा टेलीकास्ट किये गए कार्यक्रमों की उत्तर समीक्षा में भाग लेना। .

(2) कैमरामैन ग्रेड-2 (सिने)	.	(1) टेलीविज़न के समाचार के लिये खेलों समेत सामयिक विषयों तथा अन्य पत्रिका प्रकार के कार्यक्रमों को कवर करना । (2) टेलीविज़न डाकुमेंट्रियों के लिये फिल्माने का कार्य करना । (3) टेलीविज़न फीचरों तथा टेलीविज़न पर साक्षात्कार के लिये फिल्माने का कार्य करना । (4) कृषि कार्यक्रमों के लिये फिल्माने का कार्य करना ।
(3) कैमरामैन (इलैक्ट्रोनिक्स)	.	इलेक्ट्रोनिक्स कैमराओं का आवश्यक रूप से स्टूडियो के अन्दर फ्लोर में तथा टेलीविज़न के बाहर के कवरेज में सीधे कार्य करते हुए भी प्रयोग करना ।
(4) प्रोडक्शन सहायक (फोटो)	.	कार्यक्रम निर्माण के लिये अचल फोटो लेना तथा समाचार, रूपक आदि तैयार करना ।

फिल्म प्रभाग के कैमरामैनों के कर्त्तव्य तथा उत्तरदायित्व

(1) निर्देशक कैमरामैन	डाकुमेंट्री फिल्मों की शूटिंग तथा सामयिक समाचार कहानियों, डैप्थ कवरेज तथा रिपोर्ट करने योग्य घटनाओं को फिल्माने का निर्देशन करना ।
(2) चीफ कैमरामैन	डाकुमेंट्री स्कन्ध के कैमरा अनुभाग की देखरेख करना तथा आवश्यकता पड़ने पर वृत्त-चित्रों की शूटिंग करना ।
(3) न्यूज़रील अधिकारी	फिल्म प्रभाग द्वारा बनाए जाने वाले समाचार-चित्रों या अन्य फिल्मों में शामिल करने के लिये स्वतन्त्र रूप से या मुख्यालय के निर्देश पर सामयिक समाचार कहानियों को फिल्माना ।
(4) कैमरामैन (कार्टून-फिल्म यूनिट)	कार्टून फिल्में बनाने के लिये कार्टूनकारों तथा आर्टिस्टों द्वारा बनाए गए कार्टून चित्रों को फिल्माना ।
(5) कैमरामैन वृत्त-चित्र	आवश्यकतानुसार स्टुडियो में या स्थानों पर वृत्त-चित्रों की शूटिंग करना ।
(6) सहायक न्यूज़रील अधिकारी	समाचार चित्रों या अन्य फिल्मों में शामिल करने हेतु स्वतन्त्र रूप से या मुख्यालय के निर्देश पर सामयिक समाचार कहानियां फिल्माना ।
(7) सहायक कैमरामैन	स्टुडियो में तथा स्थानों पर फिल्मों की शूटिंग में कैमरामैनों की सहायता करना ।
(8) फोटोग्राफर	अचल फोटो लेना, उनको धोना तथा उनको बड़ा करना ।

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के सचिव द्वारा एक मकान बनाना

7388. **श्री डी० के० पण्डा :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्तमान सचिव ने नई दिल्ली की एक समृद्ध कालोनी ग्रीन पार्क में अपनी पत्नी के नाम पर एक आलीशान मकान बनाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह मकान तब बनाया गया था जब वह राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड में ऋण अधिकारी/वरिष्ठ ऋण अधिकारी था; और

(ग) क्या सरकार ने इस मकान के लिये वित्तीय साधनों के बारे में किसी सक्षम एजेन्सी के माध्यम से जांच कराई है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम से की गई पूछताछ से पता चला है कि राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के वर्तमान सचिव श्री के० सी० भल्ला की पत्नी ने 1960-61 में अपने निजी संसाधनों से अर्थात् उनके माता-पिता द्वारा उनको उपहार में दिये गए धन से बी-2, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली में मकान की निचली मंज़िल (ग्राउंड फ्लोर) का निर्माण करवाया था।

वर्ष 1972 में उन्होंने अपने बैंकर से 45,000 रु० के ऋण का प्रबन्ध करके और श्री भल्ला द्वारा उनको दिये गए 15,000 रु० से इस भवन की दूसरी मंज़िल निर्मित की। यह राशि श्री भल्ला ने अपनी भविष्य निधि से निकाली थी।

(ख) जी, हां। उस समय पहली मंज़िल निर्मित की गई थी।

(ग) श्री भल्ला की पत्नी ने जो मकान बनाया है उसके बारे में वह निगम के नियमों में अपेक्षित अचल सम्पत्ति का ब्यौरा नियमित रूप से देते रहे हैं। चूंकि उपर्युक्त मामले में श्री भल्ला की सत्यनिष्ठा पर कोई संदेह नहीं किया गया था, इसलिये निदेशक मंडल ने, जो सक्षम अधिकारी हैं, उनके वित्तीय संसाधनों की किसी प्रकार की जांच करना आवश्यक नहीं समझा।

भारत में सोवियत संघ की सहायता से चल रही परियोजनाओं के कार्यकरण की रूसी शिष्टमंडल के नेता द्वारा आलोचना

7389. **श्री पीलू मोदी :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सोवियत संयुक्त आयोग की एक बैठक हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी;

(ख) क्या सोवियत शिष्टमंडल के नेता ने भारत में सोवियत रूस की सहायता से चलाई जा रही परियोजनाओं के कार्यकरण की आलोचना की थी; और

(ग) रूसी शिष्टमंडल के नेता द्वारा की गई टिप्पणियां क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Reservation of Jobs for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Private Sector Under takings

7390. **Shri Dhan Shah Pradhan :**
Shri M. S. Purty :

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated or propose to formulate any policy in regard to reservation of jobs for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in private sector industries like the public sector industries; and

(b) if so, the main features thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) & (b) As the private sector industries are not under the control of the Government, the question of issuing any directive to them by the Central Government to make reservations for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in their services, as has been done in the case of Public Sector Undertakings does not arise. However, at the instance of the Government, Employers' Organisations have appealed to their constituents to give due representation to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in employment under them.

Cement Quota for Bihar State

7391. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether quota of cement for building silos and houses for the various States is fixed by the Central Government on the basis of their population;

(b) if so, the quota supplied to each State during 1972; and

(c) whether the people of Bihar are dissatisfied with the present quota and whether Government propose to enhance the quota for Bihar ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Pr arab Kumar Mukherjee) : (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

राजस्थान में संकटग्रस्त कपड़ा मिलें

7392. **श्री राम भगत पासवान** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र द्वारा राजस्थान में अपने अधिकार में ली गई बन्द कपड़ा मिलों में से कुछ के फिर से चलने की कोई संभावना नही है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और उक्त मिलों के दायित्व क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) राजस्थान में तीन सूती वस्त्र मिलों, महालक्ष्मी मिल्स लि०, ब्यावर, एडवर्ड मिल्स, ब्यावर और श्री विजय काटन मिल्स, विजयनगर का प्रबंधभारत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है । महालक्ष्मी मिल्स लि० और एडवर्ड मिल्स में उत्पादन हो रहा है और तीसरी श्री विजय काटन मिल्स में विद्युत कनेक्शन के कारण पुनः उत्पादन आरम्भ नहीं हुआ है। नवीनतम उपलब्ध लेखा परीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार इन मिलों की देयताओं को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

नवीनतम लेखा परीक्षित उपलब्ध तुलन-पत्र के अनुसार राजस्थान में ली गई इन मिलों की देयतायें निम्न प्रकार हैं :—

(1) एडवर्ड मिल्स कं० —ब्यावर

31-12-1970 का तुलन-पत्र

अंश पूंजी	6,40,000
आरक्षित और अधिशेष	9,37,000
सुरक्षित ऋण	3,77,069
असुरक्षित ऋण और जमा	15,78,884
चालू देयताओं की प्रावधान	12,94,698
	48,27,657

31-3-1973 को राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा दी गई राशि 6.00 लाख रु०

राज्य सरकार द्वारा दी गई राशि 2.00 लाख रु०

(2) महालक्ष्मी मिल्स कं० लि०,—ब्यावर

31-12-1973 का तुलन-पत्र

अंश पूंजी	12,99,680
आरक्षित और अधिशेष	49,07,005
सुरक्षित ऋण	33,95,212
असुरक्षित ऋण	21,35,939
चालू देयतायें	32,16,725
	1,49,54,56

राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा दी गई राशि 10.13 लाख रु०.

राज्य सरकार द्वारा दी गई राशि 15.70 लाख रु०.

(3) श्री विजय काटन मिल्स लि०,—विजयनगर

28-2-1966 का तुलन–पत्र

अंश पूंजी	13,50,000
आरक्षित और अधिशेष	18,395

सुरक्षित ऋण . . .	7,24,302
असुरक्षित ऋण . . .	10,84,960
चालू देयताएँ और प्रावधान	5, 74,932
	37,52,589
राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा दी गई राशि . .	7.44 लाख रु०
राज्य सरकार द्वारा दी गई राशि . . .	कुछ नहीं।

पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिये मध्य प्रदेश को सहायता

7393. **श्री गंगा चरण दीक्षित :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पिछड़े वर्गों और अन्य वर्गों के उत्थान के लिये मध्य प्रदेश को 35 करोड़ रुपए की सहायता देने की स्वीकृति दी थी पर राज्य सरकार ने अभी तक उसमें से एक तिहाई रुपया भी खर्च नहीं किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) प्रथम पंच-वर्षीय योजना के आरम्भ से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिये मध्य प्रदेश को केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रमों के अन्तर्गत स्वीकृत कुल राशि 26.76 करोड़ रुपये थी । इसमें से राज्य सरकार द्वारा खर्च की गई राशि 26.34 करोड़ रुपये थी।

दिल्ली में बिक्री कर का अपवंचन

7394. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :**
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :.

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में बिक्री कर का बड़े पैमाने पर अपवंचन होता है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1970-71 और वर्ष 1971-72 में इस अपवंचन के कारण राजकोष को अनुमानतः कितनी राशि की हानि हुई; और

(ग) इसको रोकने के लिए सरकार ने कौन सी ठोस कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) सरकार को दिल्ली में बिक्री कर का बड़े पैमाने पर कोई अपवंचन होने का पता नहीं है। किन्तु बिक्री कर के अपवंचन के कुछ मामले दिल्ली प्रशासन के नोटिस में आये हैं तथा कानून के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। जब तक पकड़े गये मामलों में अन्तिम निर्णय नहीं हो जाता है तब तक 1970-71 और 1971-72 में बिक्री कर के अपवंचन के कारण राजकोष को हुई हानि का अनुमान देना सम्भव नहीं होगा।

(ग) कुछ ठोस कदम जो बिक्री कर अपवंचन को रोकने के लिये उठाये गये हैं, इस प्रकार हैं:--

(1) सूचना देने वाले को, जिसकी सूचना पर बिक्री कर के अपवंचन के मामले का पता लग जाता है, बढ़ाई गई और वसूल की गई अतिरिक्त मांग का 10 प्रतिशत तक इनाम दिया जाता है;

(2) कर्मचारियों को वर्ष में एक बार अपने क्षेत्रों की प्रत्येक दुकान का सर्वेक्षण करने के निदेश दिये गये हैं। आकस्मिक सर्वेक्षण भी किये जाते हैं।

(3) दिल्ली में व्यापारियों द्वारा बिक्री कर के अपवंचन सम्बन्धी सभी लिखित और मौखिक शिकायतों पर विचार किया जाता है तथा तत्परता से कार्यवाही की जाती है।

(4) कर अपवंचन की गतिविधियों में अन्तर्ग्रस्त होने पर कुछ सांझेदार फर्में अपने आप को भंग कर देती हैं और इस प्रकार अपनी देयता के कर मूल्यांकन से बच जाती हैं। इन फर्मों का मूल्यांकन करने के लिये विभाग को शक्तियां प्रदान करने हेतु 28-5-1972 से बिक्री-कर कानून संशोधित किया गया है।

(5) पंजीकृत व्यापारियों के बिक्री के दावों की जांच के उद्देश्य से बिक्री कर विभाग में एक संस्थान एकक स्थापित किया गया है जहां क्रय करने वाले व्यापारियों की लेखा पुस्तकों के संदर्भ में ऐसे दावों की दो तरफा जांच की जाती है।

कालगेट पालमोलिव इंडिया लिमिटेड का कार्यकरण

7395. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान मैसर्ज कालगेट पालमोलिव इंडिया लिमिटेड के कार्यकरण के बारे में कोई मूल्यांकन किया है ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की अनियमितताएं पायी गयी हैं ; और

(ग) क्या भारत सरकार ने इस फर्म के कार्यों और उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं की उत्पादन लागत सीमान्त लाभ के बारे में जांच करने के आदेश दिए हैं और यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) मैसर्स कोलगेट पालमोलिव इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाई जाने वाली वस्तुओं के उत्पादन मूल्य का अध्ययन किया गया था तथा रिपोर्ट विचाराधीन है।

शैक्षणिक एवं धर्मार्थ संस्थाओं को विदेशों से आर्थिक सहायता

7396. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में किन-किन शैक्षणिक [एवं धर्मार्थ संस्थाओं को विदेशों से आर्थिक सहायता प्राप्त होती है और वर्ष 1970, 1971 तथा 1972 में उन्हें कितनी धनराशि प्राप्त हुई ; और

(ख) क्या सरकार ने इस बात की सन्तुष्टि कर ली है कि इन संस्थाओं को प्राप्त हुई [सहायता का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए हो रहा है जिस प्रयोजन के लिए वह प्राप्त होती है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय पर सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके अनुसार संस्थानों/संगठनों द्वारा संवीक्षा के लिये व्यय के लेखे रखने तथा उन्हें प्रस्तुत करना आवश्यक हो। साधारण लेन देन के अलावा विदेशी स्रोतों से सहायता प्राप्त करने पर उपयुक्त रोक लगाने के उद्देश्य से विधायी प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। शीघ्र ही एक विधेयक संसद में पेश किया जायेगा।

बम्बई में विदेशी मुद्रा घोटाले का पता लगाना

7397. श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :

श्री पी० ए० सांमिनाथन :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रवर्तन विभाग ने 8 मार्च, 1973 को दक्षिण बम्बई में एक कार्यालय में 1.5 करोड़ रुपये से अधिक विदेशी मुद्रा के एक घोटाले का पता लगाया है,

(ख) यदि हां, तो इस मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार ने दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) जी हां, श्रीमान्।

प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1947 के उपबंधों के संदिग्ध उल्लंघन के एक मामले का पता लगाया है। दो व्यक्ति 13-11-1972 को तथा दो अन्य 6-3-1973 को गिरफ्तार किए गए। इन सभी चारों व्यक्तियों को चीफ प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट, बम्बई द्वारा जमानत पर छोड़ दिया गया। मामले के और अधिक ब्योरे प्रकट करना उचित नहीं है, क्योंकि इससे जांच में बाधा पड़ेगी।

Schemes for Development of Santhal Pargana and Chhotanagpur in Bihar

7398. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of Planning be pleased to state :

(a) whether the Chief Minister of Bihar has formulated any scheme for development works in Santhal Pargana and Chhotanagpur for which assistance has also been sought from the Central Government for meeting the required expenditure; if so, the nature thereof and the expenditure likely to be incurred thereon;

(b) whether the Central Government have accepted this demand; and

(c) if so, the action taken thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) Yes, Sir. Additional proposals amounting to Rs. 32.86 crores for the development of Chhotanagpur and Santhal Parganas area for 1973-74 have been recently received from the State Government.

(b) and (c) Additional information has been called for from the State Government in order to facilitate further examination of these proposals.

प्रधान मंत्री द्वारा किए गए दौरों पर व्यय

7399. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांग्रेसी नेता के रूप में प्रधान मंत्री द्वारा वर्ष 1971 में संसद् के चुनाव तथा वर्ष 1972 में विभिन्न विधान सभाओं के चुनाव के संबंध में किये गए चुनाव दौरों के दौरान विभिन्न व्यवस्था

करने हेतु इण्डियन नेशनल कांग्रेस ने विभिन्न राज्य सरकारों और केन्द्र को कुल कितनी धनराशि अभी देनी है; और

(ख) देय राशि को वसूल करने के लिये अबतक क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) : सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

Raising of Standard of Living of Persons having 50 Paise Daily Income

7400. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) the number of persons in the country whose daily income during 1972 was 50 paise; and

(b) the effective steps taken by Government during the last two years for raising the standard of living of such persons ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) There is no information available regarding the size distribution of incomes. However, information regarding size distribution of consumption is available from the successive rounds of the National Sample Survey. Since at low levels of income there is expected to be hardly any saving, the estimates of per capita consumption may also be taken as indicative of per capita income. According to an estimate based on the 23rd Round of the NSS, in 1968-69 the number of persons in the country whose daily consumption was 50 paise or below was about 37 million.

(b) A number of steps have been taken by Government during the last two years for raising the standard of living of the poorer sections in the country. The important among these are listed below :

(i) Plan outlay has been stepped up from year to year; particularly during 1972-73 and 1973-74;

(ii) Special shemes have been undertaken to enable as large a section of the farm population as possible, including the small and marginal farmers and farmers in the dry areas, to participate in agricultural development and share its benefits;

(iii) A crash programme for rural employment has been initiated;

(iv) The Drought Prone Areas Programme has been launched;

(v) Schemes for providing employment to the educated unemployed have been introduced both by the Centre and by the States and Union Territories;

(vi) Self-employment schemes for weaker sections and also for the educated unemployed have been initiated;

(vii) A special programme to make up the shortfall in 1972 Kahrif resulting from the drought was undertaken during 1972-73;

(viii) Towards effective distribution of essential commodities, the wholesale trade in wheat has been taken over by the State and the public distribution system is being expanded and improved; and

(ix) A beginning has been made towards the implementation of a minimum needs programme covering elementary education, primary health centres, rural roads, drinking water, nutrition, slum clearance and improvement and rural electrification.

Assistance for power generating equipment from Britain

7401. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether the Britain Trade delegation had offered assistance for power generating equipment; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Industrial Development and Science and Technology (Shri C. Subramaniam) : (a) The hon. Member is presumably refering to the Trade Mission organised by the Birmingham Chamber of Commerce and Industry which visited India in March, 1973. This mission did not offer assistance for power generating equipment.

(b) Does not arise.

अत्यावश्यक वस्तुओं में लाभ की प्रवृत्ति को रोकने के लिए भारत रक्षा नियमों को लागू करने के बारे में तमिलनाडु सरकार का निर्णय

7402. **श्री सी० टी० दंडपाणी :**
श्री पी० ए० सामिनाथन :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान तमिलनाडु सरकार के इस निर्णय की ओर दिलाया गया है कि अत्यावश्यक वस्तुओं में लाभ की प्रवृत्ति को रोकने के लिये भारत रक्षा नियमों को लागू किया जाए; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार भी इन उपायों को अपनाने पर विचार कर रही है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) तमिलनाडु सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

दुग्ध चूर्ण का उत्पादन करने वाले उद्योग

7403. **श्री वेकारिया :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में दुग्ध चूर्ण का उत्पादन करने वाले कारखानों के नाम एवं उनकी संख्या क्या है; और

(ख) वर्ष 1972-73 में कारखाने अनुसार कितना दुग्ध चूर्ण तैयार किया गया ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) (क) और (ख) एककों के नाम और कैलेंडर वर्ष 1972 में उनके उत्पादन को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम सं०	एककों के नाम	वर्ष 1972 की अवधि में दुग्ध चूर्ण का उत्पादन
1.	मै० कैरे डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन, आनन्द, गुजरात	24,110 मी० टन
2.	मै० मिल्क कन्सरवेशन प्रोजैक्ट, राजकोट	4,150 मी० टन
3.	मै० त्रेहसन डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लि०, त्रेहसन, गुजरात	19,290 मी० टन
4.	मै० फोरमोस्ट डेरीज़ लि०, मुज़फ्फरनगर, उत्तर प्रदेश	14,800 मी० टन
5.	मै० प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फैडरेशन लि०, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	9,330 मी० टन
6.	मै० हिन्दुस्तान लीवर लि०, एटा, उत्तर प्रदेश	8,690 मी० टन
7.	मै० हरयाणा मिल्क फूड, पेहावा, हरयाणा	6,750 मी० टन
8.	मै० फूड स्पेशियल्स लि०, मोगा, पंजाब	17,740 मी० टन
9.	मै० मिल्क कन्सरवेशन प्रोजैक्ट, अमृतसर, पंजाब	5,870 मी० टन
10.	मै० मिल्क कन्सरवेशन प्रोजैक्ट, विजयवाड़ा	11,500 मी० टन (अनुमानित)
	योग	1,22,230 मी० टन

उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में अखबारी कागज़ उद्योग के लिए युकेलिप्टस बन

7404. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में अखबारी कागज़ उद्योग के लिये लगाया गया युकेलिप्टस का बन कटाई के लिये तैयार है;

(ख) क्या जिस अखबारी कागज़ कारखाने के लिये यह बन लगाया गया था, उसका निर्णय अभी किया जाना है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का नए लगाए बन का किस प्रकार उपयोग करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : **(क) और (ख)**, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में लगाया गया युकेलिप्टस का बन कटाई के लिये तैयार है। यद्यपि इसे अखबारी कागज़, लुगदी और कागज़ बनाने के इरादे से लगाया गया था, किन्तु यह किसी विशेष एकक/कारखाने के लिये नहीं उगाया गया था।

(ग) सरकार के तराई क्षेत्र में अखबारी कागज़, लुगदी और कागज़ बनाने के लिये एक एकक को लाइसेंस पत्र दिया है।

दुग्ध चूर्ण का उत्पादन

7405. श्री डी० पी० जदेजा : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में गत तीन वर्षों में कितने दुग्ध चूर्ण का उत्पादन हुआ; और

(ख) उक्त अवधि में कितनी मात्रा आयात की गई ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) (क) पिछले तीन कलेंडर वर्षों में भारत में उत्पादित दुग्ध चूर्ण की मात्रा निम्न प्रकार है :--

1970	6,677 मी० टन
1971	11,768 मी० टन
1972 . . .	12,223 मी० टन (अनुमानित)

(ख) पिछले तीन वित्तीय वर्षों में आयातित सम्पूर्ण और क्रीम निकले दूध पाऊडर की मात्रा निम्न प्रकार है :--

1969-70 .	29,861 मी० टन
1970-71 .	30,535 मी० टन
1971-72 .	40,109 मी० टन

Amount Sanctioned for Hostels for Students belonging to the Adivasi Areas of Bihar

7406. **Shri M.S. Purty** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the amount sanctioned by the Central Government for hostels for the students belonging to Adivasi areas of Bihar during 1972 and the amount spent; and

(b) the number of such student hostels which have been given funds by the Central Government for construction purposes ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) Under the Centrally Sponsored Schemes the Central Government gives funds for hostels for Scheduled Tribe girl students only. During 1972-73 an amount of Rs. 80,000 was sanctioned to the State Government for this purpose. The entire amount is anticipated to have been utilised during the year.

(b) The Government of India makes a lump sum provision for girls hostels. The location and the number of hostels to be constructed is left to the discretion of the State Governments.

रेलवे इंजन की गति और शक्ति को नियमित करने के लिए इलेक्ट्रानिक प्रणाली का प्रयोग

7407. श्री के० लक्कप्पा :

श्री पी० गंगादेव :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री रेलवे इंजन की गति और शक्ति को नियंत्रित करने के लिये इलेक्ट्रानिक प्रणाली के बारे में 21 मार्च, 1973 के प्रश्न 419 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे इंजनों में इस प्रणाली के कोई प्रयोग किये गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो वे प्रयोग सफल सिद्ध हुए हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यन) (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय इलेक्ट्रोनिक्स इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान के प्रारम्भिक प्रारूप पर किये गए परीक्षण सफल रहे। भारतीय रेलों की सेवा में एक प्रारम्भिक प्रारूप (प्रोटोटाइप) ने दो वर्षों से अधिक समय पूरा कर लिया है। केन्द्रीय इलेक्ट्रोनिक्स इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, पिलानी को तकनीकी जानकारी के आधार पर भारत के इलेक्ट्रोनिक्स निगम लि० (ई० सी० आई० एल०), हैदराबाद द्वारा तैयार किये गए प्रारम्भिक प्रारूपों को भी भारतीय रेलों में सेवा संबंधी प्रयोगात्मक परीक्षणों में सफल पाया गया है।

नमक का मूल्य

7408. **श्री समर गूह** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी आम नमक निर्माताओं द्वारा हेरफेर के कारण देश के विभिन्न भागों में नमक का मूल्य भिन्न-भिन्न है; और

(ख) क्या सरकार का विचार नमक के मूल्य को नियमित करने और पूरे देश में नमक के मूल्य में एकरूपता लाने के लिये कार्यवाही करने का है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी): (क) देश के विभिन्न भागों में नमक के मूल्य में भिन्नता है, यह अंतर उत्पादन की लागत में भिन्नता के कारण है जो कि अलग-अलग स्थानों और निर्माताओं के बारे में भिन्न है। नमक के मूल्य पर परिवहन खर्चों का भी प्रभाव पड़ा है।

(ख) जी, नहीं।

पश्चिम बंगाल में नमक का मूल्य

7409. **श्री समर गूह** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में आम प्रयोग में आने वाले नमक के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(ख) विभिन्न राज्यों में नमक के मूल्यों में क्या अन्तर है; और

(ग) नमक का उत्पादन करने वाले राज्यों में नमक का क्या-क्या मूल्य है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी, नहीं। वर्ष 1971-72 और 1973 के तुलनात्मक मूल्य दिखाने वाला विवरण संख्या एक संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4828/73]

(ख) विभिन्न राज्यों के नमक के खुदरा मूल्य दर्शाने वाला विवरण संख्या 2 संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4828/73]

(ग) नमक उत्पादक राज्यों के नमक के मूल्य बताने वाला विवरण संख्या 3 संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4828/73]

गोआ में विदेशी राष्ट्रिकों के पास जाली पारपत्र पकड़े जाना

7411. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :**

श्री एम० एम० जोजफ :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा में हाल ही में कुछ ऐसे विदेशी राष्ट्रिकों को पकड़ा गया था जिनके पास जाली पारपत्र थे; और

(ख) यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जाली पारपत्र तथा जालसाजी करने के लिये सामग्री पास में होने के लिये गोवा में एक फ्रान्सीसी नागरिक तथा एक जर्मन नागरिक को गिरफ्तार किया गया था ।

(ख) उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है ।

भारत के जनजाति क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या

7412. **श्री एस० एन० मिश्र :**

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लघु उद्योगों की स्थापना, क्षेत्रों के तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण संबंधी रिपोर्टों को तैयार करना, साहित्य का प्रकाशन, परिवहन के साधन, भूमि, जल और बिजली की उपलब्धता और वित्तीय संसाधनों के लिये पूंजी के स्रोतों द्वारा भारत के जनजाति क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिये एक कार्यक्रम तैयार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) : भारत सरकार ने देश में बेरोजगारी की आम समस्या को हल करने के लिये अनेक योजनाएं तैयार की हैं । इस समस्या को हल करने के लिये मुख्य योजनाएं देहाती रोजगार के लिये द्रुतगामी योजना, अग्रिम गहन ग्रामीण रोजगार परियोजना है ।

1973-74 के दौरान कम-से-कम 5 लाख शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के लिये अतिरिक्त नौकरी के अवसर प्रदान करने हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । इस योजना के अन्तर्गत, बनाई जाने वाली नौकरियां उत्पादनशील अथवा स्थायी परिसम्पत्तियों के निर्माण करने वाली होंगी ।

अन्य बातों के साथ-साथ योजना आयोग द्वारा इस संबंध में जारी किये गए निर्देशन निम्नलिखित हैं :—

(1) स्वयं-रोजगार योजनाएं विशेषकर उद्योग, वाणिज्य और पूर्व लागत तथा पोस्ट लागत की सेवाओं सहित सेवाएं ।

(2) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में विभिन्न विकासशील कार्यक्रमों तथा गतिविधियों के लिये कर्मचारियों को सज्जित करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण कार्यक्रम ।

(3) खोज, अध्ययन तथा सर्वेक्षण ।

इस योजना के प्रयोजन के लिये एक शिक्षित व्यक्ति को मैट्रिक अथवा हायर सेकन्डरी परीक्षा पास अथवा आई०टी०आई० से प्रमाण-पत्र धारक के रूप में माना गया है। आशा है कि राज्य सरकारें अनुसूचित जनजातियों के सभी स्नातक बेरोजगारों को इस योजना के अधीन नौकरी दिलाने के लिये प्रयत्न करेंगी राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा इस योजना के अधीन विशिष्ट कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है।

रोजगार की व्यवस्था करने के लिए राज्यों द्वारा राशि का नियतन

7413. **श्री अम्बेश** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में देश में राज्यवार, राज्य सरकारों द्वारा अनपढ़ लोगों, शिक्षित व्यक्तियों, स्नातकों, स्नातकोत्तरों, इंजीनियरों तथा डाक्टरों आदि की सहायता के लिये कुल कितनी धनराशि नियत की गई; और

(ख) चालू वित्तीय वर्ष, अर्थात् 1973-74 में राज्यवार कितनी धनराशि अलाट की गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर प्रस्तुत है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4829/73]

खायम गांव (मनीपुर राज्य) के निकट मिला दुर्घटनाग्रस्त विमान

7414. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में चूड़ा चांदीपुर के दक्षिण-पश्चिम में खायम गांव (मनीपुर राज्य) के निकट एक स्थान पर अमरीका का कथित बना एक दुर्घटनाग्रस्त विमान सीमा सड़क कार्मिक दल को मिला था, जो उस जिले के थानलोन क्षेत्र में इस समय एक सड़क बना रहा है;

(ख) क्या कुछ (पैराशूट) के अलावा चार पिस्तौलों और एक कलाई घड़ी के साथ चार कंकाल भी पाए गए थे;

(ग) यदि हां, तो क्या कोई जांच-पड़ताल की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान्। मणिपुर के कालम क्षेत्र की चोटी पर दुर्गम जंगलों में अमरीका का एक दुर्घटनाग्रस्त जहाज पाया गया था। जहाज का मलबा सर्वप्रथम कैलन ग्रामवासियों ने देखा था।

(ख) घटना स्थल पर जंग लगी हुई 3 पिस्तौल, कुछ गोलाबारूद, मानव-अस्थियां तथा कुछ अन्य वस्तुएं पाई गई हैं।

(ग) और (घ) जांच से संकेत मिला है कि वह जहाज बी-24-एस०आर०सं० 44-41293 था जो 7 अगस्त, 1945 को चीन के लुसीन से भारत में रूपसी की उड़ान के दौरान लापता हो गया था। उसमें 5 चालकगण थे। मानव अस्थियां तथा चल सामग्री इम्फाल लाई गई है और कलकत्ता में संयुक्त राज्य अमरीका के कानसुलेट जनरल को सौंपे जाने के लिये कलकत्ता लाई जा रही हैं।

Payment of Family Pension to Freedom Fighters of Kakori Case

7415. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the contribution of the freedom fighters, who sacrificed their lives in the Kakori case was vital in the freedom struggle;

(b) if so, whether Government propose to give family pension or reserve Government jobs for their family members for providing them relief;

(c) if so, the names of such persons; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) to (d) The persons who sacrificed their lives in the 'Kakori Conspiracy Case' are treated as freedom fighters. Pension and other benefits that are normally available to the family members of freedom fighters would also be available to family members of persons who died in the 'Kakori Conspiracy Case'. The names and particulars of persons who have received such benefits are not available.

Grant of Pension to Shrimati Shanti Devi, sister of Ram Prasad Bismil

7416. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the news item published in daily 'Vir Arjun' of 14th March, 1973 that Akhil Bhartiya Swadheenta Sewak Sangh (All India Freedom Fighters' Association), in its meeting, has demanded the grant of pension to Shrimati Shanti Devi, sister of Ram Prasad Bismil, killed in Kakori Case; and

(b) if so, the Government's reaction thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) & (b) Yes, Sir; Smt. Shanti Devi being the sister of late Shri Ram Prasad 'Bismil' is not eligible for grant of freedom fighters pension under the Central Scheme. However, in view her old age, ill-health and straitened circumstances she has been sanctioned Rs. 6000/- from the Home Minister's Discretionary Grant Fund. She is already drawing a pension of Rs. 65/- per month granted by the U.P. Government.

Issue of Cement Permits by Delhi Civil Supplies Department

7417. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether any enquiry has been made by Delhi Administration into the Cement Permits issued by Delhi Civil Supplies Department; and

(b) the outlines of the procedure in regard to the grant of cement permits ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) No, Sir.

(b) 90% of the cement stock received by the stockists is sold against permits issued by the Civil Supplies Department of Delhi Administration and remaining 10% is sold by the stockists themselves to petty consumers, without permits, upto a quantity of 5 bags per consumer, on first come first served basis.

For obtaining permits for cement for construction purposes, a consumer is required to submit an application alongwith the sanctioned plan/letter and architect's certificate about the actual requirements of the applicant, to the Civil Supplies Department, who issues the permits in instalments keeping in view the requirements of the consumer and the availability of stocks.

जनजाति विकास खंडों के लिए उड़ीसा द्वारा योजना पेश करना

7418. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने हाल ही में केन्द्र को 11 जनजाति विकास खंडों के लिये जिनमें जनजाति के लोगों की संख्या 66.2/3 प्रतिशत है, एक योजना स्वीकृति के लिये पेश की है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे खंड कौन-कौन से हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) उड़ीसा सरकार ने जनवरी, 1970 में निम्नलिखित 11 जनजाति विकास खण्ड खोलने के लिये एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था :

ब्लाक	जिला
1. बाड़ीपदा	मयूरभंज
2. समाखूटा	,,
3. कुलियाना	,,
4. बिजेटोला	,,
5. जमदा	,,
6. बिसोई-I	,,
7. तिरिंगी	,,
8. खूंटा-II	,,
9. कपटीपदा	,,
10. घाटगांव	कियोंझर
11. रायगदा	गंजम

इनमें से केवल घाटगांव ब्लाक ने जनजाति विकास खण्ड खोलने के लिये सभी निर्धारित शर्तें पूरी की हैं जैसे :—

(1) उसमें 25,000 अथवा अधिक जनसंख्या होनी चाहिये ।

(2) जनजाति विकास खण्ड में जनजाति की आबादी 66-2/3 प्रतिशत होनी चाहिये ।

(3) जनजाति विकास खण्ड का क्षेत्रफल 150—200 वर्ग मील के बीच होना चाहिये ।

(4) एक सामान्य प्रशासन एकक के रूप में कार्य करने की इसमें व्यावहार्यता होनी चाहिये ।

(ग) अब एक सामान्य निर्णय किया गया है कि चतुर्थ योजना के दौरान धन संबंधी प्रतिबंधों के कारण कोई नया जनजाति विकास खण्ड नहीं खोला जाएगा । अतः राज्य सरकार के प्रस्ताव को मानना संभव नहीं था ।

बेरोजगार हरिजनों को किराया-खरीद आधार पर आटो-रिक्शा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव

7419. श्री राजदेव सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरोजगार युवा हरिजनों को किराया-खरीद आधार पर आटो-रिक्शा उपलब्ध कराने के लिये सरकार का विचार केरल सरकार के उदाहरण का अनुसरण कर देश भर में हरिजन विकास निगम गठित करने का है; और

(ख) क्या इस प्रकार की शीघ्र फलदायी योजनाएं युवा हरिजनों की सहकारी समितियों द्वारा भी चलाई जाएंगी ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) केरल सरकार द्वारा स्थापित किये जाने के लिये प्रस्तावित निगम के प्रतिमान पर हरिजन विकास निगम स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। किन्तु ऐसे निगमों को स्थापित करने के प्रश्न पर प्राथमिक रूप से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्णय किया जाता है।

किन्तु 1973-74 वर्ष के दौरान कम-से-कम 5 लाख शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के लिये अतिरिक्त रोजगार के अवसर उपलब्ध करने की सामान्य योजना है। इस योजना के अन्तर्गत बनाए जाने वाले रोजगार उत्पादक अथवा स्थाई सम्पत्ति का उत्पादन करने वाले होने चाहिये। इस सामान्य योजना के अन्तर्गत बनाई गई कुछ योजनाएं इस प्रकार की हैं :—

1. स्व रोजगार योजनाएं।
2. इंजीनियरी तथा तकनीकियों की सहकारी समितियां।
3. प्रशिक्षण कार्यक्रम जो अध्यापक इत्यादि को रोजगार उपलब्ध करेंगे।
4. सर्वेक्षण, अध्ययन तथा खोज।
5. इंजीनियरी उपाधि तथा डिप्लोमा धारकों को रोजगार राज्य सहायता।
6. सांख्यिकीय कार्य के संगठन।

योजना के अधीन वास्तविक कार्यक्रम राज्य सरकारों तथा कुछ केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा सूचित किये जाएंगे। मार्गदर्शन जो राज्यों को दिया गया है, में यह सुझाव दिया गया है कि अनुसूचित जाति के सभी स्नातक बेरोजगारों को खपाने के लिये सभी आवश्यक प्रयत्न किये जायेंगे।

हरिजनों द्वारा बौद्ध धर्म और अन्य धर्मों को अपनाना

7420. **श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71, 1971-72 और 1972-73 के दौरान कितने हरिजनों ने बौद्ध धर्म और अन्य धर्मों को अपनाया;

(ख) क्या हरिजनों का हिन्दू धर्म से विश्वास उठ गया है और वे अभी भी सामाजिक कुरीतियों के शिकार हैं; और

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हरिजनों के लिये इन सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन करने के लिये कौनसी ठोस कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) ऐसी सूचना एकत्रित नहीं की जा रही है।

(ख) ऐसा समझने का कोई कारण नहीं है कि हरिजनों का हिन्दू धर्म से विश्वास उठ गया है। छुआछूत की प्रथा यद्यपि कम हुई है, किन्तु कुछ क्षेत्रों में अभी भी जारी है।

(ग) अनुसूचित जातियों की सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन करने के लिये सरकार द्वारा किये गए उपायों में कानून, प्रसार तथा प्रचार और विभिन्न शैक्षिक, आर्थिक तथा अन्य विकासशील योजनाओं के

माध्यम से इन वर्गों का सामाजिक आर्थिक स्तर ऊंचा करने के कार्यक्रम सम्मिलित हैं। इन उपायों का विस्तृत विवरण अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त की वार्षिक रिपोर्टों में दिया गया है जो समय-समय पर संसद् में रखी जाती हैं। पांचवीं योजना के दौरान इन उपायों में वृद्धि की जाएगी।

देहरादून जिले के जौनसर-बावर क्षेत्र में 'माट' की प्रथा का प्रचलित होना

7421. **श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देहरादून जिले के जौनसर-बावर क्षेत्र में 'माट' की प्रथा अभी तक प्रचलित है जिसके अन्तर्गत कोल्टा हरिजनों की दशा सवर्ण हिन्दुओं के दासों से भी बुरी है;

(ख) यदि हां, तो उन्हें इस दासता से छुटकारा दिलाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) कोल्टा हरिजनों में कितनी ऋणग्रस्तता है और क्या यह ऋणग्रस्तता पीढ़ियों से चल रही है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) सूचना मिली है कि जिला देहरादून के जौनसार भावर क्षेत्र में बन्धक श्रम का एक रिवाज प्रचलित है जो वहां "माट" नाम से पुकारा जाता है, जिसके अन्तर्गत एक ऋणी कोल्टा ब्याज के बदले साहूकार के अधीन काम करता है।

(ख) इस प्रथा का मूल कारण ऋणग्रस्तता है। हरिजनों के लिये आर्थिक विकास योजनाएं उनकी आर्थिक दशा सुधारने तथा उनको ऋणग्रस्तता से मुक्त करने के उद्देश्य से बनाई गई हैं।

(ग) निश्चित रूप में ऋणग्रस्तता की मात्रा ज्ञात नहीं है, परन्तु सूचना मिली है कि ऋण बहुत पुराने हैं।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों में साक्षरता की प्रतिशतता

7422. **श्री के० प्रधानी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता की प्रतिशतता क्या है।

(ख) उड़ीसा में कितनी प्रतिशतता है; और

(ग) निकट भविष्य में उनके सुधार के लिए क्या विशेष कदम उठाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) सन् 1971 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार (0-4 आयुवर्ग समेत) सम्पूर्ण देश के संबंध में स्थिति इस प्रकार है :—

अनुसूचित जाति	14.71*
अनुसूचित जनजाति	11.29*

(ख) उड़ीसा के संबंध में स्थिति इस प्रकार है:—

अनुसूचित जाति	15.61*
अनुसूचित जनजाति	9.46*

*ये अस्थाई तथा अप्रकाशित आंकड़े हैं।

(ग) उड़ीसा में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक विकास के लिए चल रही योजनाओं का ब्यौरा विवरण में दिया गया है ।

विवरण

उड़ीसा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के शैक्षणिक विकास के लिये योजनाओं की सूची

(क) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये केन्द्र द्वारा चलाये गये कार्यक्रमों के अन्तर्गत योजनायें।

1. मैट्रिक के बाद छात्रवृत्तियां
2. लड़कियों का छात्रावास

(ख) राज्य क्षेत्र कार्यक्रमों के अन्तर्गत योजनाएं

अनुसूचित जातियां

1. मैट्रिक से पूर्व छात्रवृत्तियां ।
2. छात्रावास।
3. मैट्रिक के बाद अतिरिक्त छात्रवृत्तियां।

अनुसूचित जनजातियां

1. माध्यमिक विद्यालय।
2. मैट्रिक से पूर्व छात्रवृत्तियां।
3. छात्रावास।
4. प्राथमिक पाठशालाओं के अध्यापकों के क्वाटर।
5. उन्नत किये गए सेवाश्रम।
6. माध्यमिक विद्यालयों का हाई स्कूल में परिवर्तन ।
7. रिहायशी प्राथमिक पाठशालायें ।
8. अतिरिक्त मैट्रिक के बाद छात्रवृत्तियां ।
9. सेवाश्रमों की मरम्मत ।
10. अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण संस्थान।

परमाणु ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाने के लिए नई योजनाओं का परित्याग करना

7423. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या देश में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाने के लिए सभी नई योजनाओं का 1980 तक परित्याग करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) जी, नहीं ।

साहूकारो पर रोक लगाने के लिए कानून

7424. **श्री अनादि चरण दास** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में और विशेष रूप से उड़ीसा राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में साहूकारी पर नियंत्रण लगाने के लिए कोई केन्द्रीय कानून बनाने का सरकार का विचार है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): "साहूकारी तथा साहूकार" राज्य का विषय है। देश में साहूकारी पर नियंत्रण करने के लिये कोई केन्द्रीय कानून बनाने का प्रस्ताव नहीं है । जहां तक उड़ीसा राज्य के आदिवासी क्षेत्रों का संबंध है, साहूकारी पर नियंत्रण लगाने के लिये उड़ीसा (सूचीबद्ध क्षेत्र) साहूकार विनियम, 1967 लागू है।

नमक निर्माताओं द्वारा उपकर की अदायगी

7425. **श्री डी० पी० जदेजा** :
श्री बेकारिया :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत सरकार को नमक निर्माताओं द्वारा उपकर के रूप में अदा की गई राशि का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ख) इस अवधि में उक्त राशि में से नमक उद्योग के विकास के लिये इस्तेमाल की गई धन राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) पिछले तीन वर्षों में राज्य-वार और वर्ष-वार उपकर एकत्र करने के बारे में विवरण सं० 1 संलग्न है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4830/73]

(ख) विगत तीन वर्षों में राज्य-वार और वर्ष-वार विकास तथा अन्य कार्यों पर खर्च बताने वाला विवरण सं० 2 संलग्न है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4830/73]

नमक उपकर बोर्ड की स्थापना

7426. **श्री डी० पी० जदेजा** :
श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने नमक निर्माताओं की मांगों तथा इस क्षेत्र में विकास कार्य की जांच के लिए नमक उपकर बोर्ड स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार से सम्पर्क किया हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार नमक उपकर बोर्ड के गठन के सुझाव पर विचार कर रही है ।

गुजरात में नमक उद्योग के विकास का प्रस्ताव

7427. **श्री बेकारिया** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में गुजरात में नमक उद्योग के विकास के लिए गुजरात द्वारा कितने प्रस्ताव भेजे गये; और

(ख) कितने प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख) गुजरात सरकार द्वारा प्रस्तावित विकास कार्यक्रम की सूचना निम्न प्रकार है :—

वर्ष	गुजरात सरकार से प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या
1970	11	2
1971	5	4
1972	41	18

रजिस्टर्ड पत्रों, डाक वस्तुओं तथा बीमाकृत पत्रों के आदान-प्रदान पर भारत-बंगला देश के बीच समझौता

7428. **श्री एम० एस० संजीवीराव** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रजिस्टर्ड पत्रों, डाक वस्तुओं तथा बीमाकृत पत्रों के आदान-प्रदान के लिए बंगला देश के साथ एक समझौता करने का निर्णय किया है, और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां।

(ख) गैर रजिस्ट्री और रजिस्ट्री पत्र डाक, बीमा पत्र डाक और पार्सल सेवा जैसी डाक सेवायें अब तदर्थ आधार पर बंगला देश के साथ उपलब्ध है। पत्र, रजिस्ट्री और बीमा वस्तुओं के संबंध में औपचारिक करारों को अन्तिम रूप दे दिया गया है। पार्सलों से संबंधित करार को अन्तिम रूप दिया जाने वाला है। शीघ्र ही चारों करार बंगला देश डाक प्रशासन के साथ निष्पादित हो जायेंगे।

वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी विकास के लिये एक राष्ट्रीय सूचना पद्धति केन्द्र की स्थापना

7429. **श्री एम० एस० संजीवीराव :**
श्री आर० बी० स्वामीनाथ :

क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी विकास के लिए आधार के रूप में सरकार का विचार एक राष्ट्रीय सूचना पद्धति केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां।

(ख) इस योजना के ब्यौरे बनाए जा रहे हैं।

औद्योगिक उत्पादन प्रवृत्ति का पुनर्विलोकन

7430. **श्री एम० एस० संजीवीराव :**
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में औद्योगिक उत्पादन प्रवृत्तियों का हाल में पुनर्विलोकन किया गया है और इसमें बाधाओं का पता लगाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो पुनर्विलोकन का क्या परिणाम निकला और उस पर कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) जी, हां। औद्योगिक विकास मंत्रालय की वर्ष 1972-73 की वार्षिक प्रशासन रिपोर्ट (जिस पर औद्योगिक विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांग पर मतदान के समय हाल ही में चर्चा हुई थी) में औद्योगिक उत्पादन की प्रवृत्तियों और विद्यमान नीतियों की समीक्षा पर एक पूरा अध्याय दिया हुआ है। इस अध्याय में जिसका शीर्षक 'गत वर्ष का सिंहावलोकन औद्योगिक उत्पादन और नीतियों' की प्रवृत्तियों' हैं, क्षमता के उपयोग पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली समस्याओं की परिवीक्षा सम्मिलित है।

योजना आयोग द्वारा प्रकाशित चौथी पंचवर्षीय योजना के माध्यमिक मूल्यांकन में कुछ कठिनाइयों का पता चला था और इन समस्याओं को हल करने के लिए विभिन्न कदम उठाये गये हैं। इनके क्षमता में वृद्धि करना और देश में विद्यमान अधिष्ठापित क्षमता से और अधिक उत्पादन करना शामिल है।

Expenditure on Telephones used by Union Ministers

7431. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Communications** be pleased to refer to the reply to Unstarred Question No. 3360 on 6th December, 1972 regarding the expenditure on telephones used by Ministers and state :

(a) whether the requisite information has since been collected; and

(b) if so, the main features thereof ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) No, Sir. The information is still awaited from some of the Ministries.

(b) Does not arise.

पिछड़े जिलों में उद्योग स्थापित करना

7432. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :**
श्री भागीरथ भंवर :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े प्रत्येक जिले में, जब से उन्हें पिछड़ा हुआ घोषित किया गया है, अब तक कितने उद्योग स्थापित किये गये हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउरहमान अंसारी) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	1-11-69 से 31-12-72 की अवधि में पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या	राज्य सरकार द्वारा सूचित 31-3-73 तक पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किए गए उन औद्योगिक एककों की संख्या जिन्हें 10% तक राज्य सहायता प्रदान की गई	*पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किए गए उन औद्योगिक एककों की संख्या जिन्हें वित्तीय संस्थानों द्वारा 31-12-73 तक रियायती दर पर सहायता स्वीकार की गई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	आन्ध्र प्रदेश	10	13	45
2.	आसाम	12	—	4
3.	बिहार	13	25	18
4.	गुजरात	15	57	93
5.	हरियाणा	7	—	37
6.	जम्मू और काश्मीर	1	—	14
7.	हिमाचल प्रदेश	—	—	2
8.	केरल	2	39	82
9.	मध्य प्रदेश	11	44	34
10.	मणिपुर	—	9	3
11.	महाराष्ट्र	36	38	53
12.	मैसूर	18	26	52
13.	उड़ीसा	4	15	15
14.	पंजाब	2	25	17
15.	राजस्थान	11	17	33
16.	तमिलनाडु	33	23	21
17.	उत्तर प्रदेश	11	15	48
18.	गोवा	2	52	31
19.	दादर और नगर हवेली	—	—	2
20.	नागालैंड	—	—	2
21.	त्रिपुरा	2	—	—
22.	पश्चिमी बंगाल	39	—	5
23.	पाण्डीचेरी	—	18	1
	योग	229	416	612

*वित्तीय संस्थानों ने पिछड़े क्षेत्रों के अनेक औद्योगिक एककों को सामान्य शर्तों पर भी ऋण दिया है।

भारतीय तथा विदेशी सैक्स फिल्मों के सेंसर किये गये भागों की बम्बई अपराध जगत में बढ़ रहीं मांग

7433. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तथा विदेशी तथाकथित सैक्स फिल्मों के सेंसर किये गये भागों की बम्बई के अपराध जगत में बहुत मांग बढ़ गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या फीचर फिल्मों की अनेक बिना सेंसर की गई कापियां जिनमें अन्यथा सेंसर द्वारा भारी कटौती की गई है, सरकार के ध्यान में आयी है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी फिल्मों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह): (क) तथा (ख) इस प्रकार का कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

भ्रष्टाचार के आरोपों के बारे में तमिल नाडु के मुख्य मंत्री की टिप्पणी

7434. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : क्या **प्रधान मंत्री** तमिल नाडु मंत्रिमंडल के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप के बारे में 28 फरवरी, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1224 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको दिये गये ज्ञापन में उल्लिखित भ्रष्टाचार के आरोपों के बारे में तमिलनाडु के मुख्य मंत्री के विचार केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हो गये हैं, और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय लिया गया है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जैसा कि 28 फरवरी, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1224 के उत्तर में उल्लेख किया गया था, राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए गए ज्ञापनों में लगाए गए आरोपों के बारे में तमिल नाडु के मुख्य मंत्री के विचार प्राप्त कर लिए गए हैं । तथापि, सर्वश्री एम० कल्याणसुन्दरम और एम० जी० रामाचन्द्रन ने प्रधान मंत्री को आगे जो एक और टिप्पणी तथा प्रत्युत्तर (रिज्वाइंडर) भेजे हैं, उन पर मुख्य मंत्री के विचार अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। इस संबंध में मुख्य मंत्री को फिर से लिख दिया गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आकाशवाणी के टेलीविजन केन्द्र के स्टाफ आर्टिस्टों, कैमरामैनों, सम्पादकों आदि का उच्च प्रशिक्षण के लिये प्रतिनियुक्ति पर विदेश न भेजा जाना

7435. **श्री लालजी भाई** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के टेलीविजन केन्द्र के स्टाफ आर्टिस्टों, कैमरामैनों, सम्पादकों, साउड रिकार्ड करने वालों को उच्च प्रशिक्षण के लिए विदेशों में नहीं भेजा जा रहा है;

(ख) क्या इस नीति के कारण अनेक विदेशी छात्रवृत्तियां बेकार जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) टेलीविज़न केन्द्र में कार्य करने वाले विभिन्न श्रेणियों के स्टाफ आर्टिस्टों को संगठन की आवश्यकताओं के अनुसार विदेशों में प्रशिक्षण के लिये भेजा जाता है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता।

परमाणु बिजली घरों में काम कर रहें कर्मचारियों को रेडियोधर्मी प्रभाव से सुरक्षा

7436. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश के परमाणु बिजलीघरों में काम कर रहे कर्मचारियों को रेडियोधर्मी प्रभाव से सुरक्षा को सूनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमति इन्दिरा गांधी) : कर्मचारियों एवम् पर्यावरण की सुरक्षा को बनाये रखने के उद्देश्य से, परमाणु बिजलीघरों का डिजाइन बनाने और उनका संचालन करने का काम इस प्रकार से किया जाता है कि संचालन की किसी भी अवस्था में कर्मचारियों पर पड़ने वाले विकिरण की मात्रा अनुमत मात्रा से अधिक न होने पाये ।

अवशिष्ट रेडियो सक्रिय पदार्थों का निपटान

7437. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि परमाणु संयंत्रों के अवशिष्ट रेडियो-सक्रिय पदार्थों का किस प्रकार निपटान किया जाता है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : रेडियोसक्रिय अवशिष्ट पदार्थों में न केवल विखण्डन-जनित्र पदार्थ मिले होते हैं, अपितु उनमें संक्षारण, सक्रियकरण तथा क्षय की प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुए पदार्थ भी शामिल होते हैं। रेडियोसक्रियता की अल्प मात्रा से युक्त द्रव अवशिष्टों को तनु बनाकर तथा आवश्यकतानुसार समुचित रूप से शोधित करने के बाद पर्यावरण में फैला दिया जाता है तथा रेडियो सक्रियता की अधिक मात्रा से युक्त अवशिष्ट द्रवों की सामान्यत: सांद्रित करने के बाद बन्द कर दिया जाता है। ठोस अवशिष्ट पदार्थों को, उनमें रेडियोसक्रियता की मात्रा चाहे कितनी भी क्यों न हो, कंक्रीट से बने धारकों में स्थिर कर दिया जाता है तथा इसके बाद उन्हें ऐसी जगह भूमि में गाढ़ दिया जाता है जो अवशिष्ट पदार्थों गाढ़ने के लिए निर्धारित की गई हो। निपटान का यह सारा काम नियंत्रित अवस्थाओं में किया जाता है तथा उसके बाद, संदूषण की रोकथाम करने के उद्देश्य से, रेडियोसक्रियता की मात्रा को मापने तथा इस पर निगरानी रखने का काम अनिवार्य तथा नियमित रूप से किया जाता है।

योजना में सम्मिलित परियोजना की क्रियान्विति सुनिश्चित करने हेतु राज्यों में मानीटरिंग युनिटों की स्थापना के लिए मार्गदर्शी सिद्धात

7438. **श्री के० लकप्पा** :
श्री पी०. गंगादेव :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या योजना में सम्मिलित परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों की उचित क्रियान्विति को सुनिश्चित करने के लिए योजना आयोग ने वैज्ञानिक आधारों पर राज्यों में मानीटरिंग यूनिट स्थापित करने के लिए कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाये हैं, और

(ख)यदि हां, तो मार्गदर्शी सिद्धान्तों की मुख्य बातें क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : **(क) तथा (ख)** मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार किए जा रहे हैं, जो शीघ्र ही जारी किए जायेंगे ।

विद्युत के रुप में सूर्य-उर्जा का प्रयोग

7439. **श्री के० लकप्पा :**

श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विद्युत के अन्य नये साधनों के साथ-साथ सूर्य-ऊर्जा पर भी विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो सूर्य भूमि पर प्रति वर्ग किलोमीटर कुल कितनी शक्ति डालता है;

(ग) क्या सूर्य-ऊर्जा के कुछ ऐसे साधनों में से एक है जो मानव आवश्यकताओं की पूर्त्ति के लिए पर्याप्त है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार विद्युत प्रयोजनों के लिए सूर्य-ऊर्जा का इस्तेमाल करने का है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति ने ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में सौर (सूर्य) ऊर्जा के सामर्थ्य के मूल्यांकन के लिए एक विशेषज्ञ दल की स्थापना की है ।

(ख) यह परिमापन किया गया है कि भारत में जो 7° उत्तर तथा 37° उत्तर के अक्षांश में स्थित है, 550 कैलोरी/2सी०एम०/दिन का औसत सौर विकिरण पहुंचता है । भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा सौर विकिरण की सघनता का अभिलेखन देश के विभिन्न स्थलों में किया जाता है।

(ग) यह परिमापन किया गया है कि पृथ्वी तक पहुंचने वाली कुल सौर-ऊर्जा संसार की जन-संख्या की आवश्यकता से अपेक्षाकृत अधिक है तथा तकनीकी रूप से यह रुढ़ स्रोत जैसे, ईंधन एवं विद्युत को पूर्णरूप से प्रतिस्थापित कर सकती है।

(घ) विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति के विशेषज्ञ दल के सौर-ऊर्जा पर विचार विमर्श के फलस्वरूप इसके उपयोग संबंधी संभाव्य क्षेत्रों का निर्धारण होगा। अनुसंधान और विकास कार्यक्रम के परिणामों द्वारा मूल्यांकित सफलता के लिए सहयोग उपलब्ध हो सकेगा ताकि एक विस्तृत पैमाने पर इसके उपयोग का विचार लिया जा सके।

दिल्ली-अहमदाबाद-गांधीनगर लाइन पर डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था

7440. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रियों तथा सचिवों के प्रयोग के लिए दिल्ली-अहमदाबाद-गांधीनगर के बीच डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने के लिए लाइन पर केवल कुछ ही कनेक्शनों की व्यवस्था की गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार विधायकों के होस्टलों में भी यह व्यवस्था करने का है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) अहमदाबाद टेलीफोन प्रणाली से गांधीनगर में सचिवालय और मुख्य मंत्री के रिहायशी मकान में सीधे टेलीफोन कनेक्शन और पी० बी० एक्स० की जंक्शन लाइनों के तौर पर लम्बी दूरी के 8 टेलीफोन कनेक्शन दिए गए हैं। इन लाइनों से अहमदाबाद के अन्य टेलीफोन उपभोक्ताओं की तरह दिल्ली आदि को टेलीफोन किया जा सकता है ।

(ख) गांधीनगर, में अहमदाबाद एक्सचेंजों से लम्बी दूरी का अब और कोई नया कनेक्शन देने का प्रस्ताव नहीं है।

भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए राज्यों में सतर्कता आयोग की स्थापना

7441. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने राज्यों ने प्रशासन में भष्टाचार की रोकथाम के लिए सतकर्ता आयोग स्थापित किये हैं;

(ख) क्या ये आयोग केन्द्रीय सतर्कता आयोग की तरह ही काम कर रहे हैं;

(ग) राज्य तथा केन्द्र दोनों में प्रशासनिक स्तर पर भ्रष्टाचार की प्रभावशाली ढंग से रोकथाम के लिए ये सतर्कता आयोग किस हद तक सफल हुए हैं; और

(घ) क्या इन आयोगों को सुदृढ़ करने तथा इनके कार्य को सुधारने का कोई प्रस्ताव है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (घ) राज्य सरकारों से सूचना एकत्रित की जा रही है और इसे सदन के पटल पर रख दिया जायेगा।

मैसर्स आर्थर बटलर कम्पनी, मुज्जफरपुर के विरुद्ध जांच

7443. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स आर्थर बटलर कम्पनी, मुज्जफ्रपुर के निदेशकों के विरुद्ध कम्पनी के मजदूर संघ तथा फैक्टरी के मैनेजर ने जांच समिति की कम्पनी के धन के गबन के कुछ विशिष्ट आरोप बताये हैं।

(ख) क्या विधान सभा के एक सदस्य ने भी इस बारे में समिति को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस कम्पनी के निदेशकों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराने का है; और यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम) : (क) और (ख) जी हां ।

(ग) जांच समिति की रिपोर्ट इस समय सरकार के विचाराधीन है ।

Complaint against the Grant of Pension

7444. **Shri Ram Avtar Shastri** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the President of Chauk Thana Swatantra Senani Sangh (Chauk Thana Freedom Fighters' Association), Patna Town and a Member of Parliament have sent him a complaint against the grant of pension to a 'Mukhbir' (Informer) of Patna Town;

(b) if so, the facts thereof; and

(c) the action taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) to (c) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

पटना रेलवे डाक सेवा के सेक्शन पी-4 के विभाजन के विरुद्ध पटना स्थित रेलवे डाक सेवा के कर्मचारियों द्वारा विरोध

7445. **श्री रामावतार शास्त्री**: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक व तार प्रशासन द्वारा डाक व तार डिवीजन के पटना स्थित रेलवे डाक सेवा के सेक्शन पी-4 का विभाजन कर दिया गया है; यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ख) क्या रेलवे डाक सेवा संघ ने इसका विरोध किया है और वे सीधी कार्यवाही करने की तैयारी कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) जी नहीं । रेल डाकसेवा के 'पी० डिवीजन को दो भागों में विभाजित कर दिया गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Second Earth Satellite Station

7446. **Shri Narendra Singh Bisht** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of employees of various categories working on the Second Earth Statellite Station near Dehra Dun and the number of local persons out of them; and

(b) in case the ratio of the local employees is less, the action being taken to increase it ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) Construction work at the Second Satellite Earth Station near Dehra Dun has been awarded to the contractors by the Central Public Works Department and is in progress. No staff of the Overseas Communications Service has yet been posted at the project site.

(b) Does not arise.

Incentives to Government Servants who do their entire work in Hindi

7447. **Shri Narendra Singh Bisht** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4120 on 21st March, 1973 in Lok Sabha and state :

(a) the outlines of the scheme being formulated for providing incentives to the employees who work in Hindi and the time by which it is likely to be implemented; and

(b) whether it has been provided in the proposed incentive scheme that the employees, who will do their entire work in Hindi, will be given two advance increments ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) & (b) The incentive scheme is still at consideration stage.

भारत में विदेशी धर्मप्रचारक संस्थानों की गतिविधियां

7448. **श्री शंकरराव सावन्त**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में विदेशी धर्मप्रचारक संस्थानों के नाम क्या हैं, वे कहां-कहां पर स्थित हैं और उनकी गतिविधियों का क्षेत्र क्या है ;

(ख) क्या उनमें से कुछ अशिक्षित लोगों को ईसाई बनाने में लगे हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो ऐसे धर्मप्रचारक संस्थानों के नाम क्या हैं; और

(घ) निर्धन तथा अशिक्षित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

राज्यों के बीच विभिन्न सीमा विवादों को हल करने के लिए व्यवस्था

7449. **श्री शंकरराव सावन्त**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों के बीच विभिन्न सीमा-विवादों को हल करने के लिए कोई व्यवस्था की गई है अथवा सिद्धान्त निर्धारित किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और यदि नहीं, तो केन्द्र का विचार इन विवादों को किस प्रकार निपटाने का है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) जैसा कि सरकार का दृष्टिकोण पहले भी बताया गया है कि इन समस्याओं का समाधान उनके तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए किया जा सकता है और ऐसे सभी मामलों के अनुरूप कोई विशिष्ठ सिद्धान्त बनाना कठिन होगा । अतः ऐसे विवादों के समाधान के लिए इस प्रकार की कोई व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव नहीं है ।

उद्योगों में विदेशी तकनीशियनों को नियुक्त करने पर रोक लगाया जाना

7450. **श्री शंकरराव सावंत**: क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में उद्योगों में विदेशी तकनीशियन नियुक्त करने के बारे में प्रतिवन्ध लगाये गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो वे प्रतिबन्ध क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम) : (क) और (ख) विदेशी अधिनियम, 1946 और विदेशियों का पंजीयन अधिनियम, 1939 के अधीन प्रतिबन्धों के अतिरिक्त भारत के उद्योगों में विदेशी तकनीशियनों के प्रवेश और रोज़गार पर कोई विशेष प्रतिबंध नहीं है । भारत में उद्योगों में रोजगार प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा विदेशी तकनीशियनों को केवल सीमित अवधि के लिए ही आयकर की रियायत दी जाती है और इस उद्देश्य के लिए सम्बन्धित प्राधिकरणों द्वारा रोजगार दिए जाने वाले विदेशी तकनीशियनों की योग्यता आंकने की आवश्यकता की जांच की जाती है । जहां कहीं भी विदेशी राष्ट्रिकों को पारपत्रों की आवश्यकता पड़ती है । इस

जांच से और इस पर आधारित सिफारिशों पर दीर्घावधि पारपत्र देने के आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में विचार करने में मदद मिलती है ।

जबकि विभिन्न प्रशासनिक मंत्रालय विदेशी तकनीशियनों की सेवा सम्बन्धी शर्तों के प्रस्तावों पर अनुमोदन हेतु विचार कर रहे होते हैं, कुछ निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों को भी ध्यान में रखा जाता है ताकि विदेशी तकनीशियनों की योग्यता की समीक्षा और उसकी आवश्यकता निश्चित की जा सके । वे शर्तें इस प्रकार हैं:—

(1) परियोजना के कार्य की विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप विदेशी तकनीशियन को रोजगार दिया जाना अपरिहार्य है और उस कार्य में वह विशेष रूप से अर्द है ।

(2) आवश्यक योग्यता और अनुभव वाले भारतीय उपलब्ध नहीं हैं ।

(3) विदेशी तकनीशियन के अधीन भारतीयों के प्रशिक्षण हेतु सन्तोषजनक प्रबन्ध किए जाएं ताकि भारतीय यथाशीघ्र विदेशी तकनीशियन का स्थान ग्रहण कर उसका कार्यकाल पूरा होने पर उसका स्थान ले सकें ।

(4) स्वीकृत वेतन युक्ति संगत हो (उसे अपने देश को लौट जाने का आकर्षण बना रहे) ।

(5) विदेशी तकनीशियन के पारिश्रमिक पर स्वीकृति देते समय कर सम्बन्धी कानूनों के अधीन उसे मिलने वाले कर लाभ का ध्यान रखा जाना चाहिए ।

साथ ही विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 के अनुसार वर्तमान विदेशी राष्ट्रिकों की नियुक्ति विनियमित होती है । यह उन मामलों में होती है जहां रिजर्व बैंक आफ इण्डिया की पूर्व अनुमति के बिना विदेशी राष्ट्रिकों को रोज़गार दिए जाने पर भारत में अर्जित पारिश्रमिक को विदेश में हस्तान्तरित करने की सुविधा से वंचित होना पड़ता है ।

इसी अधिनियम के अन्तर्गत भारत में किसी व्यक्ति, कम्पनी अथवा फर्म को भारत में एजेंट अथवा तकनीशियन अथवा प्रबन्धकीय सलाहकार के रूप में बिना केन्द्रीय सरकार अथवा रिजर्व बैंक आफ इण्डिया की पूर्वानुमति के विदेशी नियन्त्रित कम्पनियों, फर्मों और कम्पनियों को अनुमति नहीं दी है ।

विदेशी मुद्रा विनियमन विधेयक 1972 में जो लोक सभा में पेश हो चुका है भारत में विदेशियों को रोज़गार देने पर और भी प्रतिबन्ध लगाए गए हैं । चूंकि यह विधेयक संसद के समक्ष है और इसे अभी पारित किया जाना है इसलिए इस विधेयक के विषय के विशेष उपबन्धों का संकेत यहां नहीं दिया गया है ।

महाराष्ट्र में सरकारी क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना

7451. **श्री शंकरराव सावन्त** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1973-74 के दौरान महाराष्ट्र में सरकारी क्षेत्र में नए उद्योगों की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उन उद्योगों के नाम क्या हैं, वे कहां-कहां स्थापित किए जायेंगे, उनकी क्षमता कितनी-कितनी होगी और उन पर कितनी-कितनी पूंजी लगेगी ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली प्रशासन में अधिकारियों के तबादले

7452. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन में उच्च पदाधिकारियों के हाल में तबादले किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) हाल ही में प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुये लोक-हित में निम्नलिखित अधिकारियों के तबादले किये गये हैं:—

(1) श्री बी आर० टमटा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, का श्रम आयुक्त के पद से तबादला और दिल्ली प्रशासन में खाद्य तथा सम्भरण के आयुक्त के पद पर नियुक्ति।

(2) श्री एम० बी० कौशल, भारतीय पुलिस सेवा का पुलिस अधीक्षक (दक्षिण जिला) दिल्ली के पद से तबादला और गोवा में पुलिस महा-निरीक्षक के पद पर नियुक्ति।

(3) श्री आर० के० ओहरी, भारतीय पुलिस सेवा का पुलिस अधीक्षक मैनुअल, के पद से तबादला और पुलिस अनुसंधान तथा विकास ब्यूरो में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति।

(4) श्री आर० के० शर्मा, भारतीय पुलिस सेवा का पुलिस अधीक्षक, लाइन्स, के पद से तबादला और पुलिस अधीक्षक (दक्षिण जिला) दिल्ली, के पद पर नियुक्ति।

(5) श्री एन० के० सिंघल, भारतीय पुलिस सेवा का पुलिस अधीक्षक (केन्द्रीय जिला) के पद पर तबादला और पुलिस अधीक्षक (नई दिल्ली जिला) के पद पर नियुक्ति।

(6) श्री कुलवीर सिंह, भारतीय पुलिस सेवा, का अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, लाइन्स, दिल्ली, के पद पर नियुक्ति।

(7) श्री करतार सिंह, भारतीय पुलिस सेवा का पुलिस अधीक्षक, मैनुअल, के पद से तबादला और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दिल्ली, के पद पर नियुक्ति।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम को ऋण और अग्रिम राशि

7453. **चौधरी राम प्रकाश**: क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम को ऋणों/अग्रिम राशियों/वित्तीय सहायता के रूप में दी गई राशि का वर्षबार ब्यौरा क्या है;

(ख) वित्तीय वर्ष 1973-74 के दौरान उक्त निगम को ऋणों/राशियों/अग्रिम वित्तीय सहायता के रूप में कितनी राशि देने का प्रस्ताव है; और

(ग) क्या उक्त निगम की खराब वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए अधिक मात्रा में ऋण और अग्रिम राशि देने का सरकार का विचार है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क)

(रुपये लाखों में)

वर्ष	अनुदान	ऋण
1970-71	63.65	176.00
1971-72	111.51	164.08
1972-73	318.14	166.67

(वर्ष 1972-73 में सरकार 3 करोड़ रु० के एक ऋण जिसके लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम का विचार अपना किराया-खरीद कार्यों पर खर्च करने का था, के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के बैंकर्स को गारन्टी देने के लिए सहमत हो गई ।)

(ख)

1973-74	160.53	16.80

(इसके अतिरिक्त निगम की हिस्सा पूंजी में खर्च करने के लिए 200 लाख रु० का प्रावधान किया गया है ।)

(ग) सरकार निगम की वित्तीय स्थिति की सतत् समीक्षा कर रही है और वर्ष 1973-74 के प्रावधान उनकी वास्तविक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किये गये हैं ।

उपग्रह शिक्षणात्मक टेलीविज़न के बारे में संयुक्त राज्य अमेरीका के नेशनल एयरोनाटिक्स एण्ड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ संयुक्त परीक्षण

7454. **श्री झारखण्डे राय** : क्या **अंतरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपग्रह शिक्षणात्मक टेलीविज़न के बारे में संयुक्त परीक्षण करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के 'नेशनल एयरोनाटिक्स एण्ड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन' और परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ जिस सहयोग-पत्र पर हस्ताक्षर किए गये हैं, उसकी क्या शर्तें हैं;

(ख) इस समझौते से भारत को क्या लाभ होंगे; और

(ग) संयुक्त परीक्षण कब प्रारम्भ होने की आशा है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) सहयोग-पत्र की प्रतियां संसद् के पुस्कालय में उपलब्ध हैं ।

(ख) इस परीक्षण से, टेलीविजन संचारण और उसे ग्रहण करने सम्बन्धी भूमि पर होने वाले कुल कार्य के संयोजन से एक उपग्रह को प्रयोग में लाने वाली एक संकर पद्धति की तन्त्र-जांच की जा सकेगी ।

(ग) इस परीक्षण के, अब सन् 1975 में प्रारम्भ होने की आशा है ।

महाराष्ट्र के भण्डारा जिले को पिछड़े जिलों की सूची में शामिल किया जाना

7455. **श्री जगन्नाथ राव जोशी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत पिछड़े जिलों की सूची में भण्डारा जिले को सामिल करने का केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) : भण्डारा जिले को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों की सूची में शामिल किया गया है जिससे कि वह वित्तीय संस्थानों से रियायती दर पर धन प्राप्त करने का पात्र बन सके ।

Setting up of a Film Council and National Film Corporation

7456. **Shri Shiv Kumar Shastri:**
Shri S. N. Mishra:

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up a Film Council and the National Film Corporation; and

(b) if so, the main features of the proposal and the time by which these will be set up ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha):(a) & (b) Yes, Sir. Government propose to take a series of steps for the integrated development of the film industry as a whole through a Film Council and a multi-functional National Film Corporation in the public sector. The details thereof are being worked out.

आन्ध्र प्रदेश के अराजपत्रित कर्मचारियों के नेताओं के साथ गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री की बातचीत

7457. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश के अराजपत्रित कर्मचारियों के नेताओं ने गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री से बातचीत की थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक में किस विषय पर बातचीत हुई; और

(ग) इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) से (ग) गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री कृष्ण चन्द्र पन्त ने आन्ध्र में राजपत्रित सरकारी अधिकारियों द्वारा की गई हड़ताल को समाप्त कराने के लिए 15, 17 और 18 मार्च, 1973 को आन्ध्र के इन अधिकारियों के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श किया था । आन्ध्र के अराजपत्रित सरकारी अधिकारियों की हड़ताल समाप्त हो गई है । सरकार ने इस कदम का स्वागत किया है । इससे राज्य में स्थिति सामान्य होने में और सहायता मिलेगी ।

पांचवी योजना के दौरान क्षेत्रीय असंतुलनों को समाप्त करने हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग

7458. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्षत्रीय असन्तुलनों को समाप्त करने हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई योजनाओं की विशेष बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम) : विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोजना का एक लक्ष्य देश के आर्थिक विकास में क्षेत्रीय असन्तुलन को कम करना है । इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध स्थानीय कच्ची सामग्री के विकसित प्रयोग तथा पिछड़े क्षेत्रों के अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर बल दिया जा रहा है । विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोजना अभी निर्माणाधीन है अतः इस स्थिति में योजनाओं के ब्यौरे नहीं बताए जा सकते ।

मिजोराम में मिजो विद्रोहियों की गतिविधियां

7459. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिजोराम में मिजो विद्रोहियों की गतिविधियों की रोकथाम करने के लिये क्या अग्रैतर कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या उन्हें विदेशी शक्तियों की सहायता मिल रही है; और

(ग) यदि हां, तो वे विदेशी शक्तियां कौन हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) असम उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्र अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत प्रशासक द्वारा मिजोरम संघ शासित समस्त क्षेत्र को और 6 महीने की अवधि के लिये "उपद्रव ग्रस्त क्षेत्र" घोषित किया गया है । ऐसे भूमिगत विद्रोहियों की गतिविधि में वृद्धि को रोकने के उद्देश्य से भी मिजोरम प्रशासन ने सुरक्षा के उपाय कड़े किये हैं ।

(ख) और (ग) बंगला देश के बनने से पूर्व पाकिस्तान द्वारा भूमिगत विद्रोही आन्दोलन के लिये दी गई सहायता के बारे में सदन को सूचित किया गया था ।

जेलों में राजनीतिक दलों के कार्यकर्त्ताओं के साथ राजनीतिक कैदियों जैसा व्यवहार

7460. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्त्ताओं के साथ जेलों में राजनीतिक कैदियों जैसा व्यवहार नहीं किया जाता;

(ख) यदि हां, तो क्या राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं के साथ राजनीतिक कैदियों जैसा व्यवहार करने के लिये विभिन्न राज्यों को कोई उचित अनुदेश दिये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) अधिकांश राज्यों के जेल नियमों में राजनीतिक कैदियों के रूप में अलग वर्गीकरण की व्यवस्था नहीं है और उन्हें सजा देने वाले न्यायालय की सिफारिश पर, जेलों में व्यवहार के उद्देश्य से सभी कैदी सामान्यतया दो या तीन वर्गों में वर्गीकृत किये जाते हैं ।

(ख) और (ग) "जेलें" राज्य का विषय होने के कारण केवल राज्य सरकारें कैदियों के वर्गीकरण आदि के लिये नियम बनाने के लिये सक्षम हैं ।

आन्ध्र समस्या का हल

7461. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र समस्या का कोई ठोस हल ढूंढ लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिये क्या अन्य उपाय किय गये हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) स्थिति में सुधार हुआ है और आन्ध्र प्रदेश को पेचिदा समस्याओं का सन्तोषजनक हल निकालने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं ।

Commemorative Pillars during Anniversary Celebrations of Independence

7462. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state whether Government propose to build five thousand commemorative pillars during the Silver Jubilee Celebrations of the 25th Anniversary of Independence and if so, the progress made in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : As a part of the 25th Independence Jayanti Programme specially designed Commemorative Stones, containing the Preamble to the Constitution on one side and the names of the freedom fighters of the local area on the other, are being installed in each development block of the country. The State Governments and the Union Territory Administrations have taken up production of these Stones on the basis of models and blue prints supplied to them. A few of them have already been installed.

Payment of House Rent Allowance to P & T Employees in Pali City (Rajasthan)

7463. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether House Rent Allowance is being paid to the post and Telegraph employees in Pali City (Rajasthan); and

(b) if not, the reasons therefor?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) No.

(b) Pali does not fulfil the population criterion followed by Government in the matter of classification of cities for the purpose of grant of house rent allowance.

भारत रूस संयुक्त आयोग की अगली बैठक

7464. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत-रूस संयुक्त आयोग की अगली बैठक की तारीख निश्चित हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उस बैठक में किन विषयों पर चर्चा की जायेगी; और

(ग) उन भारतीय व्यक्तियों के नाम क्या हैं जो उस बैठक में भाग लेंगे ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, नहीं ।

भारत-रूस संयुक्त आयोग की अगली बैठक 1974 में किसी समय होने की सम्भावना है ।

(ख) तथा (ग) उस बैठक में विचार-विमर्श के लिए प्रस्तावित किए जाने वाले विषयों तथा उसमें भाग लेने वाले भारतीयों के सम्बन्ध में यथासमय निर्णय किया जायेगा ।

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली असिस्टेन्ट ग्रेड की परीक्षा में बैठने के अवसरों की संख्या में वृद्धि

7465. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **प्रधान** मंत्री संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली सिअस्टेंट ग्रेड की परीक्षा की आयु-सीमा में वृद्धि और परीक्षा में बैठने के अवसरों की संख्या में वृद्धि के बारे में 22 नवम्बर, 1972 के तारांकित प्रश्न संख्या 131 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रशासनिक सेवा के बारे में निर्णय के बाद असिस्टेंट ग्रेड परीक्षा में बैठने के अवसरों को दो से बढ़ाकर तीन करने के बारे में स्थिति की सरकार ने समीक्षा की है, और

(ख) यदि नहीं, तो कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) इस वर्ष ली जाने वाली भारतीय प्रशासनिक सेवा आदि की परीक्षा में बैठने के लिए तीन अवसर प्रदान करने से सम्बन्धित निर्णय पूर्णतया एक अन्तःकालीन उपाय है । इस सम्बन्ध में अंतिम स्थिति अगले वर्ष उस समय मालूम होगी जबकि असिस्टेंट ग्रेड सहित अन्य सेवाओं की परीक्षाओं में आवश्यक किन्हीं परिवर्तनों से सम्बन्धित प्रश्न की जांच की जाएगी ।

योजना आयोग का पुनर्गठन

7466. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**
श्री अर्जुन सेठी :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के कुछ डिवीजनों के कार्यों में सुधार करने हेतु योजना आयोग का पुनर्गठन करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) **तथा** (ख) उद्योग और खनिज प्रभाग तथा प्रबोधन एवं सूचना प्रभाग को पुनर्गठित करने तथा सुदृढ़ करने के प्रस्तावों पर इस समय, आयोजना प्रक्रिया में तथा अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सुधार लाने की दृष्टि से विचार किया जा रहा है ।

उत्तर बंगाल में कागज और लुगदी परियोजना

7467. **श्री आर० एन० बर्मन** :
श्री बी० के० दास चौधरी :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का विचार उत्तर बंगाल में भारी मात्रा में उपलब्ध स्थानीय कच्चे माल पर आधारित सरकारी क्षेत्र में कागज और लुगदी निर्माण परियोजना स्थापित करने का है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : इस समय पश्चिम बंगाल में सरकारी क्षेत्र में कागज और लुगदी बनाने की प्रयोजना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

पिछड़ा क्षेत्र विकास प्राधिकरण

7468. **श्री आर० एन० बर्मन :**

श्री बी० के० दासचौधरी :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक विकास में वृद्धि करने के लिये राज्य सरकार के परामर्श से पिछड़े क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे का विकास करने हेतु पिछड़ा क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना करने के प्रश्न पर उनका मंत्रालय विचार कर रहा है ; और

(ख) यदि नहीं, तो पिछड़े क्षेत्रों के विकास में द्रुत गति से परिवर्तन लाने के लिये उनके मंत्रालय का क्या अन्य उपाय करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों तथा वित्तीय संस्थानों ने समन्वित रूप में पिछड़े क्षेत्रों/जिलों में विनियोजन और उद्योगों को आकर्षित करने के लिए कुछ प्रोत्साहन प्रदान किए हैं किन्तु पिछड़ा क्षेत्र विकास प्राधिकरण गठित करने के सम्बन्ध में अन्तिम विचार नहीं किया गया है ।

सार्वजनिक समारोहों में मंत्रियों द्वारा थैलियां स्वीकार किया जाना

7469. **श्री भागीरथ भंवर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के मंत्रियों द्वारा सार्वजनिक समारोहों में थैलियां स्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में एक नीति बनाई है;

(ख) क्या सार्वजनिक सभाओं में थैलियों के रूप में मिले धन का उपयोग करने के लिये कोई नियम बनाये गये हैं अथवा उन्हें पाने वाले व्यक्तियों के विवेक पर छोड़ दिया गया है; और

(ग) गत दो वर्षों में कितने केन्द्रीय मंत्रियों को सार्वजनिक समारोहों में थैलियां भेंट की गई तथा इनसे कितना धन प्राप्त हुआ ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) मंत्रियों को भेंट की गई थैलियों के स्वीकार्य किए जाने तथा उसके निपटान के बारे में मंत्रियों की आचार संहिता के पैरा 3 में व्यवस्थाएं समाविष्ट की गई हैं । इस आचार संहिता की एक प्रतिलिपि दिनांक 18-11-1964 को लोकसभा के पटल पर रखी गयी थी । उस पैरा में अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था है कि यदि कोई थैली या चैक जो किसी पंजीकृत समिति या किसी परोपकारी निकाय, या किसी सार्वजनिक प्राधिकारी द्वारा मान्यता-प्राप्त संस्था, या किसी राजनैतिक दल के आशय से किसी मंत्री को भेंट किया जाता है तो वह उसे यथाशीघ्र उस संगठन को दे देगा जिसके लिए इसको देने का इरादा किया गया हो । आचार संहिता में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसमें केन्द्रीय मंत्रियों को उनके द्वारा प्राप्त किसी थैली के बारे में प्रधान मंत्री को सूचित करना अपेक्षित हो ।

राजस्थान के जोधपुर डिवीजन में अपर्याप्त संचार व्यवस्था

7470. **श्रीमती कृष्णा कुमारी (जोधपुर)** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजस्थान के जोधपुर डिवीजन में संचार व्यवस्था पर्याप्त नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो समुचित रूप से संचार व्यवस्था में सुधार करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां ।

(ख) वित्तीय और साज-सामान के साधन एक सीमा में उपलब्ध होने के कारण समूचे देश में संचार सुविधाओं की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए संचार प्रणाली को पर्याप्त बनाना सम्भव नहीं हो सका है । विभिन्न चरणों में पूरा करने के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं जैसे ज्यादा पी०सी०ओ० और टेलीफोन एक्सचेंज खोलना, मैनुअल एक्सचेंजों को आटोमेटिक एक्सचेंजों में बदलना, माइक्रोवेव/कोएक्सियल प्रणालियां स्थापित करना, राष्ट्रीय उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग लागू करना आदि । इन योजनाओं में राजस्थान के जोधपुर डिवीजन का इलाका भी आता है । आगामी वर्षों में जयपुर-बीकानेर, बीकानेर-श्रीगंगानगर, जोधपुर-अजमेर और अजमेर-जयपुर मार्गों पर माइक्रोवेव प्रणालियां चालू कर दी जाएंगी । जोधपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर और उदयपुर के उपभोक्ताओं को राष्ट्रीय उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधाएं देने के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जोधपुर में एक ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज चालू करने की योजना है ।

इस क्षेत्र की संचार चैनलों की बढ़ती हुई मांगों पर विभाग बराबर निगरानी रख रहा है और समय-समय पर विभिन्न सेक्शनों में खुले तार वाली केरियर प्रणालियां चालू की जा रही हैं ।

जोधपुर में उद्योगों की स्थापना

7471. **श्रीमती कृष्णा कुमारी (जोधपुर)** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के जोधपुर डिवीजन में बड़े और मध्यम स्तर के जिन सरकारी/संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना करने के प्रश्न पर सरकार योजना बना रही है, उनके नाम क्या हैं; और

(ख) वे कब स्थापित हो जायेंगे ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिये एकाधिकार गृहों पर से प्रतिबन्ध हटाना

7472. **श्रीमती कृष्णा कुमारी (जोधपुर)** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उन एकाधिकार गृहों पर से सामान्य प्रतिबन्ध को हटाने का है जो ये पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करना चाहते हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) बड़े औद्योगिक गृहों के बारे में सरकार की नीति दिनांक 2 फरवरी, 1973 की प्रेस विज्ञप्ति में दी गई है, जिसकी प्रतियां 21 फरवरी, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 281 के उत्तर में सभा पटल पर रख दी गई थी ।

लघु उद्योग सेवा संस्थान के विस्तार केन्द्र दर्जा बढ़ाया जाना

7473. **श्रीमति कृष्णा कुमारी (जोधपुर)** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोधपुर (राजस्थान) में इंजीनियरिंग उद्योगों के विकास को देखते हुए सरकार का विचार भारत सरकार के लघु उद्योग सेवा संस्थान के वर्तमान केन्द्र का दर्जा संस्थान की शाखा तक बढ़ाने तथा परीक्षण सम्बन्धी सुविधाएं सहित इस में तकनीकी कर्मचारियों और उपकरणों की व्यवस्था करके इसे पर्याप्त रूप से सुदृढ़ करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी): (क) ऐसा कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) सरकार नये शाखा संस्थान स्थापित करने अथवा विद्यमान विस्तार केन्द्रों का दर्जा बढ़ाने के सम्बन्ध में अखिल भारतीय दृष्टिकोण अपनाती है । आवश्यक समझे जाने वाले प्रस्ताव को निधि की प्राप्यता के अधीन प्राथमिकता दी जाती है ।

इण्डियन रेअर अर्थस चवारा के मिनरल्स सैंड सेपेरेशन प्लांट की स्थापित क्षमता

7474. **श्री वयालार रवि** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इण्डियन रेअर अर्थस, चवारा के मिनरल्स सैंड सेपरेशन प्लांट की कुल स्थापित क्षमता क्या है और गत तीन वर्षों में इसका वास्तविक उत्पादन कितना था तथा उसका वर्षबार विवरण क्या है ;

(ख) उसमें से कितनी मात्रा विदेशों को निर्यात की गई है और उन देशों के नाम क्या हैं जिनको निर्यात किया गया है; और

(ग) इस प्लांट की कार्यक्षमता में सुधार करने तथा इसका विकास करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) मैसर्स इण्डियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड के चवारा (केरल) में स्थित, खनिजयुक्त रेत को पृथक करने वाले वर्तमान संयंत्र की स्थापना प्रतिदिन 650 मीटरिक टन खनिज-युक्त रेत का शोधन कर निम्नलिखित खनिजों का उत्पादन करने के लिए की गई थी ।

(मात्रा मीटरिक टन)

खनिज	क्षमता (वार्षिक)	वास्तविक उत्पादन		
		1970-71	1971-72	1972-73
इल्मेनाइट	100,000	14,476	80,825	95,870
रुटाइल	5,000	607	3,464	4,390
जर्कन	7,000	1,320	3,644	6,380
मोनाजाइट	300	162	186	175
सिलिमेनाइट	300	--	--	--

(ख) इस अवधि में किस-किस देश को कितनी-कितनी मात्रा में खनिज भेजा गया, यह नीचे लिखा जा रहा है:--

खनिज	निर्यात (मीटरिक टनों में) 1970-71	1971-72	1972-73	देश का नाम
इल्मेनाइट	19,600	52,600	60,000	जापान
रुटाइल	370	--	—	जापान
जर्कन	200[1]	525[2]	3,500[2]	[1]चैकोस्लोवाकिया [2]जापान

(ग) इल्मेनाइट को अधिक मात्रा में पृथक करने के लिए उपकरणों में अपेक्षित सुधार करने के अलावा, संयंत्र की क्षमता में 30% की वृद्धि की जा रही है, ताकि इल्मेनाइट के वार्षिक उत्पादन को 1,30,000 मीटरिक टन तक बढ़ाया जा सके और इससे सम्बन्धित खनिजों के उत्पादन में भी वृद्धि हो सके। इस संयंत्र की क्षमता को अन्ततः दुगना करने का विचार है।

वाणिज्यिक और युव वाणी सेवाओं सहित आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र द्वारा काम पर लगाये गये व्यक्ति

7475. **श्री राम रतन शर्मा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में वाणिज्यिक और युव वाणी सेवाओं सहित आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र द्वारा दीर्घावधि-अल्पावधि के आधार पर कोपीइस्ट-टाइपिस्टों तथा प्रोड्क्शन असिस्टेंटों, एनाउनसरों तथा जनरल असिस्टेंटों के रूप में कार्य करने के लिए कितने नैमित्तिक आर्टिस्टों को काम पर लगाया गया ;

(ख) आर्टिस्टों के चयन का तरीका क्या था;

(ग) उनमें से कितने आर्टिस्ट आकाशवाणी तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के कर्मचारियों के सम्बन्धी हैं; और

(घ) उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित ऐसे आर्टिस्टों की संख्या क्या है जिन्हें बाद में स्टाफ आर्टिस्टों के रूप में लिया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) 245।

(ख) नैमित्तिक कलाकारों के पैनल स्वर/व्यावहारिक/टाइपराइटिंग परीक्षा तथा इन्टरव्यू लेने के उपरान्त बनाए जाते हैं। इस प्रकार चुने गए व्यक्तियों को कार्यक्रमों की आवश्यकताओं के अनुसार बारी-बारी आकस्मिक रूप से बुक किया जाता है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

(घ) 9।

आकाशवाणी और टेलीविजन के लिए नैमित्तिक कलाकारों को बुक करने के लिए अपनाई गई कसौटी

7476. **श्री राम रतन शर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न कार्यक्रम प्रसारित करने और टेलीविजन पर दिखाने के लिए नैमित्तिक कलाकारों को बुक करने हेतु, आकाशवाणी टेलीविजन केन्द्र द्वारा क्या कसौटियां निर्धारित की गई हैं; और

(ख) गत दो वर्षों में आकाशवाणी और टेलीविजन के दिल्ली केन्द्रों में आकाशवाणी के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए आकाशवाणी के कर्मचारियों (सब वर्गों) के कितने रिश्तेदारों को बुक किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) रेडियो पर विभिन्न कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए नैमित्तिक कलाकारों को बुक करने का माप दंड यह है :—

विशिष्ट कार्यक्रम के लिए कलाकार की उपयुक्तता, कलाकार की प्रसारण विषय की जानकारी, उसके स्वर का स्तर तथा ध्वनि माध्यम के लिए लिखने या प्रस्तुत करने की योग्यता ।

टेलीविजन के लिए बुक किये जाने वाले कलाकारों के चयन का आधार है—उनका टेलीविजन योग्य व्यक्तित्व, धाराप्रवाह अभिव्यक्ति तथा उस कार्यक्रम में उनका अनुभव जिसके लिए उन्हें बुक किया जाता है ।

(ख) किसी नैमित्तिक कलाकार को बुक करने के लिए आकाशवाणी के कर्मचारियों से रिश्तेदारी का होना न तो माप दंड है और न अनर्हता, इसलिए विभिन्न नैमित्तिक कलाकार की आकाशवाणी के कर्मचारियों से रिश्तेदारी का कोई रिकार्ड नहीं है।

युववाणी कार्यक्रम के लिए बुक किये गये कलाकारों की संख्या

7477. **श्री राम रतन शर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) युववाणी कार्यक्रम के प्रसारण से अब तक युववाणी के कार्यक्रमों (महफिल, संगीत, वार्ता, नाटक) के लिए कितने कलाकारों को बुक किया गया है ;

(ख) कलाकारों को बुक करने के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति तथा कितने कलाकारों ने अपना कार्यक्रम बार-बार प्रसारित किया है; और

(ग) क्या आकाशवाणी के कर्मचारियों के सम्बन्धियों के साथ विशेष रियायत की जाती है तथा उन्हें बार-बार बुक किया जाता है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) 27,850 (लगभग) ।

(ख) संगीत, नाटक, रूपक, घोषणाओं में "वाट इज हैपनिंग" महफिल और "इन दी ग्रूव" जैसे कार्यक्रमों के लिए कलाकारों का चयन स्वर परीक्षा के आधार पर किया जाता है । 'खेल और खिलाड़ी' तथा 'डायलोग' जैसे कार्यक्रमों के लिए चयन योग्यता आधार पर किया जाता है। नाटककारों, लघु कहानिकारों एवं कवियों को उनकी स्क्रिपटों के स्तर के आधार पर कार्यक्रम दिए जाते हैं। वार्ताओं, चर्चाओं एवं साक्षात्कारों के लिए अन्य व्यक्तियों का चयन उनके पंजीकरण के आधार पर किया जाता है।

लगभग 10,000 व्यक्तियों को हर साल प्रसारण कार्यक्रम दिए जाते हैं। इनमें से 50 प्रतिशत से अधिक नई प्रतिभा वाले होते हैं। भाग लेने वाले लगभग 4500 कलाकार हर वर्ष एक से अधिक कार्यक्रम प्राप्त करते हैं। इन आंकड़ों में वे व्यक्ति भी शामिल हैं जो एक से अधिक श्रेणी के कार्यक्रमों के लिए स्वीकृत है।

(ग) जी, नहीं ।

कोरी फिल्मों पर शुल्क लगाये जाने के कारण 100 फिल्मों के निर्णय कार्य का स्थगित होना

7478. **डा० कर्णी सिंह :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि कोरी फिल्मों पर अब शुल्क लगाए जाने के फलस्वरूप लगभग 100 फिल्मों का निर्माण कार्य निलम्बित कर दिया गया है और अन्य 300 फिल्में बीच में रुक गई हैं; और

(ख) इस उद्योग को संकटग्रस्त होने और अनेक लोगों को बेरोजगार होने से बचाने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) और (ख) सरकार को कच्ची सिने फिल्म पर आयात शुल्क में प्रस्तावित वृद्धि के विरुद्ध फिल्म उद्योग की कई एसोसिएशनों से अभ्यावेदन मिले हैं। मामला विचाराधीन है।

कोटा परमाणु बिजली घर के दूसरे यूनिट को चालू करना

7479. **डा० कर्णी सिंह :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के परमाणु बिजली घर का दूसरा यूनिट वाणिज्यिक आधार पर कबतक कार्य आरम्भ कर देगा ;

(ख) उसकी कितनी क्षमता होगी; और

(ग) इससे कितने क्षेत्रों में बिजली पहुंचेगी ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) (क) और (ख) राजस्थान परमाणु बिजलीघर के दूसरे यूनिट की क्षमता 200 मेगावाट होगा तथा ऐसी आशा है कि यह यूनिट सन् 1976 के मध्य तक वाणिज्यिक आधार पर कार्य आरम्भ कर देगा।

(ग) इस यूनिट में पैदा हुई 'बिजली' उत्तरी क्षेत्रीय प्रणाली में उपयोग में लाये जाने के लिए राजस्थान ग्रिड में दे दी जाएगी।

दिल्ली के एक पुलिस अधीक्षक द्वारा दिये गये पुरस्कार

7480. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली में एक पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए पुरस्कारों के बारे में, 14 मार्च, 1973 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में "कमेंडेबल इंडीड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार को क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) :(क) और (ख) सरकार ने उल्लिखित समाचार देखा है। दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार केन्द्रीय जिला पुलिस अधीक्षक ने 1972 के दौरान उनके मातहत कार्य करने वाले रीडर को उस वर्ष के दौरान उनके द्वारा किये गये विभिन्न विधि तथा व्यवस्था की समस्या सम्बन्धी विशिष्ट कार्यों के लिए अनेक अवसरों पर विशिष्ट प्रमाण पत्रों के साथ नकद पुरस्कार दिए थे।

आकाशवाणी के इंजीनियरों की एक अलग इंजीनियरिंग यूनिट की मांग

7481. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :**

श्री एम० एम० जोजफ :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के इंजीनियरों ने स्टेशन निदेशकों से स्वतंत्र अलग इंजीनियरिंग यूनिटों की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो उन्होंने इसके लिए क्या कारण दिए हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) और (ख) इस आशय के अभ्यावेदन मिले हैं कि आकाशवाणी केन्द्रों का इंजीनियरी स्कन्ध सीधे इंजीनियरी अधिकारी के अधीन होना चाहिए, क्योंकि कतिपय केन्द्रों में सीनियर इंजीनियरों को सापेक्षतया जूनियर कार्यक्रम अधिकारियों के अधीन काम करने के लिए विवश किया जाता है ।

अभ्यावेदन के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जाना है :

Payment of Royalty by Vividh Bharati to Play-Back Singers of Films

7482. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether any royalty etc. has to be paid by Vividh Bharati and other services of A.I.R. to the play-back singers in films for playing their records in the radio programmes; and

(b) if so, the number of times the songs of each play-back singer were played during 1972 and the amount paid by A.I.R. to each for play-back singer therefor;

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Alleged Collusion Between Telephone Officers and Businessmen

7483. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether Government suffer loss of lakhs of rupees every year as a result of collusion between Telephone Officers and businessmen in the matter of trunk calls; and

(b) if so, the action taken by Government to check it and the number of persons found guilty during the last year and the action taken against them?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) Government are not aware of any such large scale defrauding.

(b) Observation sets have already been installed and are working to check such free trunk calls. Suitable departmental actions are taken against delinquent officials as and when such cases are detected. Exact number of such cases is not readily available and will be supplied if required.

Paper Mill in Bihar

7484. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that bamboo is supplied fully to Titagarh and Rohtas Paper mills from the Forests of Chatra area in Bihar; and

(b) if so, the reasons why Government are not considering the question of setting up any paper mill in Hazaribagh or Chatra in Bihar?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) Bamboo is supplied from Chatra area to Rohtas Paper Mills, Indian Paper Pulp Co. and Bengal Paper Mills and not to Titagarh Paper Mills.

(b) The remaining bamboo in Hazaribarh and Chatra areas, after supplying to the above mentioned paper Mills, is not sufficient to sustain an economic paper plant.

Upliftment of Adivasis in States

7485. **Shri B.S. Chowhan** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether the States have been unsuccessful in the upliftment of Adivasis; and

(b) whether there is great discontentment among the Adivasis of the States?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin): (a) No, Sir.

(b) No, Sir.

जेलों में नजरबन्द व्यक्तियों के लिए राज्य सरकारों द्वारा आहार, अनुग्रहात परिवार भत्ता के बारे में बनाये गये विनियम

7486. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या गृह मंत्री आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखने सम्बन्धी अधिनियम के अधीन विरुद्ध व्यक्तियों के लिए मार्गदर्शी नियमों के बारे में गृह मंत्रालय की राज्यों को हिदायतों के बारे में 14 मार्च, 1973 के तारांकित प्रश्न संख्या 327 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा जेलों में नजरबन्द व्यक्तियों के लिए आहार, अनुग्रहात-परिवार भत्ता, व्यवहार का ढंग आदि से सम्बन्धित बनाये गये विनियमों का ब्योरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम, 1971 की धारा 5 के अन्तर्गत उपलब्ध शक्तियों का प्रयोग करते हुए संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा जेलों में नजरबन्द व्यक्तियों के आहार, अनुग्रहात परिवार भत्ता, व्यवहार का ढंग आदि से संबंधित नियम बनाये जाते हैं और तत्संबंधी राजपत्रों में अधिसूचित किए जाते हैं। इस प्रकार बनाये गये नियमों की प्रतियां प्राप्त की जा रही हैं और सभा पटल पर रखी जाएगी।

कोका कोला निर्यात निगम को लाइसेंस दिया जाना

7487. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोका कोला निर्यात निगम को 9,76,000 रु० का वास्तविक प्रयोक्ता लाइसेंस दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 1968 में वास्तविक प्रयोक्ता लाइसेंस की छमाही (बाई-एनुअल) लाइसेंस में परिवर्तित कर दिया गया था जिसके कारण कोका कोला "कन्सेन्ट्रेट" का उत्पादन भारत में दुगना हो गया और वर्ष 1972 में इस निगम को 7 लाख रु० का तदर्थ लाइसेंस दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो किन आधारों पर ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुकर्जी) : (क) जी, हां। अर्धवार्षिक आधार पर।

(ख) वास्तविक उपयोक्ता लाइसेंस कंपनी के लाभ के लिए द्विवार्षिक लाइसेंस में परिवर्तित नहीं किया गया था। लेकिन वर्ष 1971-72 में 7 लाख रु० का एक तदर्थ आयात लाइसेंस जारी किया गया था ।

(ग) तदर्थ आवंटन का कारण 1-4-71 से निर्यात के बदले 20 प्रतिशत से 4.5 प्रतिशत तक आयात की प्रतिपूर्ति में कमी हो जाना और इसके परिणामस्वरूप बोतलें बनाने वाले विद्यमान संयंत्रों की आवश्यकता पूरी करने के लिए आयात किए जाने का अनुरोध करना था।

भारत में कार्यरत विदेशी न्यूज एजेन्सियां

7488. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस समय कार्यरत विदेशी न्यूज एजेन्सियां कौन सी हैं और प्रत्येक एजेन्सी का मूल देश कौन सा है ;

(ख) क्या कुछ अमरीकी न्यूज एजेन्सियों को सी० आई० ए० का समर्थन प्राप्त है; और

(ग) यदि हां, तो वे कौन-कौन सी हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) ऐसी कोई विशिष्ट सूचना नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

भारत में निम्नलिखित विदेशी समाचार एजेन्सियां कार्य कर रही हैं :—

एजेन्सी का नाम	जिस देश की है
ए०डी०एन० (एलैजीमैन्र ड्यूट्श्चेर नाक्रीचटैन्डीयैस्ट)	पूर्व जर्मनी
एजेन्से फ्रांस प्रेस्से .	फ्रान्स
ए० ए० ए० ए० इटैलियन न्यूज एजैन्सी	इटली
एसोसिएटिड प्रेस आफ अमरीका	अमरीका
वी० डब्ल्यू० डी० न्यूज एजेन्सी	पश्चिमी जर्मनी
ड्यूट्से प्रेस (एगैन्च्योर) (जर्मन प्रेस एजेन्सी) .	पश्चिम जर्मनी
इकानामिक न्यूज सर्विस	हांगकांग
क्योडा न्यूज सर्विस	जापान
पोलिस प्रैस एजेन्सी	पोलैण्ड
रियूटर्ज	ब्रिटेन
तंजुग	यूगोस्लाविया
तास	सोवियत संघ

एजेन्सी का नाम	जिस देश की है
यूनाइटिड प्रेस इन्टरनेशनल	अमरीका
यू० एस० एस० आर० नोवोस्ती प्रेस एजेन्सी	सोवियत संघ
एशियन न्यूज सर्विस	हांग कांग
बंगला देश संवाद संगस्था	बंगला देश
चैकोस्लाविक न्यूज एजेन्सी	चेकोस्लावाकिया
ईराकी न्यूज एजेन्सी	ईराक
वर्ल्ड फीचर सर्विसज लि०	ब्रिटेन
ए० एस० ए०. प्रेस	फ्रांस
रूमानियन न्यूज एजेन्सी	रूमानिया

सैंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, रुड़की (उत्तर प्रदेश) द्वारा किए गए अनुसंधान

7489. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, रुड़की, उत्तर प्रदेश द्वारा किये गए भवन निर्माण सम्बन्धी अनुसंधानों से कम व्यय पर और कम समय में अधिकतम मकान बनाने की आवश्यकता को पूर्ति हुई है;

(ख) क्या प्राइमरी पाठशाला भवन सम्बन्धी इसके अनुसंधान द्वारा बहुत कम समय के अन्दर सीमित वित्तीय साधनों से अनेक प्राइमरी पाठशाला भवनों की व्यवस्था करने सम्बन्धी आवश्यकतायें पूरी होती हैं, और

(ग) यदि हां, तो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, रुड़की (उ०प्र०) की प्रयोगशालाओं में किए गए अनुसंधानों के परिणामों को उत्तर प्रदेश की तरह अन्य राज्यों के नगरीय तथा ग्राम्य लोगों तक पहुंचाने का सरकार का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी हां।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां, सस्ती लागत पर गृह निर्माण और प्राथमिक पाठशालाओं की तकनीकी का वृहद प्रचार किया गया है ।

उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों--मध्य प्रदेश, हरियाणा आदि ने भी प्राथमिक पाठशालाओं और सस्ती लागत पर गृह-निर्माण संबंधी तकनीक के बारे में पूछताछ की है। उत्तर प्रदेश में किये गये निर्माण कार्य को देखने के लिए उनके अभियन्ताओं एवं वास्तुविशारदों को आमंत्रित किया गया है तथा तत्संबंधित सम्पूर्ण सूचना भी उन्हें प्रदान की गई है।

टेलीविजन केन्द्र के स्टाफ आर्टिस्टों द्वारा प्रदर्शन

7490. **श्री राजदेव सिंह : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीविजन केन्द्र के स्टाफ आर्टिस्टों ने टेलीविजन केन्द्र के कर्मचारियों की भर्ती के सम्बन्ध में हाल में प्रदर्शन किया था तथा आकाशवाणी के वरिष्ट अधिकारियों का घेराव किया था;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी मांगें क्या थीं और क्या उनकी मुख्य मांगें मान ली गई हैं और पदोन्नति के लिए कोटा निश्चित कर लिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या वर्तमान नियमों में इस प्रकार की नीति के सम्बन्ध में व्यवस्था है और चुने तथा नियुक्त किये गये व्यक्ति आयु और शिक्षा की दृष्टि से टेलीविजन निर्माता के पद की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं; और

(घ) इस आन्दोलन के फलस्वरूप नियुक्त किये गये व्यक्तियों का ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह): (क) टेलीविजन संविदा कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया था, परन्तु किसी उच्च अधिकारी का घेराव नहीं किया।

(ख) स्टाफ आर्टिस्ट यूनियन की मुख्य मांग उच्चतर पदों पर पदोन्नति के अवसरों के बारे में थी। उनकी मांग थी कि प्रोड्यूसर (ग्रेड-2) के पद पर विभागीय पदोन्नति के लिए कोटा निश्चित किया जाए। इस मांग पर सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विचार किया जा रहा है।

(ग) टेलीविजन कर्मचारियों के भर्ती नियम बनने तक यह फैसला किया गया था कि सीधी भर्ती के अलावा एक सीमित विभागीय चयन किया जाए जो टेलीविजन में पहले से काम करने वाले संविदा कर्मचारियों में से हो। अनुभवी विभागीय उम्मीदवारों के मामले में, सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक योग्यताओं पर जोर नहीं दिया गया था।

(घ) चयन समिति ने निम्नलिखित पांच व्यक्तियों के बारे में टेलीविजन में प्रोड्यूसर ग्रेड-2 के पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त होने की सिफारिशें की :—

1. श्री राजेश्वर नाथ	ड्रामा आर्टिस्ट
2. श्री केवल कपूर	प्रोडक्शन एसिस्टेंट
3. श्री सुधीर टंडन	कैमरामैन ग्रेड-2
4. श्री एस० एन० मोइत्रा	फ्लोर मैनेजर
5. श्री चमन बग्गा	प्रोपर्टी एसिस्टेंट

किन्तु इन पदोन्नतियों का आंदोलन से कोई सम्बन्ध नहीं है और ये योग्यता आधार पर की गई हैं।

औद्योगिक सम्पदाओं की स्थापना करने हेतु विदेशों के साथ समझौता

7491. **श्री राजदेव सिंह**: क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक सम्पदाओं की स्थापना करने हेतु जंजीबार के अतिरिक्त कुछ अन्य देशों के साथ समझौते किए : , और

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और(ख) भारत सरकार निम्नलिखित देशों की औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने में भारतीय तकनीकी तथा आर्थिक सहायता कार्यक्रम विशिष्ट ऋण करारों अथवा कामनवैल्थ अफ्रीकी विशिष्ट सहायता योजना के अन्तर्गत सहायता कर रही है :

अफगानिस्तान

केन्या

मारीशस

नेपाल

तंजानिया

संदिग्ध नक्सलवादियों के साथ मानवीय व्यवहार करने के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री द्वारा मुख्य मंत्रियों को लिखे गए पत्र पर राज्यों द्वारा कार्यवाही

7492. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या गृह मंत्री 16 अगस्त, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2238 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल, केरल और आसाम के मुख्य मंत्रियों ने अब प्रधान मंत्री के 1 मई, 1972 के उस पत्र का उत्तर दे दिया है जो नक्सलवादी बन्दियों से कल्पनात्मक तथा मानवीय व्यवहार किये जाने की आवश्यकता के बारे में था ;

(ख) यदि हां, तो उत्तर किस प्रकार के हैं और राज्य सरकारों ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल की विभिन्न जेलों में पड़े नक्सलवादियों को राजनैतिक बन्दी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है और उन्हें बिना मुकदमा चलाये नजरबन्द रखा गया है तथा बहुतों को एकान्त में बन्दी बनाया गया है और उनकी जेल की दशा दयनीय है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री से उत्तर प्राप्त हो गया है। केरल सरकार ने सूचित किया है कि प्रधान मंत्री से प्राप्त पत्र पर राज्य सरकार द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। असम के मुख्य मंत्री से भी अभी उत्तर आना है।

(ख) पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने अपने उत्तर में प्रधान मंत्री के पत्र में दिये गये सुझाव से सामान्यतः सहमति प्रकट की है और इसके अनुसरण में किये गये उपाय भी बताये हैं। इनमें उन व्यक्तियों के मामले में जिन्होंने हिंसा तथा हत्या की राजनीति में अपने विश्वास को त्याग दिया है, जेल में अध्ययन के लिए सुविधाएं प्रदान करना तथा जेल इत्यादि से सार्वजनिक परीक्षाओं में बैठना इत्यादि सम्मिलित है ।

(ग) पश्चिम बंगाल में नजरबन्द व्यक्तियों का वर्गीकरण तथा बर्ताव पश्चिम बंगाल आंतरिक सुरक्षा अनुरक्षण आदेश 1972 के उपबंधों से संचालित होता है। राजनैतिक कैदी के रूप में ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं है। अध्ययन तथा कार्य के लिए सुविधाएं देने के विशेष संदर्भ में जेलों में दशाओं को सुधारने का प्रश्न राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किये हुए हैं।

कलकत्ता स्थित भारतीय सांख्यिकीय संस्थान का पुनर्गठन करने हेतु वहां के वैज्ञानिक कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किये गए प्रस्ताव

7493. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कलकत्ता के वैज्ञानिक कर्मचारियों ने 23 मई, 1972 को भारतीय सांख्यिकीय संस्थान की परिषद को संस्थान का पुनर्गठन करने के बारे में विशिष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत किये थे ;

(ख) क्या ये प्रस्ताव भारतीय सांख्यिकीय संस्थान के आन्तरिक प्रबन्ध को अधिक व्यापक, लोकतांत्रिक तथा सामूहिक बनाने के लिए हैं; और

(ग) क्या सरकार ने प्रस्तावों की जांच करली है, और यदि हां, तो इस बारे में उसकी क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां।

(ख) यह मत का मामला है।

(ग) जी, नहीं। ये प्रस्ताव भारतीय सांख्यिकीय संस्थान को सम्बोधित किए गए हैं, जोकि एक स्वायत्त निकाय है। उक्त संस्थान की परिषद इन प्रस्तावों पर विचार कर रही है।

स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन का भुगतान

7494. **श्री जे० जे० कदम** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक प्रत्येक राज्य के कितने-कितने स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन दी गई हैं; और

(ख) अभी राज्यवार, कितने आवेदन पत्र अनिर्णित पड़े हैं तथा स्वतंत्रता सेनानियों के सभी आवेदन पत्रों का निपटान करने में कितना समय लगेगा ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) 31-3-1973 तक (राज्यवार) प्राप्त आवेदन पत्रों, स्वीकृत मामलों, अस्वीकृत मामलों तथा अनिर्णित मामलों की संख्या के संबंध में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 4831/73] 31-3-73 तक प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की जांच 14-8-73 तक अर्थात् जयन्ती वर्ष के दौरान पूरी करने तथा अधिक से अधिक पात्र पाये गये मामलों में पेंशन स्वीकृत करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

महाराष्ट्र में सांगली और मीरज टेलीफोन एक्सचेंजों की अपर्याप्त क्षमता

7495. **श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में सांगली और मीरज के टेलीफोन एक्सचेंज टेलीफोन के नये कनेक्शनों की मांग पूरी नहीं कर सकते ; और

(ख) यदि हां, तो इन टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं । और उन्हें कब तक लागू किया जाएगा।

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) नए टेलीफोन कनेक्शनों की कुल मौजूदा मांगें पूरी करने के लिए मीरज टेलीफोन एक्सचेंज में पर्याप्त समाई है। जबकि सांगली मुख्य टेलीफोन एक्सचेंज में इतनी

क्षमता नहीं है कि टेलीफोन कनेक्शनों की समूची बकाया मांग पूरी की जा सके। सांगली (माधवनगर) के टेलीफोन एक्सचेंज में मौजूदा कुल मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता मौजूद है।

(ख) सांगली के मौजूदा 1680 लाइन मैनुअल टेलीफोन एक्सचेंज की जगह 2100 लाइनों का एक आटोमेटिक एक्सचेंज 1975 के आस-पास चालू करन का प्रस्ताव है।

मैसूर राज्य के लिये वर्ष 1973-74 के लिये योजना परिव्यय

7496. **श्री के० मालप्पा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य के लिए वर्ष 1973-74 के लिए प्रस्तावित योजना परिव्यय क्या है; और

(ख) केन्द्रीय सरकार ने उस पर क्या निर्णय किया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) वार्षिक योजना 1973-74 के लिए मैसूर सरकार के 87.10 करोड़ रुपये के परिव्यय के प्रस्तावों की तुलना में योजना आयोग ने राज्य के 42.22 करोड़ रुपये के अनुमानित संसाधनों तथा 40.15 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के आधार पर 82.37 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया है। केन्द्रीय सहायता राष्ट्रीय विकास परिषद् के सूत्र के अनुसार निर्धारित की गई है।

केरल में आदिवासी विकास खण्ड

7497. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में आदिवासियों की जनसंख्या कितनी है और क्या उस राज्य में अब तक कोई आदिवासी विकास खण्ड स्थापित किया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा वहां आदिवासी क्षेत्रों के समुचित विकास के लिये सरकार का केरल में कब तक आदिवासी विकास खण्ड स्थापित करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) 1971 की जनगणना के अनुसार केरल में आदिवासियों की संख्या 2,69,356 है। केरल में अट्टाप्पडी में एक आदिवासी विकास खण्ड है जो 1962-63 में स्थापित किया गया था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

देश में डाक तथा तार कार्यालयों की राज्यवार स्थापना

7498. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राज्यवार देश में कुल कितने डाक तथा तार कार्यालय हैं; और

(ख) वित्तिय वर्ष 1972-73 में केरल राज्य में कितने नए डाक तथा तार कार्यालय खोले गए हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा): (क) देश के विभिन्न राज्यों में डाकघरों और तारघरों की संख्या इस प्रकार है :—

क्रम संख्या	राज्य का नाम	डाकघरों की संख्या	तारघरों की संख्या
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	44	24
2.	आंध्र प्रदेश	13,960	1,037
3.	अरुनाचल प्रदेश	81	19
4.	असम	2,416	367
5.	बिहार	9,144	991
6.	चंडीगढ़	36	19
7.	दादरा और नागर हवेली	11	1
8.	दिल्ली	373	104
9.	गोवा, दमन और दिव	167	57
10.	गुजरात	7,104	636
11.	हरियाणा	2,103	267
12.	हिमाचल प्रदेश	1,752	175
13.	जम्मू और कश्मीर	1,035	110
14.	केरल	4,000	785
15.	लक्कादीव, मिनीकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह	10	9
16.	मध्य प्रदेश	6,142	727
17.	महाराष्ट्र	9,366	1,043
18.	मणिपुर	320	22
19.	मेघालय	236	28
20.	मैसूर	8,567(31-12-72) को	1,574
21.	मिजोरम	129	5
22.	नागालैण्ड	98	11
23.	उड़ीसा	5,795	574
24.	पंजाब	3,292	380
25.	पांडीचेरी	86	28
26.	राजस्थान	7,485	765
27.	तमिलनाडु	10,848	1,364
28.	त्रिपुरा	366	58
29.	उत्तर प्रदेश	14,397	1,258
30.	पश्चिम बंगाल	6,327	621
	जोड़	1,15,690	13,059

(ख) डाकघर 94 तारघर 33

केरल के क्विलोन जिले में सिंचाई परियोजना

7499. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि क्विलोन जिले की कल्लडा सिंचाई परियोजना के कार्य को योजना से पृथक रूप में पूरा किया जाये;

(ख) क्या योजना आयोग ने परियोजना के प्रथम चरण को अनुमति दे दी थी और कुछ राशि की मंजूरी दे दी थी; और

(ग) यदि हां, तो परियोजना की मुख्य बातें क्या हैं और कितनी राशि स्वीकृत की गई थी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) योजना आयोग में इस प्रकार का कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) और (ग) योजना आयोग ने 1966 में इस परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी थी । उस समय इस परियोजना की अनुमानित लागत 13.28 करोड़ रुपए थी । इस परियोजना की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार थी :--

(1) कल्लडा नदी के आरपार ईटों के एक बाधं का निर्माण, जिसके द्वारा 5240 लाख घन मीटर जल को रोका जा सके;

(2) वाधं से लगभग 5 किलोमीटर दूर नदी के बहाव की दिशा में एक पिक-अप वियर का निर्माण; और

(3) क्वीलोन जिले में 52.650 हक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिए बांये तथा दायें किनारे पर नहरों की व्यवस्था ।

अब संशोधन करके राज्य सरकार ने इस परियोजना की अनुमानित लागत 44.91 करौड़ रुपये बताई है । अब इस परियोजना को कई चरणों में पूरा करने का कार्यक्रम बनाया गया है । राज्य सरकार द्वारा इस परियोजना पर व्यय राज्य योजना निधियों से किया जा रहा है । योजना आयोग द्वारा इस प्रकार की राशियों की स्वीकृति नहीं दी जाती है । 1972-73 के अंत तक राज्य सरकार द्वारा किए गए व्यय का अनुमान 3.40 करोड़ रुपये है ।

पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने हेतु दिये गए प्रोत्साहनों का दुरुपयोग

7500. **डा० रानेन सेन :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उन योजनाओं का दुरुपयोग करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) भविष्य में इन प्रोत्साहनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

विदेशी जानकारी की निर्भरता को कम करने के लिये देश में उद्योगों के अनुसंधान और विकास में प्रगति लाने सम्बन्धी योजना

7501. **डा० रानेन सेन** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देशी उद्योगों विशेषत: गैर-सरकारी उद्योगों में देशी तकनीकी जानकारी का विकास करने की आवश्यकता की सामान्यत: उपेक्षा की है;

(ख) क्या इसके फलस्वरूप देश को औद्योगिक कार्यों के विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी जानकारी पर निर्भर रहना पड़ता है;

(ग) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय समिति ने देश को इस वैज्ञानिक तथा तकनीकी विकास के पहलू के बारे में जांच की थी; और

(घ) यदि हां, तो क्या समिति ने भारतीय उद्योगों के अनुसन्धान और विकास में प्रगति लाने की कोई योजना बनाई थी ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम) : (क) से (घ) विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति का विचार है कि देश के संस्थानों तथा सामर्थ्यों से उत्पन्न अधिकांश अवस्थापना का उद्योग द्वारा पूर्ण रूप से लाभ नहीं उठाया जा रहा है जिसके फलस्वरूप अर्थ व्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में आयातित जानकारी पर निरंतर निर्भर रहना पड़ता है । उद्योग में अनुसंधान और विकास कार्य को उन्नत करने के लिए, ताकि प्रौद्योगिकी आत्म-निर्भरता में सहायता मिल सके, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति ने सभी औद्योगिक एककों पर एक वर्गीकृत आधार पर अनुसंधान और विकास उपकर लगाने का सुझाव दिया है । इस विधि से प्राप्त निधि का उन एककों में संवितरण किया जायेगा, शर्त यह है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति ने उनकी अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को अर्थ व्यवस्था से सम्बन्धित क्षेत्र में, राष्ट्र के सर्वांगीण प्रयास में अभिन्न अंग के रूप में सम्मिलित करने के लिए स्वीकृति दे दी हो ।

Introduction of Mobile Postal Service in Kota

7502. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether Government propose to introduce mobile postal service in Kota; and

b) if not, the reasons therefor?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) No.

(b) According to the policy laid down by the Department for the Fourth Five Year Plan period, Mobile Post Offices are to be introduced in B-2 Class Cities and some other selected cities having population of more than 3 lakhs, if justified on the basis of workload and financial position. Since Kota has a population of less than 3 lakhs and is not included in the categories of cities mentioned above, there is no proposal for establishing a Mobile Post Office there during the Fourth Five Year Plan period.

उत्तर प्रदेश पर्वतीय विकास निगम के कार्यों की जांच

7503. **श्री एम० एम० जोजफ :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निगम के भूतपूर्व अध्यक्ष द्वारा की गई मांग के अनुसार उत्तर प्रदेश पर्वतीय विकास निगम के कार्यों की जांच करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य रूपरेखा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश पर्वतीय विकास निगम के काम की जांच करने की आवश्यकता है या नहीं इस बात का निर्णय करना राज्य सरकार का काम है । उत्तर प्रदेश पर्वतीय विकास निगम के काम की जांच करने का केन्द्रीय सरकार ने कोई प्रस्ताव नहीं किया है ।

द्वितीय प्रेस आयोग की स्थापना

7504. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रथम प्रेस आयोग द्वारा दो दशक पहले पेश की गई रिपोर्ट के समय से समाचार पत्र उद्योग की अत्यधिक परिवर्तित स्थिति को देखते हुए पत्रकार संघ ने द्वितीय प्रेस आयोग की स्थापना की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां । पत्रकारों की कुछ संस्थाओं ने द्वितीय प्रेस आयोग की स्थापना की मांग की है ।

(ख) ऐसा महसूस किया गया है कि इस अवस्था पर प्रेस आयोग की स्थापना की कोई जरूरत नहीं है ।

टेलीविजन कार्यक्रम "रिले" करने हेतु उपग्रह-केन्द्र

7505. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीविजन कार्यक्रम, "रिले" करने हेतु उपग्रह-केन्द्रों की स्थापना करने सम्बन्धी योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने केन्द्र कहां-कहां स्थापित किए जायेंगे;

(ग) इस योजना की अनुमानित लागता क्या है; और

(घ) इन उपग्रह केन्द्रों पर कार्य कब तक आरम्भ होगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : इस धारणा पर कि प्रश्न उपग्रह शैक्षणिक टेलीविजन प्रयोग, जिसके लिए एन०ए०एस०ए० का ए०टी०एस०एफ० उपग्रह प्रयुक्त किया जाना है, से सम्बन्धित है, उत्तर निम्नलिखित हैं :—

(क) तथा (ख) प्रयोग करने का प्रस्ताव मंजूर कर दिया गया है । डी०ए०ई०एन०ए०एस०ए० करार के अन्तर्गत एन०ए०एस०ए० भारत को ए०टी०एस०-एफ० उपग्रह एक वर्ष की अवधि के

लिए प्रयोगार्थ उपलब्ध करेगा । उपग्रह का देश के विभिन्न भागों में चुने हुए 6 स्थानों में ग्रामीण क्षेत्रों के टेलीविजन केन्द्रों के लिए शैक्षणिक टेलीविजन कार्यक्रमों को रिले करने के लिए उपयोग किया जायेगा । इसके अतिरिक्त, वर्तमान योजनाओं के अनुसार बम्बई, दिल्ली तथा श्रीनगर के इर्द-गिर्द भू-केन्द्रों के माध्यम से पुनर्विसरण भी किया जायेगा ।

(ग) मूल रूप से स्वीकृत परियोजना की लागत 6 करोड़ 36 लाख रुपये है, परन्तु इसे संशोधित किये जाने की संभावना है । वास्तविक संशोधित लागत अभी उपलब्ध नहीं है ।

(घ) कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं पर काम पहले ही आरम्भ हो चुका है । प्रयोग 1975 में शुरू किये जाने की सम्भावना है ।

गुजरात में आदिमजाति खण्डों का विकास

7506. **श्री प्रवीणसिंह सोलंकी :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य सरकार को आदिम जाति खण्डों के विकास में कठिनाई हो रही है क्योंकि केन्द्रीय सरकार द्वारा इनके लिए की गई व्यवस्था में कटौती कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) चतुर्थ योजना के पहले चार वर्षों में आदिवासी विकास खण्ड कार्यक्रम समेत अनुसूचित जन जातियों की कल्याण योजनाओं के लिये द्वित्तीय आवंटनों में कोई कटौती नहीं की गई है । किन्तु वर्ष 1973-74 के लिये बजट प्राक्कलनों में की गई आम कटौती के परिणामस्वरूप न केवल आदिवासी विकास खण्डों बल्कि कुछ अन्य केन्द्रीय प्रायोजित परियोजनाओं के सम्बन्ध में भी योजना के अन्तिम वर्ष अर्थात् 1973-74 में कुछ कटौतियां करने की सम्भावना आवश्यक हो सकती है ।

कनफेड्रेशन आफ सेंट्रल गवर्नमेंट आफीसर्स एसोसियेशन द्वारा वेतन आयोग की रिपोर्ट को ठीक ढंग से जांच करने के बारे में प्रधान मंत्री से किया गया अनुरोध

7507. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऑल इण्डिया कन्फेड्रेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आफीसर्स एसोसिएशन ने प्रशासनीय तथा कर्मचारी दल सम्बन्धी वेतन आयोग की सिफारिशों की ठीक ढंग से जांच करने की मांग की हैं; और

(ख) क्या कन्फेड्रेशन के सचिव ने उक्त जांच प्रधान मंत्री सचिवालय द्वारा और किये जाने की मांग की है और यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) जी हां श्रीमान् । वित्त मंत्रालय में एक कार्यान्वयन एकक की पहले ही स्थापना कर दी गई है । इस एकक में विभिन्न सेवाओं से लिए गए अधिकारियों को सम्मिलित किया गया है ।

केरल में सीमेंट की कमी

7508. **श्री सी० जनार्दनन :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में सीमेंट की बहुत कमी है; और

(ख) यदि हां, तो केरल में सीमेंट पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) : केरल राज्य में सीमेंट का केवल एक ही कारखाना है जिसकी वार्षिक क्षमता 50,000 मी० टन है जब कि उनकी आवश्यकता 6 लाख मी० टन प्रतिवर्ष है । तमिलनाडु सीमेंट संभरण का प्रधान स्रोत है । तमिलनाडु राज्य बिजली बोर्ड द्वारा 75 प्रतिशत तक बिजली की कटौती लागू कर देने से केरल राज्य में सीमेंट की संभरण स्थिति पर फरवरी 1973 से प्रभाव पड़ा है । केरल राज्य बिजली बोर्ड द्वारा तमिलिनाडु को प्रतिदिन एक लाख यूनिट बिजली सीमेंट उद्योग को दे करके केरल में प्रतिदिन लगभग 900 मी0 टन सीमेंट सप्लाई करने की व्यवस्था की गई है । तामिलनाडु से केरल राज्य में प्रतिमास 8,000 मी० टन की अतिरिक्त मात्रा भी दी जा रही है। ट्रावनकोर सीमेंट, कोट्टायम द्वारा प्रतिमास लगभग 4,000 मी० टन सीमेंट तैयार करने की आशा है ।

राज्यों में शिक्षित व्यक्तियों को रोज़गार

7509. **डा० हरिप्रसाद शर्मा :**
श्री डी० के० पडा :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में शिक्षित लोगों को रोजगार देने के बारे में कोई योजनाएं बनायी गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो इसका राज्यवार ब्यौरा क्या है और इस हेतु प्रत्येक राज्य को कितनी राशि का नियतन किया गया हैं; और

(ग) इस बारे में राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत की गयी योजनाओं का ब्योरा क्या है और केन्द्रीय सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ।

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग): ऐसा समझा जाता है कि 1973-74 में शिक्षित व्यक्तियों के लिए, '5 लाख रोजगारों का कार्यक्रम' माननीय सदस्य के ध्यान में है। यद्यपि 1971-72 से शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार सुलभ कराने हेतु कितनी ही स्कीमें शुरू की गई थीं । यह जाहिर है कि कोई कारगर परिणाम तभी सम्भव हो सकता है जब कि समस्या पर व्यापक प्रहार किया जाय । इस लिए चालू वर्ष में, पांच लाख शिक्षित व्यक्तियों के लिए तेजी से अतिरिक्त रोज़गार अवसरों के सृजन हेतु केन्द्रीय सरकार ने 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है । इस सम्बन्ध में प्रारम्भिक कार्य योजना आयोग द्वारा काफी पहले ही शुरू कर दिया गया था तथा राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों से इस वर्ष जनवरी में उन्हें दिए गए विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर कार्यक्रम तैयार करने का अनुरोध किया गया । राज्य सरकारों द्वारा इन स्कीमों को तैयार किया जा रहा है । अब तक 11 राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं । इन स्कीमों के सम्बन्ध में राज्य सरकारों से विचार विमर्श किया जा रहा है तथा आवश्यक स्वीकृति दे दी गई है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्य सरकारों को दिए जाने वाले परिव्ययों को अंतिम रूप से निर्धारित किया जा रहा है ।

राजस्थान सरकार ने 6.8 करोड़ रुपये के परिव्यय का एक कार्यक्रम भेजा है जिससे कि लगभग 19,500 शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा । इस स्कीम की जांच की जा रही है । तथा शीघ्र ही राज्य सरकार से विचार-विमर्श करने का प्रस्ताव है ताकि इस सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही को अंतिम रूप दिया जा सके ।

योजना आयोग के अनुश्रवण तथा सूचना विभाग द्वारा चौथी योजना की परियोजनाओं का मूल्यांकन

7510. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के अनुश्रवण तथा सूचना विभाग के हाल में किए गए चौथी योजना की परियोजनाओं के मूल्यांकन द्वारा पता लगाया है कि दोषपूर्ण निवेश पूर्व आयोजना तथा कार्यक्रम के अनुसार सामग्री सप्लाई न करना तथा कार्यों का न होना ही योजना की देर से क्रियान्वित के कारण हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त विभाग ने इस प्रकार के दोषपूर्ण आयोजना के विशेष उदाहरण क्या-क्या बताये हैं; और

(ग) भविष्य में विशेषकर पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस प्रकार के दोषपूर्ण आयोजन से बचने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) योजना आयोग के प्रबाधन तथा सूचना प्रभाग ने अभी हाल ही में चौथी योजना की परियोजनाओं का कोई पुनरीक्षण नहीं किया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

चटगांव हिल्स के सीमावर्ती गांवों में पाकिस्तानी सिपाहियों तथा मिज़ो विद्रोहियों का सक्रिय होना

7511. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :**

श्री डी० के पंडा :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छिपे हुए पाकिस्तानी सिपाही तथा विद्रोही मिजो हाल में बंगलादेश और मिजोराम की सीमावर्ती चटगांव हिल्स में फिर से सक्रिय हो गये हैं; और

(ख) यदि हां तो, उनके गतिविधियों को रोकने के लिये तथा विद्रोही तत्वों को गिरफ्तार करने और उनको समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) : जबकि हाल में हिंसा, तोड़-फोड़ चोरी डकैती इत्यादि की कुछ घटनाएं घटी हैं जिनमें सन्देह है कि वे मिजो विद्रोहियों द्वारा की गई थीं, परन्तु यह कहना ठीक नहीं है कि बंगला देश के चटगांव पहाड़ी क्षेत्र से लगने वाली सीमा के 200 गांवों में मिजो विद्रोही फिर सक्रिय हो गये हैं न वहां सैनिकों के अन्तग्रस्त होने के सम्बन्ध में कोई सूचना है ।

(ख) असम उपद्रवग्रस्त क्षेत्र अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत प्रशासक द्वारा 1 मार्च 1973 को जारी की गई एक अधिसूचना द्वारा मिजोराम संघ शासित क्षेत्र को 'उपद्रवग्रस्त' क्षेत्र घोषित किया गया है। सशस्त्र सेना (विशिष्ट शक्ति) अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत त्रिपुरा सरकार द्वारा उस राज्य के सीमावर्ती कुछ गांवों के सम्बन्ध में इसी प्रकार की अधिसूचना जारी की गई है । ऐसे भूमिगत विद्रोहियों की गतिविधि में वृद्धि को रोकने के उद्देश्य से सूरक्षा के उपाय भी किये गये हैं ।

Telex Services in Madhya Pradesh

7512. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether a telex expansion programme has been prepared for strengthening Telex Services in Madhya Pradesh; and

(b) if so, the broad outlines thereof ?

The Minister of Communications (Shri H.N. Bahuguna) : (a) Yes, Sir.

(b) The first telex exchange in the state was opened at Bhopal with 50 lines capacity on 10-9-70. Indore Telex Exchange with 50 lines was opened on 5-4-72. The latter was expanded to 100 lines on 20-2-73. Sanction has been issued for opening telex exchanges of 50 lines each at Jabalpur and Raipur. A proposal to open a telex exchange at Gwalior is under examination.

काश्मीरी गेट, दिल्ली में महिलाओं को परेशान किया जाना

7513. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस दिल्ली में, विशेषकर काश्मीरी गेट क्षेत्र में आम जनता को मुख्यत: महिलाओं को परेशान करती है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं या उठाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) कश्मीरी गेट क्षेत्र से ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली थी । इण्डिया गेट क्षेत्र से ऐसी एक शिकायत मिली थी ।

(ख) गश्ती ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों पर देख-रेख बढ़ा दी गई है । इंडिया गेट की घटना में अन्तग्रस्त कांस्टेबलों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गई है ।

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के निदेशक तथा मुख्य परामर्शदाता के विदेशों के दौरे

7514. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि० नई दिल्लीके निदेशक तथा मुख्य परामर्शदाता ने 1971 1972 तथा 1973 के दौरान कितनी बार विदेशों के दौरे किए; और

(ख) उन्होंने किन-किन देशों के दौरे किए, कितने समय तक हर बार वहां ठहरे और उनके दौरे के उद्देश्य क्या थे ।

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम): (क) और (ख): एक विवरण संलग्न है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4832/73**]

आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखना अधिनियम के अन्तर्गत नजरबन्द व्यक्ति

7515. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 7 मार्च, 1973 को लोक सभा के पटल पर रखे गये आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम, 1971 के कार्य के बारे में सांख्यिकी सम्बन्धी सूचना में उल्लिखित आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम के अन्तर्गत नजरबन्द व्यक्तियों को राजनीति नजरबन्दी समझा जाता है तथा उन्हें भारत की जेलों में विशेष श्रेणी की सुविधाएं दी जाती हैं; और

(ख) उक्त विवरण—XI (पृष्ठ 21) के अनुबन्ध में उल्लिखित के अनुसार चोर बाजारी, जमाखोरी और मुनाफाखोरी के आरोपों में एक भी व्यक्ति को नजरबन्द न करने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं श्रीमान।

(ख) आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम, 1971 के कार्यकरण के सम्बन्ध में सांख्यकीय सूचना के विवरण 11 के कालम 7 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें ये संकेत किया गया है कि सम्भरण तथा सामुदायिक आवश्यक सेवायें बनाये रखने के लिए प्रतिकूल ढंग से कार्य करने से रोकने की दृष्टि से 7 मई, 1971 तथा 30 जून, 1972 की अवधि में 830 व्यक्तियों को नजरबन्द किया गया था।

Assam Language Issue

7516. **Shri Bibhuti Mishra :**

Shri Varkey George:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether the formula devised by Minister of Petroleum and Chemicals in regard to Assam language issue has been agreed to by the students of Assam and Tripura;

(b) if so, whether he has sent his forumula to him; and

(c) if so, his reaction thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin):

(a) to (c) No formula, as such, has been devised by the Union Minister of Petroleum and Chemicals. The controversy relating to medium of instruction in Assam involves complex issues. The Central Government remain in close touch with developments in Assam and continuous efforts are being made to find an amicable solution.

Extravagance in Spending on Marriages

7517. **Shri Bibhuti Mishra:**

Shri M. Ram Gopal Reddy:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Prime Minister has written a letter to various Chief Ministers to avoid extravagance in spending on marriages;

(b) if so, their reaction in regard thereto; and

(c) whether Government propose to make any appeal to the people in the country to shed such ostentation?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs : (Shri F.H. Mohsin):

(a) to (c) : In view of news -reports from time to time of pomp and show at weddings and other such occasions the Prime Minister wrote to the Chief Ministers last month emphasising the need to avoid waste of resources in feasting, ostentatious display of lights, etc. They were advised to tighten up the law wherever it was liberal and also issue instructions for the guidance of officials of Government and semi-Government organisations. The Chief Ministers have generally welcomed the suggestions and some of them have already taken necessary action. Government hope that simplicity and good taste can be achieved if public opinion also asserts itself in favour of non-traditional values in these matters.

'स्काईलेब पिक्चरों' की जांच के लिये प्रयोगशाला

7518. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **अन्तरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक प्रयोगशाला स्थापित करने का है ताकि भारतीय जून से सितम्बर तक 'स्काईलेब पिक्चरों' की जांच कर सकें; और

(ख) यदि हां, तो देश के लिये इसकी क्या उपयोगिता है ?

प्रधान मंत्री परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) तथा (ख) भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन, भूमि के संसाधनों के सर्वेक्षण हेतु रिमोट सेंसिंग (दूर से ही बोध करा देने वाली) तकनीकों को प्रयुक्त करने में अभिरुचि लेता रहा है । अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद का एक रिमोट सेंसिंग और मौसम-विज्ञान प्रभाग है जहां भूमि के संसाधनों का दूर से बोध करा देने वाली तकनीकों के माध्यम से प्राप्त किये गये न्यास निर्वचन और इस तकनीक को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित साधन-विनियोग पर भी अनुसंधान एवं विकास कार्य किया जाता है । संयुक्त राज्य अमेरिका की नेशनल एयरोनाटिक्स एण्ड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा) की स्काईलेब प्रायोजना में भारत द्वारा भाग लेने का प्रश्न विचाराधीन है ।

पंजाब टेलीफोन डायरेक्टरी का अनुवाद

7519. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब टेलीफोन डायरेक्टरी का हिन्दी अनुवाद कार्य एक गैर-सरकारी एजेंसी द्वारा कराया गया था, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उसके लिए कुल कितनी धनराशि दी गई थी ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा)) : (क) जी हां ।

(ख) यह कार्य इस सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली विभागीय पद्धति के अनुसार किया गया था। सम्बन्धित एजेंसी के दावे को अभी अन्तिम रूप से निपटाया नहीं गया है ।

राष्ट्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी समिति द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ वर्गों की रिपोर्ट

7520. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी समिति द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ वर्गों ने इस बीच अपनी रिपोर्ट दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ।

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी नहीं ।

(ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोजना में, जिसके निर्माण में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति के पैनल संलग्न हैं, हमारी अर्थ व्यवस्था के सभी प्रमुख क्षेत्र सम्मिलित होंगे । इस विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोजना के कुछ अन्य निर्धारित लक्ष्य हैं: न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति, अधिकतम सीमा तक प्रौद्योगिकी आत्म-निर्भरता तथा रोजगार सामर्थ्य को उत्पन्न करना । यह आयोजना हमारी सामाजिक अर्थ आवश्यकताओं के सन्दर्भ में वर्त्तमान ज्ञान, क्षमता एवं विकास संबंधी समर्थय के ब्यौरेवार मूल्यांकन पर आधारित होगी ।

पंजाब टेलीफोन डायरेक्टरी में हिन्दी अनुवाद की गलतियां

7521. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोस्ट मास्टर जनरल पंजाब सर्किल ने हाल ही में प्रकाशित पंजाब टेलीफोन डायरेक्टरी में हिन्दी अनुवाद की कई गम्भीर गलतियां बताई है; और

(ख) यदि हां, तो अनुवाद ऐजेन्सी के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) पंजाब टेलीफोन डाइरेक्टरी अभी हिन्दी में छापी नहीं गई । तथापि इस डाइरेक्टरी में सामान्य प्रकार की कुछ अशुद्धियां पायी गयी थीं जिन्हें दूर कर दिया गया है । इस डाइरेक्टरी को छपवानें के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है ।

(ख) यह मामला सक्षम प्राधिकारी के विचाराधीन है ।

तारापुर परमाणु बिजलीघर के बारे में इन्टरनेशनल जनरल इलैक्ट्रिक कम्पनी को लिया गया 'परफारमेंस बोनस'

7522. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :**
श्री विभूति मिश्र :

क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या तारापुर परमाणु बिजलीघर के बारे में इन्टरनैशनल जनरल इलैक्ट्रिक कम्पनी को 2.60 करोड़ रुपये का "परफारमेंस बोनस" दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो 1969 में परमाणु बिजली के वाणिज्यिक रूप से चालू होने के बाद से इसके कार्यकरण का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु उर्जा मंत्री इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी, हां, 12, 13 लाख रुपये की परिसम्पति क्षति को घटाने के बाद दी गयी राशि 2.62 करोड़ रुपये थी ।

(ख) अपेक्षित ब्यौरा निम्नलिखित प्रकार से है :

वर्ष	राजस्व	संचालन-लाभ (पूरे संचालन एवम् अनुरक्षण व्यय तथा मूल्यह्रास के लिए प्रावधान करने के बाद)	अधिकतम उत्पादन	कुल उत्पादन
	लाख रुपये	लाख रुपये		लाख किलोवाट घंटे
1969-70 (11/69 से 3/70)	500.31	223.68	367 मगावाट	8706.79
1970-71	1293.46	367.13	420 मैगावाट	24173.69
1971-72	745.73	198.76	406 मैगावाट	11893.23
1972-73	636.57	105.00 (अंतरिम)	336 मैगावाट	11327.34

सेवा की अच्छी शर्तों के लिये आकाशवाणी के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आकाशवाणी के महानिदेशक के समक्ष प्रदर्शन

7523. **श्री अर्जुन सेठी :**
श्री पीलू मोदी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1973 में वरिष्ठ आकाशवाणी-केन्द्र निदेशकों से लेकर ट्रांसमिशन अधिकारियों तक आकाशवाणी के लगभग 100 वरिष्ठ अधिकारियों ने महानिदेशक के समक्ष प्रदर्शन किया था और एक ज्ञापन दिया था जिसमें सेवा की अच्छी शर्तों की मांग की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है । (**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4833/73**)

भद्रक टेलीफोन केन्द्र का अपना स्थायी भवन न होना

7524. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में भद्रक टेलीफोन केन्द्र के पास अपना भवन नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस दिशा में क्या विशेष कदम उठाये हैं।

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) भद्रक टेलीफोन एक्सचेंज के लिए विभागीय इमारत की व्यवस्था नहीं की गई है ।

(ख) इसके लिए 0.94 एकड़ रकबे जमीन का एक प्लाट चुना जा रहा है ।

आई० ए० एस० आदि परीक्षाओं में बैठने के लिये तीन अवसर

7525. **श्री प्रबोध चन्द्र :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1973 की आई० ए० एस० आदि परीक्षा संबंधी संघ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन में परीक्षा में तीन बार बैठने की व्यवस्था की गयी है जबकि पहले दो ही अवसर हुआ करते थे,

(ख) यदि हां, तो क्या यह रियायत उन उम्मीदवारों को भी दी जायगी जिनका अभी इन्टव्यू हो रहा है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्रीराम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) कोई उम्मीदवार जिसने पहले ही स्वयं दो अवसर प्राप्त कर लिये हों वह पात्रता की अन्य शर्तों की पूर्त्ति करने के आधार पर वर्ष 1973 में ली जाने वाली भारतीय प्रशासनिक सेवा आदि की परीक्षा म बैठ सकता है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

2,000,75000 और 10,000 से कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में वर्ष 1970, 1971 और 1972 के दौरान खोले गए डाकघर

7526. **श्री प्रबोध चन्द्र :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 2000 से कम, 5000 से कम और 10,000 से कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में वर्ष 1970, 1971 और 1972 के दौरान कितनें डाकघर खोले गये; और

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सुविधायें प्रदान करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ।

संचार–मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) :

(क) खोले गए डाकघरों की संख्या नीचे दी गई है :–

वह जनसंख्या जिसके लिए डाकघर खोले गए	वर्ष		
	1970	1971	1972
(क) 2000 से कम	1189	1093	971
(ख) 2000 से 5000 के बीच .	1346	1520	1549
(ग) 5000 से 10,000 के बीच . .	210	192	204

उपर्युक्त आंकड़ों में महाराष्ट्र और तमिलनाडु सर्किलों के आंकड़े शामिल नहीं हैं।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर खोलने की नीति को उत्तरोत्तर उदार बनाया गया है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा तादाद में डाकघर खोले जा सकें । इस उद्देश्य की पूर्त्ति के लिए देहाती इलाकों में नए डाकघर खोलने और खुले डाकघरों को चालू रखने में सरकार को काफी घाटा भी उठाना पड़ा है । तारीख 15-8-1947 को देहाती डाकघरों की संख्या जहां 18,121 थी, ता० 31-12-1972 को यह संख्या बढ़ कर 1,02,595 हो गई है ।

चौथी पंचवर्षीय योजना तक डाक तथा तार विभाग में 82,000 व्यक्तियों को रोज़गार

7527. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग द्वारा चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 82,000 व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त रोजगार अवसर उत्पन्न करने की योजना बनाई गई थी;

(ख) यदि हां, तो चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रथम चार वर्षों में वास्तव में कितने अतिरिक्त रोजगार अवसर उत्पन्न किये गये;

(ग) अतिरिक्त रोजगार का सर्किल-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) पंजाब सर्किल के अन्तर्गत राज्यों अर्थात् पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के बारे में अलग अलग ब्यौरा क्या है ।

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) से (घ) : वांछित सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है । यह सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

औसत क्षेत्र के लिए पब्लिक कालआफिस, कम्बाइन्ड आफिस और सब पोस्ट आफिस

7528. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या संचार मंत्री 14 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3269 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मद संख्या 11 में उल्लिखित पंजाब सर्किल के पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में तथा मद संख्या 9 में उल्लिखित आसाम सर्किल के अन्तर्गत राज्यों में अलग अलग औसतन कितने क्षेत्र के लिये एक एक पब्लिक काल आफिस, कम्बाइण्ड आफिस और सब पोस्ट आफिस हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : पंजाब और असम सर्किलों के सीमा क्षेत्र में आने वाले राज्यों में एक सार्वजनिक टेलीफोन घर, संयुक्त डाक-तारघर और उप-डाकघर औसतन जितने इलाके को डाक सेवायें प्रदान करता है, उसका विवरण-पत्र सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

पंजाब और असम सर्किलों के सीमाक्षेत्र में आने वाले राज्यों में एक सार्वजनिक टेलीफोन घर, संयुक्त डाक-तारघर और उप-डाकघर औसतन, जितने इलाके को डाक सेवायें प्रदान करता है, उस का विवरण-पत्र ।

क्रम संख्या	राज्यों का नाम	औसतन कितने इलाके में डाक सेवाऐं दी जाती है (वर्ग किलोमीटरों में)		
		एक सार्वजनिक टेलीफोन घर द्वारा	एक संयुक्त-डाक तारघर द्वारा	एक उप डाक-घर द्वारा
I. पंजाब सर्किल				
1.	चंडीगढ़	2.09 (स्थानीय सार्व० टेलीफोन घर)	9.00	4.07
2.	हरियाणा	427.72	170.1	120.83
3.	हिमाचल प्रदेश	551	296.0	199.54
4.	पंजाब	345	138.39	81.89
II. असम सर्किल				
1.	अरुणाचल प्रदेश	कोई सार्व० टेलीफोन घर नहीं	4236	3979.90
2.	असम	519	222	173.49
3.	मणिपुर	3724	1064	828.00
4.	मेघालय	1857	656	511.11
5.	मिज़ोरम	20846	4169	1603.54
6.	नागालैण्ड	5432	1492	612.11
7.	त्रिपुरा	574	181	158.74

देश में आदिवासी विकास खण्ड

7529. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में कितने नियमित आदिवासी विकास खण्ड हैं तथा उनके नाम क्या हैं ;

(ख) इन विकास खण्डों को आदिवासी विकास खण्ड के रूप में स्वीकार किये जाने की कसौटी क्या है; और

(ग) क्या किसी अन्य खण्ड को भी, जहां यही परिस्थितियां हैं, आदिवासी विकास खण्ड के रूप में स्वीकार किया जाएगा ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) राज्यों के नाम तथा आदिवासी विकास खण्डों की संख्या व नामों का एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया/देखिये संख्या एल० टी० 4834/73]**

(ख) आदिवासी विकास खण्ड खोलने के लिए अपनाये जाने वाले मानदण्ड इस प्रकार हैं :—

(i) 25000 की कुल जनसंख्या;

(ii) न्यूनतम आदिवासी जनसंख्या 66-213 प्रतिशत;

(iii) उसका क्षेत्र 150-200 वर्ग मील ; और

(iv) एक सामान्य प्रशासन एकक के रूप में कार्य करने की व्यवहार्यता ।

(ग) आर्थिक प्रतिबन्धों को दृष्टि में रखते हुए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष के दौरान देश में नये आदिवासी विकास खण्ड खोलना सम्भव नहीं हैं। 5 वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित प्रस्ताव विचाराधीन है।

जयपुर में लघु उद्योग एकक

7530. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं योजना अवधि में राजस्थान में विशेषकर जयपुर में कितने लघु उद्योग एककों की स्थापना की जाएगी; और

(ख) उनसे लघु उद्योग क्षेत्र के उत्पादन में कितनी वृद्धि होगी ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री [सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) लघु क्षेत्र के कृतिक बल द्वारा दिये गये प्रस्ताव के अनुसार राजस्थान में पांचवीं पंचवर्षीय योजनावधि में लघु उद्योग क्षेत्र में लगभग 8600 नये एकक लगाए जायेंगे । अभी इनका जिलेवार ब्यौरा और संभावित उत्पादन वृद्धि का लेखा बनाया जाना है।

राजस्थान के लघु उद्योग एककों के लिये विदेशी मुद्रा का नियतन

7531. **श्री नवल किशोर शर्मा** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1972-73 में राजस्थान के लघु उद्योग एककों के लिए दी गई विदेशी मुद्रा का अनुपात क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ज़ियाउर्रहमान अन्सारी) : 1972-73 (अप्रैल से दिसम्बर 1972 तक) की अवधि में देश के लघु उद्योगों ने 5230 लाख रुपये के मूल्य के कच्चे माल, सामान और फालतू पुर्जों का आयात किया। इसमें राजस्थान का अंश 98 लाख रुपये का रहा।

आजाद हिन्द फौज के शहीदों का अन्तिम संस्कार

7532 **श्री समर गुह** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आजाद हिन्द फौज के हजारों उन शहीदों के अन्तिम संस्कारों के बारे में तथ्य एकत्र कर रही है जो मनीपुर पूर्वी, असम तथा नागालैण्ड में शहीद हुए ;

(ख) क्या नेताजी की आजाद हिन्द फौज के हिन्दू, मुस्लिम, सिख और ईसाई कामरेडों ने अपनी जन्मभूमि की स्वतंत्रता के एतिहासिक संग्राम में मिलकर जीवन बलिदान किया था; और

(ग) यदि हां, तो उनके अन्तिम संस्कार के बारे में तथ्यों को कब तक एकत्र कर लिया जाएगा ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) 14 मार्च, 1973 को इस सदन में दिए गये अतारांकित प्रश्न संख्या 3345 के सन्दर्भ में मणिपुर सरकार से मणिपुर के इम्फाल तथा अन्य क्षेत्रों के आसपास आजाद हिन्द फौज के स्वतन्त्रता सेनानियों की कब्रें विद्यमान होने के बारे में जांच की थी । राज्य सरकार ने अब सूचना दी है कि स्थानीय आजाद हिन्द फौज शहीद स्मारक समिति के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार आजाद हिन्द फौज के कर्मचारियों के शवों को उनके जीवित साथियों ने विभिन्न स्थानों में दाह संस्कार किया था अथवा दफनाया था परन्तु किसी विशिष्ट क्षेत्र को कब्रिस्तान अथवा शमशान नहीं माना जा सका था क्योंकि इन स्थानों पर कोई पहचान संकेत नहीं किए गए थे । इसको दृष्टि में रखते हुए इस मामले में आगे जांच की जा रही है

प० बंगाल के औद्योगिक कारखानों में बेकार पड़ी क्षमता का उपयोग

7533. **श्री समर गुह** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पं० बंगाल स्थित बहुत से औद्योगिक कारखानों में क्षमता बेकार पड़ी है :

(ख) यदि हां, तो उन कारखानों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा स्वीकृत संयुक्त क्षेत्र संबंधी नई नीति का उपयोग करके उन कारखानों की अप्रयुक्त क्षमता को प्रयोग में लाए जाने के प्रयत्न किए जाएगें; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, बंगाल के लगभग 160 एककों (अधिकतर इंजीनियरी एककों) में कुछ अप्रयुक्त क्षमता विद्यमान है ।

(ख) एक सूची संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 4835/73]**

(ग) और (घ) प्रैस नोट दिनांक 2-2-1973 में संयुक्त क्षेत्र की परियोजनाओं की विद्यमान नीति में गैर-सरकारी औद्योगिक उपक्रमों और अप्रयुक्त क्षमता वाले उपक्रमों में सरकार द्वारा भाग लिये जाने की कोई भी बात नही कही गई है । क्षमता का कम उपयोग करने के विभिन्न कारण जैसे मांग की कमी, बिजली की कमी, कच्चे माल के निविष्ट साधनों की कमी, श्रमिक प्रबंध सम्बन्धों के बारे में असंतोषजनक स्थिति और कुछ आंतरिक कारण जैसे प्रबंधकीय कमियां, वित्तीय समस्यायें आदि हैं। इन विभिन्न बातों की सरकार द्वारा निरंतर जांच पड़ताल और समीक्षा की जा रही है । कच्चे माल की उपलब्धता में सुधार करने के बारे में भी समय-समय पर कदम उठाये गये हैं। 65 उद्योगों के बारे में विद्यमान क्षमता का और अधिक उपयोग करने के लिए उदार बनाने संबंधी उपायों की घोषणा की गई है ।

पश्चिम बंगाल में वस्तुओं के उत्पादन के लिये प० बंगाल से बाहर लाइसेंस दिया जाना

7534. **श्री समर गुह** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प० बंगाल से बाहर के औद्योगिक कारखानों के लिए ऐसी औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन के लिए नए लाइसेंस दिए गए हैं जिनके लिए पं० बंगाल स्थित बहुत से औद्योगिक कारखानों में औद्योगिक क्षमता अप्रयुक्त पड़ी है; और

(ख) यदि हां, तो उन औद्योगिक कारखानों के नाम क्या हैं जिन्हें नए लाइसेंस दिए गए हैं तथा उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) ऐसा समझा जाता है कि पश्चिम बंगाल के इलैक्ट्रिक मोटरों, वाणिज्यिक गाड़ियों, रोड़ रोलरों, रेलवे लोको स्प्रिगों, औद्योगिक मशीनों और गाड़ियों के सहायक सामानों के उद्योगों में कुछ अप्रयुक्त क्षमता पड़ी हुई है । इस प्रकार की अप्रयुक्त क्षमताओं के विभिन्न कारण मांगों की कमी, परिवहन की समस्यायें, कच्चे माल की कमी, असन्तोषजनक मजदूर मालिक संबंध और आन्तरिक कमियां जैसे; वित्तीय अथवा प्रबन्धकीय समस्याएं हैं। नयी क्षमता के लिए लाइसेंस देते समय विभिन्न उद्योगों की वर्त्तमान क्षमता की स्थिति का सदैव ध्यान रखा जाता है ।

राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय स्तर पर आर्थिक प्रगति

7535. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय स्तरों पर आर्थिक प्रगति में स्थिरता लाने के लिए सरकार द्वारा किये जाने वाले नए उपायों की रूपरेखा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : गरीबी हटाने और आर्थिक विकास में स्थिरता लाने से संबंधित नीति की रूपरेखा पांचवीं योजना के प्रति दृष्टिकोण नामक दस्तावेज में दी गई है । यह दस्तावेज सभा पटल पर पहिले ही रखा जा चुका है । इस नीति की मुख्य बातों में ये शामिल हैं : —(1) सम्पूर्ण आंतरिक उत्पादन में 5.5 प्रतिशत की दर से वृद्धि; (2) विशेषरूप से आबादी के सबसे कम आय वाले 30 प्रतिशत लोगों के आय और उपभोग के स्तर में वृद्धि करने की दृष्टि से उत्पादक रोजगार अवसरों में वृद्धि; (3) कृषि, प्रमुख तथा आधार उद्योगों तथा जनसाधारण के उपयोग की वस्तुएं निर्मित करने वाले उद्योगों के उत्पादन में तीव्र वृद्धि; (4) अनिवार्य उपभोग वस्तुओं और सामान की आपूर्त्ति उचित मूल्यों पर, विशेषरूप से गरीब वर्ग के लिए, सुनिश्चित करने के लिए वसूली तथा वितरण की उपयुक्त सरकारी व्यवस्था; (5) न्यूनतम आवश्यकताओं पर आधारित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम जिसमें प्राथमिक शिक्षा, चिकित्सा, पोषण, पेय जल, आवास, आदि शामिल हैं, जिससे दक्षता तथा उत्पादकता में भी अधिकतम वृद्धि होगी; (6) आयात प्रतिस्थापन और निर्यात प्रोत्साहन के लिए जोरदार प्रयास; (7) मूल्यों-वेतन-आय में उचित संतुलन; (8) परियोजनाओं को तैयार करने, मूल्यांकन करने और कार्यान्वित करने के लिए तंत्र को सुदृढ़ करना; (9) प्रशासन और प्रबन्ध का व्यावसायकीकरण; (10) पिछड़े क्षेत्रों का विशिष्ट और एकीकृत विकास; (11) एकीकृत क्षेत्र विकास कार्यक्रमों को बनाने और क्रियान्वित करने के लिए राज्यों में बहुत स्तरीय आयोजन पद्धति को अपनाना और योजना तंत्र को सुदृढ़ करना; तथा (12) विभिन्न स्तरों पर योजना प्रक्रिया में जन सहयोग।

आजकल कार्यक्रमों की विषयवस्तु और इस नीति को क्रियान्वित करने के लिए नीतियां तैयार की जा रही हैं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
Calling Attention to a Matter of Urgent Public Importance

सूत के समुचित वितरण में सरकार की असफलता

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । इस विषय पर मैंने सभा में 4 अप्रैल को मामला उठाया था लेकिन आपने इसको अनुमति नहीं दी थी । लेकिन दो दिन बाद इसी मामले को अन्य सदस्य द्वारा उठाने की अनुमति आपने दे दी है । मुझे पता लगा था कि मंत्री महोदय मेरे अल्प सूचना प्रश्न का उत्तर 17 तारीख को देंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ । इस बीच ध्यान आकर्षण प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बात का पता लगाऊंगा कि आपका प्रश्न स्वीकार किये जाने के बाद कल चर्चा के लिये क्यों नहीं आया ।

श्री पी० जी० मावलंकर : मैंने न केवल गुजरात बल्कि समस्त देश का मामला उठाया था । मेरे अल्प सूचना प्रश्न का माननीय मंत्री ने कोई उत्तर नहीं दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में आपको सूचना दूंगा।

Shri Jagannath Rao Joshi : (Shajapur) : Sir I call the attention of the Minister of Commerce to the following matters of Urgent Public Importance and I request that he may make a Statement thereon :

"The miserable condition of handloom weavers and actual users of yarn due to the failure of the Government in distributing Yarn Properly"

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : अध्यक्ष महोदय, 9 मार्च 1973 को वाणिज्य मंत्री ने धागे के कीमत निर्धारण तथा वितरण पर कानूनी नियन्त्रण की घोषणा की थी क्योंकि धागा उत्पादक राज्यों में बिजली की कटौती तथा कीमत वृद्धि होने से, जिससे फरवरी 1973 में धागे की उपलब्धि पर बहुत प्रभाव पड़ा था, यह संकेत मिला कि आगामी महीनों में और भी कमी होगी। नियन्त्रित कीमतों तथा वितरण के माध्यमों की घोषणा करते हुए औपचारिक आदेश वस्त्र आयुक्त ने 13 मार्च, 1973 को जारी किये थे। विकेन्द्रीकृत क्षेत्र के लिये धागे की उपलब्धि का ध्यान रखते हुए, वस्त्र आयुक्त ने 19 मार्च 1973 को विभिन्न राज्य सरकारों को तदर्थ आवंटन किये; यह आवंटन मार्च के महीने के उत्तरार्ध के लिये थे । वाणिज्य मंत्री ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया कि वे अपने अपने राज्यों में वितरण अभिकरण स्थापित करें जो उन मिलों से सम्पर्क स्थापित करने के लिए हों, जिनसे राज्य सरकारों के लिए आवंटन किया गया था, मिलों से धागा उठाने तथा विकेन्द्रीकृत क्षेत्र के लिये उसके वितरण की व्यवस्था करने के लिये उत्तरदायी होने चाहिये । वाणिज्य मंत्री ने राज्य सरकारों से यह भी अनुरोध किया कि यदि केन्द्रीय सरकार की सहायता की आवश्यकता हो तो भारतीय रुई निगम से उनके एकमात्र विक्रेता अभिकरण के रूप में काम करने के लिये कह दिया जाएगा। वस्त्र आयुक्त ने राज्य सरकारों से यह भी आग्रह किया कि वे सूत की अपनी काउंटवार आवश्यकताओं के बारे में बनाएं । इसी के साथ साथ मिलों को भी यह निदेश दिया गया कि वे फ्री धागे के अपने काउंट वार उत्पादन की सूचना दें ताकि अप्रैल 1973 से ही राज्यों की वास्तविक आवश्यकताओं पर आधारित आवंटन किये जा सकें । इस बात की आशंका थी कि व्यापारियों ने काफी मात्रा में धागा छिपा कर

रख लिया होगा जिससे विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में और अधिक कमी की स्थिति पैदा हो सकती है; अतः वस्त्र आयुक्त ने धागे के स्टाक के बारे में व्यापारियों से जानकारी प्राप्त करने और सूती वस्त्र (नियंत्रण) आदेश 1948 के अन्तर्गत तलाशी लेने तथा माल पकड़ने की शक्तियां सभी राज्यों तथा संघ राज्य-क्षेत्रों में डिप्टी कमिश्नरों तथा कलैक्टरों को प्रत्यायोजित कर दीं । वाणिज्य मंत्री ने केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य-क्षेत्रों के सभी मुख्य मंत्रियों, राज्यपालों तथा मुख्य कमिश्नरों को व्यक्तिगत रूप से सूचना दी और विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में सूत पहुंचाने में राज्य सरकारों से सहयोग करने का अनुरोध किया। राज्य सरकारों को यह भी सूचना दे दी गई है कि वस्त्र आयुक्त द्वारा आवंटित कोटे के अलावा वे उस जमा किये हुए धागे को भी उपयोग में ला सकते हैं जिसे वे पकड़ सकें। इस के अतिरिक्त जिन राज्य सरकारों ने कताई मिलों को अतिरिक्त बिजली दे रखी है उन्हें धागे के अतिरिक्त उत्पादन को अपने राज्यों के लिये काम लेने की अनुमति होगी ।

2 मार्च 1973 के उत्तरार्ध के लिये तदर्थ आवंटन दुर्भाग्य से शक्तिचालित करघा तथा हथकरघा बुनकरों तक नहीं पहुंच पाये हैं । अधिकांश राज्यों ने उनके लिये आवंटित किये गये धागे की वास्तविक रूप से डिलीवरी नहीं ली है और इसलिय वे हथकरघों तथा शक्तिचालित करघों के लिय उसके वितरण की व्यवस्था नहीं कर सके हैं। जब 19 मार्च को आवंटन जारी किये गये तो राज्य सरकारों से कहा गया कि वे 15 अप्रैल तक इस बात की सूचना दें कि उन्होंने कितना धागा उठाया है, कितना नहीं उठाया है और उसके क्या कारण हैं। आज के दिन तक किसी भी राज्य सरकार ने वस्त्र आयुक्त को इसकी सूचना नहीं दी है । बहुत से मामलों में राज्य सरकारों के वितरण अभिकरणों और उन मिलों के बीच, जहां से उन अभिकरणों के पक्ष में आवंटन दिये गये थे, सम्पर्क स्थापित होने में विलम्ब हुआ है । इससे मिलों में माल जमा हो गया है । जिसके परिणामस्वरूप उन्हें वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । कुछ मामलों में मिलों से उठाये जाने वाले धागे के लिये भुगतान के तरीके के प्रश्न पर गतिरोध सा उत्पन्न हो गया है । बहुत सी राज्य सरकारों ने हथकरघों तथा शक्तिचालित करघों के आधार पर अपनी आवश्यकताओं को इतना बढ़ा चढ़ा कर बताया है कि फ्री धागे की औसत मासिक आवश्यकता 11.20 करोड़ कि०ग्रा० निकली है जब कि 1972 में विकेन्द्रीकृत क्षेत्र द्वारा प्रति मास फ्री धागे की जितनी खपत की गई उसमें सब से बड़ी मात्रा अब तक 3.40 करोड़ कि० ग्रा० की थी। वस्त्र आयुक्त को अप्रैल 1973 के लिये फिर से तदर्थ आधार पर 17 अप्रैल, 1973 को आवंटन करने पड़े क्योंकि अभी तक सब राज्य सरकारों ने उनको अपनी काउंटवार आवश्यकताओं के बारे में सूचना नहीं भेजी है ।

3. इन सब कठिनाइयों को दूर करने के लिये और राज्य सरकारों, वस्त्र उद्योग तथा व्यापार के बीच बातचीत कराने के लिये 11 अप्रैल, 1973 को बम्बई में पुनरीक्षण समिति की एक बैठक की गई थी, जिसमें भारत सरकार और राज्य सरकारों के अधिकारियों तथा कताई क्षेत्र, शक्तिचालित करघा क्षेत्र और हथकरघा क्षेत्र में इस उद्योग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया । इसके अलावा, प्रायः सभी राज्य सरकारों के संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों की समिति के विचार विमर्शों में भाग लेने के लिये विशेष रूप से आमन्त्रित किया गया था । इस बैठक में एक प्रमुख निर्णय सचिव, राज्य सरकार के उद्योग विभाग की अध्यक्षता में प्रत्येक राज्य में एक उच्च स्तरीय क्रियान्वयन समिति नियुक्त करना था ताकि राज्यों के मनोनीत व्यक्ति और मिलें आपस में मिलकर धागे को उठाने और उसे वितरित करने का काम कर सकें । पुनरीक्षण समिति की बैठक से पहले भी केन्द्रीय सरकार के विशेष अधिकारियों को कुछ राज्यों में राज्य सरकारों द्वारा अनुभव की जा रही समस्या पर अनुमान लगाने और कठिनाइयों के बारे में

बातचीत करने के लिये भेजा गया था । पुनरीक्षण समिति की बैठक में लिये गये निर्णयों द्वारा अब वे सभी कठिनाइयां दूर हो जायेंगी जिनका उल्लेख पहले किया जा चुका है । 14 अप्रैल 1973 से वाणिज्य सचिव ने इन निर्णयों के शीघ्र क्रियान्वयन की ओर सभी राज्यों तथा संघ राज्य-क्षेत्रों के मुख्य सचिवों का ध्यान दिलाया है । प्रारम्भिक अवस्था में कुछ कठिनाइयां महसूस की गई हैं लेकिन यदि एक बार राज्य सरकारें वस्त्र आयुक्त को आवश्यक जानकारी दे दें और अपने वितरण अभिकरणों को सक्रिय बना दें तो ये समस्यायें धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी ।

Shri Jagannathrao Joshi : It is unfortunate that anything the Governnment takes over it goes out of the market. After announcing the taking over of Yarn Stock there has been a great mismanagement. It is praisewothy that Government has given encouragement to decentralized sector. The progress in that sector has risen three times.

It is regretable that the people have not received their Quota for the month of March till April. It shows the efficiency of the Government.

As soon as the Government has taken over the wholesale trade in wheat, the wheat has gone out of the market. **(interruptions)** The Government should have proper Scheme before taking any action. The weavers have become unemployed.

The *ad-hoc* allotment of Yarn by the Government is not proper. Uttar Pradesh has been allotted 25% of less than its usual Quota of Yarn. It resulted in the unemployment of lakhs of weavers.

Gujrat Requires 325 Kilograms of Yarn whereas it has been supplied only 25 grams. Not only this but it has been asked to collect its Quota from a mill in West Bengal. Uttar Pradesh has been supplied one fourth of its requirements.

The country suffer a great deal when a industary closes and its workers go to some other places due to wrong decision of the Government.

The industiries Should get Yarn according to their requirements.

The Government Should distribute Yarn to all the industries. Cotton Corporation should not be brought in this matter. The Government should see that there may be proper distribution of Yarn. The Government should first decide whether it would be on the permanent basis or otherwise. I want to know the names of the persons in the Review and Inplementation Committees. There should be proper distribution of Yarn so that lakhs of unemployed people may be employed.

श्री ए० सी० जार्ज : माननीय सदस्य द्वारा हथकरघा बुनकरों के बारे में व्यक्त किये गये विचारों से मैं सहमत हूं । बिजली की कटौती के कारण अनेक राज्यों में सूत का उत्पादन बहुत कम हुआ है । इस समस्या का समाधान करने के लिये सूत वितरण प्रणाली तैयार करने का निर्णय किया गया । चूंकि सूत की उपलब्धता आवश्यकता से कम थी हमने उसके वितरण के लिये मूल्य अनुसार प्रणाली तैयार की । ऐसे मामले में केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों के तंत्र पर निर्भर करना पड़ता है । इस बात को ध्यान में रखते हुए सूत को पूर्णतया नियंत्रण में लेने और इसको राज्यों के माध्यम से वितरित करने की घोषणा की गई ।

जसे ही हम सूत की पूरी वसूली का निर्णय कर लेंगे हम मुख्य मंत्रियों और राज्य सरकारों को सूचित कर देंगे कि वे उचित तरीके से आवंटित करने के लिये अपने तंत्र में तेजी लायें । इस विशाल देश में लगभग 27 लाख बुनकर हैं अतः हमारा राज्य सरकारों पर निर्भर करना स्वाभाविक है । हमने राज्य सरकारों से इस संबंध में आवश्यक कायवाही करने के लिये अनुरोध किया है । दुर्भाग्य से अनेक राज्यों ने

अपने स्टाक नहीं उठाये हैं। स्थिति गम्भीर होने पर हमने राज्य सरकारों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों की एक बैठक 11 अप्रैल को बुलाई जिससे समस्त प्रणाली में सुधार किया जा सके। अब तक किसी भी राज्य सरकार ने इस बारे में सहायता देने का अनुरोध नहीं किया है। राज्य सरकार अपने तंत्र को तेज करने का प्रयास कर रही हैं। सरकार को पूर्ण आशा है कि यद्यपि वह बुनकरों की सब आवश्यकताओं पूरी करने में समर्थ नहीं होगी फिर भी उनमें न्यायोचित वितरण किया जायेगा।

Shri Narsingh Narain Pandey (Gorakhpur) : Cottage Industry is one of the important industris of our Country. It was promised that every efforts would be made to develop the Cottage industriy in the Country. A Committee was also appointed to go into the problems of this industry. Its recommendations are before the Government. On the one hand the Government claims of socialism and on the other hand 35 thousand weavers are dying of starvation.

The State Governments are distributing yarn on the basis of income-tax. All handloom and powerlom industries are closed. These industries are not getting any assistance from nationalized banks.

I agree that the mills should be nationalized. There are 373 Spinning mills and there are 273 composite mills. preparing their yarns. We want 60 number yarn. We want facilities to export goods worth Rs. 30 crores. I want to know what action Government is taking in this regard ?

The price of the Yarn was Rs. 162 in 1970 and it was Rs. 205 in December, 1972, and now its price has gone further more. So the situtiation is very grave.

श्री ए० सी० जार्ज : हमने वसूली करने का निर्णय पूर्णतया उचित लिया है। 11 अप्रैल को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि सूत के तदर्थ आवंटन और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को समाप्त किया जाये और राज्य का सारा उत्पादन राज्य को ही दे दिया जाय। इसके अच्छे परिणाम निकलेंगे और आवंटन में आया गतिरोध समाप्त हो जायेगा।

यह सम्भव है कि सूत की जमाखोरी की गई है। राज्यों में उपायुक्तों, कलेक्टरों को जमा स्टाक को पकड़ने के अधिकार दे दिये गये थे। राज्य सरकारों को इस मामले में सफलता प्राप्त हुई है और वह जमा स्टाक पकड़ने में सफल हुई हैं।

राज्य सरकार को य निदेश दिये गये हैं कि यदि वे कताई क्षेत्र के लिये अधिक बिजली की व्यवस्था करने में सफल हो गये तो उक्त विशेष उत्पादन राज्यों को उनके लिये निर्धारित कोटे के अतिरिक्त प्राप्त होगा। उक्त कार्यवाही राज्यों द्वारा शीघ्र समस्या को हल करने के लिये की गई है।

यदि किसी मामले के आधार पर लाइसेंस जारी किय गये होंगे तो इस त्रुटि को दूर किया जायेगा।

श्री नरसिंह नारायण पाण्डे (गोरखपुर) : सहकारी बुनकर समिति न बनाने के क्या कारण हैं और अधिक आयकर देने वाले व्यक्तियों को सूत के लाइसेंस देने के क्या कारण हैं। सरकार की इस बारे में क्या नीति है ?

श्री ए० सी० जार्ज : हम राज्य सरकार को इस मामले में जांच करने का अनुरोध करेंगे और यह प्रयास करेंगे कि इस बारे में यथोचित कार्यवाही की जाये।

श्री प्रसन्न भाई मेहता (भावनगर) : माननीय मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य में लाखों हथकरघा तथा विद्युत चलित करघा बुनकरों को धक्का लगेगा। वे सूत प्राप्त कर मिलों में काम करने को उत्सुक

हैं । इस वक्तव्य में इस बात का कोई आश्वासन नहीं दिया गया है कि उन्हें अपने जीवन यापन के लिये अपेक्षित मात्रा में सूत कब प्राप्त होगा। सरकार की सूत और मूल्य के बारे में योजना देश के लाखों हथकरघा और विद्युत चालित करघा बुनकरों के साथ बड़ा धोखा है ।

यह कहना पूर्णतया गलत है कि यह प्रश्न अचानक उठ खड़ा हुआ है । यह स्थिति अचानक नहीं उठ खड़ी हुई है । पूर्ण दक्षिण भारत में नवम्बर, 1972 में बिजली की कमी रही है और तब से ही यह समस्या उठी है । उत्पादन में कमी हो रही थी लेकिन सरकार ने इसका गम्भीरता से अध्ययन नहीं किया ।

राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के मिलों में भी बिजली की कमी के कारण 20 प्रतिशत तक सूत के उत्पादन में कमी हुई है । इसी के अनुरूप कपड़े के उत्पादन में भी कमी हुई है । मोटे सूत की तो कमी नहीं थी और उसके मूल्य भी नहीं बढ़े थे । किन्तु सरकार ने सभी किस्म के सूत पर नियंत्रण लगा दिया था । योजना का ब्यौरा तैयार करते समय हथकरघा बुनकरों विद्युतचालित करघा बुनकरों और राज्य के उद्योग निदेशकों को विश्वास में नहीं लिया गया । बल्कि मिल मालिकों और उनके प्रतिनिधियों से बातचीत की गई । अब मैं इस योजना की असफलता के बारे में बताऊंगा। कपड़ा आयुक्त ने 1,32,000 किलोग्राम सूत गुजरात सरकार को 34,000 हथकरघों के लिए दिया है। इससे एक हथकरघे को केवल 14 किलोग्राम सूत प्रति मास मिलेगा जब कि उन्हें 35 किलोग्राम सूत प्रतिमास चाहिए। हथकरघा बुनकर के जो सूत मिलेगा उससे केवल चार दिन का काम चलेगा और उसे महीने में 26 या 27 दिन बेकार रहना पड़ेगा। इसी प्रकार गुजरात में विद्युतचालित करघों को भी बहुत कम सूत आवंटित किया गया है । इस बात की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान दिलाया गया था और स्वयं मैंने इस संबंध में वाणिज्य मंत्री प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय को लिखा था। मैंने यह भी लिखा था कि 50,000 श्रमिक पहले ही बेरोजगार हो चुके हैं और 50,000 और बेरोजगार हो जायेगें । ऐसी स्थिति न केवल गुजरात में है बल्कि पूरे देश में हैं। यदि सरकार इस संकट को दूर करना चाहती है तो उसे मोटे सूत और मिडियम काउन्ट सूत पर से नियंत्रण तत्काल उठा लेना चाहिए और कताई मिलों को उतना ही सूत कातने की अनुमति दे देनी चाहिए जितना सूत उन्होंने 1972 में काता था । मैं मंत्री महोदय से इन प्रश्नों के उत्तर चाहता हूं सरकार ने इस संकट को दूर करने के लिये अब तक क्यों कदम नहीं उठाया ? गोदामों में एकत्र सूत को उपयोग में क्यों नहीं लाया जाता और उसे हथकरघा बुनकरों और विद्युतचालित बुनकरों में वितरित क्यों नहीं कर दिया जाता ? बुनकरों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पूरी मात्रा में सूत कब सप्लाई किया जायेगा ? योजना का ब्यौरा तैयार करते समय बुनकरों और राज्य के उद्योग निदेशालय को विश्वास में क्यों नहीं लिया गया ?

श्री ए० सी० जार्ज : जहां तक नियंत्रण उठाने का संबंध है नियंत्रण उठाने का प्रश्न ही नहीं है । मोटे सूत के संबंध में 9 मार्च को एक घोषणा की गई थी जो अपने आप में बहुत स्पष्ट है । यह कहना भी सही नहीं है कि हमने राज्य सरकारों को विश्वास में नहीं लिया था। 26 फरवरी को वाणिज्य मंत्री ने मुख्य मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों का एक सम्मेलन बुलाया था। अतः यह निर्णय राज्य सरकारों को विश्वास में लेकर किया गया था।

श्री पी० एस० मेहता : मैंने यह भी जानना चाहा था कि यह योजना क्यों असफल हुई और हथकरघा तथा विद्युतचालित बुनकरों को, जो बेरोजगार हो गये हैं, सूत की सप्लाई क्यों नहीं की जा रही है ?

श्री ए० सी० जार्ज : यह योजना असफल नहीं हुई है । हां इतनी बड़ी योजना में आरम्भ में कुछ कठिनाइयां हुआ करती हैं और उसमें जो भी दोष हैं, उन्हें हम शीघ्र ही दूर करने का प्रयास करेंगे ?

Shri Jharkhande Rai (Ghori) : Sir, the situation is explosive. The yarn is not available at any cost. About two crores of people in the country earn their livelihood from weaving profession. I would like to know in this context whether the Textile Commission, Bombay has issued an order restraining the mills in Kerala to supply yarn to handlooms and powerlooms in the State. Is it a fact that about 3000 weavers gheraoed some businessmen in Nagpur and Kampti and a large quantity of yarn was seized from them, but these capitalists are trying to hush up the matter in conviance with the police ? Is it also a fact that the export of handloom products which once increased from Rs. 25 crores to 29 crores, has now declined ? Attention should be paid to the increasing demand of Indian handloom products in African, Middle East and European countries. I would like to know whether All India Handloom Board is going to be constituted as a statutory body on the pattern of the Khadi and Village Industries Commission; and whether Government propose to nationalise all the existing spinning and weaving mills, if not the time by which such a week policy will continue.

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : मैं कुछ ही शब्द कहना चाहूंगा । यह समस्या एक बड़ी समस्या है इसके कई पहलू हैं और इससे हम अवगत हैं। हमने इस स्थिति का अध्ययन करने के लिए अधिकारी राज्यों को भेजे थे । राज्य सरकारों से हमने यह भी पूछा था कि काउन्ट-वार उनकी सूत की आवश्यकता कितनी है । ये आंकड़े अभी तक हमें नहीं मिले । कुछ कताई मिलों ने यह शिकायत की है । उनके यहां सूत का भंडार इकट्ठा होता जा रहा है और वह उठाया नहीं जा रहा है । एक उच्च स्तरीय पुनर्विलोकन समिति भी गठित की गई और इसकी बैठक में यह निर्णय किया गया कि एक उच्च स्तरीय क्रियान्वयन समिति गठित की जायेगी जो सप्लाईकर्त्ता मिलों और राज्य सरकारों में समन्वय और सम्पर्क बनाये रखेगी। समस्या वास्तव में गम्भीर है और इसे सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है ।

Shri Jharkhande Rai : The Minister has narrated the general policy of govenment. But he did not answer my specific questions.

श्री डी० डी० देसाई (कैरा) : श्रीमान्, वास्तव में बात यह है कि आज सरकार के पास यह जानकारी नहीं है कि देश में कुल कितने हथकरघे और विद्युतचालित करघे चल रहे हैं । यह भी जानकारी उपलब्ध नहीं है कि ये मिलें किस-किस काउंट का सूत इस्तेमाल करती हैं । एक ओर तो कताई मिलों में सूत एकत्र होता जा रहा है दूसरी ओर हथकरघों और विद्युतचालित करघों को इतना कम सूत मिल रहा है कि वे महीने में केवल 3-4 दिन ही काम कर पा रहे हैं। परिणामतः लाखों लोगों को महीने में तीन या चार दिन ही काम मिल रहा है महीने के शेष दिन वे बेरोजगार रहते हैं। मूल समस्या मांग और समुचित वितरण की है । सरकार ने इसके समाधान के लिए एक रूई निगम बनाया है और सूत के वितरण का कार्य यह निगम संभालेगा। किन्तु रूई निगम संतोषप्रद ढंग से अपना काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके पास ऐसे व्यक्तियों की कमी है जो सूत के व्यापार में परिगत हों। इस निगम से किसी भी राज्य को कोई लाभ नहीं हुआ है।

सरकार ऐसी क्या व्यवस्था करने जा रही है, जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो और जो विभिन्न काउंटों वाले सूत को सम्पूर्ण देश में समुचित ढंग से वितरित कर सके । जब से सूत पर नियंत्रण लगाया गया है तब से अब तक 5-6 सप्ताहों में कितने सूत का आवंटन किया गया और कितना सूत वितरित किया गया ? क्या सरकार सूत पर से नियंत्रण उठायेगी ? क्या राज्य सरकारों ने अपनी मांग बढ़ा-चढ़ाकर बताई है

राज्यों और करघों को सूत का वितरण किस आधार पर किया जायेगा। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, विशेषकर इस संदर्भ में कि सूत का भारी अभाव है और भारी संख्या में बुनकर बेरोजगार हो गये हैं। माननीय मंत्री इन प्रश्नों का उत्तर दें ।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : जहां तक रूई निगम का संबंध है सूत के वितरण की पूरी जिम्मेदारी उस पर नहीं हैं। वितरण की जिम्मेदारी राज्य सरकारों और उस की एजेन्सियों की है । यदि राज्य सरकार अपनी एजेन्सियों को अपर्याप्त समझती है तो रूई निगम उनको इस मामले में केवल सहायता करता है । जहां तक राज्यों की काउंट-वार सूत की आवश्यकता का प्रश्न है राज्य सरकारों से आंकड़े मांगे थे किन्तु 15 अप्रैल तक यह जानकारी हमें नहीं मिली । मार्च के दो सप्ताहों में 170 लाख किलोग्राम सूत राज्य सरकारों को दिया गया । यह ठीक है कि राज्य सरकारों ने अपनी मांग बढ़ाकर बताई है । पहले उन्होंने 340 लाख किलोग्राम सूत की मांग की थी और अब उनकी मांग 1120 लाख किलोग्राम है । मैं पुनः कहना चाहूंगा कि यह एक बहुत बड़ी समस्या है और हम इसे सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं । मुझे आशा है कि शीघ्र ही सब ठीक हो जायेगा। **[अन्तर्वाधाएं]**

राज्य सरकार के कर्मचारियों की शिकायतों के बारे में

Re. Grievances of State Government Employees

अध्यक्ष महोदय : मेरा अनुरोध है कि यहां पर राज्यों के मामले न उठाये जायें । साथ ही आप अपनी बात संक्षेप में कहें क्योंकि हमारे पास समय का अभाव है ।

श्री ए० के० गोपालन (पालघाट) : श्रीमान्, तीन राज्यों में राष्ट्रपति शासन है और सभी राज्यों के सरकारी कर्मचारी अपनी शिकायतों को लेकर यहां आये हैं । उनकी मांग आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजूरी की है । यह मामला केवल राज्य सरकारों का ही नहीं है बल्कि इससे केन्द्र सरकार भी सम्बद्ध है।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मेरे पास राज्य सरकारों के कर्मचारियों की एक याचिका है, जिसमें उन्होंने अपनी मांगों का उल्लेख किया है। उनकी मांगे बोनस, बर्खास्त लोगों को पुनः बहाल किया जाना और आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजूरी के बारे में हैं। याचिका संसद के नाम है ; अतः हमें इस याचिका को प्रस्तुत करने दिया जाये ।

श्री मधु दंडवते (राजापुर) : राज्य सरकारों के कर्मचारियों ने जो बातें उठाई हैं उनमें से कुछ ऐसी हैं जिन के बारे में केन्द्र को कोई एक नीति अपनानी होगी। वे महंगाई के निराकरण के लिए महंगाई भत्ता चाहते हैं, आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजूरी चाहते हैं । उनके द्वारा केन्द्र को याचिका का प्रस्तुत किया जाना उचित है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : चूंकि उनकी कुछ मांगें ऐसी हैं जो केन्द्रीय सरकार का विषय है; अतः सरकार को इस बारे में वक्तव्य देना चाहिए।

श्री के० लक्कप्पा : मैं चाहता हूं कि सरकार राज्य सरकारों के दिल्ली आये कर्मचारियों की उन मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे जो केन्द्र का विषय हैं, और उनकी शिकायतों को दूर करे।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : यह तो सच है कि अधिकांश वित्तीय शक्तियां केन्द्र के पास हैं। अतः यह सुनिश्चित करना केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है कि सब लोगों को समान कार्य के लिए समान मजूरी मिले।

Shri Jagannathrao Joshi (Shajapur) : I suggest that the demand put forward by State Government employees should be given full consideration.

[अन्तर्बाधाएं]

अध्यक्ष महोदय : विभिन्न दल या सदस्य जो बात संसद से बाहर किसी बैठक, सम्मेलन या सभा में कहते हैं, उन्हें सभा में कैसे लाया जा सकता है ? मैं इस प्रकार की बातों को यहां उठाने की अनुमति नहीं दूंगा।

[अन्तर्बाधाएं]

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : अध्यक्ष महोदय, जो कुछ समाचार पत्रों में छपता है, उससे मुझे सरोकार नहीं है और यदि मैं उस सबका खण्डन करने लगूं तो मैं कोई दूसरा काम नहीं कर पाउंगी। मैं यह स्पष्ट करना चाहती हूं कि हम देश में लोकतन्त्र का पोषण करना चाहते हैं, जिसके लिए विपक्ष का होना अति आवश्यक है। हम विरोधी दलों को किसी भी प्रकार से दबाना नहीं चाहते। हां, जो वे करते हैं, उसकी आलोचना हम अवश्य करेंगे।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

Papers laid on the Table

राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन, 1971-72

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1971-72 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां सभा पटल पर रखता हूं। **[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या** एल० टी० 4818/71]

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वर्ष 1971-72 सम्बन्धी प्रतिवेदन, केन्द्रीय सरकार (सिविल)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 1971-72 सम्बन्धी प्रतिवेदन, केन्द्रीय सरकार (सिविल), की एक प्रति।

(2) वर्ष 1971-72 के लिए केन्द्रीय सरकार के विनियोग लेखे (सिविल) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 4822/73]

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 और संविधान के अनुच्छेद 320 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : मैं श्री राम निवास मिर्धा की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रतिः—

(एक) अखिल भारतीय सेवाएं (भविष्य निधि) संशोधन नियम, 1973, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 31 मार्च, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 310 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) अखिल भारतीय सेवाएं (भविष्य निधि) दूसरा संशोधन नियम, 1973, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 7 अप्रैल, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 353 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखे गए/देखिये संख्या एल० टी० 4819/73]

(दो) (एक) आन्ध्र प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 18 जनवरी, 1973 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (5) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रतिः—

(क) जी० ओ० एम० संख्या 185, जो आन्ध्र प्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 अगस्त, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा आन्ध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग विनियम, 1963 में कतिपय संशोधन किये गये हैं ।

(ख) जी० ओ० एम० संख्या 1100, जो आन्ध्र प्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा आन्ध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग विनियम, 1963 में कतिपय संशोधन किया गया है ।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचनायें जारी करने और उनके हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण को स्पष्ट करने वाला एक व्याख्यात्मक ज्ञापन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए/देखिये संख्या एल० टी० 4820/73]

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

31वां प्रतिवेदन

डा० कैलाश (बम्बई) : मैं केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम लिमिटेड के सम्बन्ध में सरकारी उपक्रमों सम्वन्धी समिति के 62वें प्रतिवेदन (चौथी लोक सभा) में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का 31वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

उत्तराखण्ड को राज्य सहायता के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 223 के 7 मार्च 1973 को दिए गए उत्तर में शुद्धि

CORRECTION OF ANSWER TO S. O. NO. 223 DATED 7 MARCH 1973 RE. SUBSIDY TO UTTRAKHAND

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट के तारांकित प्रश्न संख्या 223 के उत्तर दिये जाने के पश्चात् अनुपूरक प्रश्नों और उनके उत्तरों के दौरान माननीय श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर ने पूछा था कि क्या दार्जिलिंग, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर उद्योगों को ट्रान्सपोर्ट सबसिडी स्कीम उपलब्ध होगी । उत्तर में यह बताया गया कि ट्रान्सपोर्ट सबसिडी स्कीम उस क्षेत्र पर लागू होगी ।

किन्तु, वस्तुस्थिति यह है कि चूंकि दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है और यह स्कीम पश्चिम बंगाल में लागू नहीं है और इसलिए दार्जिलिंग में स्थिति उद्योगों को इस योजना से लाभ प्राप्त नहीं होगा । हां, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर क्षेत्र में स्थित उद्योगों को ट्रान्सपोर्ट सबसिडी मिलेगी ।

चूंकि अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर के दौरान तथ्य बताते हुए कुछ गलती हो गई थी और मंत्रालय ठीक स्थिति जानने के लिए सुनिश्चित होना चाहता था । स्थिति की दो बार जांच करने के कारण वक्तव्य तैयार करने में कुछ विलम्ब हुआ ।

सदस्य की गिरफ्तारी

ARREST OF MEMBER

श्री भरत सिंह चौहान :

अध्यक्ष महोदय : मुझे पुलिस अधीक्षक घर से 17 अप्रैल, 1973 का निम्नलिखित जो तार मिला था, उसकी सूचना मुझे सभा को देनी है :

"कि श्री भारत सिंह चौहान, सदस्य, लोक सभा को प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, धर्मपुरी के समक्ष 14 अप्रैल, 1973 को पेश किया गया, जिन्होंने उन्हें 17 अप्रैल, 1973 तक जेल में रखने का आदेश दिया, क्योंकि सदस्य व्यक्तिगत मुचलका अथवा जमानत नहीं देना चाहते थे ।"

सदस्यों की दोष सिद्धि

CONVICTION OF MEMBERS

श्री नरेन्द्र सिंह :

अध्यक्ष महोदय : मुझे पुलिस अधीक्षक, पन्ना से 17 अप्रैल, 1973 का निम्नलिखित जो तार मिला था, उसकी सूचना मुझे सभा को देनी है :

"कि आनरेरी मेजर नरेन्द्र सिंह (पन्ना), सदस्य, लोक सभा को 17 अप्रैल, 1973 को अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (न्यायिक), पन्ना के न्यायालय द्वारा दोषी पाया गया और उन्हें न्यायालय के उठने तक की सजा दी गई ।"

7 मार्च, 1973 को तारांकित प्रश्न संख्या 234 के मंत्री द्वारा दिये गए उत्तर में कथित गलती के बारे में सदस्य द्वारा वक्तव्य

Statement by Member *Re*. Alleged Inaccuracy in Minister's Reply to SQ. No. 234, dated 7th March, 1973

श्री ज्योतिर्मय बसु : 7 मार्च, 1973 को मैंने उप-मंत्री श्री एफ० एच० मोहसिन से निम्नलिखित प्रश्न पूछा था :—

"क्या यह सच है अथवा नहीं कि क्या नवम्बर, 1969 से पूर्व, प्रधान मंत्री द्वारा चुनावों और दल सम्बन्धी अन्य कार्यों के लिये किये जाने वाले दौरों का ख़र्च उनका दल वहन किया करता था, परन्तु वर्ष 1969 से यह प्रक्रिया बदल दी गई है और अब उक्त खर्च राष्ट्रीय कोष से किया जाता है ।"

इस प्रश्न का मंत्री महोदय ने उत्तर दिया था:—

"यह सच नहीं है ।"

मैंने यह सिद्ध करने के लिए सहायक दस्तावेज़ पेश किया है कि "रूल्ज़ एंण्ड इन्स्ट्रक्शन्स कवरिंग प्राईम मिनिस्टर व्हैन अॉन टूअर एण्ड इन ट्रेवल (दौरों तथा यात्रा के समय प्रधान मंत्री सम्बन्धी नियम तथा अनुदेश)" नामक नीली पुस्तक में संशोधन को सम्मिलित किये जाने से पूर्व तत्सम्बन्धी उपबन्ध इस प्रकार था:—

"71(6). यह देखा गया है कि मंच सम्बन्धी प्रबन्ध सदैव समुचित रूप से नहीं किये जाते हैं क्योंकि कभी-कभी आतिथेय उसका ख़र्च बर्दाश्त नहीं कर सकता है । क्योंकि प्रधान मंत्री की सुरक्षा का दायित्व सरकार पर है इसलिये **चुनाव बैठकों के सिवाय,** किसी भी उपलक्ष्य में आयोजित सार्वजनिक बैठक के लिये मंच लगाने तथा बैठक का स्थान पर सीमा-बन्धन का ख़र्च सरकार वहन करेगी ।"

19 नवम्बर, 1969 को अनुच्छेद 71(6) को संशोधित किया गया था जिसका पृष्ठ निम्न प्रकार है:—

"यह देखा गया है कि मंच सम्बन्धी प्रबन्ध सदैव समुचित रूप से नहीं किये जाते हैं क्योंकि कभी-कभी आतिथेय उसका ख़र्च बर्दाश्त नहीं कर सकता है । क्योंकि प्रधान मंत्री की सुरक्षा का दायित्व सरकार का है इसलिये **चुनाव बैठकों सहित** बैठकों के स्थान पर मंच लगाने सीमा-बन्धन आदि सभी प्रबन्धों का ख़र्च सम्बन्धित राज्य सरकार वहन करेगी ।"

चुनाव बैठकों से अन्य सार्वजनिक बैठकों के लिये मंच लगाने, सीमा-बन्धन करने प्रकाश व्यवस्था जनता को सम्बोधित करने की प्रणाली आदि सभी प्रबन्धों का ख़र्च राज्य सरकार वहन करेगी । इस अनुच्छेद में "सार्वजनिक बैठक" शब्द के अन्तर्गत केवल राज्य सरकारों द्वारा आयोजित बैठकें हीं नहीं बल्कि वे बैठकें भी शामिल हैं जिनका आयोजन किसी राजनैतिक दल द्वारा किया जाता है तथा जिसमें सामान्य जनता आ सकती है ।

चुनाव सम्बन्धी बैठकों के सम्बन्ध में, पुलिस, सीमा-बन्धन तथा प्रकाश की व्यवस्था का खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा जबकि जनता को सम्बोधित करने के उपकरण तथा अन्य

सजावट-प्रबन्धों का दायित्व सम्बन्धित राजनैतिक दल पर होगा । (इन सभी प्रबन्धों पर राज्य सरकार पहले तो स्वयं ही सारा खर्च वहन करे तथा बाद में सम्बन्धित राजनैतिक दल से उक्त ख़र्च वसूल कर ले) । मंच स्थापना के सम्बन्ध में मंच पर होने वाले ख़र्चों का 25 प्रतिशत अथवा 2500 रुपये, जो भी राशि कम है, सम्बन्धित दल को देना होगा क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से मंच में कुछ विशिष्ट विशेषताएं होती हैं ।

नोट :—हालांकि प्रधान मंत्री द्वारा सम्बोधित किसी चुनाव-सम्बन्धी बैठक सम्बन्धी खर्च सम्बन्धित राजनैतिक दल द्वारा वहन किया जाता है तो भी राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना होता है कि उक्त प्रबन्ध निर्धारित आवश्यकताओं के अनुरूप हुआ है अथवा नहीं ।

आप देखेंगे कि प्रक्रिया में आधारभूत परिवर्तन किया गया था कि 19-11-1969 से पूर्व जो ख़र्च राज कोष पर नहीं डाले जा रहे थे वे अब राजकोष पर डाले जा रहे हैं । आप इससे सहमत होंगे कि जो कुछ कहा गया था वह आधारभूत रूप से असत्य, गलत तथा भ्रामक था ।

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : श्रीमान्, मैंने अपने माननीय मित्र का वह वक्तव्य ध्यान से सुना है जिसमें उन्होंने मेरे ऊपर यह आरोप लगाया है कि मैंने तारांकित प्रश्न संख्या 234 के अनुपूरक प्रश्नों का 7 मार्च, 1973 को उत्तर देते समय गलत जानकारी दी थी । 7 मार्च 1973 को प्रश्न का जो उत्तर दिया, वह केन्द्रीय मंत्रियों की तुलना में सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में वृद्धि की प्रतिशतता के बारे में था । पहला अनुपूरक प्रश्न वर्ष 1970-71 और 1971-72 में मंत्रियों के वेतन और भत्तों पर हुए वास्तविक ख़र्च के बारे में था । तत्सम्बन्धी जानकारी उत्तर में दी गई थी । दूसरा अनुपूरक प्रश्न मंत्रियों के वेतन-ख़र्च में हुई कमी के कारण पूछे गये थे । इसका स्पष्टीकरण भी उत्तर में दे दिया गया था । तीसरा अनुपूरक प्रश्न ज्योतिर्मय बसु ने पूछा था । प्रश्न यह था कि "क्या यह सच है कि नवम्बर, 1969 से पहले प्रधान मंत्री द्वारा चुनाव और अन्य दलगत प्रयोजनों के लिए की गई योजनाओं का खर्च दल द्वारा दिया जाता था, किन्तु नवम्बर, 1969 के बाद से प्रक्रिया बदल गई है और अब ऐसा खर्च सरकारी कोष वहन करता है ।" उत्तर में बताया गया था कि "यह सच नहीं है ।"

2. वास्तव में उत्तर ठीक था क्योंकि वर्ष 1951 में ऐसी हिदायतें दी गईं थीं कि चुनाव के सम्बन्ध में की यात्राओं के लिए मंत्रियों को दैनिक भत्ते सहित यात्रा भत्ता नहीं लेना चाहिए । वर्ष 1969 या 1970 में इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है । समय-समय पर की गई ऐसी हिदायतों का सारांश 31 जुलाई 1970 को सभा पटल पर रखा गया था ।

3. इस पर श्री ज्योतिर्मय बसु ने निम्न टिप्पणी की :

"ये सभा को गुमराह कर रहे हैं । मैं 'ब्लू बुक' से उद्धरण देकर इसे सिद्ध कर सकता हूं । नवम्बर, 1969 में सम्पूर्ण व्यवस्था गुप्त रूप से बदल दी गई है ।"

इस टिप्पणी का कोई उत्तर नहीं दिया गया था और अगला प्रश्न ले लिया गया था ।

इससे पूर्व श्री ज्योतिर्मय बसु ने 20 अगस्त 1972 को प्रधान मंत्री को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने चुनाव सम्बन्धी बैठकों में प्रधान मंत्री के लिए किये गये सुरक्षा-प्रबन्धों पर आये ख़र्च का उल्लेख किया था । इसके उत्तर में गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री आर० एन० मिर्धा ने 9 नवम्बर, 1972 को श्री ज्योतिर्मय बसु को एक पत्र लिखा था और उसमें वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई थी ।

4. अब श्री ज्योतिर्मय बसु ने यह आरोप लगाया है कि उप-मंत्री ने चुनाव सम्बन्धी बैठकों में सुरक्षा प्रबन्ध पर हुए खर्च के बारे में अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए सभा को गुमराह किया था। 7 मार्च, 1973 का प्रश्न संख्या 234 सुरक्षा प्रबन्धों पर हुए ख़र्च के बारे में नहीं था। किन्तु यह मान लेने पर कि श्री ज्योतिर्मय बसु का अनुपूरक प्रश्न निर्वाचन सम्बन्धी सभाओं में प्रधान मंत्री के लिए किये गये सुरक्षा प्रबन्ध पर आये खर्च के बारे में था मैं यह बताना चाहता हूं कि मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर वास्तव में ठीक था।

5. मेरे माननीय साथी श्री मिर्धा ने श्री ज्योतिर्मय बसु को उनके 20 अगस्त, 1972 के प्रधान मंत्री को लिखे गये पत्र के उत्तर में लिखा था कि 1968 में सुरक्षा प्रबन्धों के सम्बन्ध में जो अनुदेश दिये गये थे उन्हें ही 'ब्लू बुक' कहा जाता है और उनके अनुसार प्रधान मंत्री द्वारा सम्बोधित की जाने वाली साधारण सभाओं के लिए सार्वजनिक मंच और अवरोधक आदि की व्यवस्था, जैसे सुरक्षा उपायों पर आने वाले ख़र्च और चुनाव सम्बन्धी सभाओं पर आने वाले ख़र्च में अन्तर किया गया था और यह व्यवस्था की गई थी कि चुनाव-सभाओं को छोड़कर शेष सभी मामलों में ऐसा ख़र्च राज्य सरकार वहन करेगी। तथापि, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने 1958 में ही यह विचार व्यक्त किया था कि कुछ विशिष्ट मामलों में प्रधान मंत्री के राज्यों के दौरों के दौरान, चाहे ये दौरे सरकारी हों अथवा गैर-सरकारी, पुलिस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने तथा सार्वजनिक मंचों एवं अवरोधकों के बनाने, सभा स्थल पर प्रकाश और लाउडस्पीकरों आदि की व्यवस्था करने और सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने-लेजाने पर जो भी ख़र्च राज्य सरकार को करना पड़ता है, वह राज्य सरकार को ही वहन करना ही उचित है। इस राय से राज्य सरकारों को अवगत करा दिया गया था।

6. वर्ष 1969 के आरम्भ में यह उचित समझा गया कि प्रधान मंत्री द्वारा सम्बोधित की जाने वाली चुनाव-सभाओं और अन्य सभाओं में अन्तर किया जाना चाहिए। राज्य सरकारों को यह बताया गया था कि चुनाव-सभाओं में सार्वजनिक भाषण व्यवस्था और सजावट-प्रबन्ध पर आने वाले ख़र्च तथा मंच पर आये खर्च का 25 प्रतिशत अथवा 2500 रुपये, जो भी कम हो, राजनीतिक दल द्वारा दिया जाना चाहिए। अतः 1969 में पहली बार ऐसे अनुदेश दिये गये थे कि प्रधान मंत्री की चुनाव-सभाओं में सुरक्षा प्रबन्ध पर आये खर्च का कुछ भाग सम्बन्धित राजनीतिक दल को देना होगा। इससे राज्य सरकार के कोष पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ा था बल्कि सम्बन्धित राजनीतिक दल के लिए खर्च का कुछ भाग देना अनिवार्य कर दिया गया था। अतः अनुपूरक प्रश्न का जो उत्तर दिया गया था, वह तथ्यों पर आधारित था।

श्रीमान्, आप यह देखेंगे कि श्री ज्योतिर्मय बसु को सम्बन्धित सभी जानकारी श्री ज्योतिर्मय बसु को तारांकित प्रश्न संख्या 234 के 7 मार्च को पूछे जाने से बहुत पहले ही दे दी गई थी। अनुपूरक प्रश्न का उत्तर चाहे वह यात्रा ख़र्च से सम्बन्धित था अथवा दैनिक भत्ते या प्रधान मंत्री द्वारा सम्बन्धित चुनाव सभाओं में किये गये सुरक्षा प्रबन्धों के बारे में था, भी तथ्यों के अनुसार ठीक था।

श्री श्याम नन्दन मिश्र: मैं मंत्री महोदय के वक्तव्य के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: आप किसी मंत्री अथवा सदस्य के वक्तव्य पर व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकते। अब श्री डी० के० पण्डा।

नियम 377 के अन्तर्गत मामले

MATTERS UNDER RULE 377

श्री नागभूषण पटनायक का स्वास्थ्य

श्री डी० के० पण्डा (भांजनगर): मैं विशाखापत्तनम् जेल में कई वर्षों से बन्द श्री नागभूषण पटनायक सम्बन्धी प्रश्न यहां उठाना चाहता हूं। उनकी हालत ख़तरनाक स्थिति तक पहुंच गई है। आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद उन्हें हैदराबाद अस्पताल में स्थानान्तरित नहीं किया गया जहां उन्हें कुछ तो चिकित्सा प्राप्त हो सकती थी।

उत्कल गांधी स्मारक निधि के सचिव श्री रतन दास ने प्रधान मंत्री को तथा गृह मंत्री तथा स्वास्थ्य मंत्री को 15 अप्रैल, 1973 को डाक पत्र लिखा था। सारा उड़ीसा राज्य उनकी तुरन्त रिहाई चाहता है। इसके अतिरिक्त मृत्यु-दण्ड को परिवर्तित करने की मांग भी की गई है जिस पर 200 संसद सदस्यों ने हस्ताक्षर किये हैं। गांधीवाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले तथा गांधी जी के पक्के भक्त श्री रतन दास ने अपने पत्र में श्री नागभूषण की दयनीय तथा चिन्तनीय दशा का वर्णन करते हुए उनको उस्मानिया अस्पताल में स्थानान्तरित कराने की मांग की है तथा कहा है कि ऐसा न करने का अर्थ यह होगा कि सरकार उन्हें मार डालना चाहती है। पत्र में आगे कहा गया है कि विशाखापत्तनम जेल के अधीक्षक श्री कपाड़िया पहले से ही इस सम्बन्ध में दुर्भावना रखते हैं तथा स्थानीय चिकित्सा अधिकारी भी उनके साथ मिले हुए हैं तथा ये सब नहीं चाहते कि श्री नागभूषण को उचित चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त हों। अनेक राजनैतिक बन्दियों द्वारा श्री नागभूषण को स्थानान्तरित करने की मांग करने वाले संदेशों को जेल अधीक्षक के आगे नहीं प्रेषित किया। इसी से उनकी दुर्भावना का पता चलता है।

अब पहले तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या श्री नागभूषण को तुरन्त यहां दिल्ली लाकर तथा ऑल इण्डिया इन्स्टीट्यूट ऑफ मैडिकल साइन्सेज़ में इलाज कराने के लिए तुरन्त ही क्या प्रबन्ध किये जा रहे हैं। दूसरे जेल के अधीक्षक द्वारा दुर्व्यवहार तथा षड्यंत्र के विरुद्ध क्या उपचारात्मक कदम उठाये जा रहे हैं। तीसरे, उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन क्यों किया गया ? इस प्रश्न को तुरन्त उत्तर के लिए इसी समय गृह मंत्रालय को भेजा जाये।

अध्यक्ष महोदय: ज़ीरो ऑवर की चर्चा प्रायः बहुत लम्बी हो जाती है तथा आधे घण्टे के स्थान पर 1-30 बजे क्या, कई बार 2 बजे तक पहुंच जाती है। यह अनुचित है। आखिर कोई सीमा तो होनी चाहिये। आज की मांगों पर मंत्री महोदय ने उत्तर देना था जो कि अब नहीं दे सकेंगे। समय बहुत कम है। अनेक वक्ताओं ने बोलना है। कृषि मंत्री अब कल बोल सकेंगे। श्री डी० के० पण्डा द्वारा किये गये प्रश्न मंत्री महोदय को प्रेषित कर दिये जायेंगे तथा वह बाद में कोई वक्तव्य दे देंगे।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(Mr. Depty Speaker in the Chair)

मजगांव डाक्स लिमिटेड के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

उपाध्यक्ष महोदय : श्री ज्योतिर्मय बसु।

श्री ज्योतिर्मय बसु: मजगांव डॉक के लिपिक तथा अधीनस्थ कर्मचारियों ने 8 अप्रैल से हड़ताल कर रखी है। वे लोग औद्योगिक ट्रिब्यूनल के निर्णय के विरुद्ध प्रबन्धकों की नीति का विरोध कर रहे हैं।

जिसमें मजूरी में आधारभूत वृद्धि की गई है । कर्मचारी संघों तथा प्रबन्धकों ने मिलकर इस ट्रिब्यूनल को निर्णय देने के लिए कहा था और यह बड़े आश्चर्य की बात है कि प्रबन्धकों ने मजूरी में इस वृद्धि के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की है ।

मजगांव डॉक एक सार्वजनिक उपक्रम है और इसे गैर-सरकारी नियोक्ताओं के लिये एक आदर्श स्थापित करना चाहिये । परन्तु यह तो इसके विपरीत कर्मचारियों को मुकदमेंबाजी में उलझा रहा है जिसका अभिप्राय यही है कि मज़दूरों को आगामी पांच वर्ष तक मजूरी में वृद्धि न मिल सके । मैं प्रबन्धकों की इस नीति का दृढ़ता से विरोध करता हूं तथा श्रम मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह प्रबन्धकों से अपनी अपील वापस लेने को कहें तथा श्री एफ० एच० लाल के निर्णय को लागू करायें । अन्यथा इसका अर्थ यह होगा कि कर्मचारियों की मांगें गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के समान ही शोषक हैं ।

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुकल) : माननीय सदस्य द्वारा दिया गया विवरण सही नहीं है । हमारी नीति सदा ही श्रमिक-समर्थक रही है और मजगांव डॉक के लिपिक तथा अधीनस्थ कर्मचारियों को इस प्रकार के उद्योग के सभी कर्मचारियों में सर्वाधिक वेतन मिलता है । इसीलिए हमने उच्चतम न्यायालय में अपील की है ताकि देश के सर्वोच्च कानून के अनुरूप सही सिद्धान्तों के अनुरूप न्याय निर्णय हो सके जो कि सर्वथा देश के हित में हो । हम उच्चतम न्यायालय के हर निर्णय का स्वागत करेंगे । मैं एक बार फिर कहूंगा कि हमने मजदूरों को हर सम्भव सुविधाएं देने का प्रयास किया है और यह एक निर्विवाद सत्य है कि इन कर्मचारियों को इस उद्योग में सर्वाधिक वेतन मिलता है । श्री ज्योतिर्मय बसु का सन्देह सर्वथा निराधार है । मेरा उनसे अनुरोध है कि वह इस हड़ताल को समाप्त कराने के लिए अपना प्रभाव उपयोग में लायें ताकि हमारे राष्ट्र के सुरक्षा सम्बन्धी हितों को क्षति न पहुंचे ।

आन्ध्र प्रदेश के दक्षिणी जिलों को बिजली, डिजल और मिट्टी के तेल की सप्लाई में कमी

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी (चित्तूर): आन्ध्र प्रदेश के दक्षिणी जिलों में बिजली, डीज़ल तथा मिट्टी के तेल की आकस्मिक कमी के कारण गम्भीर स्थिति पैदा हो गई है । चित्तूर जिले में 90,000 पम्पसेट हैं उन्हें बिजली तथा डीज़ल चाहिये । आस-पास के जिलों में भी बिजली की कटौती 50 प्रतिशत तक पहुंच गई है जबकि कृषकों को केवल 25 प्रतिशत से भी कम बिजली मिल रही है । बिजली तथा डीज़ल की सप्लाई के लिये तुरन्त उपाय किये जाने चाहियें । मिट्टी का तेल भी नहीं मिल रहा है । बड़ी गम्भीर स्थिति है । सिंचाई और विद्युत मंत्री तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री इस सम्बन्ध में तुरन्त कार्यवाही करें अन्यथा लाखों एकड़ भूमि को गम्भीर ख़तरा पैदा हो जायेगा ।

अनुदानों की मांगें 1973-74
Demands for Grants 1973–74

कृषि मंत्रालय

उपाध्यक्ष महोदय: कृषि मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर अब श्री इसहाक अपना भाषण पुनः जारी करेंगे । अब तक वह चार मिनट ले चुके हैं तथा अब केवल तीन मिनट और बोल सकेंगे ।

श्री ए० के० एम० इसहाक (बशीरघाट): खाद्यान्नों के थोक व्यापार के अधिग्रहण में सरकार को देश का समर्थन प्राप्त है । देश में 43 प्रतिशत लोग कारगार हैं तथा शेष 57 प्रतिशत उपभोक्ता

हैं । इन कारकारों में भी 90 प्रतिशत लोग भी कभी-कभी उपभोक्ताओं के वर्ग में आ जाते हैं । ऐसे लोग दो-तीन बीघे जमीन के किसान होते हैं । इस प्रकार मेरे हिसाब से देश के 96 प्रतिशत लोग उपभोक्ताओं की श्रेणी में आते हैं । ये सभी लोग सरकार की खाद्यान्न व्यापार के अधिग्रहण की नीति का समर्थन करेंगे तथा ये 4 प्रतिशत लोग जोकि जोतदार तथा खाद्यान्नों के थोक व्यापारी हैं, इसका विरोध करेंगे । सरकार को दृढ़ता से अपनी इस नीति को क्रियान्वित करना होगा तथा सार्वजनिक रूप से लोगों को इस कार्य में अपने साथ रखना होगा । मेरा सुझाव है कि लाइसेंस देने का कार्य सरकारी अधिकारियों को न सौंप कर उचित पंचायतों के सुपुर्द किया जाये । देश में 60,000 उचित पंचायतें हैं । इस प्रकार जनता के सहयोग से इस नीति की क्रियान्विति सफलतापूर्वक हो सकेगी ।

छोटे व्यापारियों को लाइसेंस से मुक्त रखा जाये क्योंकि ये लोग थोड़ी मात्रा में अनाज का क्रय करके बेचते हैं तथा अपनी जीविका कमाते हैं । ये लोग लाइसेंस शुल्क न दे सकेंगे तथा परेशान होंगे ।

खाद्यान्न व्यापार के अधिग्रहण की सफलता मूल्यों के निर्धारण पर निर्भर करती है । यदि मूल्य उचित रूप में निर्धारित नहीं किये गये तो इस नीति के असफल होने का ख़तरा पैदा हो जायेगा । मूल्य निर्धारित करते समय उत्पादकों को प्रोत्साहन देने तथा उपभोक्ता के हितों की रक्षा दोनों बातों का ध्यान रखा जाना चाहिये । उत्पादकों को प्रोत्साहन न देने में उत्पादन पर कुप्रभाव पड़ेगा । सरकार यह नीति वक्तव्य जारी करे कि छोटे उत्पादक जिस भाव पर सरकार को अपने खाद्यान्न बेचेगी उसी दाम पर वे लोग अपनी आवश्यकता के लिये सरकार से पुनः खरीद भी सकेंगे । इससे छोटे किसान भी अपना खाद्यान्न निश्चित होकर सरकार को बेच सकेंगे और सरकार को बड़ी मात्रा में खाद्यान्न मिल जायेगा ।

सरकारी अधिकारियों को इस सम्बन्ध में अपना दृष्टिकोण व्यापारिक बनाना चाहिये ताकि यह नीति सफल हो सके । सरकार को खाद्यान्न अधिग्रहण के सम्बन्ध में जनता को जागरूक भी करना चाहिये । इस नीति का देश भर में भरपूर प्रचार किया जाये या खण्ड विकास कार्यालयों की मदद की जाये । इश्तिहार बांटे जायें ताकि लोगों की नीति के बारे में सम्पूर्ण जानकारी मिले ।

श्री बी० एस० मूर्ति: मैं सरकार का ध्यान पंचायती राज तथा सामुदायिक विकास के महत्व की ओर दिलाना चाहता हूं । एक समय था जब सारे देश में सामुदायिक विकास का बोलबाला था । यहां तक कि विदेशों से भी लोग भारत में इस आश्चर्यजनक कार्य को देखने के लिए आते थे । वर्ष 1959 में पंचायत राज के प्रारम्भ से, राजस्थान तथा आन्ध्र प्रदेश इन दो राज्यों ने इस सम्बन्ध में बहुत सुन्दर कार्य किया है ।

एक समय था जबकि समूचा देश पंचायती राज की ओर प्रेरणा लेने हेतु देखता था । धीरे धीरे लगभग समूचे देश ने पंचायती राज तथा सामुदायिक विकास को अपना लिया ।

गांव में सभी लोग अब यह सोचते हैं कि सारे देश का एक नया समाज बनाने तथा यथासम्भव उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास करेंगे क्योंकि वे सभी लोग पंचायतों में बैठते हैं तथा अपनी समस्याओं पर चर्चा करते हैं। लगभग 98 प्रतिशत जनसंख्या पंचायती राज चलाने में व्यस्त है । लगभग 3300 पंचायत समितियां तथा 281 जिला परिषदें अपना काम दक्षता पूर्वक कर रहीं हैं । ये विकास तथा प्रशासनिक दोनों कार्य कर रहीं हैं । परन्तु अचानक लोगों ने यह सोचना आरम्भ

कर दिया कि इसमें कहीं कुछ गलती हैं । कुछ सीमा तक यह बात सच भी थी क्योंकि गांव में शक्तिशाली लोगों ने पंचायतों पर अधिकार प्राप्त कर लिया था । उन्होंने अपनी ही आर्थिक स्थिति सुधारने का कार्य आरम्भ कर दिया था । हमारे जैसे देश में यह घटना होना स्वभाविक ही था । इस देश में लोग धर्म तथा जाति आदि के आधार पर बटे हुए हैं । परन्तु पंचायती राज जैसी अच्छी संस्था को समाप्त नहीं होने देना चाहिए । मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह पंचायती राज तथा सामुदायिक विकास जैसी संस्थाओं को पुनर्जीवित करे ।

हाल में अखिल भारतीय पंचायत परिषद् संगठन का सम्मेलन हुआ था जिसकी अध्यक्षता श्री डे० ने की थी । श्री अहमद ने भी इसमें भाग लिया था । प्रधान मंत्री ने भी ज़ोरदार सन्देश भेजा था । इससे प्रतीत होता है कि पंचायती राज के अच्छे दिन पुनः आने वाले हैं ।

पंचायती राज तथा सामुदायिक विकास राज्यों पर बोझ है । कभी तो वे इसे प्रोत्साहन देते हैं और कभी इसे दुरुत्साहित करते हैं । मेरा अनुरोध है कि इस विषय को समवर्ती सूची में रखा जाये और इसमें केन्द्र को भी भाग लेना चाहिए और नये समुदाय के निर्माण के लिए प्रयास किये जाने चाहिएं ।

वैस्ट गोदावरी ज़िले में कुल्लेरु नामक एक झील है । इससे अमीर तथा शक्तिशाली लोग लाभ उठा रहे हैं, वे गरीब लोगों को इससे खेती करने अथवा लाभ उठाने नहीं देते । मेरा निवेदन है कि सरकार इसको अपने नियंत्रण में ले और सरकारी फार्म में परिवर्तित करें ।

Shri Birender Singh Rao (Mahendragarh) : Community Development and Cooperative system is a great fraud. It has made the people to fight among themselves. All the powers rest in the Government officials. Farmers are getting nothing from them . I will suggest that mony kept for Community Development may be spent for generating power and digging canals.

So far as Panchayat are concerned only 'Yes men' are getting benefit from them. All the powers are with the Government. Government can do away with any particular panchayat. Government can also change the rules.

People do not want such a system. It was also not the objective of the Panchayati Raj when it was introduced.

So far as Cooperatives are concerned, Officers are grabbing the funds with the fake signatures of poor farmers.

I support the taking over of whole-salestrade of foodgrains. But I fear that Government itself may not start exploiting these farmers who were being exploited by traders. Reasonable Price should be paid to the farmers for his products. The farmer will produce wheat only when he will get incentive price for it. Today the price of wheat is far less than Bajra and Jowar. The levy system should also be done away with otherwise it will spoil everything. The farmer should be allowed to sell wheat at his own will and to a party of his own choice.

It is the responsibility of the Agricultural Ministry to provide food to the people of this country. It is also the objective of this Ministry to see that the living standard of the villagers is raised and economic upliftment is brought about. In this connection, I will appeal to the hon.Minister to save the cow from extinction.

35 crores of rupees have been allotted for Indian Council of Agricultural Research. In my view this amount should have been utilised for installing tube-wells and digging canals. The farmers need good quality seeds and this Ministry cannot provide this Commodity . They give seeds of Mexican wheat which is not liked by our people.

All the State farms are running into loss although they are getting all facilities. Keeping this in view for one can say that the farmers who are possessing much less land and other facilities can earn profits.

The country needs 11 million tonnes of fertilisers and production is far less. The reason is that our plants are not running at their full capacity. In our country per capita consumption of fertiliser is far less than Japan and even half than that of Egypt.

In villages the people are getting 200 grams of sugar whereas in cities the people are getting 400 grams. This discrimination should be done away with. I will request the hon. Minister to pay attention to the needs of the farmers.

श्री के० प्रधानी (नौरंगपुर): मैं कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। देश के 80 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। देश ने खाद्य उत्पादन में आत्म-निर्भरता प्राप्त कर ली है। परन्तु सूखा पड़ने, बिजली तथा पानी की कमी के कारण इस वर्ष खाद्यान्न का उत्पादन लक्ष्य से बहुत कम हुआ है। इस कमी को पूरा करने के लिए समूचे देश में आपात खाद्य उत्पादन योजनाएं शुरू की गई हैं। बढ़ते हुए मूल्यों का मुकाबला करने के लिए खाद्यान्न का वितरण सरकारी अभिकरणों के माध्यम से किया जा रहा है।

राज्यों ने चावल तथा गेहूं के थोक व्यापार को अपने नियंत्रण में लेने का कार्य आरम्भ कर दिया है। इसके परिणाम स्वरूप गेहूं के मूल्य कम होना शुरु हो गये हैं। हालांकि जमींदारी समाप्त हो गई है तथापि बड़े-बड़े लोगों के पास हजारों एकड़ भूमि है और वे भूमिहीन किसानों की सहायता से उस पर खेती कर रहे हैं। भूमि सुधार कानूनों के माध्यम से हम कुछ भूमि भूमिहीन मजदूरों में वितरित कर सकते हैं। अब भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गई है और इसके अन्तर्गत एक परिवार 10 से 18 एकड़ सिंचित भूमि अपने पास रख सकता है। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह राज्यों को कहें कि उनको जो मार्गदर्शी सिद्धान्त बताये गये हैं, वे उनपर सख्ती से अमल करें अन्यथा विभिन्न राज्यों में निर्धारित अधिकतम सीमा में समानता नहीं रह जायेगी।

उबड़ खाबड़ भूमि को समतल करने के लिए बुलडोज़रों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तथा उनमें ट्रैक्टरों का प्रयोग किया जा सकता है। सरकार पिछड़े राज्यों के कृषि आधारित उद्योगों की सहायता करेगी, ऐसी मेरी आशा है।

वनों के लगातार काटे जाने से देश में वर्षा दिन-प्रतिदिन कम होने लगी है। योजनाबद्ध ढंग से वन लगाये जाने चाहिएं ताकि देश में वर्षा काफी हो सके और भूमिगत जल का अच्छे ढंग से प्रयोग हो सके।

देश में छः पायलट परियोजनाएं 1971-72 से चल रही हैं। वर्तमान नीति के अनुसार देश के जनजाति क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जायेगी। कोरापुट जिले जैसे क्षेत्रों में कुछ पायलट परियोजनाएं आरम्भ की जानी चाहिएं ताकि जनजाति लोगों को लाभ पहुंचाया जा सके।

मेरे राज्य में इस समय कोई लोकप्रिय सरकार नहीं है, और इस समय वहां पर सूखे की स्थिति विद्यमान है। मैं चाहता हूं कि सरकार द्रुत कार्यक्रमों के लिए इस राज्य को अत्याधिक राशि दे।

Shri Chhote Lal (Chail) : I support the demands of the Ministry of Agriculture. It was stated in the House in 1972 that we have attained self-sufficiency in foodgrains. But now I can see that due to drought the production of foodgrains is less and that Government is contemplating to import two million tonnes of foodgrains. This problem should

be solved forever. In this connection I may say that land should be distributed to the landless agricultural labourers. In this way we will be able to increase the production.

The farmers, officials and poor people should not be allowed themselves to be misled by the political parties as the taking over of wholesale trade in foodgrains is in their favour. This step has been taken to benefit the farmers.

Sufficient efforts have not been made to improve the lot of the landless agricultural labourers. They are not getting sufficient reward for their labour. Government should pay special attention towards these people. Their working hours should be fixed. Their labour should be fixed on minimum need based wages. With these words, I support the demands.

*श्री एम० एम० जोजफ (पीरमाडे) : भारत एक कृषि प्रधान देश है । सभी लोग एक अथवा दूसरे प्रकार से कृषि से सम्बन्धित हैं । अतः हमारे देश की समृद्धता इस बात पर निर्भर करती है कि हम कृषि में कितनी प्रगति प्राप्त करते हैं ।

खेती योग्य 80 प्रतिशत भूमि वर्षा पर निर्भर है । 20 प्रतिशत भूमि में सिंचाई सुविधायें उपलब्ध हैं। अतः वित्त मंत्री ने सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया है । उन्होंने यह भी कहा है कि बारानी खेती की तकनीक विकसित की जानी चाहिएं।

पांचवी योजना के दृष्टिकोण पत्र को देखने से असंतोष होता है । कृषि में 3.97 प्रतिशत विकास दर की अपेक्षा की गई है । परन्तु कृषि के लिए कुल 19 प्रतिशत राशि रखी गई है । चौथी पचंवर्षीय योजना में कृषि के लिए 20 प्रतिशत राशि रखी गई थी । कृषि के लिए अधिक धनराशि रखी जानी चाहिए ताकि देश में सुदृढ़ आर्थिक निति स्थापित की जा सके ।

देश की अनेक बड़ी नदियों का पूरा उपयोग नहीं किया गया है इस बारे में केन्द्र अथवा राज्य सरकारों ने कोई निर्णायक कार्य नहीं किया है। भूमिगत जल का भी पूरा प्रयोग किया जाना चाहिए। परन्तु इस सम्बन्ध में अब तक कुछ कार्यवाही नहीं की गई है। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक नलकूप लगाये जाने चाहिए । सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि पर ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हे।

अनुसंधान के क्षेत्र में हमने पर्याप्त प्रगति नहीं की है । चावल में अनुसंधान कार्य बिलकुल भी नहीं किया गया है । सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए ।

केरल में सरकार ने कुहानन्द नामक एक मुख्य योजना आरम्भ की है। हम चाहते हैं कि केन्द्र इस के लिए खुले दिल से सहायता दे ।

वाणिज्यिक फसलों के बारे में भी अनुसंधान कार्य किया जाना चाहिए। काली मिर्च की खेती एक बीमारी के कारण खत्म हो रही है । इस बीमारी को खत्म करने के लिए सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए ।

मुझे पता लगा है कि मसालों सम्बन्धी विकास परिषद को समाप्त किया जा रहा है । यह बहुत चिन्ताजनक बात है। मेरा अनुरोध है कि इस परिषद् को समाप्त न किया जाये ।

*मलायालम में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Malayalam.

सीमान्त तथा छोटे किसानों को अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिऐ। उनको अधिक सहायता भी दी जानी चाहिए । उनको ऋण सुविधायें भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए ।

केरल में फालतू भूमि उन्हीं लोगों को दी जानी चाहिए जो खेती का कार्य करना चाहते हों । ऐसे लागों को प्रोत्साहित करने के लिए सभी सुविधाएं भी दी जानी चाहिए । कृषि में 'उगाओं कम और काटो अधिक' की नीतियां चलानी चाहिए ।

Shri Dharamrao Afzalpurkar (Gulbarga): I support the demands of the Ministry of Agriculture. India is Agricultural country and 75 per cent people depend on Agriculture. They have to depend on Monsoon. In 1951 Government launched 588 projects and in a period of twelve years only 361 projects have been completed. Only 10.9 million hectres land has been provided with irrigation facilities. We have not been able to harness the available water resources in the country.

It is time that production is increased from 500 lakh tonnes in 1951 to 1100 lakh tonnes today but the increase is not as we expected.

The experience shows that the small farmers are not getting credit facilities. Only big landlords are being benefitted from the nationalization of banks. The small farmers are not in a position to go into the complications of the laws. I suggest that evaluation officers should be appointed in each District and on the evaluation of those officers farmers should be granted loan.

In my view the sugar policy being followed by Government is not correct. All the Cooperative Societies, traders and Fair Price shops are indulging in blackmarketing of sugar. The policy should be reversed. The Government should either control or decontrol the total production of sugar.

The National Commission on Agriculture has recommended that a Forest Corporation should be set up in each State. All those people who intend to start forest based industries should be granted loan upto Rs. 5 crores.

Agro-Industries Corporation should set up its own factories in each State. Small tractors should be given to the farmers.

An Agricultural School should be opened in each District . We should lay emphasis on mechanised farming. People should be educated in modern techniques. Agricultural University should be set up in Mysore.

It is being said that wheat will be distributed through Fair Price shops. In my view, if Government will depend on Fair Price shops for distribution it will be a fraud and people will not get the wheat. An enquiry should be held against all the Cooperative Societies and stern action should be taken against those who are found corrupt.

Shri Anadi Charan Das (Jajpur): The tiller of the land is landless. The rich and the exploiters are the owners of the land, and they do not want to part with the land voluntarily. Land can only be taken over from them only passing necessary legislation. But the vested interests are standing in the way of land reforms being carried out. Even after 25 years of independence the desired land reforms have not been brought forward. The right to property must be abolished.

Today share croppers are being ejected. No body helps them. The police, the Officers and even the Courts help the big farmers and land owners. The persons, who have been given land have not got formal possession of the land given to them and instead he is involved in false criminal cases. Big persons, irrespective of their party affiliations do not want that poor may get land.

There have been progressive declarations of land ceilings. But these are not enough and proper because this legislature of land ceiling has not been passed. Land ceiling in Orissa was fixed at 10 acres but this land reform bill has not been passed because of some political uncertainties.

Government has started a crash scheme. The funds allocated for this crash scheme for the purpose of providing employment to the unemployed have not been fully utilised in Orissa. The people do not get employment for 10 months. Government should look into this.

Shri Ramubhai Patel (Dadra and Nagar Haveli): Dadra and Nagar Haveli is land of Tribal people and most of them are landless agricultural labourers. This territory is industrially backward. No industry has been set up here during the 18 years by the Central Government. Grass is available in abundance in this area. If a paper industry is set up here; it will be a boon to the poor tribal people. Small and Cottage industries shall be of great help for the overall development of this area.

So far as the Education is concerned this area is very backward. A large number of Educational institutions with facility of hostels and other facilities should be started there. Free education should be provided to the people there.

Interest free long term loans should be provided to the people of Dadra and Nagar Haveli so that they can dig wells and purchase Oil Engines. Benefits of rural housing scheme of the Central Government should also be given to the people of this area.

Dadra Nagar Haveli Land Reforms Regulation, 1971 should immediately be implemented by the Government so that surplus land can be acquired and given to the landless for improving their economic lot.

Elected Panchayat in Dadar Nagar Haveli is a existence but it has no farmers at all. I want that the Gujarat Panchayat law should be extended to this territory so that this Panchayat may undertake development work there. Secondly a Gujarati speaking Collector should be appointed in Dadar Nagar Haveli as the present Collector has not been helpful there and people have suffered much.

Dadar Nagar Haveli is facing draught situation and the present Collector has not declared these areas as draught affected areas. Moreover no relief work, have been undertaken there. Government should look into this matter. Central pay scales and dearness allowances should be given to the employees of the Dadar Nagar Haveli Administration.

Shri Sat Pal Kapur (Patiala): Inspite of serious draught situation in the country, the Ministry of Agriculture have dealt with this situation marvelously and instead of going into imports of foodgrains they have increased local resources for producing foodgrains in the country.

Government's decision to take over wholesale trade of foodgrains is another historic step. But the All India Foodgrains Dealers Association and some other vested interests are trying to create economic crisis and chaos in the country. They are also trying to set this step of the Government fail. This step will eradicate black-marketeers and wholesale dealers in foodgrains in the foodgrains trade. Moreover employment opportunities will increase.

It is stated that wholesale traders will not undertake coarse grain trade. Government should also take over wholesale trade of coarse grain to avoid chaos. We should not depend on the wholesale traders. Pulses, seeds and edilble oils, Vanaspati should be brought within the purview of Essential Commodities Act.

Sixty five per cent of foodgrains are procured from Punjab & Haryana. But there is one difficulty there that the Food Corporation of India do not procure foodgrains through cooperative societies of the farmers. The middlemen and businessmen try to scrap cooperatives by submitting lower tender for procurement. After getting contract, they do all sorts of bunglings, like under-weighing etc. The F.C.I. should not depend upon these middlemen instead cooperative societies should be taken into consideration for procurement of foodgrains.

Situation demands to increase agricultural production. Additional funds should be given to states, as demanded by them, for stepping up agricultural production. Government should not go into imports of foodgrains instead additional resources should be provided to the States for increasing production. Agricultural inputs should be linked up with the prices of agricultural commodities ; Secondly the fixation of procurement and distribution prices should not be left on the bureaucrats. A cabinet sub-Committee should fix these prices. Distribution prices fixed by the Government should not be allowed to increase.

Sugar Industry should be nationalised immediately.

Shri M. Satyanarayan Rao (Karimnagar): The green revolution has subsided. The farmers are facing various difficulties. There is no fertilizer. There is no electricity for pumping out water and there are no irrigation facilities. The farmers should be provided with the fertilizer and irrigation facilities.

I congratulate Government for carrying out land reform legislation. But these laws have not been brought into implementation, particularly in Andhra Pradesh. In view of an Ordinance imposed there people can not sell or mortgage their land. They cannot get loans without mortgage. Therefore small and marginal farmers are experiencing great difficulties. If any loan is given to them they spend it on the maintenance of their families. Government should look into this matter, and instead of giving loan, development grants should be given to them.

The corruption and inefficiency in the cooperative societies should be removed.

Shri Ram Chandra Vikal (Baghpat): Sir, I stand to support the demands for grants of Agriculture Ministry. Accordingly to the statement of Prof. Sheer Singh the estimated figures of the production of Rabi crop is 4 million tonnes more. If these figures are correct the production is rather encouraging, because in spite of draught conditions, Power crisis and Strikes in the country the food grains production has been increased. Therefore the ministry and the farmers deserve congratulation. But the Raj Committee, appointed by the Government, has recommended agricultural income-tax on farmers. This will hard hit small farmers because it will be very difficult for them to keep accounts. It is not proper to impose agricultural income-tax on farmers.

Another problem being faced by the farmers is that of land acquisition law. Their lands are acquired everywhere. This is gross discrimination with the farmers. In Delhi agricultural land have been acquired from the farmers at a very cheap rates and has been sold at very high prices. This is injustice to the farmers. A large amount of land have been acquired by Government in the name of plans and the same is lying un-utilized for years together. Wherever land have been acquired in excess to the needs, of the plans should be utilized for agricultural purposes. More and more irrigation facilities should be provided to the farmers so that agricultural production may be increased.

Government is not giving proper prices to the farmer in proportion to the cost of production and hard work. In order to increase agricultural production a good proportionate price should be given to the farmer.

The farmers have been demanding for a pretty long time for crop and cattle insurance. There was some declaration here in this regard, but the state Governments are not implementing this scheme. Secondly there is no coordination between the schemes of the state Governments and the Central Government. If there is coordination between these schemes the agricultural production can be increased.

There is discrimination in the rates of commercial power and the power being utilized for agricultural purposes. Government should remove this discrimination. Agricultural resources and facilities should be provided to the farmers and greater incentive should also be given to him. Government should be generous towards farmers; so that we may become self sufficient in this respect.

Shri Dalip Singh (Outer Delhi): I support the decision of Government to take our wholesale trade of foodgrains. But the vested interests are baffling farmers not to bring foodgrains in the markets. More incentives should be given to the farmers. Procurement prices fixed by the Government is some what low, it should be increased to a minimum extent. In spite of this the farmers are with the Government. It has been reported that the inspectors of the Food Corporation of India in the Delhi markets at Narela and Najafgarh reject the foodgrains brought by the farmers. This is done to help certain traders so that the farmers are forced to sell it to them at lower prices. The same product is sold at the Government fixed rates the very next day. This malpractic should be put to an end.

Imposition of agricultural income-tax on farmers as recommended by the Raj Committee is not proper and wise. Most of the farmers are illitrate and they can not maintain accounts. Government should look into this matter and try to save the farmers from this difficulty.

In Delhi land of farmers have been acquired at a very cheap rates. But it is very regretting that this land have been given to rich persons having big buildings. The poor farmers have been rendered unemployed, they have been looted.

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : जो आलोचनाएं की गई है उनसे मुझे कोई भय नहीं है मेरे मंत्रालय द्वारा आयोजित की गई यात्रा में 125 माननीय सदस्यों ने भाग लिया । मैं उन सबका आभारी हूं जिन्होंने इस यात्रा में भाग लिया ।

मैं पंजाब और हरियाणा को बधाई देता हूं कि इन राज्यों ने देश की कुल उपज का 60 प्रतिशत अनाज दिया है। इनका योगदान बहुत अधिक है। अतः इसके लिए पंजाब और हरियाणा राज्य प्रशंसा के पात्र हैं । इस वर्ष भी इन्होंने केन्द्रीय पूल को 10 लाख मीटरिक टन चावल दिया है ।

तर्क दिया गया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 25 वर्ष के पश्चात भी हमारा देश खाद्य सामग्री का फिर आयात कर रहा हैं, और यह कांग्रेस दल और सरकार की असफलता है कि वह देश की कृषि की समस्याओं को हल करने में सफल नहीं हुई है इस सम्बन्ध में मेरा मंत्रालय बड़े बड़े दावे तो नहीं कर रहा हैं, किन्तु हमें वास्तविक स्थिति का सही मूल्यांकन करना चाहिए जिससे कि यदि कुछ कमियां हैं तो उन्हें दूर किया जा सके ।

सूखे की भयंकर स्थिति के कारण इस वर्ष उत्पादन में कमी हुई है ।

भारत में नहीं अपितु उष्णकटिबन्धीय तथा अर्ध उष्णकटिबन्धीय क्षेत्रों में कृषि अर्थ व्यवस्था मौसम पर निर्भर करती है । यदि हम आस्ट्रेलिया का उदाहरण लें तो वहां 1966 में उत्पादन में 42 प्रतिशत कमी हुई । 1968 में 26 प्रतिशत कमी हुई । कनाडा में 16 तथा 20 प्रतिशत कमी हुई । रूस में वर्ष 1962-63 में 25 प्रतिशत कमी हुई । मैं किसी देश विशेष की आलोचना नहीं कर रहा हूं । मेरा तात्पर्य तो केवल यह है कि कृषि अर्थव्यवस्था मौसम की स्थिति पर निर्भर करती है। हमारे यहां सूखे की इतनी भंयकर स्थिति होने पर भी देश में 10 करोड़ मीटरी टन उत्पादन हुआ हैं तथा इसका श्रेय भारत सरकार, देश के वैज्ञानिक तथा किसानों को नहीं जाता है ।

देश में 1966 से पूर्व अच्छी वर्षा होने पर भी अधिक से अधिक 8 करोड़ 90 लाख मीटरी टन उत्पादन हुआ है। हमने मौसम की बुरी स्थिति में भी 10 करोड़ मीटरी टन उत्पादन किया है । फिर भी उत्पादन में सुधार करने के लिये जो सुझाव आते हैं हम उनका स्वागत करते है । रचनात्मक आलोचना से मुझे कोई चिढ़ नहीं है। 1 अप्रैल, 1972 से 31 मार्च 1973 तक खाद्यान्नों के क्षेत्र में हमने कोई आयात नहीं किया है ऐसा तो नहीं कहा जा सकता छ या सात लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का

आयात किया गया है। इसके साथ ही हमने 9 लाख टन बंगला देश को निर्यात किया है इस प्रकार देश के इतिहास के सबसे खराब वर्ष में भी हमें खाद्यान्नों के आयात की आवश्यकता नहीं पड़ी है। हम देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयत्न करते है और इस बात में मुझे कोई सन्देह नहीं है कि हम आज आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अगले सामान्य वर्षों में देश में खाद्यान्नों का आवश्यकता से अधिक उत्पादन हो सकेगा ।

इस वर्ष हमारा लक्ष्य 11 करोड़ 50 लाख मीटरी टन के उत्पादन का है। यदि मौसम ठीक रहा तो इतना उत्पादन हो जायेगा। यह उत्पादन लक्ष्य भी ऐसी परिस्थितियों में प्राप्त किया गया है जबकि विद्युत की कमी है, खाद की कमी है, पानी नहीं है। यदि स्थिति ठीक रही होती तो 20 लाख मीटरी टन उत्पादन और हो सकता था ।

पूर्वोत्तर भारत में भी खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ रहा है। निसंदेह बिहार के सामने बहुत सी कठिनाइयां हैं। भूमि सुधारों को वहां लागू नहीं किया गया है। अनेक सदस्यों ने यह चिन्ता व्यक्त की है कि बिहार में कटाई काश्तकारों को उचित अंश नहीं मिल रहा है। किन्तु इसके बावजूद भी बिहार देश के खाद्यान्न उत्पादन के मानचित्र पर आ रहा है। इसी प्रकार बंगाल, असम और उड़ीसा भी इस दिशा में प्रगति कर रहे हैं और इस स्थिति को लाने के लिए काफी संगठनात्मक प्रयास किये गये हैं ।

कपास इस देश की महत्वपूर्ण फसल है। हमें आशा है कि इस वर्ष कपास का उत्पादन लगभग 56 लाख गांठ का होगा और व्यापारिक अनुमानों के अनुसार गतवर्ष कपास का उत्पादन 65 लाख गांठों का हुआ जितना अधिक पहले कभी नहीं हुआ। अतीत 1964-65 में सबसे अधिक उत्पादन हुआ था जब केवल 58 लाख गांठों का उत्पादन हुआ था। यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हमारा कपास का उत्पादन बढ़ा है, तो ऐसा हमारे वैज्ञानिकों के अंशदान के कारण ही है। हमने कपास की संकर-4 किसम स्वयं बनायी है। इस कार्य के लिए किसी अंतर्राष्ट्रीय एजेन्सी की सहायता नहीं ली गई है।

अब हम कुछ कमान क्षेत्रों, अर्थात् तुंगभद्रा कमान क्षेत्र, नागार्जुन कमान क्षेत्र और राजस्थान नहर कमान क्षेत्र के विकास पर बल दे रहे हैं। यह आश्चर्य की बात नहीं होगी यदि भारत आगामी तीन चार वर्षों में फालतू कपास का उत्पादन करने लगे। जिससे विदेशी मुद्रा के व्यय का भार कम हो सकेगा ।

इस वर्ष तिलहनों के उत्पादन की स्थिति अच्छी नहीं है। कारण यह है कि मैसूर, महाराष्ट्र, आन्ध्र तथा गुजरात, जहां देश के कुल उत्पादन की 2 तिहाई मूंगफली पैदा होती है, भयंकर सूखे की स्थिति में रहे हैं। कुछ वर्ष पहले मैं रूस गया था वहां मैंने सूरजमुखी के फूल देखे। मैंने सोचा कि भारत में इनकी फसल अच्छी होगी। हमारे वैज्ञानिकों ने इस ओर उचित ध्यान दिया और इस वर्ष देश में 1 लाख हैक्टेयर भूमि में सूरजमुखी की खेती हुई है। इससे हमें बहुत अधिक तेल प्राप्त हुआ है। हम इन बीजों से इतना अधिक तेल प्राप्त कर रहे हैं, जितना अधिक संसार में और कहीं भी नहीं सुना गया है। इस वर्ष हमने 3 लाख हैक्टेयर भूमि में सूरजमुखी लगाने का कार्यक्रम बनाया है। सूरजमुखी के इन बीजों में तेल की मात्रा 60 प्रतिशत अधिक है और हम इनसे अतिरिक्त $2\frac{1}{2}$ लाख टन तेल प्राप्त करेंगे। हम अपने विस्तार कार्यक्रम द्वारा आगामी तीन चार अथवा पांच वर्षों में तेल की कमी को दूर कर लेंगे।

खाद्यान्नों के थोक व्यापार के सरकारीकरण की आशा के विपरीत, विरोधी पक्ष के कुछ सदस्यों ने भी समर्थन किया है। परन्तु जनसंघ दल के सदस्यों ने सरकार की इस कार्यवाही की जोरदार आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि सरकार एकाधिकार गृहों को नहीं ले रही है किन्तु छोटे व्यापारियों

के व्यापार को अपने हाथ में ले रही है। खेद का विषय है कि देश की खाद्य अर्थव्यवस्था का तात्पर्य नहीं समझा गया है। सिद्धान्ततः यह बहुत ही अच्छा प्रस्ताव है जिसे सरकार ने कार्यरूप दिया है। खाद्यान्नों के सरकारीकरण के सम्बन्ध में सभी विशेषज्ञ समितियों ने, विशेषकर बंगाल अकाल जांच आयोग ने सरकारीकरण के पक्ष का समर्थन किया है। आयोग ने कहा है कि खाद्यान्नों के स्वतंत्र व्यापार की अनुमति नहीं होनी चाहिए। अशोक मेहता जांच समिति, वेंकटाप्पया समिति तथा गाडगिल समिति ने भी इस मामले पर विचार किया है। सभी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि खाद्यान्नों का स्वतंत्र व्यापार नहीं होना चाहिए।

खाद्यान्नों के भावों में निरन्तर उतार-चढ़ाव आते रहने से हमारे समस्त आयोजना में कठिनाइयां पैदा हो गई। रुपये का मूल्य घट जाने के लिए भी खाद्यान्नों के भावों का उतार-चढ़ाव किसी सीमा तक उत्तरदायी है। मैं नियंत्रण हटाने की बात से सहमत नहीं हूं। नियंत्रण हटाने से उस समय वर्ष 1956 में खाद्यान्नों के मूल्यों में 28.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। खाद्यान्नों के मामले में सट्टाबाजारी को रोकने के लिए सरकारीकरण किया गया है।

मैं भारतीय कृषि के बारे में श्री बी० एम० रेड्डी की विचारधारा से सहमत नहीं हूं। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धांतों तथा भूमि के अधिकतम सीमा निर्धारित करने वाले कानूनों के अनुसार एक व्यक्ति को सिंचाई की निरन्तर सुविधावाली 27 एकड़ भूमि रखने का अधिकार है। यह बात नहीं है। मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार एक व्यक्ति आश्वस्त सिंचाई वाली 10 से 18 एकड़ तक भूमि रख सकता है। इसके विपरीत हमने किसी भी राज्य को अनुमति नहीं दी है।

श्री झारखण्डेराय ने बड़े-बड़े फार्मों की बात कही है। मुझे पता है कि भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने वाले पुराने कानूनों में बहुत-सी कमियां हैं। बहुत-सी छूट दी गई हैं। परन्तु नये नियमों में इन सभी कमियों को दूर कर दिया गया है। कहा गया है कि देश में ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जिनके नाम से जमीन है परन्तु वे उसे जोतते नहीं है। इस स्थिति को समाप्त करना है। जो लोग भागीदारों से खेती कराते हैं उन्हें जमीन रखने का कोई अधिकार नहीं है। मैं राज्य सरकारों से अनुरोध करूंगा कि ऐसे भागीदारों को जो स्वयं खेती करते हैं भूमि का स्वामी बनायें।

ट्रैक्टर, उर्वरक, बीज, ऋण आदि के सम्बन्ध में बहुत-से सुझाव दिये गये हैं। इन सुझावों पर ध्यानपूर्वक विचार किया जायेगा।

कहा गया है कि वर्तमान कृषि मंत्री के समय में नये बीज नहीं लाये गये हैं। यह बात गलत है। कल्याण सोनार ऐसा ही एक बीज है जो आज बहुत प्रचलित हो गया है। गत पांच वर्षों में कई प्रकार के नये बीज सामने आये हैं। गेहूं, चावल, दाल, सभी के नये बीज उपलब्ध हुए हैं। कहा गया है कि सरकारीकरण को सफल बनाने के मार्ग में नौकरशाही बाधक सिद्ध होती है। भारत सरकार इस मामले के प्रति जागरूक है।

कृषि मूल्य आयोग के बारे में कहा गया है। कृषि मूल्य आयोग को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है जिससे हम कृषि उत्पादों के मूल्य निर्धारित करने के सम्बन्ध में उपयुक्त निर्णय कर सकें।

जहां तक मत्स्यपालन के विकास का सम्बन्ध है, बहुत-सी बाधाओं के होते हुए भी पिछले वर्ष मछलियों के निर्यात का कार्य काफी अच्छा रहा है। हमने 58 करोड़ रुपये के मूल्य की मछलियों का निर्यात किया। हमारा निर्यात बड़ी तीव्रगति से बढ़ रहा है। गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का कार्य आरम्भ करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। हाल ही में हमने पोलैण्ड के साथ गहरे समुद्र में मछली

पकड़ने के जलपोतों के लिए समझौता किया है और हम अपने जलपोतों आदि के बेड़े में विस्तार करने पर विचार कर रहे हैं।

श्री कृष्णप्पा ने सुझाव दिया है कि सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए एक योजना होनी चाहिए। अब हमने राज्य सरकारों को सलाह दी है कि उन्हें सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए एक बृहत्त योजना बनानी चाहिए और राज्य सरकारों को जो सहायता दी जाती है वह उत्पादक कार्यों पर लगाई जानी चाहिए। सूखा राहत के लिए हमने इस वर्ष सर्वाधिक सहायता दी है। सहायता की राशि 500 करोड़ तक पहुंच गई है। सूखाराहत कार्यों में 70 लाख व्यक्ति लगे हुए हैं।

सहकारी अभियान और किसानों को ऋण सम्बन्धी कठिनाईयों के बारे में कुछ विचार प्रकट किये गये हैं। सहकारी अभियान के बारे में हमारी कुछ कठिनाईयां हैं। हम इसमें सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। इस समय देश में सहकारी संस्थाएं अल्पकालीन ऋणों के रूप में 700 करोड़ रुपये का वितरण कर रही हैं। इतनी अधिक मात्रा में कोई भी अभिकरण ऋण नहीं देता। बहुत-से दोष भी हैं और मेरा मंत्रालय भारतीय रिजर्व बैंक तथा वित्त मंत्रालय के बैंककारी विभाग से निरन्तर सम्पर्क बनाये रहता है और हमें आशा है कि हम अपने निरन्तर प्रयास से आने वाले दिनों में छोटे किसानों की सहायता व्यापक रूप में कर सकेंगे।

श्री कृष्ण राव पाटिल (जलगांव) : हमारा देश एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। हमारे सामने बहुत-सी समस्यायें हैं।

[डा० सरदीश राय पीठासीन हुए]

[Dr. Sardish Roy *in the chair*]

यदि इस मंत्रालय के कृत्यों के निष्पादन पर संम्यक रूप से विचार किया जाय तो मेरे विचार से कोई भी सदस्य मंत्रालय की आलोचना नहीं करेगा। मंत्रालय की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि गत 15 से 20 वर्षों के दौरान कृषि समुदाय के कार्य करने की प्रणाली में परिवर्तन हुआ है। हमारे कृषि समुदाय ने कई प्रकार की विशेषतायें प्राप्त कर ली हैं जोकि लोकतांत्रिक आयोजना की सफलना के लिए नितांत आवश्यक हैं। कृषकों में विश्वास, शक्ति तथा चेतना का उद्भव हुआ है। इस क्षेत्र में सफलता के लिए हमारे वैज्ञानिक बधाई के पात्र हैं।

योजनाओं को क्रियान्वित करने के मामले में कुछ दोष हैं। परन्तु फिर भी सम्यक रूप से देखने पर पता चलता है कि कृषि मंत्रालय का कार्य निष्पादन अच्छा रहा है।

कृषि समुदाय को कृषि उत्पादों के लाभात्मक मूल्य दिये जाने चाहिए। देश में समता के आधार पर मूल्य निर्धारित करने जैसी कोई नीति नहीं है। यदि कृषि विकास करना है तो किसानों को लाभात्मक मूल्य दिये जाने ही चाहिए।

दूसरे, कीटनाशी औषधियां तथा उर्वरक उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराये जाने चाहिए। इस प्रकार कृषि यंत्र देश में बनाये जाने चाहिए तथा किसानों को दिये जाने चाहिए। चौथे, कृषि सेवा केन्द्र देश के सभी भागों में खोले जाने चाहिए।

जहां तक खाद्यान्नों के व्यापार के अधिग्रहण की नीति का सम्बन्ध है, थोक व्यापारी खाद्यान्नों के सरकारीकरण का विरोध कर रहे हैं तथा इसकी क्रियान्वित में बाधक बन रहे हैं। यह कदम देश की

96 प्रतिशत जनता के हित में है शेष 4 प्रतिशत व्यापारी वर्ग इसके विरुद्ध हैं। थोक व्यापारी फुटकर व्यापारियों को गुमराह कर रहे हैं। इस योजना में फुटकर व्यापारियों के लिए व्यवस्था की गई है। इस मामले में सबसे बड़ी कठिनाई सार्वजनिक वितरण की आती है। कुछ वर्ष पूर्व सेवा समितियां बनायी गई थीं। देश में पंचायती राज्य की स्थापना की गई थी। क्या इसमें सफलता नहीं मिली है ? यदि उसमें सफलता मिली है तो इस मामले में भी कोई कठिनाई नहीं होगी। हम इन्हीं संस्थानों के माध्यम से वितरण कार्य कर सकते हैं।

अन्त में, मैं यह कहना चाहता हूं कि केन्द्र तथा कुछ राज्य सरकारों ने ऋण तथा सेवा समितियां और पंचायती राज्य को सुदृढ़ बनाने पर विशेष ध्यान नहीं दिया है। सरकार को इस मामले पर ध्यान देना चाहिए।

Shri Ram Kumar (Tonk): There has been very good progress in relation to farms in public sector but our farmers have not been made familiar with the schemes of the Government.

Only the big landlords have benefited from the schemes of the Government but small farmers have been deprived of that benefit.

I listened to the speech made by the hon. Minister, Shri Shinde. He did not mention Rajasthan while he was referring to the other States. He may not be interested in Rajasthan because he does not belong to that State..

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैं इस टिप्पणी का घोर विरोध करता हूं।

Shri Ram Kumar : If attention is paid to the irrigation in Rajasthan, it will benefit whole of the country. There is a river, named Banas, in Tonk parliamentary cntituency. There was a proposal to construct a dam over that river but now that has been kept in the cold-storage.

Good quality seeds should be distributed among the farmers.

The prices of wheat have been fixed low. It will hurt the interests of small farmers and farm labourers. Hundreds of thousands acres of land in Rajasthan has been kept in the name of forests but afforestation is not done there. Government should distribute that land among the landless Scheduled castes people.

The discrimination is being done in drought-relief works. That should be checked.

श्री के० रामकृष्ण रेड्डी (नलगोंडा) : इस मंत्रालय की मांगों पर चर्चा ऐसे समय में हो रही है जब वर्षा न होने के कारण बहुत से क्षेत्र सूखाग्रस्त हैं।

आंध्र प्रदेश के जिलों में सूखा राहत कार्यों को सक्रिय रूप से जारी रखा जाना चाहिए और इस शीर्ष के अन्तर्गत और अधिक धन आवंटित किया जाना चाहिए।

बारानी खेती और सूखे को रोकने के लिए सांविधिक बोर्ड बनाने के लिए कार्यवाही की जानी चाहिए और इस संबंध में सांविधिक कार्यवाही की जानी चाहिए।

भूमि की अधिकतम सीमा के सम्बन्ध में केवल पांच छह राज्यों ने अधिनियम बनाये हैं। यह सुनिश्चित करने के लए कृषि मंत्रालय को विशेष ध्यान देना चाहिए कि ये अधिनियम बनें और लागू हो।

इसके साथ-साथ नगरीय अधिकतम सीमा भी लागू होनी चाहिए ताकि ग्रामीण और नगरीय लोगों में भेदभाव न रहे।

कृषि मंत्रालय को चाहिए कि नागार्जुनसागर में उर्वरक संयंत्र की सिफारिश करे।

जहां भूमि जल उपलब्ध है वहां नलकूपों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। इनसे जो सिंचाई की जाती है उसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

सीमांत और लघु किसानों सम्बन्धी योजनाओं को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

कुछ राज्यों ने पंचायती राज प्रणाली को समाप्त कर दिया है। इसे समाप्त नहीं किया जाना चाहिए बल्कि बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

केवल भूमि को भूमिहीनों में वितरित करने से ही काम नहीं चलेगा। जल, विद्युत और कृषि उत्पादन सम्बन्धी अन्य वस्तुओं के लिए आधारभूत कार्यक्रम के बिना विकास नहीं होगा।

Shri Md. Jamilurrahman (Kishanganj): In view of the serious problem before the country, more funds should have been allocated to the Ministry of Agriculture.

Drought Control Boards should be set-up at Central and State levels so that precautionary measure can be taken before the drought actually hit the areas.

A factory of pumping set should immediately be set up with a view to providing pumping sets to the small as well as big farmers.

The prices of the tractors should be fixed in such a way as to enable the persons to buy tractors whose lands have come under the land ceilings laws.

Small farmers are deprived of the benefits of loans advanced by the nationalised banks and co-operative banks. The branches of these banks should be set up in every block.

There should be co-ordination among the ministries of Power, Chemicals and Agriculture so that farmers are able to get fertiliser, seeds and power in time.

The Ministry of Agriculture should provide funds for the consolidation of holdings but at the same time they should lay emphasis on the reduction of the period from six years to three years so that the farmers can devote themselves to increasing the production.

So far as the jute is concerned, I wrote a letter to Shri Shinde on the 26th March that leaving aside the quality of jute produced in Assam and Bengal, Purnea District is top in producing 'A' quality of jute and foreign exchange worth crores of rupees is earned with the production of this type of jute but the farmers are not getting seed No. 878. The State Government should be tightened up in this regard and the agricultural graduates be appointed as B.D.Os. The landess people should be given land.

A Development Authority or Board should be set up for North Bihar as we are committed for the advancement of the farmers.

In my district, bamboo was planted in 50 thousand acres of land from the Forest Department. If it is fruitful, it should be continued otherwise the land should be distributed among the landless.

श्री बनमाली पटनायक (पुरी) : वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि के लिए ऋण दिये जाने के सम्बन्ध में सरकार ने तलवार समिति नियुक्त की थी। उसकी सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ताकि किसानों को वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी समितियों से पर्याप्त वित्तीय सहायता मिल सके ?

राज्यों को विस्तार एजेन्सियों को उनके द्वारा अब तक किये गये कार्य की तुलना में अधिक तेज गति से कार्य करना होगा ।

निराशा की दूसरी बात यह है कि ग्राम-स्तर पर सहकारिताओं में नये सदस्य धीरे-धीरे लिए जा रहे हैं। अधिकांश गांवों में बहुत से किसान ऐसे हैं जो या तो सहकारी समितियों के सदस्य नहीं हैं या ऋण न लेने वाले सदस्य है। यदि उन्हें प्राथमिक समितियों के ऋण लेने वाले सदस्य बनाये जा सकें तो सहकारी प्रणाली की पुनः सक्रिय हो जाने की आशा की जा सकती है।

मंत्री महोदय ने मूंगफली और रूई का उल्लेख किया परन्तु दालों का कोई उल्लेख नहीं किया। दालों की कीमतें बढ़ रही हैं और जब तक दालों का उत्पादन नहीं बढ़ाया जायेगा भोजन में पौष्टिक तत्वों का अभाव रहेगा ।

चावल उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में गायों के दूध कम होता है ज्वार, बाजरा या गेहूं उत्पादन करने वाले क्षेत्र में ज्यादा। इस दिशा में कुछ अनुसंधान केन्द्र खोले जाने चाहिए।

चिल्का झील में मत्स्यकी का विकास करने संबंधी एक प्रस्ताव भारत सरकार के समक्ष अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी की सहायता से धन लगा कर करने का था इस क्षेत्र में मछलियां होने के बावजूद भी विकास करने के लिए प्रयास नहीं किया गया है अतः विचाराधीन योजना पर अनुमति दी जानी चाहिए ।

हाल ही में उड़ीसा सरकार ने केन्दु पत्ते के व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय किया था उस कार्य के लिये उन्हें बहुत बडी संख्या में 'फोरेस्टरी' में प्रशिक्षित व्यक्ति चाहिए अतः देहरादून फोरेस्ट कालेज में प्रशिक्षित छात्रों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वे केन्दु पत्ते के व्यापार का सरकारीकारण कर सके ।

[श्री के० एन० तिवारी **पीठासीन हुए** ।]

[Shri K.N. Tiwari **in the chair.**]

श्री दशरथ देव (त्रिपुरा पूर्व) : यह वास्तविकता है कि, देश में बहुत बडी संख्या में लोग भुखमरी से मर रहे हैं । इस बात से पता चलता है कि इस मंत्रालय का कार्यकरण संतोषजनक नहीं हैं ।

खाद्यान्न के थोक व्यापार के सरकारीकरण का निर्णय स्वागत योग्य कदम है परन्तु मेरा संदेह सिर्फ इतना ही है कि क्या यह सरकार इस नीति को क्रियान्वित कर सकेगी या फिर यह गरीबी

हटाओं नारे जैसे कागज पर ही रह जायेगी ? यदि सरकार इस बात से संतुष्ट है कि जमाखोर जितना माल जमा रखते है वह ठीक है तो वह स्टाक नहीं कर सकेगी ।

त्रिपुरा राज्य में गंभीर अकाल है और वहां खाद्यान्न का स्टाक नहीं है । सरकार को खाद्यान्न का स्टाक करके वहां विमानों से खाद्यान्न पहुंचाना चाहिए। तभी स्थिति का मुकाबला किया जा सकता है ।

वहां चावल 2 से 2.50 रुपये प्रति किलोग्राम है। सरकार को चाहिये कि राजसहायता देकर राशन की दुकानों पर 0.50 पैसे प्रति कि० ग्रा० की दर से चावल सप्लाई करें ।

Shri Sukhdhev Prasad Verma (Nawada) : Government has certainly taken a bold step in deciding to take over the wholesale trade in foodgrains. If the prices of wheat is further reduced to Rs. 50 per quintal, I have no objection to that but the farmers should be supplied with necessary inputs at the corresponding rates. If the Government does not want to change their price-policy, they should supply various things the farmers need at controlled prices.

Though Panchayat legilation was passed in Bihar as back as 1947, it has not been made effective uptil now. Unless we strengthen the working of co-opratives and Panchayati Rajat village levels, the country cannot progress. If Bihar is to progress, the co-ordination between these two institutions and people is necessary.

Kosi and Gandak projects have been hanging fire for many years. A demand has been made in this regard that the Centre should lake over these projects but nothing has happened. Similarly certain projects relating to reservoirs are still at theinvestigation stage. If these projects are implemented the irrigation facilities can be provided to four Districts of Southern Bihar.

The irrigation and power projects connected with agriculture should be implemented in co-ordination with the Ministry Agriculture.

Lastly I would like to say that Bihar is continuously affected by droughts and famines. In the district of Ganga in Southern Bihar no remedy is there except the constrution of tubewells. Only then the shortage of foodgrains can be removed.

***श्री अप्पला नायडु** (अनकपल्ली): कृषि मंत्रालय की मांगों का समर्थन करते हुए मुझे कुछ बातों की ओर ध्यान दिलाना है । इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि मत्स्य पालन उद्योग हमारे देश में पिछड़ा हुआ है। यह प्रसन्नता की बात है कि हम 58 करोड़ रुपये के मूल्य की मछली का निर्यात करते हैं । मत्स्य पालन उद्योग के विकास कार्य में हमें पश्चिमी तट और पूर्वी तट में भेद भाव नहीं बरतना चाहिए । पूर्वी तट के मछुओं की स्थिति अत्यन्त दयनीय है । कठिन परिश्रम के पश्चात भी वे अपना जीवन ज्ञापन नहीं कर पाते । इसलिए मत्स्य पालन उद्योग में समुचित विकास के लिए कार्य किया जाना चाहिए ।

विशाखापट्टनम में मछली बन्दरगाह के लिए प्रस्ताव सरकार के पास भेजा गया था इसे सामान्य बन्दरगाह के साथ लिया जाना चाहिए ताकि उसकी लागत न बढ़ जाये ।

आन्ध्र प्रदेश ने जो सात और परियोजनाएं केन्द्र के पास भेजी है उन पर शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिये ।

अंडमान द्वीप समूह में अन्य देशों के मछुए मछलियां पकड़ के ले जाते है । इसपर केन्द्र का नियंत्रण है। अतएव वहां पर मदस्य उद्योग के विकास का कार्य किया जाना चाहिए। इस द्वीपसमूह

*तेलगु में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।
*Summarised translated version of english translation of speech delivered in Telugu.

में टूना मछली प्रर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। जो अवैध नौकाएं पकड़ी गई हैं उन्हें मत्स्य विभाग को सौंप दिया जाना चाहिए ।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में गन्ना उगाया जाता है जिसका गुड़ बनाया जाता है । पिछले वर्ष परिवहन सुविधाओं आदि के अभाव में वहां दो करोड़ रुपए का गड़ जमा हो गया । क्या सरकार रेल मंत्रालय के साथ सहयोग से उन्हें माल-डिब्बे देने में प्राथमिकता देगी ।

Shri Chandrika Prasad (Ballia): While supporting the demands for the Ministry of Agriculture I appreciate very much the Government proposal for the take over of wholesale trade in wheat. The price of the wheat should not be raised rather than the farmers should be provided with their needs of clothes, cement etc. at controlled rate.

U.P. is a big State with an area of 294,000 sq. Kilometer of which 12600 sq. Km. is under water. Sixty per cent of the area is under agriculture and 13% under forest.

It is stated at page 30 of the budget.

It is proposed to set up Fish Farming Development Agencies on a pilot basis in five selected districts in the States of West Bengal, Assam, Bihar, Mysore and Madhya Pradesh under a Central Scheme.

U.P. has been left out entirely whereas it has large water resources. In our area labour oriented schemes can be undertaken. Our State has five different parts with different climatic conditions. The population of our State is largest among all the States. In accordance with the geographical conditions we should have 5 more agricultural universities. We should also have two more fertiliser plants.

Shri Hari Singh (Khurje): The hon. Agriculture Minister has just drawn an assuring picture of the food production in India. But what is our rate of production per hecter ? We cannot become self-reliant by mere slogans.

There is shortage of fertilisers in the country. The Fertiliser Association of India in a survey stated in its report that twelve more fertiliser plants are needed in the country.

As compared with the farmers in the world our Indian farmer is the poorest. The land of our country is not less fertile than the land of any other country .

My district Bulandshahr is about 12—14 miles from Delhi and it meets 40% demands of D.M.S. and apart from that milk is supplied by private means. I propose that some Central Scheme on dairy be established there.

There is a very old Degree College in our district. I propose that, that college may be converted into an Agriculture university.

I propose that preference should be given to members of the family of farmers for appointment in Agriculture Department.

Shri G. C. Dixit (Khandwa): The Planning Commission has issued in May, 1972 a report on approach to Fifth Five Year Plan wherein it has been admitted that the number of the people living below the level of poverty line has risen.

The hon. Minister has stated in his speech that we have reached certain targets. But we have forced to acquire essential pre-requisites as have been done by China who achieved Independence in 1949. They have 830 Senior High Schools wherein Agriculture Education is imparted· Till 1960, 59,00 have become expert in Agriculture.

How many of the farmers understand the laws enacted by us? Not even one in ten.

So far as area is concerned Madhya Pradesh is the biggest State in India. I thas 184 lakh hectares of land of which only 64 lakh hectares is under cultivation. The Government should help the State as far as possible.

Shri Ramavtar Shastri (Patna): We welcome the proposal regarding the take over of food trade by the Government.

In order to succeed in this campaign the Government should take over the wholesale trade of entire foodgrains, impost levy on big farmers, ban purchase of wheat by small farmers in the villages, have effective control on Rice & Floor Mills, introduce ration system in villages, and expel Zamindars from F.C.I. If you adopt these measures all progressive forces would co-operate.

Shri Paripurnanand Painuli (Tehri Garhwal): I congratulate the Agriculture Ministry for the take over of wholesale food trade. This plan would entail the producer better price for their produce and the consumer would get foodgrains at fair prices. The number of landless labourers was 2.70 crores in 1951, 3.10 crores in 1961 and 4.75 crores in 1971. The number of landless labourers in U.P. is 55 lakhs and their number is on the increase. Even today 62% people possess land less than two hectares of land. During 1971-72 work worth 8 crore man-days was done. As the situation throughout the country is not uniform, the hilly areas do not get the benefit of crash programme.

I suggest that the children of the people who reside in forest areas should be imparted training in forestery. In our area All India Coordinated Research Provision on Dry Land Agriculture should be implemented.

The Central Government should fix prices of fruits and vegetables as they have done in the case of wheat and sugercane.

Uttar Pradesh is the biggest State but it is being treated at par with smaller States. There are certain Districts in U.P. where population is equal to the the population of certain States.

Pant Nagar Agriculture University is in Nanital but not even 1% students of hilly areas are admitted there.

Shri Bhagirath Bhanwar (Jhanla): It is alleged by the Government that efforts are being made by the opposition parties to stultify the Government efforts for the take over of foodgrain trade. I want to warn the Government that if any such efforts are being made these are by Congressmen, businessmen and corrupt officers. I want to say that sufficient assistance has not been provided for Madhya Pradesh to deal with floods. Different ceiling laws have been enacted in different states but these have not been implemented anywhere.

You have raised the price from Rs. 76 per quintal to Rs. 82 per quintal, without giving due care to the market prices of various commodities.

Cattle are dying due to shortage of fodder, and it would become difficult for the farmers to cultivate their land next year. The irrigation Department should be attached with Agriculture Ministry for proper coordination.

The protection of forests is necessary to avoid cuts in land and for soil conservation.

सदस्य को हिरासत में लिया जाना

Conviction of Member

(श्री फूल चन्द वर्मा)

सभापति महोदय : अध्यक्ष महोदय को जेल अधिक्षक उज्जैन से दिनांक 17 अप्रैल 1972 को भिन्न तार प्राप्त हुआ ।

"कि श्री फूल चन्द्र वर्मा, सदस्य लोक सभा को वावध्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 का उल्लंघन करने पर मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, उज्जैन, द्वारा 17 अप्रैल, 1973 को पांच दिन के साधारण कारावास का दंड दिया गया है ।

*कलकत्ता के टेलीफोनों का ठीक प्रकार कार्य न करना

*IMPROPER FUNCTIONING OF CALCUTTA TELEPHONES

श्री समर गुह (कनटाई) : कलकत्ता में 1961 में 73,600 टेलीफोन थे जबकि बम्बई में 47,795 और दिल्ली में 32,400 थे तीसरी योजना अवधि में बम्बई में 88,100 टेलीफोन दिये गये और दिल्ली को 41,000 जबकि कलकत्ता को कुल 20,300 ही दिये गये ।

चौथी योजना में बम्बई को 92,000 दिल्ली को 62,000 और कलकत्ता को 68,000 पांचवीं योजना अवधि में बंबई को 18,400, दिल्ली को 1,08,000 और कलकत्ता को 69,000 देने का प्रस्ताव है ।

पहली योजना में बंबई के टेलीफोनों की प्रतिशत वृद्धि 187 थी, दिल्ली की 128 जबकि कलकत्ता में कोई वृद्धि नहीं थी । चौथी योजना में बंबई की प्रतिशत वृद्धि 197, दिल्ली की 212 और प्रस्तावित पांचवीं योजना की प्रतिशत वृद्धि बंबई की 391 और दिल्ली की 338 है ।

इस समय बंबई में 1,68,000, कलकत्ता में 1,32,000 और दिल्ली में 99,135 लाइनें हैं । पांचवीं योजना के पश्चात बंबई में 4.44 लाख, कलकत्ता में 2.69 लाख और दिल्ली में 2 लाख 78 टेलीफोन होंगे । कलकत्ता देश का सबसे बड़ा महानगर है ।

कलकत्ता में 56,000 आवेदन बकाया पड़े हैं जिनमें से कुछ 10 वर्ष पुराने हैं । क्या मंत्री महोदय कलकत्ता नगर के वाणिज्य महत्व का ध्यान रखते हुए पांचवीं योजना को अंतिम रूप देने से पूर्व यह ध्यान देंगे कि कलकत्ता की स्थिति को बंबई के समकक्ष रखा जायें ।

भारत सरकार ने वर्ष 1964 में 48,000 लाखों के स्वचालित उपकरणों का आर्डर बेल टेलीफोन कंपनी को दिया था । जिसमें से 30,000 बंबई को, 13,000 दिल्ली को, 5,000 मद्रास को और कलकत्ता को एक भी नहीं मिला ।

सीधे ट्रंक सेवा से कलकत्ता को वंचित रखा गया है । वहां पर कभी टोन नहीं होता कभी नंबर गलत मिल जाते हैं । इसके क्या कारण हैं ?

मुझे बताया गया है कि पुर्जों की व्यवस्था कर दी गई है । तो क्या प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी है ।

इण्डियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज द्वारा बनाये गये उपकरण बहुत खराब हैं । मंत्री महोदय को वहां जा कर स्थिति का अध्ययन करना चाहिए ।

---

*आधे घण्टे की चर्चा ।

*Half an hour Discussion.

टेलीफोन नं० 199 198, 197 आदि पर 10-15 बार काल करने पर भी कोई उत्तर नहीं मिलता। ऐसा लगता है कि इन कार्यों का नियुक्त महिलाएं दूर स्थानों से समय पर पहुंच नहीं पातीं। मैं समझता हूं कि सेवाओं में सुधार के लिए उनके परिवहन की व्यवस्था की जाये। उनके लिए होस्टल की व्यवस्था की जाये। टेलीफोन स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण भी किया जाये।

बड़े बड़े औद्योगिक गृह बात करते हैं और लाइन को घंटों रोके रखते हैं। इसके लिए मीटर पद्धति चालू की जानी चाहिए।

वर्ष 1969-70 में 22,000, 1970-71 में 20,000 तथा 1971-72 में 14,000 गलत बिल भेजे गये। ऐसा क्यों किया जाता है? आपको इस संगठन में सुधार करने चाहिए। वहां पर जन-संपर्क अधिकारियों की संख्या भी बहुत कम है।

यदि आप सभी महत्वपूर्ण डाक-घरों पर शिकायत पेटिका लगा दें जिसमें ऐसी शिकायतें दी जा सकें तो कुछ ही महीनों में गलत बिलों में कमी आ जायेगी।

विभिन्न टेलीफोन योजनायों के अंतर्गत उद्योगपतियों को टेलीफोन मिल सकते है। क्या सरकार उनके कोटे में कुछ कमी करके सामान्य कोटे में वृद्धि करेगी? कोई भी व्यक्ति 300 रुपए लगाकर कम्पनी, लघु उद्योग अथवा सहकारी संस्था की स्थापना द्वारा टेलीफोन विशेष कोटे से सकता है। इस बारे में समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए।

इस मामले को आप गंभीरता से लें।

संचार मंत्री (श्री एच० एन० बहुगुना) : मैं श्री समर गुह का इन सूचनाओं के लिए आभारी हूं। इन कमियों को दूर करने की चेष्टा की जायेगी।

कलकत्ता को दिल्ली बम्बई व अन्य नगरों के साथ सीधी ट्रंक सेवा 1975 से पूर्व नहीं लागू की जा सकेगी। 1971 में मेरे कार्यभार सम्भालने के पश्चात् 22 विलम्ब रहित सेवाएं आरम्भ की गई थीं उनमें से एक कलकत्ता दिल्ली के मध्य हैं।

कलकत्ता में 1964 में नयी पद्धति चालू की गई थी। क्रोस बार पद्धति के न होने से वह सौभाग्यशाली है। क्योंकि यह पद्धति केवल कलकत्ता में चालू है। इण्डियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज ने इसके उपकरण बनाने का कार्य अपने हाथ में नहीं लिया नवम्बर, 1971 में मैं वहां गया था। लगभग 25 प्रतिशत उपरकग फालतू पुर्जों के अभाव के कारण निष्क्रिय थे। तब मैंने इण्डियन टलीफोन इण्डस्ट्रीज में उनके निर्माण की व्यवस्था करवाई। आज 99 प्रतिशत स्विचगियर कार्यरत हैं। मैं स्वीकार करता हूं कि कलकत्ता की टेलिफोन पद्धति पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

यदि प्रो० गुह हमारे कार्यकर्ताओं को कर्तव्यनिष्ठा सिखा सकें तो बहुत अच्छा होगा।

मुझे खेद है कि आज देश में कर्तव्य के प्रति निष्ठा का अभाव है परन्तु अधिकारों के प्रति जागरुकता है। कर्तव्यशीलता का अभाव गंभीर मामला है। मेरा विभाग यातायात के लिए सभी बसों की व्यवस्था नहीं कर सकता। यहां तक आवासों का संबन्ध है इस बारे में यत्नशील हूं। मैंने पश्चिम बंगाल सरकार से अपने डाक-तार कार्यकर्ताओं के लिए बने बनाये मकान खरीदने का निर्णय किया है पांचवीं योजना में कलकत्ता को समुचित स्थान देने का मैं प्रयत्न करूंगा।

इसके पश्चात् लोक सभा 19 अप्रैल, 1973/29 चैत 1895 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleventh of the Clock on Thursday, April 19, 1973/Chaitra 29, 1895 (Saka).

MGIPRRND—8 LSS/73—Sec. VI—30-8-73—490.

©

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110027,
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110006, 1973